खण्ड-322, अंक-6
बुधवार, 22 वैशाख, शक संवत् 1898
(12 मई, 1976 ई0)

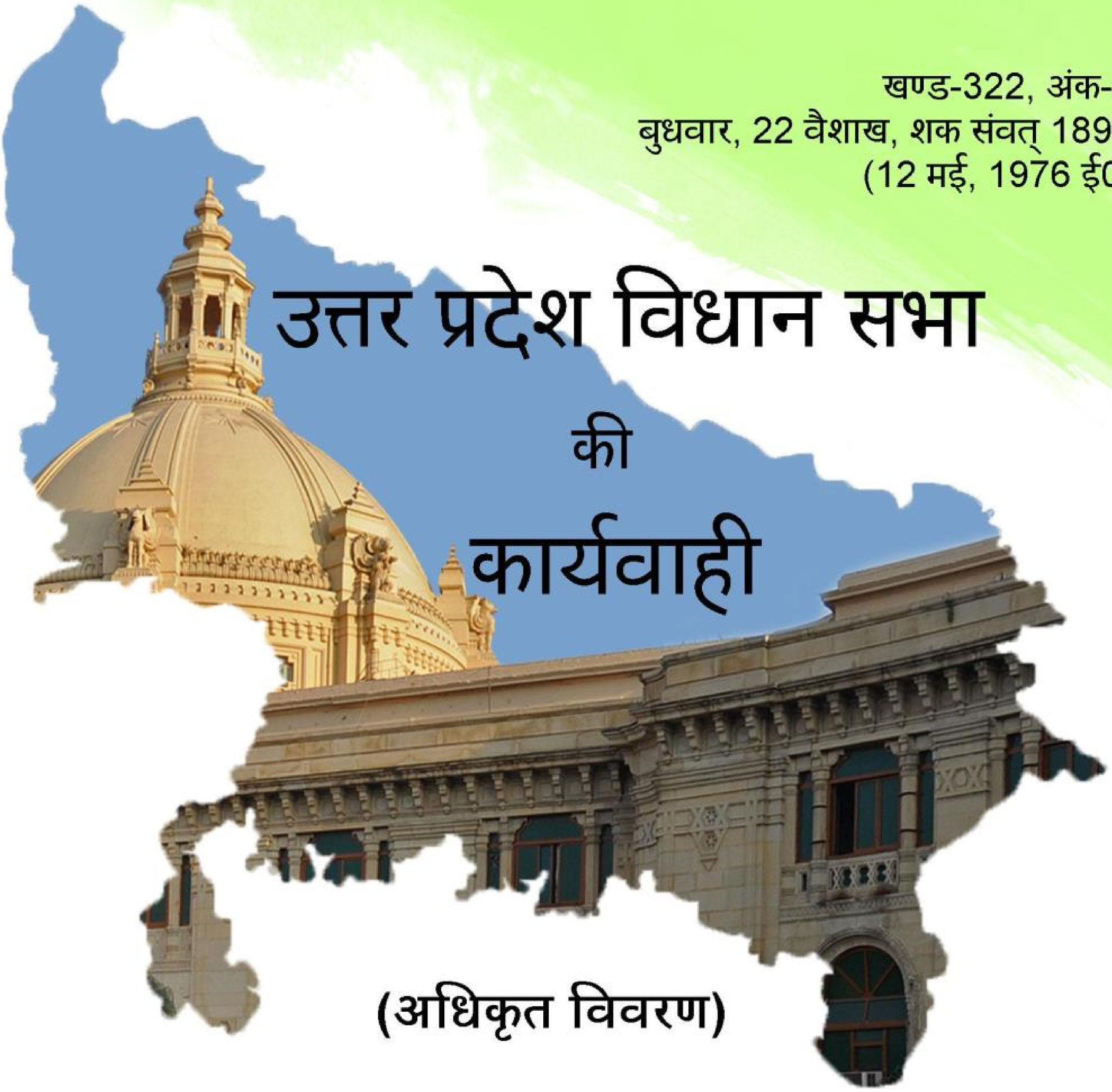

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 322 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1976

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	467–470
प्रश्नोत्तर	470–502
उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड तथा किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखी गयी)	502
वित्त बिक्री-कर अनुभाग (2) द्वारा जारी की गई विज्ञप्तियां (सदन के पटल पर रखी गयी) दि इंडियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की वर्ष 1974–75 की इक्यावनवीं वार्षिक रिपोर्ट (प्रस्तुत की गई)	503
वित्त बिक्री-कर अनुभाग–2 द्वारा जारी की गयी विज्ञप्ति का शुद्धि-पत्र (सदन के पटल पर रखा गया)	503
उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के 1974–75 के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (प्रस्तुत किये गये)	503
कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1975 एवं उसका शुद्धि-पत्र (प्रस्तुत किया गया) ..	503–504
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के वार्षिक लेखा विवरण-पत्र 1973–74 (सदन के पटल पर रखा गया)	504
उत्तर प्रदेश पंचायती राज (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975 की अधिसूचना (सदन के पटल पर रखी गयी)	504
उत्तर प्रदेश सिंचाई परिव्यय राजकीय (नलकूप) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975 तथा उत्तर प्रदेश सिंचाई परिव्यय (राजकीय नहर प्रणाली) नियमावली, 1975 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	504
नार्दन इंडिया कैनाल एण्ड ड्रेनेज (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1976 (सदन के पटल पर रखी गयी)	504
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (एकादश) आदेश, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया)	505
उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1974 (सदन के पटल पर रखी गयी)	505
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975 तथा उसके अधीन जारी की गई अधिसूचना (सदन के पटल पर रखी गयी)	505
उत्तर प्रदेश संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्पादन) नियमावली, 1975 (सदन के पटल पर रखी गयी)	505
भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	506

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	506
दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	506
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) विधेयक, 1976 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	506
उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्था (प्रबन्ध हाथ में लेना) विधेयक, 1976 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	506
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1976 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	507
उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1976 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	507
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1974 पर नियुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	507
ग्राम्य विकास राज्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	507–511
श्री शतरुद्ध प्रकाश, सदस्य, विधान सभा का विधान सभा के उपवेशनों से अनुपस्थिति के लिए प्रार्थना-पत्र (स्वीकृत)	511
22 अप्रैल, 1975 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 11 के अनपूरक प्रश्नोत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य	511–512
विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कतिपय विषयों पर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत)	512–514
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1976 (पुरः स्थापित किया गया)	514
1976-77 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 3--मंत्रि-परिषद् के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों, अनुदान संख्या 5--निर्वाचन, अनुदान संख्या 6--वृत्ति व्यापार, आजीविका तथा सेवायोजन पर कर, अनुदान संख्या 8--स्टाम्प एवं पंजीकरण, अनुदान संख्या 11--बिक्री कर, अनुदान संख्या 13--अन्य कर और शुल्क, अनुदान संख्या 42--विशेष एवं पिछड़े हुये क्षेत्र, अनुदान संख्या 73--विशेष तथा पिछड़े क्षत्रों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या अनुदान संख्या 53--उद्योग, अनुदान संख्या 55--खानें तथा खनिज, अनुदान संख्या 74--विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 90--ऋण और अग्रिम उद्योग तथा अनुदान संख्या 54--ग्राम एवं लघु उद्योग (स्वीकृत)	515–551
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1976 (विचारोपरान्त पारित) ..	551–560
आज श्री ऊदल द्वारा पूंछे गये तारांकित प्रश्न 8 के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	560–561
विभिन्न समितियों एवं निकायों के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	561–577
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1976 (पारित)	577–583
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	583
सदन का अनिश्चितकाल के लिए स्थगन के सम्बन्ध में प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	583
नत्थियां	584–624

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार 12 मई, 1976

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 263

अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील श्री (एडवोकेट) उर्फ जिमी मियां,
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'मशतर', श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
ऊदल, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्री
ओम प्रकाश गुप्त, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
खयाली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा सिंह, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया सिंह, श्री
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चरण सिंह, डाक्टर
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री

जंग बहादुर वर्मा, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जफर आजमी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागश्वर, श्री
जुगल किशोर यादव, श्री
झिलमिट, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दीपनारायण बन महन्थ, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देवकुमार यादव, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवीसिंह, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अंसारी, श्री
पुरुषोत्तम दास, चौधरी
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभुदयाल, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मनीराम, श्री
मंजूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानपाल सिंह, श्री (एडवोकेट)
मान बहादुर सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुमताज मोहम्मद, खां
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी
मेघ नाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, हाफिज
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री

मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राज बहादुर चन्द, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद बौनेरिया, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
राम गरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम जी लाल सहायक, श्री
रामजीलाल केन, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नारायण पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नारायन पाण्डे, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विजय कुमार, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव चरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री

सुक्खन सिंह, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री.
हुबराज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट :—परिवहन मंत्री, श्री शिवप्रसाद सिंह तथा ग्राम्य विकास राज्य मंत्री, श्री हबीबुर्रहमान नोमानी भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 12 मई, 1976

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

बरेली–इटावा रोड पर निर्माणाधीन फर्रुखाबाद बाईपास में मृत एवं घायल व्यक्तियों को आर्थिक सहायता

**श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद) ..

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 24 अप्रैल, 1976 को बरेली–इटावा रोड के फर्रुखाबाद बाईपास पर चल रहे निर्माण-कार्य के दौरान घटी घटना के समय कार्य में लगे एक श्रमिक की मिट्टी में दब कर मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा दो अन्य श्रमिक गम्भीर रूप से घायल हो गये जिसके फलस्वरूप कार्यरत श्रमिकों में घोर असन्तोष व्याप्त है ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है तथा इस दुर्घटना के लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की तथा मृत एवं घायल श्रमिकों को कितनी आर्थिक सहायता दी ?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री यशपाल सिंह) ..

दिनांक 24 अप्रैल, 1976 को बरेली–इटावा रोड के फर्रुखाबाद बाईपास पर चल रहे निर्माण-कार्य के दौरान हुई एक दुर्घटना में एक श्रमिक की मिट्टी में दबकर मौके पर ही मृत्यु हो गई, तथा दो अन्य श्रमिक घायल हो गये। दुर्घटना आकस्मिक थी तथा इसके लिये कोई दोषी नहीं है, अतः कार्यरत श्रमिकों में असन्तोष नहीं है।

दिनांक 24 अप्रैल, 1976 को बरेली–इटावा मार्ग के गंगा पुल के फतेहगढ़ की तरफ पहुंच मार्ग पर रेलवे के उपरिगामी पुल के निकट मिट्टी भराई का कार्य हो रहा था जिसमें एक मेंट तथा पन्द्रह बेलदार व कुली कार्य कर रहे थे। मिट्टी एक पुराने भट्ठे के स्थान से खोद कर डाली जा रही थी। श्री जगरूप मेंट जो सुबह से कार्य करा रहे थे लगभग 10 बजे भट्ठे की एक पुरानी दीवार के पास बैठ कर सुस्ताने लगे तथा कुछ देर बाद श्री राम नरेश बेलदार भी सुस्ताने हेतु मेंट के पास ही आकर बैठ गये। उनसे कुछ दूर हट कर श्री मूलचन्द्र उर्फ हग्गू बेलदार भी आकर सुस्ताने हेतु बैठ गये। उसी समय भट्ठे की पुरानी दीवार आकस्मिक रूप से ढह गई, जिसके कारण उपरोक्त तीनों व्यक्ति दब गये। घटना-स्थल पर उपस्थित अन्य मजदूरों ने उन्हें मिट्टी हटाकर निकाला। श्री मूलचन्द्र उर्फ हग्गू बेलदार मृत पाये गये तथा श्री जगरूप मेंट व श्री राम नरेश बेलदार जो घायल हो गये थे, को अस्पताल पहुंचाया गया

इस घटना की रिपोर्ट उसी दिन पुलिस में लिखाई गई तथा पुलिस जांच के फलस्वरूप यह घटना आकस्मिक पाई गयी तथा इसके लिये किसी व्यक्ति को दोषी नहीं पाया गया । सम्बन्धित सहायक अभियन्ता ने विभागीय जांच करके अपनी रिपोर्ट अधिशासी अभियन्ता को दी, जिसके पश्चात् अधिशासी अभियन्ता ने कम्पनशेसन कमिश्नर (जिलाधिकारी) को उपरोक्त मृत बेलदार के वारिस व घायल श्रमिकों को दिये जाने वाले प्रतिकर की धनराशि निर्धारित करने के लिये प्रार्थना-पत्र दे दिया है । कम्पनशेसन कमिश्नर के आदेशानुसार निर्धारित प्रतिकर विभाग द्वारा दिया जायेगा ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी —

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस उत्तर में जो यह लिखा है कि 'श्री जगरूप मेट जो सुबह से कार्य करा रहे थे, लगभग 10 बजे भट्टे की एक पुरानी दीवार के पास बैठ कर सुस्ताने लगे तथा कुछ देर बाद श्री राम नरेश बेलदार भी सुस्ताने हेतु मेट के पास ही आकर बैठ गये । उनसे कुछ दूर हट कर श्री मूलचन्द उर्फ हग्गू बेलदार भी आकर सुस्ताने हेतु बैठ गये । उसी समय भट्टे की पुरानी दीवार आकस्मिक रूप से ढह गयी, जिसके कारण उपरोक्त तीनों व्यक्ति दब गये । तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस उत्तर से यह स्पष्ट नहीं है और लगता है कि तथ्यों को छिपाने का प्रयास किया गया है । 10 बजे किसी दीवार के टूट जाने से दब जांय और एक की मृत्यु हो जाय यह अजीब सी बात क्यों नहीं लगती है ? इस उत्तर में सुस्ताने की बात का प्ली लेकर इसको कवर-अप करने की कोशिश की गई है ।

श्री यशपाल सिंह—

नहीं, कोई तथ्य छुपाने का प्रश्न नहीं है ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि मजदूरों ने कितने बजे काम शुरू किया ? क्योंकि मजदूरों को 3, 4 घंटे बाद ही सुस्ताने का समय मिलता है। यहां 10 बजे ही सुस्ताने को बैठ गये ।

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, आजकल ग्रीष्म ऋतु है । मजदूर सुबह 8 बजे से काम शुरू कर देते हैं तो स्वाभाविक है कि दो घंटे बाद सुस्ताने की आवश्यकता होती है। उनका भी मजदूरों से काफी संपर्क रहता है और मैं भी किसान का बेटा हूं, इसे अच्छी तरह जानते हैं ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

इसमें सुस्ताने की बात कही गई है, लेकिन स्वाभाविक बात यह है कि जहां इतनी गहरी खुदाई हुई हो, कोई मजदूर दीवाल के सहारे बैठकर सुस्ताने का खतरा मोल नहीं लेगा। तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वास्तव में खुदाई 5 फुट से अधिक की गई है, जबकि नियमानुसार 5 फुट होनी चाहिये थी और उससे गहरी खुदाई के कारण ही दीवाल गिरने से श्रमिक दब गये ? और क्या इस अहम मसले को मंत्री जी दुबारा जांच कराने की कृपा करेंगे ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

जहां तक जांच का प्रश्न है, एक तो हो चुकी है, पुलिस ने जांच की, लेकिन उनको ऐसी कोई बात नहीं मिली है कि किसी की वजह से यह घटना हुई है । यह तो आकस्मिक घटना थी जिसमें एक मजदूर मर गया और दो घायल अवस्था में पाये गये । फिर भी यदि माननीय, सदस्य जांच के लिये कहते हैं, तो पुनः इसकी जांच करा ली जायगी ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो मजदूर मौके पर मर गया और जो घायल हो गये उनके परिवार वालों को एक्स-ग्रेशिया पेमेन्ट क्यों नहीं किया गया, जिससे उसके घर वाले, उसके मृत्यु सम्बन्धी कार्यों को कर सकते ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

प्रश्न के उत्तर में ही इसे बताया गया है । कम्पेंशेसन देने का प्रार्थना-पत्र कम्पेंशेसन कमिश्नर के पास भेजा गया है, उनको तय करना है कि कितना कम्पेंशेसन मिलेगा । जैसे ही वहां से उत्तर आ जायगा, विभाग उसको अदा कर देगा ।

श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)—

ऐसी घटनाओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी को तुरन्त ही जिलाधिकारी को सूचना नियमानुसार देनी चाहिये, तो क्या इस केस में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने जिलाधीश को सूचना दी थी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सूचना पुलिस को की गई, सहायक अभियन्ता ने खूब जांच किया और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा अपनी रिपोर्ट आगे भेजी है ।

श्री अनवार जमील—

जिलाधिकारी को तुरन्त सूचना नहीं भेजी गई, इससे जाहिर है कि इसमें गलत चीज हुई है ? (उत्तर नहीं आया) . . .

श्री काशीनाथ मिश्र—

एक्स-ग्रशिया पेमेन्ट और कम्पेंशेसन में अन्तर है, मजदूर काम के दौरान में मारा गया, आपको तुरन्त एक्स-ग्रशिया सहायता देनी चाहिये थी, उसको देने में क्या कठिनाई थी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

यह तो वहां जो मौजूद थे, उन्होंने इस काम को किया होगा, लेकिन इसकी निश्चित सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

वास्तविकता यह है कि तात्कालिक सहायता देना चाहिये था, तो क्या मंत्री जी अब भी आदेश देने की कृपा करेंगे कि उनके परिवार के लोगों को तात्कालिक सहायता शीघ्र दे दी जाये ।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मैं माननीय सदस्य का तात्पर्य नहीं समझ पाया, तात्कालिक सहायता और कम्पेंसेशन, जो दिया जाने वाला है उसमें से किसको यह आवश्यक समझते हैं । मेरे ख्याल से कम्पेंसेशन जो दिया जाने वाला है, वही दिया जायगा ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

इन दोनों में स्पष्ट अंतर है, तात्कालिक सहायता तुरन्त देने की मांग की जा रही है । कम्पेंसेशन तो कम्पेंसेशन कमिश्नर के यहां से तय होगा, उसमें 5, 6 महीने लग सकते हैं । इसमें एक्स-ग्रशिया पेमेन्ट तुरन्त देने की कृपा करनी चाहिये । उसी आधार पर कुछ देने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

अध्यक्ष महोदय, उसकी क्रिया-कर्म के लिये माननीय सदस्यों का ख्याल है कि मिलना चाहिये । उसको मैं देख लूंगा ।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं बताऊं । कानपुर में एक घटना हुई । जहां तक मेरी जानकारी है, चार-पांच साल हो गये । कम्पेंसेशन कमिश्नर अभी तक जांच कर रहे हैं । कम्पेंसेशन में सालों साल लग जाते हैं । कुछ जीवन के लिये करना है, पत्नी वगैरह के लिये अभी स्वीकार कर लें, तो हो जायगा वरना सब मर जावेंगे भूखे ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

फतेहपुर जिले में विकास खण्डवार राजकीय नलकूपों की बोरिंग

*1--श्री प्रेमदत्त (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जून, 1974 से 1 अक्तूबर, 1975 तक प्रत्येक विकास खंड, जिला फतेहपुर में कितने-कितने की बोरिंग (खुदाई) की गयी और किन कारणों से खजुहा एवं अमौली विकास खंड, जिला फतेहपुर में उपरोक्त तिथि में एक भी राजकीय नलकूप नहीं बनाए गए हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री लोकपति)--

1 जून, 74 से 15 अक्तूबर, 75 तक जनपद फतेहपुर के निम्नलिखित विकास खण्डों में उनके सामने अंकित संख्या में राजकीय नलकूपों की बोरिंग की गई :--

खजुहा	..	..	3 नलकूप
मलवा	..	..	8 नलकूप

जिला स्थान चयन समिति ने अमौली विकास खण्ड में नलकूप लगाने के लिये कोई स्थान नहीं चुना था।

मुख्य मंत्री द्वारा शारदा बैराज, खीरी तथा घाघरा बैराज, बहराइच का निरीक्षण एवं वर्क चार्ज कर्मचारियों की गिरफ्तारी

*2--श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि 20 मई, 1973 से 31 मई, 1975 के बीच मुख्य मंत्री बहराइच, लखीमपुर खीरी पर शारदा सहायक परियोजना के कार्य की प्रगति का निरीक्षण करने गए तो छंटनी के विरोध और स्थायीकरण की मांगों के सम्बन्ध में 38 मजदूर गिरफ्तार किए गए क्योंकि वर्क-चार्ज स्टाफ के सैकड़ों मजदूरों ने उन्हें घेर लिया था ? यदि हां, तो उनका क्या अपराध था और उन्हें स्थायी न करने के क्या कारण हैं ?

श्री लोकपति--

तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय ने दिनांक 25-5-75 को शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत शारदा बैराज, शारदा नगर जनपद खीरी एवं शारदा बैराज गिरिजापुरी, जनपद बहराइच का निरीक्षण किया था। उस दिन कोई मजदूर गिरफ्तार नहीं किया गया। दिनांक 26-5-75 को खीरी जनपद में 38 कार्य प्रभारित कर्मचारी मशीनों को खराब करने, काम पर जाने वाले व्यक्तियों को रोकने तथा धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किये गये थे। वर्क-चार्ज कर्मचारियों को किसी विशेष कार्य के लिए ही रखा जाता है अतः उन्हें स्थायी करने का कोई नियम नहीं है।

खाद्य तथा रसद विभाग के आडिट सेल द्वारा लखनऊ एवं मेरठ डिवीजन के अधीनस्थ कार्यालयों का आडिट

*3--श्री हुबराज (जिला फैजाबाद)--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ एवं मेरठ डिवीजन में खाद्य तथा रसद विभाग के आडिट सेल ने अधीनस्थ कार्यालयों का किस अवधि तक का आडिट किया ? क्या शासन द्वारा बनाए गए नियम के अन्तर्गत निश्चित अवधि में निरीक्षण कार्य कर लिया गया ? यदि नहीं, तो दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री बलदेवसिंह आर्य - -

फरवरी, 1976 तक की अवधि का आडिट किया ।

आडिट सेल द्वारा निरीक्षण कार्य पूरा कर लेने के सम्बन्ध में निश्चित अवधि निर्धारित नहीं है । आदेश है कि आडिट सेल अपने-अपने क्षेत्रों में लेखा की नियमित जांच तथा आन्तरिक आडिट करेंगे । यदि इस प्रकार की आडिट जांच में, बिना किसी सन्तोषजनक कारण के कोई असाधारण विलम्ब पाया जाता है तो सरकार सम्बन्धित अधिकारी स्टाफ के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करेगी ।

श्री हुबराज –

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो इसका उत्तर नहीं मिला हम को ।

श्री अध्यक्ष –

किस अवधि का आपका है ? किस अवधि तक का आडिट किया ? क्या शासन द्वारा बनाये गये नियम के अन्तर्गत निश्चित अवधि में निरीक्षण कार्य कर लिया गया ? यदि नहीं, तो दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ? वह तो बताया । आप प्रश्न करें न ।

श्री हुबराज––

इसका उत्तर नहीं मिला मुझे ।

श्री अध्यक्ष––

उत्तर नहीं मिला ?

श्री हुब राज––

स्पष्ट उत्तर मिलना चाहिए, कितनी जानकारी हुई और अगर गड़बड़ी पायी गयी तो कौन-सी कार्यवाही उन पर की गयी ? इसका उत्तर स्पष्ट नहीं हुआ ?

श्री अध्यक्ष– -

कार्यवाही की जायगी । अभी हुई कहां । अभी कैसे कार्यवाही कर लेंगे ? आडिट सेल अपने-अपने क्षेत्रों में जांच तथा आन्तरिक आडिट करेंगे । यदि जांच में कोई असाधारण विलम्ब पाया जाता है तो सरकार सम्बन्धित अधिकारी स्टाफ के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करेंगी ।

श्री बलदेव सिंह आर्य––

मान्यवर, इस आडिट सेल ने अपना काम किया है और उसमें जहां-जहां अनियमितताएं पायी गईं, वहां कार्यवाही की जा रही है । अगर किसी ने अधिक टी0ए0 डी0ए0 ले लिया तो उससे वापस लेने की कार्यवाही की जा रही है । अगर किसी ने कोई दूसरी अनियमितता की है तो उसमें निराकरण के लिए कार्यवाही की जा रही है । किसी-किसी मामले में पुलिस को भी रिपोर्ट कर दी गयी है । पुलिस अब कार्यवाही कर रही है ।

श्री अध्यक्ष - -

माननीय हुबराज, प्रश्न का जवाब तो आपको मिला था दस्तखत है, इसमें ।

श्री हुबराज --

शायद किसी ने कमरे में दस्तखत कर दिया ।

श्री अध्यक्ष - -

कमरे की जिम्मेदारी आपकी है, हमारे विभाग की नहीं ।

फर्रुखाबाद ग्राम मोचीपुर के बेसिक शिक्षा परिषद् के प्रधानाध्यापक का निलम्बन

*4—श्री अनवार जमील—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद ग्राम मोचीपुर के किसी बेसिक परिषद के विद्यालय के प्रधानाध्यापक को आज से 7—8 वर्ष पूर्व निलम्बित किया गया था और उनको अभी तक न बहाल ही किया गया न उसे जीवन निर्वाह भत्ता ही दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

शिक्षा मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फर्रुखाबाद के कार्यालय में आवश्यक अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि सम्बन्धित प्रधानाध्यापक को कब निलम्बित किया गया था। मामले में छान-बीन की जा रही है और स्थिति स्पष्ट होने पर प्रधानाध्यापक को जीवन निर्वाह भत्ता देने/बहाल करने के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

श्री अनवार जमील—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह अध्यापक दिनांक 25 जुलाई, 1968 के आदेशानुसार निलम्बित किया गया था। रजिस्टर्ड ए0डी0 पत्रांक 30—स्था0—शि0-1968, दिनांक 20-7-68 है। इसका रिकार्ड पत्र व्यवहार रजिस्टर प्राइमरी पाठशाला, मोचीपुर में उपलब्ध है, जिसका रिकार्ड डी0आई0 फर्रुखाबाद ने अपने कार्यालय में मंगा कर देखा। मान्यवर, जो बताया गया है कि रिकार्ड मौजूद नहीं है, क्या इस आधार पर माननीय मन्त्री जी फिर से जांच करायेंगे और उसको जीवन निर्वाह भत्ता दिलाने की कृपा करेंगे ? जबकि 8 साल हो गया है ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, जिन प्रधानाध्यापक का जिक्र माननीय सदस्य ने किया है वह सन 1968 में निलम्बित किया गया था, उसके बाद 72 में जब बेसिक शिक्षा परिषद् बनी तो इनके नाम के आगे विनायक लिखा हुआ था। वहां पर किसी प्रकार से मान्यवर, रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका। जब प्रधानाध्यापक से पूछा गया कि आपके पास यदि कोई रिकार्ड हो तो उसको बता दें, तो इन्होंने जवाब दिया कि उनके मकान की छत गिर गयी थी और उस छत गिर जाने के कारण रिकार्ड नहीं मिल रहा है। उस समय जिला परिषद् के अधीन ये सब थे। वहां के किसी प्रकार के रिकार्ड न होने की वजह से कुछ तय नहीं किया जा सका है। यह प्रयास किया जा रहा है कि जो भी रिकार्ड मौजूद है उनको देखा जा रहा है। उसमें जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्यवाही होगी।

श्री काशी नाथ मिश्र—

मान्यवर, यह 7—8 साल का लम्बा सवाल है। बेचारा अध्यापक निलम्बित है और मैंने एजूकेशन के भाषण के दौरान में भी कहा था कि शासन का कोई नियंत्रण नहीं है। तो मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि इंक्वायरी के दौरान और जो इंक्वायरी मिली, उसके मुताबिक प्रधानाध्यापक को दंड भी दें लेकिन इसके बावजूद उसको बहाल आप कर देंगे, क्योंकि यह 7—8 साल का मामला है और यदि आपके विभाग की गलती है, तो यह गलती उस पर क्यों थोपी गयी, इसमें क्या आपत्ति है ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, जिस लिपिक के पास रिकार्ड होना चाहिए, उसके पास रिकार्ड मौजूद नहीं है। उसके खिलाफ कार्यवाही हो रही है। अध्यापक का बगैर वैरीफिकेशन किये हुये किस प्रकार से उसको निलम्बित किया गया था या बाद में उसकी नौकरी जो थी, वह खत्म कर दी गयी, यह तमाम सब फैक्ट जांच बगैर यह सम्भव नहीं है कि उस अध्यापक को फिर से ले लें।

श्री अनवार जमील

मान्यवर, यह जो आपने चीजें बताई हैं, क्या उसके आधार पर तुरन्त कार्यवाही करके इसको बहाल करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जो सम्मानित सदस्य ने सूचना दी है उसके आधार पर अगर यह समझा जायगा कि उसको बहाल करना चाहिये तो उसको बहाल किया जायगा और यदि वह दोषी है, तो उस पर कार्यवाही की जायगी।

[बुधवार, 12 मई, 1976 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

फर्रुखाबाद के प्राथमिक शिक्षकों का अवशेष वेतन तथा उनका प्राविडेन्ट फण्ड

*1--विमल प्रसाद तिवारी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के प्राथमिक शिक्षकों का अगस्त, 1972 से जुलाई, 1974 तक का नवीन वेतनक्रम का एरियर आज तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो इस देरी का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जनपद फर्रुखाबाद के नगर क्षेत्र के समस्त प्राथमिक शिक्षकों को अगस्त, 1972 से जुलाई, 1974 तक के नवीन वेतनक्रम के फलस्वरूप बकाया भुगतान किया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्र के 14 विकास खंडों में से लगभग 10 विकास खंडों के अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं को भी उक्त अवधि के बकाया का भुगतान किया जा चुका है। शेष विकास खंडों के अध्यापकों और अध्यापिकाओं के वेतन बिलों की जांच जिला परिषदीय वित्त परामर्शदाता द्वारा की जा रही है। जांचोपरान्त उनका भी भुगतान कर दिया जायगा।

*2--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के बेसिक शिक्षा अध्यापकों का प्राविडेंट फंड का हिसाब 1964 से नहीं रखा गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जनपद फर्रुखाबाद के नगर क्षेत्र के बेसिक शिक्षा अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं के प्राविडेंट फंड का हिसाब-किताब वर्ष 1964 से बराबर पूर्ण रूप से रखा जा रहा है। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों के बेसिक शिक्षा अध्यापकों के प्राविडेंट फंड के हिसाब का प्रश्न है, अगस्त, 1972 से अब तक का हिसाब पूर्ण है। बेसिक शिक्षा परिषद् के गठन के पूर्व वर्षों में से वर्ष 1964 से वर्ष 1969 तक का हिसाब पूर्ण किया जा चुका है। और वर्ष 1970 से जुलाई, 1972 तक की अवधि का हिसाब पूर्ण करने का कार्यवाही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फर्रुखाबाद द्वारा तत्परता से की जा रही है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी --

माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अगस्त, 1972 से जुलाई, 1974 तक के नवीन वेतन-क्रम के एरियर अध्यापक और अध्यापिकाओं के एरियर उत्तर के मुताबिक 4 ब्लाकों में नहीं दिये गये और मेरी निश्चित जानकारी है कि 10 ब्लाक में नहीं वितरित किये गये। दो साल हो गये मध्यम वर्ग के अध्यापक और अध्यापिकाएं बेसिक शिक्षा के कार्यालय और एस0 डी0 आई0 के यहां दौड़ते फिरते हैं, उनको एरियर नहीं मिल रहा है तो क्या यह शिथिलता नहीं थी बेसिक शिक्षा कार्यालय की और क्या कोई निश्चित अवधि निर्धारित करेंगे ताकि इन

लोगों को भागना न पड़े, क्योंकि वास्तविकता यह है कि बेसिक शिक्षा कार्यालय के बाबू से लेकर अधिकारी तक जिनसे पैसा पाते हैं उनका भुगतान करते हैं और बाकी सब को परेशान किया जा रहा है?

श्री अम्मार रिजवी · ·

ये एरियर्स तो अगस्त, 1975 में किये गये थे और उनको दे दिये जायेंगे । उसके पहले आपको याद होगा, इस सदन के सामने यह प्रश्न आया था कि सरकार के अर्थ उपायों को दुरुस्त करने के लिये कुछ रोक लगा दी गयी थी कि ये एरियर उनके फंड में जमा कर दिया जायगा । बाद में यह हुआ कि यह उनको भुगतान कर दिया जायगा। उसके बाद से प्रयास किया जा रहा है कि एरियर्स सबको दे दिये जाये । काफी ब्लाक्स ऐसे हैं जिनमें दिया जा चुका है, थोड़े से बाकी हैं, उनमें शीघ्र दे दिये जायंगे । किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं की गयी है कि जानबूझकर उनके एरियर्स रोके गये हों ।

श्री काशीनाथ मिश्र- ·

क्या इस बात की मंत्री जी जांच करायेंगे क्योंकि वे भी कुल बिलकुल सही जवाब दे रहे हैं। ये कागज और रिकार्ड मिल चुके हैं कि एरियर दे दिया गया और विमल प्रसाद भी वही कहते हैं कि अध्यापकों को नहीं मिला तो जब रेकार्ड कहता है कि दिया गया और एक्च्युली उनको मिला नहीं तो इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी- -

मैंने अपने उत्तर में यह नहीं कहा कि नहीं दिया गया है । जिन ब्लाकों में नहीं दिया गया, उनमें दिया जा रहा है और जहां पर गलत सूचना जैसे कि कहा कि कागज तैयार हो चुके, तब भी नहीं दिया गया तो अगर ऐसे स्पेसिफिक केस बतलायेंगे तो जांच करा ली जायगी ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी ·

माननीय मंत्री जी ने बताया कि 1964 से 1969 तक भविष्य निधि का हिसाब पूरा किया जा चुका है और 1970 से 1972 तक की अवधि का हिसाब पूर्ण करने की कार्यवाही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रुखाबाद द्वारा तत्परता से की जा रही है तो माननीय मंत्री जी इस बात को महसूस करते होंगे कि बेसिक शिक्षा अध्यापक अध्यापिकाओं के साथ यह बड़ी ज्यादती है कि 1964 से 1972 तक उनकी भविष्य निधि के रिकार्ड अपूर्ण रहे और उनमें से बहुत से तो इस बीच अवकाश प्राप्त कर गये और भविष्य निधि नहीं पाये तो मेरे प्रश्न करने के बाद रिकार्ड पूर्ण करने की कार्यवाही की गयी अब बेसिक शिक्षा अधिकारी को ऐसे आदेश दिये जायेंगे, एक निश्चित अवधि निर्धारित कर देंगे कि 1970 से 1972 तक के भी भविष्य निधि के रिकार्ड पूरे कर लिये जायं ?

श्री अम्मार रिजवी · ·

जो चिन्ता प्राविडेंट फंड के संबंध में व्यक्त की गयी है उससे सरकार सहमत है । 1964 में जिस समय ये रिकार्ड जिनका अभी जिक्र किया गया, ये सब जिला परिषदों के पास थे, उनसे बेसिक शिक्षा परिषद् को जब मिले तो ये इतने अपूर्ण हैं कि केवल फर्रुखाबाद में ही नहीं बहुत-सी जगहों पर न कहीं पर रजिस्टर है, न कागजात पूरे हैं, न फाइल्स है, ऐसा चार्ज बेसिक शिक्षा परिषद् को मिला । तो प्रयास किया जा रहा है कि उनके एक-एक कागज दुरुस्त कर दिये जायं । इसमें शीघ्रता बरती जायगी और कोशिश करेंगे कि किसी को कठिनाई न हो । जब से बेसिक शिक्षा परिषद् बनी है, उस समय से सारे रेकार्ड सुपूर्ण हैं ।

*3 · ·श्री विमल प्रसाद तिवारी- --

[13 वें बुद्धवार में तारांकित प्रश्न संख्या 8 पर स्थानान्तरित ।]

*4 ·5 ·श्री राम सुन्दर पाण्डेय ·-

[5 मई, 1976 को तारांकित प्रश्न संख्या 6 पर उत्तरित]

सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ताओं की मुअत्तली

*6—श्री बाबूलाल वर्मा (अनुपस्थित) तथा श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा) (अनुपस्थित) ··

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 6 अक्तूबर, 1975 या उसके आस-पास सिंचाई विभाग के सात इन्जीनियर मुअत्तल कर दिए गए जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप थे ? यदि हां, तो कौन-कौन सिंचाई प्रखंडो के इन्जीनियर मुअत्तल हुये ? उनके नाम क्या हैं ? तथा उन पर भ्रष्टाचार के क्या-क्या आरोप थे ? मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री लोकपति ··

6 अक्तूबर, 75 या उसके आस पास सात नहीं बरन दो सहायक अभियन्ता मुअत्तल किये गये थे जिनके विषय में वांछित सूचना संलग्नक—1 में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 584 पर)

बहराइच में बेसिक स्कूलों के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के छात्रों से वसूल की गयी धनराशि

*7—श्री बाबू लाल वर्मा (अनुपस्थित) तथा श्री त्रिवेणी सहाय (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री (बेसिक) बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 20 मई, 1976 को शिक्षा विभाग अनुभाग-6 द्वारा कोई अधिसूचना जारी की गयी जिसके कारण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कक्षा 1 से 5 तक तथा जूनियर स्कूलों के छात्रों से बहराइच जिले में 15 रु0 प्रति मास तक वसूला गया ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है इस प्रकार अब तक बहराइच में कितना धन वसूला गया ?

श्री अम्मार रिजवी ··

शिक्षा अनुभाग 6 द्वारा एक अधिसूचना संख्या 1931/15(6)-9(7)-73 दिनांक 20 मई, 1975 को जारी करी गई जिसकी प्रतिलिपि † दिनांक 31 जुलाई, 1975 को सदन के पटल पर रखी गयी।

इस अधिसूचना के अन्तगत बहराइच जनपद में क्या और किस प्रकार से अनुपालन हुआ इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

गंगानहर मेरठ के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध गबन का आरोप

*8- श्री ऊदल- ·

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि गंगा नहर जिला मेरठ के एक अधिशासी अभियन्ता ने लाखों रुपये का गड़बड़ घोटाला तीन-चार वर्ष पहले किया था और उसकी जांच करने पर उनसे पूरा रुपया रियलाइज करने का फैसला किया गया था ? क्या यह सही है कि रुपया वसूल नहीं किया गया और उन्हें 1973—74 व 1974—75 में अधीक्षण अभियन्ता बना कर चार वर्ष पहले कन्फर्म किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री मुमताज मोहम्मद खां) ··

गंगा नहर खंड मेरठ में हुई अनियमितताओं का एक मामला प्रकाश में आया है। सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध जांच चल रही है। रुपया वसूलने का अभी प्रश्न पैदा नहीं होता।

विभागीय चयन समिति की वर्ष 1972 की बैठक में की गयी संस्तुति के आधार पर उक्त अधिशासी अभियन्ता को 31-5-73 से अधीक्षण अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत किया गया। उक्त अधिशासी अभियन्ता को अधीक्षण अभियन्ता के पद पर स्थायी नहीं किया गया।

---

†छापी नहीं गई।

श्री ऊदल --
कितने रुपये की अनियमितता का मामला सामने आया है और वह कब से कब तक का है ?

श्री मुमताज मोहम्मद खां ·
इसके लिये मुझे सूचना की आवश्यकता है ।

श्री ऊदल--
अध्यक्ष महोदय, आप प्रश्न को भी देख लें और उत्तर को भी । दोनों में है कि अनियमितता प्रकाश में आ गयी है ।

श्री मुमताज मोहम्मद खां ··
उसमें आपने यह पूछा नहीं कि कितने रुपये का मामला सामने आया है ।

श्री ऊदल ··
क्या यह मामला 10 लाख रुपये का है ?

श्री मुमताज मोहम्मद खां··
गलत है ।

श्री ऊदल ··
कितने का है ?

श्री मुमताज मोहम्मद खां --
मैंने आपसे अर्ज किया कि मुझे सूचना की आवश्यकता है ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--
मान्यवर, इसमें लाखों रुपया लिखा है । अगर नहीं है तो कह दें कि नहीं है ।

श्री मुमताज मोहम्मद खां ··
मैंने जो आपको उत्तर दिया है, उससे स्पष्ट है और उससे आप खुद समझ सकते हैं कि कुछ अनियमिततायें की हैं और इस सम्बन्ध में जांच चल रही है ।

श्री ऊदल ··
जब उसके खिलाफ जांच चल रही है तो उसको प्रोन्नति क्यों दी गयी ?

श्री मुमताज मोहम्मद खां ··
एप्वाइंटमेंट डिपार्टमेंट का 1969 का एक जी0 ओ0 है कि अगर किसी के विरुद्ध जांच चल रही है तो उसको चुना जा सकता है । उसी के अधीन जब चयन समिति बैठी, तो उसने उन्हें चुना ।

श्री भीखालाल ··
क्या सरकार नियमों में ऐसा परिवर्तन कर देगी कि जिस अधिकारी के खिलाफ गबन और भ्रष्टाचार की शिकायतें आयें उसकी पहले प्रोन्नति कर दी जाय ?

श्री मुमताज मोहम्मद खां ··
इस पर विचार कर लिया जायगा । (हंसी)

श्री हुकम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)
यह जांच किस विभाग के द्वारा की जा रही है और क्या कोई अन्तरिम रिपोर्ट आयी है या नही और उन अधिकारी का नाम क्या है ?

श्री मुमताज मोहम्मद खां ..

श्री अतीउर्रहमान जो मेरठ खंडगंगा नहर में अधिशासी अभियन्ता थे, उनके सम्बन्ध में यह प्रश्न है और इस समय वह अधीक्षण अभियन्ता हैं ।

श्री हुकम सिंह ..

कोई अन्तरिम रिपोर्ट आई या नहीं और कोई प्राइमाफेसी केस बनता है या नहीं ?

श्री मुमताज मोहम्मद खां--

प्रारम्भिक जांच के बाद 2-11-73 को इन्हें आरोप पत्र सर्व कर दिया गया ।

श्री काशीनाथ मिश्र --

जिस जी0 ओ0 की बात माननीय मंत्री जी कर रहे हैं उसकी जानकारी मुझे भी है । उसमें यह भी है कि प्राइमाफेसी केस अगर साबित है तो पदोन्नति नहीं होगी । इस तरह से ऊल जलूल . . . (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)- .

श्रीमन् माननीय सदस्य की भाषा पर प्रतिबन्ध लगायें ऊल-जलूल भाषा ठीक नहीं है ।

श्री काशीनाथ मिश्र ..

मैंने यह नहीं कहा है किसी के लिये । मेरा प्रश्न तो यह है कि इसमें जांच हुई और जांच की रिपोर्ट आयी और उसमें घपला साबित है तो फिर पदोन्नति क्यों की गयी ? कन्फर्म क्यों किया गया ?

श्री मुमताज मोहम्मद खां ...

रुपया वसूल करने के सम्बन्ध में आदेश नहीं दिये गये । जैसा माननीय सदस्य कहते हैं लाखों रुपये की अनियमिततायें हैं यह उचित नहीं है, कुछ अनियमिततायें जरूर हैं, लेकिन यह बात सही नहीं है कि लाखों रुपये की हैं ।

श्री ऊदल -

यह कैसे कह रहे हैं कि लाखों रुपयों की नहीं हैं, जब इनके पास सूचना है ही नहीं । निश्चित बतायें फिर कितने की हैं ?

श्री मुमताज मोहम्मद खां --

आप मेरे कक्ष में आ जाये, बतला दूंगा ।

श्री ऊदल --

बेईमानों को शेल्टर देने की बात है और कुछ नहीं ।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)--

यह कहा गया कि कुछ अनियमिततायें पायी गयीं, तो क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह अनियमिततायें कौन-कौन सी हैं ?

श्री मुमताज मोहम्मद खां--

इस सवाल के अन्दर यह नहीं पूछा गया है कि कौन-कौन सी अनियमतायें थीं, पूछा जाता तो मैं बता देता ।

कुंवर श्रीपाल सिंह --

यह प्रश्न तो आवश्यक है, यही पूछा गया था । मंत्री जी ने जवाब दिया है उसमें बताया है कि कुछ अनियमिततायें पायी गयीं । वह कौन कौन सी हैं, इसका जवाब तो आना चाहिये यह तारीका तो गलत है ?

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न है "क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि गंगा नहर जिला मेरठ के एक अधिशासी अभियन्ता ने लाखों रुपये का गड़बड़ घोटाला तीन चार वर्ष पहले किया था और उसकी जांच करने पर उनसे पूरा रुपया रियलाइज करने का फैसला किया गया था . ."तो जो प्रश्न किया जा रहा है, उसकी सूचना तो देनी चाहिये थी । आज सदन उठने से पहले माननीय मंत्री जी इस पर सूचना दे दें क्योंकि आरोपों के बारे में ही प्रश्न है और उसके बारे में पूरी सूचना आनी चाहिये । तथ्यों के बारे में आप जानकारी करके एक वक्तव्य आज सदन के समक्ष दे दें ।

कानपुर के ग्राम बान तथा परोख में जल निकासी हेतु नालों के निर्माण पर व्यय की गयी धनराशि

*9.- चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)---

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले में ग्राम बान और परोख में जल निकासी के लिये नाले निर्माण कराने की स्वीकृति की गयी है और भूमि अध्यापित कर ली गयी है ? यदि हां, तो इन नालों में अब तक अलग- अलग कितना निर्माण कार्य हुआ और उस पर कितनी धनराशि व्यय की गयी है ? तथा इसका निर्माण कार्य 1975-76 में पूर्ण कर दिया जाएगा ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ चौधरी)---

जी हां। अप्रैल, 1976 के अंत तक बान नाले पर 8,000 घन मीटर मिट्टी का कार्य एवं एक पक्का कार्य तथा परोख पर 7,000 घन मीटर मिट्टी का कार्य हो गया है । इन पर क्रमशः रु0 49,180 व रु0 27,436 व्यय हुआ है । अवशेष कार्य जून, 1976 के अंत तक पूरा करना प्रस्तावित है ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन दोनों नालों पर अलग-अलग कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है और दोनों पर अवशेष कार्य कितना और किस प्रकार का बाकी है?

श्री जगन्नाथ चौधरी--

बान नाले पर 11510 घन मीटर मिट्टी का काम तथा 5 पक्के कार्य कराये जाने के निर्माण कार्यक्रम के अनुसार माह मार्च, 1976 तक तथा 7 हजार घन मीटर मिट्टी का कार्य और एक पक्का कार्य क्रमशः रुपया 14,000 व 25,000 अनुमानित लागत से कराये जाने का लक्ष्य है ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव -

इन दोनों नालों के लिये अलग-अलग कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है और कितना काम अब बाकी रह गया है ?

श्री जगन्नाथ चौधरी--

11510 घन मीटर मिट्टी का कार्य करना था, इसमें से 8 हजार घन मीटर का कार्य हो चुका है । शेष काम जून, 76 के अन्त तक पूरा हो जायेगा । रुपया 14 हजार और 25 हजार है ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी खर्च की एक स्कीम बतलायी 49 हजार रुपया की और दूसरी 27 हजार रुपया की । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एस्टीमेंटेड बजट इस वर्ष के लिये कितना था और अब तक कुल कितना खर्च हुआ तथा कितना प्रतिशत काम हो गया है और कितना प्रतिशत काम बाकी है ?

श्री जगन्नाथ चौधरी---

आप मेहरबानी करके सुनें तो । दोनों का अलग-अलग बजट है और अलग-अलग काम है । बान नाले पर तो 11510 घन मीटर मिट्टी का कार्य तथा 5 पक्के कार्य कराये जाने है ।

निर्माण कार्यक्रम के अनुसार माह मार्च, 1976 के अन्त तक 7 हजार घन मीटर मिट्टी का कार्य तथा एक पक्का कार्य क्रमशः रुपया 14 हजार और 25 हजार अनुमानित लागत से कराये जाने का लक्ष्य है। मिट्टी का शेष कार्य तथा पक्का कार्य वित्तीय वर्ष 1976 में धन उपलब्ध होने पर जून, 76 के अन्त तक समाप्त करानें का लक्ष्य है। परोख नाले पर 7,200 घन मीटर मिट्टी का कार्य तथा 2 पक्के कार्य कराये जाने हैं। निर्माण कार्यक्रम के अनुसार माह मार्च, 76 तक 6 हजार घनमीटर मिट्टी का कार्य तथा पक्का कार्य क्रमशः रुपया 9 हजार और 15 हजार की अनुमानित लागत से कराये जाने का लक्ष्य है। मिट्टी का शेष कार्य तथा एक पक्का कार्य जून 76 के अन्त तक कराये जाने का लक्ष्य है।

चौधरी रामपाल सिंह यादव --

इन दोनों नालों पर इस साल कितनी धनराशि स्वीकृत हुई? मुझे सूचना है कि बान नाले के लिए 79 हजार रुपया स्वीकृत हुआ था और उस पर उतना ही रुपया खर्च हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन दोनों नालों पर अलग-अलग कितनी धनराशि स्वीकृत हुई और अब कितना किलोमीटर कार्य बाकी रह गया है ?

श्री अध्यक्ष --

कितना बाकी है, यह तो बता दिया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी --

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने परसेंट काम पूरा हो गया है और दोनों कार्यों पर अलग-अलग कितनी धनराशि खर्च हुयी हैं ?

श्री जगन्नाथ चौधरी--

मान्यवर, परसेंटेज तो मेहरबानी करके आप जोड़ लें। लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं कि शेष काम है जो वह जून, 1976 तक पूरा हो जायगा।

कानपुर में कच्ची सड़कों को पक्का करने की योजना

*10 --चौधरी रामपाल सिंह यादव--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि कानपुर जिले में पंचम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पक्की सड़कें बनाने तथा टेस्ट वर्क की कच्ची सड़कों को पक्का करने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, कानपुर की अध्यक्षता में हुई बैठक दिनांक 25 नवम्बर, 1974 में वर्ष 1975-76 के लिये स्वीकृत की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त स्वीकृत प्रस्तावित सड़क कौन- कौन कहा से कहां तक हैं और इसके लिये कितनी धनराशि निश्चित की गयी है और इन सड़कों का निर्माण-कार्य कब तक प्रारम्भ होगा तथा अलग- अलग कब बन कर तैयार हो जाएंगी ?

श्री यशपाल सिंह --

25 नवम्बर, 1974 को जिलाधिकारी, कानपुर की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी जिसमें 1975-76 वर्ष के लिये नये मार्गों का एवं टेस्ट वर्क की कच्ची सड़कों को पक्का करने की प्राथमिकता पर चयन किया गया था।

जिन सड़कों का चयन किया गया उनकी सूची व अन्य सूचना संलग्न है। इन मार्गों का निर्माण धनाभाव के कारण स्वीकृत करना संभव नहीं हो सका है। अतः इन मार्गों पर कार्य प्रारम्भ करने एवं उनको बनाकर तैयार करने का प्रश्न नहीं उठता है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृ० 585 पर।)

चौधरी रामपाल सिंह यादव---

मान्यवर, क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि 1974 में इन सड़कों के निर्माण की स्वीकृति की गयी थी लेकिन वर्ष 1975-76 आज तक 2 वर्ष हो गये है कहीं काम शुरू नहीं कराया गया। तो इस वर्ष जो धनराशि है, जिसमें से इन कार्यों को शुरू करवा देंगे, सड़कों को बनावा देंगे ?

श्री यशपाल सिंह---

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि इस वर्ष में सरकार की पालिसी है कि कैश प्रोग्राम और टेस्टवर्क के अन्तर्गत जो सड़कें बनी हुई है उनका निर्माण कराया जाय । तो अगर कोई प्राथमिकता होगी तो अवश्य बनवाने का प्रयास करेंगे ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव---

मान्यवर, बिलहा-अंजनपुर, गेंरापुर-कचीसी, सड़कों पर टेस्ट वर्क में काम शुरू हुआ और लाखों रुपयों का कार्य किया गया। पुलिया का काम हुआ और मिट्टी भी डाली गयी तो क्या माननीय मंत्री जी इन मार्गों को प्राथमिकता देकर इन पर कार्य शुरू करवा देंगे।

श्री यशपाल सिंह---

मान्यवर, मैंने अर्ज किया कि कैश प्रोग्राम और टेस्ट वर्क के अन्तर्गत जो कार्य हो गये है उन्हीं को शुरू कराया जायगा।

*11--श्री ऊदल---

[माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया ।]

बहराइच के ग्राम कटकुइयां, बदलपुर तथा बैरिहवा के सिंचाई हेतु गूल निर्माण की मांग

*12--श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)---

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि बहराइच जिले में रामपुर बन्धा से गांव कटकुइंया व बदलर बैरिहवा में सिंचाई हेतु कोई कच्ची अथवा पक्की नहर गूल नहीं है और सिंचाई नहीं हो पाती है ? क्या जनवरी, 1976 में कोई शिकायत इस सम्बन्ध में किसी माननीय विधायक द्वारा सिंचाई अभियन्ता, बहराइच नहर खण्ड को मिली ? यदि हां, तो उस पर अब कब तक क्या क्या कार्यवाही की गई।

श्री लोक पति---

बहराइच जिले में रामपुर बांध से निकलने वाली नहरों से ग्राम कटकुइंया, बदलपुर और बैरिहवा में सिंचाई हेतु कोई गूल नहीं है। इन तीनों ग्रामों में उक्त नहरों से सिंचाई प्रस्तावित है किन्तु गूल न होने के कारण केवल कुछ सिंचाई ग्राम बदलपुर तथा कटकुइंया, मजरा जुड़पनिया में होती है ।

जनवरी, 1976 में किसी माननीय विधायक का इस विषय में पत्र सिंचाई खण्ड गोण्डा, जिनके अधीन उक्त नहर है, के किसी अभियन्ता को प्राप्त नहीं हुआ है।

*13--श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

[24 मार्च, 1976 को तारांकित प्रश्न संख्या 8 पर उत्तरित।]

देवरिया में गंडक नहर हेतु अध्याप्त भूमि के प्रतिकर का भुगतान

*14—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जनपद में गन्डक नहर में किसानों की जो भूमि 4–5 वर्ष पूर्व अध्याप्त की गयी है उस भूमि का कितना मुआवजा अभी बाकी है ? और क्या सरकार मुआवजे की धनराशि किसानों को शीघ्र दिलाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोक पति—

देवरिया जनपद में गण्डक नहर निर्माण हेतु भूमि जिन ग्रामों में 4–5 वर्ष पूर्व अध्याप्त की गयी है उनमें से किसी भी ग्राम का प्रतिकर वितरण करना शेष नहीं है।

राजकीय इण्टर कालेज, दोगड्डा, गढ़वाल के विद्यार्थियों का रोका गया परीक्षाफल

*15—श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि राजकीय इन्टर कालेज दोगड्डा, जिला गढ़वाल में 14 विद्यार्थियों का हाई स्कूल परीक्षा 1975 का परीक्षाफल अभी तक घोषित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

*श्री अम्मार रिजवी—

परिषद की 1975 की परीक्षाओं में इस विद्यालय केन्द्र के हाई स्कूल के 23 तथा इण्टरमीडिएट के 9 परीक्षार्थियों के परीक्षाफल परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग करने के आरोप पर रोके गये थे। आवश्यक जांच के बाद इन समस्त परीक्षार्थियों का परीक्षाफल दिसम्बर, 1975 में घोषित कर दिया गया।

हाईस्कूल एवं इण्टर की शिक्षा प्रणाली में कथित परिवर्तन का प्रस्ताव

*16—श्री मुहम्मद असरार अहमद (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि आगामी शिक्षा सत्र से हाई स्कूल एवं इण्टर क्लासेज की शिक्षा प्रणाली में कोई परिवर्तन करने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो उसकी पूर्ण रूपरेखा क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं, आगामी शिक्षा सत्र से हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट की शिक्षा प्रणाली में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है।

लिफ्ट सिंचाई विभाग, बांदा के अभियन्ताओं के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायती–पत्र

*17—श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि लिफ्ट सिंचाई विभाग, बांदा के अभियन्ताओं व अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनांक 27 अक्तूबर, 1975 की रजिस्ट्री द्वारा प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो आरोपों का विवरण क्या है ? सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

*श्री जगन्नाथ चौधरी—

जी हां।

शिकायती-पत्र की प्रति संलग्न है। जांच की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 586–587 पर)

श्री देव कुमार यादव---
मान्यवर, बांदा जिले में ट्यूबवेल के सिलसिले में बड़ी लम्बी, धांधली हुई है। मैं निवेदन करूंगा कि शिकायती-पत्र पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---
शिकायती-पत्र लगा है।

श्री देव कुमार यादव---
मान्यवर, विवरण क्या है ?

श्री अध्यक्ष---
शिकायती-पत्र तो संलग्न है।

श्री देव कुमार यादव---
खास-खास बातें मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---
इसमें सब लिखी हैं। 7-8 आरोप है। किसी के बारे में पूछें आप।

श्री देव कुमार यादव---
मुख्य-मुख्य आरोप क्या थे ?

श्री अध्यक्ष---
आप प्रश्न समझें हों तो जवाब दें ?
(मंत्री द्वारा उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री गोविन्द सिंह नेगी---
मान्यवर, मंत्री जी स्वीकार करते हैं कि अक्तूबर 75 में आरोप-पत्र मिल गया था। तो क्या बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक जांच समाप्त नहीं हुयी है, इतना अर्सा हो गया है, इसका क्या कारण है ?

श्री जगन्नाथ चौधरी---
मान्यवर, मैं माननीय सदस्य की भावनाओं से सहमत हूं। मैं स्वयं महसूस करता हूं कि जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट देने में विलम्ब किया है। इसलिये जांच अधिकारी को बदल दिया है। और दूसरे अधिकारी को जांच सुपुर्द की है।

श्री देव कुमार यादव---
मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जांच किस एजेंसी द्वारा करायी जा रही है और उसका माध्यम क्या है ?

श्री जगन्नाथ चौधरी---
विभागीय अधिकारी के द्वारा जांच करायी जा रही है।

श्री भीखालाल---
मान्यवर, यह आरोप पत्र मैंने देखा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पहले आरोप के संबंध में, ट्यूबवेल नं 08 के संबंध में, कि ट्यूबवेल की नाली कितनी बननी थी, कितनी बन गयी है और उस पर कितना रुपया खर्च किया गया है। ईट पत्थर और ईटा कितना मंगाया गया। तो कितनी नाली बननी है कितनी बन गयी और कितनी धनराशि खर्च हुई है, यह बता दें ?

श्री जगन्नाथ चौधरी --

मान्यवर, जब तक जांच रिपोर्ट न आ जाय तब तक कुछ कहना उचित नही है ।

कुवर श्रीपाल सिंह --

मान्यवर, जिस अधिकारी नें जांच में इतनी विलम्ब लगायी है उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जगन्नाथ चौधरी --

श्रीमन्, उसके खिलाफ भी कार्यवाही कर रहे हैं ।

बांदा जिले में ट्यूबवेल निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि

*18--श्री देवकुमार यादव--

क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले में ट्यूबवेल निर्माण हेतु 1970 से लेकर अबतक कितना सरकारी धन स्वीकृत किया गया है और इस धन से कितने ट्यूबवेल लगाये गए है ?

श्री जगन्नाथ चौधरी--

बांदा जिले में ट्यूबवेल निर्माण हेतु 1970 से लेकर मार्च 1976 तक रुपया 25.68 लाख स्वीकृत किया गया है। अब तक 39 नलकूप बन चुके हैं।

श्री देव कुमार यादव--

मान्यवर,मै मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 39 ट्यूबवेल जो बता रहे है वह कौन-कौन गांव में लगे है ?

श्री अध्यक्ष--

आपने प्रश्न किया है कि कितना धन स्वीकृत हुआ और कितने ट्यूबवेल लगाये गए ? अब जो पूछ रहे हैं यह नहीं है।

श्री देव कुमार यादव --

मैं जानना चाहता हूं कि इन ट्यूबवेलों से कितनी सिंचाई हो रही है और कब से हो रही है ?

श्री अध्यक्ष --

यह तो दूसरा प्रश्न है ।

श्री जगन्नाथ चौधरी --

मान्यवर, इसके लिये सूचना की आवश्यकता पड़ेगी ।

जालौन के मउवाखेरा तथा बावई माइनरों के नाले का निर्माण

*19--डाक्टर मलखान सिंह (जिला जालौन)

क्या सिचाई मंत्री बताने की कृपा करेगे कि क्या जिला जालौन मौजा पहाड़ गांव में मउवा खेरा तथा बाबई माइनरों का पानी निकालने हेतु एक नाला खुदवाने का प्राविधान है ? यदि हां तो इस नाले का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ तथा कब तक पूरा हो जायगा। क्या मंत्री कृपया यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सही है कि जहां तक नाले का निर्माण हो चुका है, वहां रास्तों पर पुल नहीं बनाए गए है तथा जहां नाला नहीं खुदा है वहां पुल पहले से ही बना दिय गए है? यदि हां, तो एसा क्यों ?

श्री जगन्नाथ चौधरी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

डाक्टर मलखान सिंह :—

मान्यवर, मेरा अर्ज है कि दुर्भाग्य से यह प्रश्न दो सेशनों में उठाया किन्तु नहीं आया और अब आया है, तो भी सूचना नहीं आयी है। मान्यवर, वहां नाला खोदा गया. . . . ।

श्री अध्यक्ष—

उत्तर यह है कि सूचना एकत्र कर रहे हैं।

डाक्टर मलखान सिंह—

मान्यवर, अर्ज कर रहा हूं. . . . .

श्री अध्यक्ष—

अर्ज आवेदन कर सकते हैं लेकिन वह तो सूचना एकत्र कर रहे हैं।

कुंवर श्रीपाल सिंह—

मान्यवर, क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि प्रश्न में देखें तो एक वाक्य यह है कि माइनरों का पानी निकालने हेतु एक नाला खुदवाने का प्राविधान है? तो सरकार के यहां इसका कोई प्राविधान बन चुका है तभी प्रश्न हुआ है। तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्राविधान के अनुसार कितना नाले पर काम हो चुका है?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

मान्यवर, इसमें निवेदन कर दिया कि सूचना एकत्र की जा रही है। इसलिये आगे मेरा कहना उचित नहीं है।

कुंवर श्रीपाल सिंह—

मान्यवर, प्राविधान आपके वहां का है तो सूचना क्या एकत्र की जा रही होगी? सूचना तो होगी ही।

श्री अध्यक्ष—

प्राविधान होगा तो वह किताब में या बजट में होगा, कोई इनकी जेब में थोड़े ही होगा।

कुंवर श्रीपाल सिंह—

विभाग में सूचना है तो मान्यवर, इनको बताना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

इनको तो पूरी सूचना बतानी चाहिये, लेकिन सूचना एकत्र करके ही तो बतायेंगे।

फर्रुखाबाद की कतिपय झीलों की पानी निकासी योजना

*20—डाक्टर धर्म पाल सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आपको जिला फर्रुखाबाद ब्लाक उमर्दा स्थित (निचली गंगा नहर प्रखंड, कानपुर से सम्बन्धित) सांडा झील दिनांक 4 जुलाई, 1974 तथा बहोशी बरसाती झील 24 से 29 अप्रैल, 1975 तथा सांडा बहोशी लाख झीलें दिनांक 28 जून, 1975 तथा चीफ इन्जीनियर, सिंचाई (नहर) दिनांक 7 जनवरी, 1976 को पानी निकासी हेतु खुदाई सफाई के प्रार्थना-पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक हो जायगी?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

4—7—74 के प्रार्थना पत्र की प्राप्ति के बारे में स्थिति निश्चित रूप से ज्ञात नहीं हो सकी। शेष प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। सांडा झील का सर्वेक्षण किये जाने के पश्चात् जल निकासी के लिये ईसन नदी तक के क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जा रहा है तथा बहोशी व लाख झील से निकालने वाले विभागीय नालों की इस वर्षा से पूर्व सफाई कराना प्रस्तावित है।

डाक्टर धर्मपाल सिंह—

सन् 1974 में एक प्रार्थना-पत्र दिया गया था। उसकी सूचना आपके विभाग ने सही नहीं दी। तीन वर्ष हो गये, लेकिन अभी तक सांडा झील से पानी निकासी हेतु खुदाई सफाई का काम नहीं हुआ और सर्वेक्षण हो रहा है तो यह सर्वेक्षण कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

मैंने तो यह बता दिया कि यह बरसात से पहले हो जायगा।

डाक्टर धर्मपाल सिंह—

आपने कहा है कि सर्वेक्षण किया जा रहा है, तो वह कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हो जाय।

डाक्टर धर्मपाल सिंह—

सांडा झील और दूसरी बहोशी बरसाती झील है तो क्या उनकी बरसात से पहले सफाई होने की सम्भावना है ?

श्री जगन्नाथ चौधरी

मैंने स्वीकार कर लिया है और आशा है बरसात से पहले हो जायगी।

टिहरी गढ़वाल में महाअष्टमी मेलें में यात्रियों हेतु आबंटित चीनी के वितरण में शिकायत

*21—श्री बाल कृष्ण सनवाल (जिला नैनीताल)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खाद्य पूर्ति अधिकारी, टिहरी गढ़वाल ने अक्तूबर, 1974 में असौज माह की महा अष्टमी के मेले के लिए 4 बोरी चीनी का परमिट प्रसारित किया था? यदि हां, तो किस व्यक्ति या संस्था के नाम से? क्या इस चोर बाजारी के भ्रष्ट तरीके अपनाने के सम्बन्ध में क्षेत्र के करीब तीस ग्राम प्रधानों ने सरकार को इस मामले में निष्पक्ष जांच करने हेतु मांग-पत्र भेजे थे? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां। जिला पूर्ति अधिकारी, टिहरी गढ़वाल द्वारा वर्ष 1974 के चन्द्रबदनी में होने वाले अष्टमी के मेले में आने वाले यात्रियों को वितरण हेतु 4 बोरी चीनी का आवंटन श्री मकान सिंह बिष्ट, सरकारी सस्ता गल्ला के विक्रेता, हिन्डोलारवाल को किया गया था। प्रश्न में उल्लिखित शिकायत की जांच के उपरान्त श्री मकान सिंह के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 एवं डिफेन्स एण्ड इन्टरनल सीक्योरिटी रूल्स, 1971 के नियम 114 के अन्तर्गत चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट टेहरी के न्यायालय में वाद दायर कर दिया गया है।

श्री बालकृष्ण सनवाल—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेगें कि जांच किसके द्वारा करायी गयी और जांच की रिपोर्ट में क्या तथ्य सामने आये और मुकदमा कब दायर हुआ ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जांच हाकिम इलाका कीर्तिनगर ने की और जो शिकायत की गयी थी उसे सत्य पाया और मामल को अदालत में दे दिया।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, परमिट डी0एस0ओ0 ने दिया तो इस बेचारे पर मुकदमा क्यों चलाया गया ? डी0एस0ओ0 पर मुकदमा चलाते, उनको तो आपने छोड़ दिया और दुकानदार को डी0आई0 आर0 में बन्द कर दिया। तो क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि डी0एस0ओ0 के खिलाफ क्या कार्यवाही उन्होंने की ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

डी0एस0ओ0 के पास यह प्रार्थनापत्र दिया गया था कि चन्द्रबदनी में अष्टमी का मेला लगने वाला है। यात्री वहां जायेंगें। इसलिए डी0एस0ओ0 ने चीनी का परमिट दे दिया। जांच से पता चला कि बीच में ही इस चीनी की चोरबाजारी कर ली गयी।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, मेरी जानकारी है कि इसमें किसी राजनीतिक व्यक्ति का हाथ है। जब प्रधान ने शिकायत की तो मकान सिंह को जो कि दुकानदार है, पता भी नहीं था। क्या मंत्री जी फिर से इसकी जांच कराने की कृपा करेगें ताकि इस प्रकार की जो और भी शिकायतें हैं वह भी साफ हो सकें ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जांच परगना अधिकारी से करायी गयी और उसके पश्चात् ही यह वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

जहां चन्द्रबदनी का मेला लगता है, वहां इस दुकान के अलावा भी और बहुत सी दुकानें हैं। क्या डी0एस0ओ0 ने इस बात की भी छानबीन की कि दूसरे दुकानदारों को भी चीनी की जरूरत होगी और उनको भी परमिट दिया जाय ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है कि डी0 एस0ओ0 ने इस प्रकार की छानबीन की या नहीं।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

उसके पास ही जामुनी खाल में गल्ले का स्टोर है और यह रिकमेंडेशन की गयी थी कि चीनी एफ0सी0आई0 के द्वारा भेजी जाय। क्या मंत्री जी इसकी जांच करवायेगें कि ऐसी संस्तुति की गयी थी और यदि की गयी थी तो इसके बावजूद फिर क्या मकानसिंह को चीनी दी गयी ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपका सवाल नहीं समझा। यदि मंत्री जी समझ गये हों तो उत्तर दे दें ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

माननीय सदस्य फिर से जांच चाहते हैं। यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है, जांच की अब आवश्यकता नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या माननीय मंत्री जी बतानें की कृपा करेगें कि इस क्षेत्र में सस्ते गल्ले की और भी दुकानें हैं और उन दुकानों को यह परमिट क्यों नहीं दिया गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

यह तथ्य तो मेरे सामने नहीं है। मैं इसको मालूम करवा लूंगा कि इस क्षेत्र में और कितनी दुकानें सस्ते गल्ले की हैं।

बेसिक शिक्षा परिषद्, जालौन के अध्यापकों के पुनरीक्षित वेतन के अवशेष का भुगतान

*22—डाक्टर मलखान सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेगें कि क्या जिला जालौन में दिनांक 1 अगस्त, 1972 से पुनरीक्षित वेतन तथा महंगाई भत्ता का एरियर बेसिक शिक्षा अध्यापकों को वितरित कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद जालौन में 27 अध्यापकों को छोड़कर समस्त ग्रामीण एवं नगर क्षेत्र के बेसिक शिक्षा परिषदीय अध्यापकों के पुनरीक्षित वेतन आदि के अवशेष का वितरण संलग्न तालिका में अंकित तिथियों को किया जा चुका है। शेष 27 अध्यापकों में से 15 अध्यापकों के बिलों की जांच जिला परिषद के वित्त परामर्शदाता द्वारा की जा रही है और जांचोपरान्त बिल पारित होने पर भुगतान कर दिया जायेगा। 12 अध्यापकों के सेवा अभिलेख पूर्ण किये जा रहे हैं और यथाशीघ्र इनके अवशेष का भुगतान भी करा दिया जायेगा।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 588 पर)

डाक्टर मलखान सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो अवशेष धन है वह किस तिथि से किस तिथि का है और कुल कितने अवशेषों का भुगतान कर दिया गया है ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्न को और अधिक स्पष्ट कर दें।

डाक्टर मलखान सिंह—

मेरा प्रश्न यह है कि यह अवशेष धन किस अवधि से किस अवधि तक का है। मेरी जानकारी है कि 1-8-72 से नवम्बर 1974 तक का वेतन वितरित होना था, परन्तु इससें बाद के महीनों का तो बाट दिया गया और पूर्व के 9 या 10 महीनों का वेतन नहीं बाटा गया है। क्या मंत्री जी बतायेगें कि 1 8 72 से नवम्बर, 1974 तक का पूरा वेतन बांट दिया गया है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जिन अध्यापकों का जिक्र किया गया है, उनको छोड़ कर अन्य शिक्षकों का बाट दिया गया है। उनकी तनख्वाहों में जो बढ़ोतरी हुई थी, वह केवल 27 अध्यापकों का पूरे जिले में बाकी है। जिन अध्यापकों का बाकी भी है उनका भी पूरा वेतन वितरित किया जायगा।

डाक्टर मलखान सिंह—

मुझे यह जानकारी है कि पूर्व के 9 महीनों का वेतन नहीं बांटा गया है और बाद के 18 महीनों का वेतन बांट दिया गया है। इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही भी की जा रही है। कुल 27 महीनों का अवशेष धन था वह कुल बांटा गया या नहीं?

श्री अम्मार रिजवी—

सरकार ने रिवीजन आफ स्केल किया था और उसके एरियर को बांटने पर रोक लगा दी गई थी। अगस्त, 1975 में तय हुआ कि यह वतन द दिया जाय और कुछ हिस्सा उनके प्रावीडेंट फंड में जमा कर दिया जायगा और शेष उनको दे दिया जायगा। उसी क अनुसार उनका वतन दिया जा रहा है।

डाक्टर मलखान सिंह---

मान्यवर, जहा तक मुझे जानकारी है, वह अवशेष धन उनके जी0 पी0 फंड में जमा नहीं किया गया है और किसी दूसरी निधि में जमा किया गया है। क्या मंत्री जी इसकी जांच करवायेंगे कि वह अवशेष धन उनके जी0 पी0 फंड में उचित रूप में जमा कर दिया गया है, अथवा नहीं ?

अध्यक्ष---

कितने अध्यापकों का धन जमा नहीं किया गया ?

डाक्टर मलखान सिंह--

मेरा प्रश्न है कि जहां तक मेरी जानकारी है अध्यापकों का धन उनके जी0 पी0 एफ0 में जमा नहीं किया गया तो इस बात की माननीय मंत्री जी जांच करायेंगे?

श्री अध्यक्ष---

दूसरी जगह चला गया होगा। ट्रान्फसर हो जायगा। जांच की क्या आवश्यकता है ?

अवर अभियन्ता, श्री चन्द्रभान शुक्ल नलकूप खंड, फैजाबाद के विरुद्ध सतर्कता विभाग की जांच

*23---श्री सीता राम निषाद (जिला फैजाबाद)---

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अवर अभियन्ता (श्री चन्द्रभान शुक्ल) नलकूप खंड, फैजाबाद के खिलाफ लाखों रुपये के गोल-माल की गम्भीर शिकायतों की जांच के लिए मुख्य अभियन्ता, सिंचाई, लखनऊ ने 1975 में श्री अख्तर हुसेन खां, अधिशासी अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खंड, सुल्तानपुर को अधिकारी नियुक्त किया गया था ? यदि हां, तो उस जांच रिपोर्ट पर उक्त अवर अभियन्ता के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है?

श्री जगन्नाथ चौधरी--

जी हां। विभागीय जांच में यह पाया गया कि आरोप ऐसे हैं जिनकी जांच सतर्कता विभाग द्वारा ही संभव है। अतः इन आरोपों की सतर्कता विभाग द्वारा जांच कराने पर विचार किया जा रहा है।

श्री सीताराम निषाद--

क्या सरकार बतायेगी कि अवर अभियन्ता के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री जगन्नाथ चौधरी---

अवर अभियन्ता को वहां से अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया (जिला आगरा)---

जब उनके खिलाफ इतने आरोप साबित हो चुके हैं और सतर्कता आयोग के पास जांच के लिये मामला भेजा जा रहा है तो क्या उस अधिकारी को अब तक सस्पेंड किया गया है या नहीं ?

श्री जगन्नाथ चौधरी--

सस्पेन्ड नहीं किया गया है। कार्यवाही की जायगी और सतर्कता विभाग से जांच कराई जायगी।

नोटः---तारांकित प्रश्न संख्या 23 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

बिजनौर के ग्राम मिट्ठूपुर के अर्धनिर्मित नलकूप

*24—श्री जंग बहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी) तथा श्री सुक्खन सिंह (जिला बिजनौर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम तहसील मिट्ठूपुर, परगना बढ़ापुर, तहसील नगीना, जिला बिजनौर में 1974 में जो नलकूप लगाया गया है वह अब तक अपूर्ण पड़ा है। जिससे वहां की जनता में असंतोष व्याप्त है? यदि हां, तो इसका कब तक निर्माण कर दिय जाने की सम्भावना है और इसके पूर्ण होने में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री लोकपति—

माननीय सदस्य का आशय कदाचित ग्राम मिट्ठूपुर से है। इस ग्राम में दिसम्बर, 1974 में नलकूप संख्या 498 धामपुर समूह का छिद्रण हुआ था। यहां स्ट्रेटा में पर्याप्त मात्रा में जल नहीं मिल सका अतएव इस कूप को असफल घोषित कर दिया गया है।

सीतापुर मंडल द्वारा शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत किवानी साइफन का निर्माण

*25—श्री श्याम मिश्रा (जिला कानपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत किवानी साईफन का निर्माण कार्य नवम् मन्डल सीतापुर द्वारा कराया गया? अनुबन्ध की शर्त के अनुसार 1, 2, 4 सीमेन्ट कंकरीट में हल्द्वानी या काल्पी की रेत प्रयोग की जानी थी परन्तु इसकी बजाय हल्द्वानी एवं काल्पी रेत में चालीस प्रतिशत लोकल सैन्ड उपरोक्त कार्य के अनुबन्ध के नियम के विरुद्ध मिलाकर कार्य कराया गया जिसके फलस्वरूप विभाग द्वारा ठेकेदार को लगभग दो लाख पचास हजार रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया?

श्री लोकपति—

जी हां, शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत किवानी साइफन का निर्माण-कार्य नवम मण्डल, सीतापुर द्वारा कराया गया। अनुबन्ध की शर्त में 1 : 2 : 4 सीमेन्ट कंक्रीट में हल्द्वानी या काल्पी की रेत प्रयोग किये जाने का कोई प्राविधान नहीं था अनुबन्ध के अनुसार 1 : 2 : 4 कांक्रीट के लिये रेत का फाइननेस माडल्स 2.0 होना चाहिये था। जो मोटा बालू बाहर से मंगाया गया था उसका फाइननेस माडलस 2.69 से 3.06 तक था जिसमें 40 प्रतिशत स्थानीय बालू मिलाकर फाइननेस माडल्स 2.25 से 2.10 के लगभग रखा गया। इसके फलस्वरूप ठेकेदार को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया गया और कार्य अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ही कराया गया।

शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत स्केप चैनल के टेल फाल के निर्माण हेतु मांगे गये टेण्डर

*26—श्री श्याम मिश्रा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत "स्केप चैनल" के "टेलफाल" का निर्माण-कार्य ठेके दार से अनुबन्ध द्वारा नवम् मन्डल के अधीन कराया गया? इस कार्य के दो बार टेण्डर क्रमशः दिनांक 19 फरवरी, 1974 एवं 23 अगस्त, 1974 को आमन्त्रित किये गये परन्तु दिनांक 19 फरवरी, 1974 के कम रेट पर आए ठेकेदार के टेण्डर पर कार्य न देकर दिनांक 23 अगस्त, 1974 को दूसरे ठेकेदार को लाखों रुपया अधिक पर कार्य द दिया गया एवं नियम के विरुद्ध विभाग न अपना एस्टीमेट सन 1974 के शिड्यूल से बनान के बजाय सन् 1975 का शिड्यूल लगाकर बना लिया, जिसके फलस्वरूप सरकार क लाखों रुपये का अपव्यय किया गया? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

जी हां, शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत स्कैप चैनल के टेलफाल व बी0 आर0 बी0 का निर्माण-कार्य ठेकेदार से अनुबन्ध द्वारा नवम् मण्डल के अधीन कराया गया । इस कार्य के दो बार टेण्डर क्रमशः 11/2/74 एवं 23/8/74 को आमन्त्रित किये गये । दिनांक 19/2/74 को कोई टेण्डर नहीं मांगा गया । कार्य को 23/8/74 के न्यूनतम निविदाता से अनुबध करके कराया गया । इस निविदाता की दरें 11/2/74 के न्यूनतम निविदाता की दरों से कम थीं । विभाग ने नियमानुसार अपना एस्टीमेट वर्ष 1975 के शिड्यूल से बनाया जिसके फलस्वरूप सरकारी धन का कोई अपव्यय नहीं हुआ ।

खाद गोदामों के पुराने बाजरा, ज्वार तथा मक्के की बिक्री दरें

*27. श्री श्रीशचन्द्र (जिला हरदोई)--

क्या खाद्य तथा रसद मन्त्री को जानकारी है कि उनके खाद्य के गोदामों में 3 वर्ष पुराना बाजरा, मक्का तथा ज्वार पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो इस उपर्युक्त गल्ले को किन-किन दरों पर और किस-किस को देने की व्यवस्था की गयी है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी हां । इन पुराने मोटे अनाजों को लाइसेन्स प्राप्त व्यापारियों को होल सेल इश्यू रेट्स पर ज्वार रु0 94.75 पैसे प्रति कुन्टल, बाजरा तथा मक्का रु0 98.75 पैसे प्रति कुन्टल की दर से बेचने की अनुमति दे दी गई है ।

*28. श्री प्रेमदत्त--

[7 वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 53 पर स्थानान्तरित ।]

सुल्तानपुर एवं फैजाबाद के बेसिक अध्यापकों के नये वेतनमान के अवशेष वेतन का भुगतान

*29. श्री हुबराज--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सुल्तानपुर एवं फैजाबाद के बेसिक शिक्षकों (जिला परिषदीय) को नए वेतनमान के अन्तर्गत अगस्त, 1972 से एरियर की धन-राशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*30. श्री हुकुम सिंह--

[29 अप्रैल, 1976 को तारांकित प्रश्न संख्या 41 पर उत्तरित ।]

बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़ के विरुद्ध शिकायतीपत्र

*31. श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1976 में बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ द्वारा किये जा रहे अनैतिक कार्य तथा अनियमितताओं के विरुद्ध प्रादेशिक प्राथमिक शिक्षा संघ उत्तर प्रदेश की शाखा आजमगढ़ के मन्त्री द्वारा हाल ही में शिकायत किये जाने के परिणाम स्वरूप उक्त अधिकारी के खिलाफ शिकायतों की जांच समिति नियुक्त की गयी है? यदि हां, तो शिकायती पत्र में कौन-कौन से आरोप लगाये गये हैं तथा शिकायतों की जांच करने के लिये किन-किन अधिकारियों को नियुक्त किया गया है तथा जांच रिपोर्ट कब तक पूरी कर ली जायगी ?

श्री अम्मार रिजवी --

कोई जांच समिति नहीं नियुक्त की गयी है। मंत्री, जिला प्राथमिक शिक्षक संघ, आजमगढ़ से प्राप्त शिकायती पत्र दिनांक 3 मार्च, 1976 में बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ के विरुद्ध जातिवाद भ्रष्टाचार आदि के आरोपों पर मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर द्वारा की जा रही जांच अभी जारी है।

सहकारी चीनी मिल, रसड़ा, बलिया में राजकीय नलकूप लगाने की योजना

*32- श्री रघुनाथ (जिला बलिया) ..

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के सहकारी चीनी मिल रसड़ा में लगाने हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दस राजकीय नलकूप विगत वर्ष में दिये गये थे? जिसमें परामर्शदात्री (सलाहकार समिति) सिंचाई, बलिया पर, नलकूप कहां लगाये जायं, इस पर सलाह देने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था? यदि हां, तो क्यों?

श्री लोकपति ...

सूचना एकत्र की जा रही है।

फर्रुखाबाद की बेसिक शिक्षा परिषदीय अध्यापिकाओं का निलम्बन

*33- श्री अनवार जमील--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के बेसिक परिषद् में 1975-76 में कितनी अध्यापिकायें निलम्बित की गयीं तथा क्यों? उनकी बहाली अब तक न करने का क्या कारण है?

श्री अम्मार रिजवी--

जनपद, फर्रुखाबाद में वर्ष 1975-76 में 6 अध्यापिकाओं को निलम्बित किया गया। उनमें से तीन अध्यापिकाओं को विद्यालयों में विलम्ब से आने, दो अध्यापिकाओं को बी0 टी0 सी0 का जाली प्रमाण-पत्र देकर प्रशिक्षित वेतनमान लेने तथा एक अध्यापिका को बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये बी0 एड0 प्रशिक्षण लेने एवं प्रशिक्षण अवधि में वेतन लेते रहने के कारण निलम्बित किया गया।

उक्त 6 अध्यापिकाओं में से तीन को बहाल कर दिया गया है, दो की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं तथा एक के विरुद्ध अभी विभागीय कार्यवाही चल रही है।

अतिरिक्त बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) फर्रुखाबाद के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*34- श्री अनवार जमील--

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अतिरिक्त बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) जनपद, फर्रुखाबाद के विरुद्ध अनियमितताओं एवं अवैधानिक कार्यों के सम्बन्ध में निदेशक, शिक्षा विभाग को फरवरी, 1976 में कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी--

शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुआ जिस पर शिक्षा निदेशक को जांच कराने के आदेश दिये गये। जांच आख्या प्राप्त हो गयी है और शासन के विचाराधीन है।

प्रदेश में आपात्कालीन अवधि में डी०आई० आर० के अन्तर्गत निरुद्ध सरकारी सस्ते गल्ले तथा चीनी के दुकानदार

*35--श्री त्रिवेणी सहाय--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आपातकालीन स्थिति की घोषणा के दिनांक से 31 जनवरी, 1976 तक प्रदेश में कितने राशन के दुकानदारों एवं सरकारी चीनी के विक्रेताओं को डी0 आई0 आर0 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया तथा कितनी दुकानों को अलग-अलग निलम्बित अथवा समाप्त किया गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

37 जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार, सरकारी सस्ते गल्ले एवं चीनी के 70 विक्रेताओं को डी0 आई0 आर0 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। शेष 18 जिलों से सूचना अपेक्षित है।

प्रदेश में सस्ते गल्ले एवं चीनी की निलम्बित व निरस्त की गई दुकानों की संख्या क्रमशः 482 व 958 है।

*36--श्री अठई राम, श्री सुल्तान सिंह यादव तथा श्री गंजी प्रसाद--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

*37--श्री गिरिजा शंकर पाठक, श्री रामरति बिन्द तथा श्री बेनी प्रसाद वर्मा --

[5 मई, 1976 को तारांकित प्रश्न संख्या 34 पर उत्तरित।]

बाढ़ खंड सिंचाई विभाग, लखनऊ द्वारा स्टोन बोल्डर व कंकड़ की खरीद में अनियमिततायें

*38--श्री भाभी (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1973-74, 1974-75 में सिंचाई विभाग के बाढ़ खंड, लखनऊ में लगभग 40 लाख रुपये की स्टोन बोल्डर ब्लाक कंकड़ व छोटे कंकड़ की सप्लाई में हुई अनियमिततायें एवं विभागीय जांच द्वारा लगभग 5 लाख रुपये की कमी पाई गई ? यदि हां, तो प्रारम्भिक जांच के आधार पर किन-किन अधिकारियों को दोषी पाया गया ? क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति--

सूचना एकत्र की जा रही है।

*39--श्री भाभी--

[7 वें बुधवार के लिए स्थगित।]

श्री बी० आर० जैन, अधिशासी अभियन्ता, अनुसंधान नियोजन खन्ड, बिजनौर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*40--श्री अब्दुल वहीद (जिला बिजनौर)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बी0 आर0 जैन, अधिशासी अभियंता अनुसंधान नियोजन खण्ड, धामपुर, जिला बिजनौर के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी कोई शिकायती-पत्र दिनांक 22-5-75 को मिला ? यदि हां, तो उसमें क्या आरोप थे और क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति--

जी नहीं।

राज्य सेतु निगम के वर्कचार्ज कर्मचारियों की सेवा--समाप्ति

*41--श्री फजलुर्रहमान अन्सारी (जिला बहराइच) :-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य सेतु निगम की इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा निर्माण कार्य में कमी होने के कारण कुल कितने वर्क चार्ज मास्टर रोल कर्मचारियों की छटनी कर दी गयी है और इन छटनीशुदा कर्मचारियों में कुल कितने कर्मचारी ऐसे थे जिनकी सेवा अवधि तीन साल पूरी हो चुकी थी ? कार्य में कमी होने के क्या कारण थे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम में वर्ष 75-76 में पिछले वर्ष की अपेक्षा निर्माण कार्य में कमी होने के कारण 147 वर्कचार्ज कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की गईं। इनमें से केवल 31 वर्कचार्ज कर्मचारियों का सेवाकाल तीन वर्ष से अधिक था। कार्य में कमी होने का कारण बजट अनुदान का कम होना था।

*42--श्री फजलुर्रहमान अन्सारी :-

[7 वें बुधवार के लिए स्थगित।]

मेरठ के ग्राम रामपुर धोरिया के रजबहा रास्ता अकबरपुर के टूटने से फसल को क्षति

*43--श्री रेवती शरण मौर्य (जिला मेरठ)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मेरठ जनपद के ब्लाक मवाना के ग्राम रामपुर धोरिया में रजबहा रास्ता अकबरपुर 7-3-76 को टूट जाने के कारण सैकड़ों बीघा फसल जल-मग्न होकर नष्ट हो गयी ? यदि हां, तो इसमें दोषी कौन है और सरकार ने वहां के क्षति-ग्रस्त कृषकों को अब तक क्या राहत पहुंचाई है ?

श्री लोकपति :-

जी नहीं। मेरठ जनपद के ब्लाक मवाना के ग्राम रामपुर धोरिया में रजबहा रास्ता अकबरपुर स्वंय नहीं टूटा, बल्कि उक्त तिथि की रात के मील 0 फर्लांग 7/8 के बीच दांयी पटरी पर कृषकों ने ही काटा, परन्तु कोई फसल नष्ट नहीं हुयी। अतएव राहत पहुचाने का प्रश्न नहीं उठता।

*44--श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित]

बलिया की निर्मित सड़कों व पुलियों के मजदूरों की मजदूरी दरें

*45--श्री रघुनाथ--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जनपद के रसड़ा तहसील के अन्तर्गत निर्मित सड़कें एवं पुलियों पर मजदूरी की 3 रु0 प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दी जाती है ? यदि हां, तो 5 रु0 सरकार का घोषित रेट न देने का कारण क्या है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

बलिया जनपद के अन्तर्गत निर्मित सड़कों एवं पुलियों पर मजदूरों को क्षत्र में प्रचलित 3 रु0 से 3-50 प्रतिदिन की दर से मजदूरी दी जाती है।

रु0 5- प्रतिदिन की दर से उक्त मजदूरों को मजदूरी देने के सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

*46--श्री जयराम गौतम--
[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

*47--श्री अब्दुल रहमान खां 'नशतर'--
[7वें बुधवार के लिए स्थगित।]

शारदा सहायक खण्ड बाराबंकी के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध आरोपो की जांच तथा उनके विरुद्ध की गयी अनुशानिक कार्यवाही

*48---श्री राम देव (जिला रायबरेली)---
क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खंड 9, बाराबंकी में सन् 74-75 में दस लाख रुपयों की अनधिकृत खरीदी तीन फर्जी फर्मों के नाम दिखाकर कई लाख रुपयों का गोल-माल किया गया जिसके सम्बन्ध में उक्त खंड के अधिकारी के विरुद्ध टेक्निकल आडिट सैल ने जांच की तथा जांच में आरोप सिद्ध पाये गये ? फलस्वरूप टी0 ए0 सी0 ने संस्तुति की कि उक्त अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय। उक्त संस्तुति पर शासन ने उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री लोकपति ----
शारदा सहायक खण्ड - 9, बाराबंकी में सन् 1974-75 में 4,40,947 रु0 की खरीदारी की गई। कुछ कोटेशन ऐसी फर्मों के थे जो जांच के समय अस्तित्व में नहीं पायी गयी। इस सम्बन्ध में उक्त खंड के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध प्राविधिक संपरीक्षा कोष्ठ द्वारा जांच की गयी। जांच के फलस्वरूप अनियमिताओं के आरोप प्रत्यक्ष दर्शन में पाये गये। प्राविधिक संपरीक्षा कोष्ठ ने उक्त अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की संस्तुति की है। अधिकारी के विरुद्ध आरोप-पत्र तैयार किया जा रहा है और आरोप-पत्र तैयार हो जाने पर उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायगी।

*49---श्री राम देव---
क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अधिकारी के फरवरी, 75 से मार्च, 75 तक सात स्थानान्तरण आदेश शासन द्वारा निर्गत किये गये ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में वे निरस्त किये गये।

श्री लोकपति---
उक्त अधिकारी के फरवरी, 1975 से मार्च, 1975 तक तीन स्थानान्तरण आदेश निर्गत किये गये, जिनमें से दो स्थानान्तरण आदेश तत्कालीन सिंचाई मंत्री के निर्देशानुसार निरस्त किये गये।

शारदा सहायक परियोजना, दरियाबाद में पुलों पर बाई पास का कथित निर्माण

*50---श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)--
क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि शारदा सहायक परियोजना की दरियाबाद शाखा के खंड 11 व 25 में जिन पुलों का निर्माण कार्य चल रहा है उन पर आवागमन सुविधा हेतु 'बाई पास' बनाने के विभागीय आदेश दिये गये हैं, परन्तु मौके पर बाई पास नहीं बनाये गये ? यदि हां, तो तुरन्त इस गोल माल के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री लोकपति ---
जी नहीं।
प्रश्न ही नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश की सहायता प्राप्त संस्कृत पाठशालाओं तथा मकतबों को स्वीकृत धनराशि

1--श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष (1975-76) में प्रदेश में कितनी संस्कृत पाठशालायें चल रही है और अलग-अलग उन पर सरकार को पूरे सत्र में कितना रुपया व्यय करना पड़ेगा ? और क्या उनके सुधार हेतु सरकार कोई उचित कार्यवाही कर रही है ?

श्री अम्मार रिजवी --

इस समय उत्तर प्रदेश में कुल 938 संस्कृत पाठशलायें चल रही हैं। उनमें से 845 संस्कृत पाठशालायें राज्यनिधि से सहायता प्राप्त कर रही है। शेष 93 पाठशालायें असहायिक हैं। सहायता प्राप्त संस्कृत पाठशालाओं पर वर्ष 1975-76 में अलग-अलग मण्डलवार व्यय की गई धनराशि तथा सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 589 पर)

2--श्री श्रीनारायण--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूरे प्रदेश में इस वर्ष (1975-76) में कितने मकतब चल रहे हैं तथा पूरे सत्र में सरकार को उन पर कितना व्यय करना पड़ेगा और उनके सुधार हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अम्मार रिजवी --

उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रदेश के 46 जनपदों में इस वर्ष 567 मकतब चल रहे हैं। इनको वर्ष 1975-76 में रुपये 2,41,676 का अनुदान दिया गया। सत्र 1973-74 से शासन ने इन मकतबों की दशा में सुधार हेतु पूर्व प्रदत्त अनुदान की धनराशि को दुगुना कर दिया है।

3--श्री बाबू लाल वर्मा तथा श्री त्रिवेणी सहाय --

[विस्तीर्णता के कारण निरस्त।]

बस्ती के ग्रामीण अंचलों में निरस्त की गयी चीनी की दुकानें

4--श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री बाबू लाल वर्मा --

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के ग्रामीण अंचलों में 20 जून, 1974 से 3 मई, 75 तक कन्ट्रोल की चीनी बेचने वाली कितनी दूकानें रद्द की गई तथा इनके विरुद्ध क्या शिकायतें थीं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य --

20 जून, 74 से 3 मई, 1975 तक बस्ती जनपद के ग्रामीण अंचलों में लेवी चीनी बेचने वाली कुल 188 दुकानों के कोटे निरस्त किये गये। इनमें से 21 कोटेदार दुकान स्वयं न करके ठेके पर उठाये हुये थे, 14 कोटेदार स्थानीय न्यायपंचायत के निवासी न थे और 153 कोटेदारों के विरुद्ध लवी चीनी की चोरबाजारी करने की शिकायतें थीं।

देवरिया के ईट-भटठों को कोयले का आवंटन तथा ईटों की दरें

5--श्री श्रीनारायण --

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में कितने ईंट के भट्ठे चल रहे हैं ? उनमें से कितने को कितना कितना कोयला सरकार से मिला (1 जुलाई, 1974 से 1 मार्च, 1975 तक) तथा ईंटों की श्रणीनुसार क्या दर सरकार ने निश्चित किया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

फरवरी 15, 1976 को देवरिया जिले में कुल 98 ईंट के भट्ठे चल रहे थे। 1-7-74 तथा 31-3-75 की अवधि में देवरिया जिले में ईंट के भट्ठों की संख्या 106 थी और इनमें से 55 भट्ठों के बीच इस अवधि में 77 बाक्स वैगन तथा 21 फोरव्हीलर स्लैक कोल का वितरण किया गया था जिसकी सूची संलग्न है।

रेल द्वारा आयातित कोयले से पकी ईंटों का मूल्य उस समय निम्न प्रकार निर्धारित किया गया था जिसमें बिक्रीकर, चुंगी तथा अन्य कर सम्मिलित नहीं हैं :--

ईंटों की श्रेणी	रेल द्वारा आयातित कोयले से पकी ईंटों का मूल्य प्रति हजार
	रु0
1--प्रथम श्रेणी एवं सीधा खंजर	67.00
2--द्वितीय श्रेणी	62.00
3--तृतीय श्रेणी	47.00

रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर तक स्थित भट्ठों पर रेल द्वारा आयातित कोयले से उत्पादित प्रत्येक श्रेणी के ईंटों के मूल्य में एक रुपया प्रति हजार तथा 16 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित भट्ठों पर उत्पादित ईंटों के मूल्य में दो रुपया प्रति हजार की वृद्धि हो जायगी।

वर्ष 1975-76 के लिये निर्धारित ईंटों की श्रेणीवार दरें निम्न प्रकार हैं जिसमें बिक्री-कर चुंगी तथा अन्यकर सम्मिलित नहीं हैं।

ईंटों की श्रेणी	वर्ष 1975-76 के लिये दरें प्रति हजार
	रु0
1--प्रथम श्रेणी	85.00
2--द्वितीय श्रेणी एवं सीधा राट	75.00
3--तृतीय श्रेणी	52.00

सोलह किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित भट्ठों पर रेल द्वारा आयातित कोयले से उत्पादित प्रत्येक श्रेणी के ईंट के मूल्य में एक रुपया प्रति हजार की वृद्धि हो जायगी।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 590-591 पर)

फर्रुखाबाद में ग्राम सभा स्तर पर चीनी वितरण

6--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या खाद्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद से अनेक ऐसे अनुरोध-पत्र इस वर्ष प्राप्त हुए हैं कि फर्रुखाबाद जनपद में शक्कर वितरण ग्राम सभा स्तर पर ही चालू रखा जाय क्योंकि यह व्यवस्था जनहित में अधिक उपयोगी है ? यदि हां, तो इस पर सरकार का क्या निर्णय हुआ ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी हां। ऐसे दो अनुरोध-पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें ग्राम सभा स्तर पर लेवी चीनी की वितरण व्यवस्था जारी रखने का सुझाव दिया गया था। उन्हें स्वीकार करना जनहित में नहीं पाया गया।

वाराबंकी में निरस्त किये गये चीनी के लाइसेंस

7--श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले में कितने और किन-किन चीनी विक्रेताओं के लाइसेन्स निलम्बित हैं और कितनों के विरुद्ध जांच चल रही है तथा कौन-कौन लाइसेन्स वर्ष 1974 में निरस्त कर दिये गये हैं?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

वांछित सूचना (परिशिष्ट 1 और 2) सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 592-593 पर।)

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जिलेवार पकड़े गये व्यक्ति

8--श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री बाबू लाल वर्मा--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि 25 जून, 75 से 24-9-75 तक आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कितने व्यक्ति जिलेवार पकड़े गये? सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जून 25, 1975 से 24 सितम्बर, 1975 तक की अवधि में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत पूरे प्रदेश में 2495 व्यक्ति पकड़े गये जिनकी जिलेवार सूची संलग्न है। इन व्यक्तियों के विरुद्ध उक्त अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत पुलिस ने मामले दर्ज किये। जांच के फलस्वरूप 1,716 अदद मुकदमे न्यायालयों में चलाये जा चुके हैं। 887 मामलों में पुलिस द्वारा अन्तिम रिपोर्ट लगाई जा चुकी है। 132 मुकदमें पुलिस द्वारा वापस ले लिये गये तथा 25 मुकदमे न्यायालय द्वारा लेवी वसूल हो जाने के फलस्वरूप खारिज कर दिये गये। पांच व्यक्ति न्यायालयों द्वारा दण्डित किये गये।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 594 पर)

श्री अलक्षेन्द्र इण्टर कालेज, भिनगा, बहराइच की गबन सम्बन्धी आडिट रिपोर्ट

9--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य सूची प्रथम सत्र के बुधवार दिनांक 23 अप्रैल, 72 के नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न संख्या 13क उत्तरक सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री यह कृपया बतायेंगे कि श्री अलक्षन्द्र इण्टर कालज, भिनगा, बहाराइच में लाखों रुपय क गबन सम्बन्धी मामले पर शिक्षा उप निदशक, फैजाबाद न आडिट-पार्टी भजी थी तो आडिट पार्टी न आडिट करके कौन-कौन सी अनियमिततायें एवं गबन की रिपोर्ट दी है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां। आडिट रिपोर्ट में गम्भीर अनियमितताओं का सन्देह व्यक्त किया गया है तथा विभिन्न निधियों में दीर्घकाल से लिये गये लगभग 25,000 क ऋण का समायोजन न किये जान की अनियमितताओं का उल्लेख है। माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16डी के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

10---श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री बाबू लाल वर्मा
[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

11---श्री दीनानाथ सेवक---
[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

12---श्री कमला प्रसाद वर्मा---
[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

शाहजहांपुर शारदा कैनाल डिवीजन, के पतरौल व अमीनों का स्थायीकरण

13---श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)---

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि शाहजहांपुर शारदा कैनाल डिवीजन में कितने पतरौल और कितने अमीन ऐसे हैं जिनकी मुलाजमत तीन साल से ज्यादा हो चुकी है? उनके स्थायी न किये जाने का आधार क्या-क्या है?

श्री लोकपति---

शाहजहांपुर शारदा नहर खण्ड में 19 अमीन तथा 85 पतरौल ऐसे हैं जिनका सेवा काल तीन वर्ष से अधिक है। इनमें से 82 पतरौल तथा 14 अमीन स्थायी किये जा चुके हैं। शेष 3 पतरौल तथा 5 अमीन ऐसे हैं जिनके स्थायीकरण पर या तो विचार नहीं किया जा सका या वे स्थायीकरण के योग्य नहीं पाये गये। इनका विवरण इस प्रकार है:---

1---चरित्र पंजिकाओं के उपलब्ध न होने के कारण स्थायीकरण पर विचार नहीं किया जा सका	अमीन 3 पतरोल 1
2---अनुशासनात्मक कार्यवाही चलने के कारण स्थायीकरण पर विचार नहीं हुआ	अमीन 2
3---चरित्र पंजिकायें अपेक्षित स्तर की न होने के कारण स्थायी नहीं किया गया..	पतरोल 2

कतिपय जिलों को जोड़ने हेतु घाघरा नदी पर रेलवे एलगिनब्रिज के निकट पक्का पुल निर्माण संबंधी बहराइच जिला परिषद् का प्रस्ताव

14---श्री कमला प्रसाद वर्मा---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ तथा बहराइच, गोंडा आदि जिलों को जोड़ने के लिये घाघरा नदी पर रेलवे एलगिन ब्रिज के पास पक्का ब्रिज बनाने का प्रस्ताव जिला परिषद्, बहराइच, गोंडा द्वारा वर्ष 1975 में पारित कर शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो सरकार ने उक्त प्रस्ताव पर क्या निर्णय लिया?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

इस पुल के निर्माण के लिये केवल जिला परिषद्, बहराइच से वर्ष 1975 में प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। धनाभाव के कारण प्रस्तावित पुल का निर्माण स्वीकृत करना सम्भव नहीं हो सका है।

बेसिक शिक्षा परिषद् के जूनियर हाई स्कूलों के बी० टी० सी० प्रशिक्षित एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन में अन्तर

15---श्री बेनी प्रसाद वर्मा---

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् के जूनियर हाई स्कूलों में बी० टी० सी० प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों को प्रशिक्षित वेतनमान में नियुक्त किया जाता है किन्तु उसी कार्य हेतु उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अप्रशिक्षित वेतनमान की स्वीकृति विभाग द्वारा दी जाती है? यदि हां, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी---

जी नहीं। प्रश्न के अन्तिम अंश का प्रश्न नहीं उठता।

बाराबंकी की भुड़हा झील से नाले की खुदाई पर अनुमानित व्यय

16---श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम दनापुर, तहसील रामसनेही घाट, जिला बाराबंकी की भुड़हा झील से पानी निकलवाने हेतु वर्ष 1975 में सिंचाई विभाग, बाराबंकी द्वारा कितना धन खर्च किया गया? इस नाले की खुदाई में व्यय का क्या अनुमान है तथा यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

श्री लोकपति---

वर्ष 1975 में प्रश्नगत कार्य पर 200 रुपया व्यय किया गया।

प्रश्नगत नाले पर रु0 35,000 व्यय होने का अनुमान है।

धन उपलब्ध होने पर कार्य कराना सम्भव होगा।

सप्तम मण्डल, गोरखपुर के विद्यालयों के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान

17---श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)--

क्या शिक्षा मंत्री (माध्यमिक) बताने की कृपा करेंगे कि सप्तम मण्डल, गोरखपुर से सम्बन्धित किन-किन विद्यालयों के कर्मचारियों का वेतन माह जून, 1975 से सितम्बर, 1975 तक के बीच का इस समय तक भुगतान नहीं किया गया है? इसके कौन-कौन से कारण हैं तथा नियमित भुगतान कब से प्रारम्भ कर दिया जाएगा?

श्री अम्मार रिजवी---

गोरखपुर मण्डल का ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जिनके कर्मचारियों का जून, 75 से सितम्बर, 75 तक का नियमित वेतन भुगतान न किया गया हो, अतः अन्तिम भाग का प्रश्न नहीं उठता।

18---श्री कमला प्रसाद वर्मा--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड तथा किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट†

वित्त, भारी उद्योग राज्य मंत्री (श्री अजीजुर्रहमान)---

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड तथा किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड की 3 सितम्बर, 1974 को समाप्त होने वाली अवधि की वार्षिक रिपोर्ट को लेखा सम्परीक्षकों के प्रतिवेदन सहित कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619 (ए) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गई।

वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग--2 द्वारा जारी की गई विज्ञप्तियां †

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)--

मान्यवर, मैं वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0 2-1968 दस (2)76, दिनांक 31 मार्च, 1976 एवं विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0 2-1969 दस 10-(2) 76, दिनांक 31 मार्च, 1976 को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 की धारा 3-क की उपधारा 3 के अनुसार, तथा

विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2-1970/दस 106 (2)-76, दिनांक 31 मार्च, 1976, तथा

विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2-1971/दस 10(2)-76, दिनांक 31 मार्च, 1976 को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम 1948 की धारा 3-घ की उपधारा (8) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

दि इंडियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की वर्ष 1974-75 की इक्यावनवीं वार्षिक रिपोर्ट †

वित्त, भारी उद्योग राज्य मंत्री (श्री अजीजुर्रहमान)--

मान्यवर, मैं श्रीमन् की आज्ञा से दि इंडियन टरपेनटाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की वर्ष 1974-75 की इक्यावनवीं वार्षिक रिपोर्ट को लेखा सम्परीक्षा के प्रतिवेदन सहित, कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 द्वारा जारी की गयी विज्ञप्ति का शुद्धि-पत्र ††

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)--

मान्यवर, मैं, वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2-10262/दस-4 (5)-75, दिनांक 2 जनवरी, 1976 के सम्बन्ध में जारी किये गये शुद्धि-पत्र संख्या एस0 टी0/2-301/दस-4(5)-75 दिनांक 20 अप्रैल, 1976 को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 की धारा 24 की उपधारा (5) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के 1974-75 का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ††

लघु उद्योग मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवाई)--

मान्यवर, मैं, उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के 1974-75 के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन की उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 की धारा 29 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखती हूं ।

कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1975 एवं उसका शुद्धि-पत्र †

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह) --

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व विभाग अनुभाग-1 की अधिसूचना सं0 723/2(5)75-राजस्व-1, दिनांक 17 नवम्बर, 1975 द्वारा प्रख्यापित कुमायूं तथा उत्तराखंड

---

† छापी नहीं गयी ।

†† छापा नहीं गया ।

[श्री स्वामी प्रसाद सिंह]

जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1975 का शुद्धि-पत्र संख्या 126-2(5)-75 राजस्व-1 दिनांक 20 मार्च, 76 सहित कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960 की धारा 56 की उपधारा (6) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के वार्षिक लेखा विवरण-पत्र 1973-74†

विद्युत राज्य मंत्री (श्रीमती इन्द्र मोहनी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के वार्षिक लेखा विवरण-पत्र 1973-74 को इलेक्ट्रीसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 की धारा 69 की उपधारा (5) के अनुसार सदन के पटल पर रखती हूं।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975††

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से पंचायतीराज विभाग अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 1188-बी-33-127-72, दिनांक 20 जून, 1975 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पंचायतीराज (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975 को यू0पी0 पंचायतीराज ऐक्ट, 1947 की धारा 110 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सिंचाई परिव्यय राजकीय (नलकूप प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975 तथा उत्तर प्रदेश सिंचाई परिव्यय (राजकीय नहर प्रणाली) नियमावली, 1975††

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री मुमताज मोहम्मद खां)--

श्रीमन्, मैं सिंचाई (4) अनुभाग की अधिसूचना संख्या 6383 सन् 1975/तेईस आई (4)-5 (रेट)75, दिनांक 10 दिसम्बर, 1975 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सिंचाई परिव्यय राजकीय (नलकूप) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975, तथा अधिसूचना संख्या 6344 एस0बी0-75/तेईस-आई (4) 10(रेट) 74, दिनांक 4 दिसम्बर, 1975 द्वारा प्रख्यापति उत्तर प्रदश सिंवाई परिव्यय (राजकीय नहर प्रणाली) नियमावली, 1975 को नार्दर्न इंडिया केनाल एण्ड ड्रेनेज ऐक्ट, 1973 की धारा 75 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

नार्दन इंडिया कैनाल एण्ड ड्रेनेज (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1976††

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री मुमताज मोहम्मद खां)---

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से सिंचाई विभाग अनुभाग 3--की अधिसूचना संख्या-77-सन् 76 तेईस शि0स-368 एम0 74, दिनांक 2 जनवरी, 1976 द्वारा प्रख्यापित नार्दर्न इंडिया कैनाल एण्ड ड्रैनज (प्रथन संशोधन) नियमावली, 1976, को नार्दन इंडिया कैनाल एण्ड ड्रेनेज ऐक्ट, 1873 की धारा 75 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

††छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (एकादश) आदेश, 1976†

(शिक्षा मंत्री) श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन् मैं शिक्षा विभाग अनुभाग 10 की अधिसूचना संख्या 3480/15-10-76 दिनांक 3 अप्रैल, 1976 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (एकादश) आदेश, 1976 को, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय पुनः अधिनियमन तथा (संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 28 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश (गन्ना क्रय-कर) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1974††

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री मुमताज मोहम्मद खां)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उद्योग अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या 4378/एस/18-5-1627-74 दिनांक 19 अगस्त, 1974 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1974 को, उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद) विनियमन (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975 तथा उसके अधीन जारी की गई अधिसूचना††

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री मुमताज मोहम्मद खां)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उद्योग अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या 7522 एस/18(5)-1809-74, दिनांक 10 मार्च, 1975 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975 तथा अधिसूचना संख्या 1718-एस0/18(5) 1626-73, दिनांक 21 अगस्त, 1974 को उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 20 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्पादन) नियमावली, 1975††

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से श्रम विभाग अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या 7142 (एच-आई)/36-3-122(एस-एम) 70 दिनांक 2 जनवरी, 1976 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्पादन) नियमावली, 1975 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के साथ पठित, उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

††छापी नहीं गई।

भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 30 मार्च, 1976 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 5 अप्रैल, 1976 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 30 अप्रैल, 1976 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का चौदहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 6 अप्रैल, 1976 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 7 अप्रैल, 1976 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 30अप्रैल, 1976को प्राप्त हो गई और वह सन् 197 6 को उत्तर प्रदेश का पद्रहवां अधिनियम बन गया।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 30 मार्च, 1976 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 5 अप्रल, 1976 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 30 अप्रैल, 1976 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का सोलहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) विधेयक, 1976 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने दिनांक 1 अप्रैल, 1976 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 5 अप्रैल, 1976 के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 30 अप्रैल, 1976 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का सत्रहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्था (प्रबन्ध हाथ में लेना) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मै आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्था (प्रबंध हाथ में लेना) विधेयक, 1976 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 2 अप्रैल, 1976 के उपनिवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् न अपनी दिनांक 7 अप्रैल, 1976 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 1 मई, 1976 को प्राप्त हो गई और वह सन्, 1976 का उत्तर प्रदेश का अट्ठारहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1976 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 31 मार्च, 1976 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् न अपनी दिनांक 7 अप्रैल, 1976 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 1 मई, 1976 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का उन्नीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1976 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 1 अप्रैल, 1976 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 7 अप्रैल, 1976 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 30 अप्रैल, 1976 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का बीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1974 पर नियुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन

स्वायत्त शासन मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेई)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1974 पर नियुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं। अभी इस प्रतिवेदन की प्रतियां मुद्रित होकर प्रेस से प्राप्त नहीं हुई हैं। जैसे ही प्राप्त हो जायंगी, वैसे ही माननीय सदस्यों की बांट दी जायंगी।

श्री अध्यक्ष—

प्रतिवेदन साथ में होना चाहिए था।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेई—

दो बजे तक आ जायगा।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, आज बंट जाना चाहिए।

(देखिए नत्थी 'अ' आगे पृष्ठ 595–623 पर।)

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की माननीय गोविन्द सिंह नेगी ने एक सूचना दी है कि 11 मई, 1976 की कार्य सूची की नत्थी 'घ' के प्रश्न संख्या 15 के उत्तर में

[श्री अध्यक्ष]

माननीय राज्य मंत्री, पंचायती राज, श्री नोमानी ने कहा कि आपातकालीन स्थिति के कारण चुनाव नहीं कराया जा सका। माननीय श्री नेगी जी ने यह भी कहा है कि माननीय राज्य मंत्री श्री नोमानी जी ने यह स्वीकार किया कि आपात्कालीन स्थिति के दौरान ही स्थानीय विकास व अन्य चुनाव क्षेत्रों में हाल ही में विधान परिषद् के चुनाव हुए हैं। स्वायत्त शासन व विद्युत मंत्री माननीया डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेई ने स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि मंत्रिमण्डल ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है कि आपातकालीन स्थिति में कोई चुनाव न किया जाय। माननीय सदस्य श्री नेगी का यह कहना है कि मंत्रिमंडल का ऐसा कोई निर्णय न होते हुए उपरोक्त राज्य मंत्री का यह उत्तर कि आपातकालीन स्थिति के कारण उपरोक्त चुनाव नहीं कराये जा सके, न केवल असत्य बल्कि असली कारणों को छिपाकर सदन को गुमराह करने की नीयत से दिया गया है।

माननीय सदस्य ने ऐसी कोई बात या तथ्य नहीं दिये हैं जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि सदन को जान-बूझकर गुमराह करने के लिये माननीय राज्यमंत्री ने उपरोक्त सूचना दी है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

मान्यवर, मुझे थोड़ा सुन लीजिए। मेरा कहना है कि माननीय राज्य मंत्री जी ने सदन को गुमराह करने के लिये यह कहा कि चूंकि आपात्कालीन स्थिति थी, इसलिए चुनाव नहीं हो सके। उनको विदित था कि स्थानीय निकायों और विधान परिषद् के चुनाव हुए। फिर मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि ऐसा कोई निर्णय नहीं है कि आपात्कालीन स्थिति में चुनाव न हो सकें। इसके बाद फिर राज्य मंत्री जी ने कहा कि आपातकालीन स्थिति होते हुए भी शीघ्र चुनाव करा दिये जायेंगे। यह तीन-तीन चीजें हैं, जिनमें कन्ट्राडिक्शन हैं और सदन को गुमराह करने की कोशिश है। राज्य मंत्री का स्वयं स्वीकार करना कि हम ऐसी आपातकालीन स्थिति होते हुए भी चुनाव करा देंगे, इसका मतलब यह है कि चुनाव टालने का चाहे जो और भी कारण हो किन्तु आपात्काल इसका कारण नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान मेज पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस (18 वां संस्करण) के पृष्ठ 135 की ओर ले जाना चाहता हूं, उसमें है :

"The House may treat the making of a deliberately misleading statement as a contempt.

In 1963 the House resolved that in making a personal statement which contained words which he later admitted not to be true, a former Member had been guilty of a great contempt."

मान्यवर, मेरा कहना यह है कि माननीय मंत्री जी ने अभी तक खेद-प्रकाश नहीं किया है। अब लगातार ऐसा हो रहा है। बहुत से मंत्रिगण इस हाउस को बहुत ही लाइटली ट्रीट करते हैं, अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। बहुत से जवाब टालमटोल करने वाले और भ्रम में डालने वाले होते हैं। सदन को अधिकार है कि वह प्रश्नों के जरिये सरकार से तथ्यों को मालूम कर सके। किन्तु उन तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर यहां रखा जाता है। उन परिस्थितियों के लिये निवेदन यह है मंत्री जी सदन के सामने या तो खेद प्रकाश करें, या फिर वह सारे सदन के अवमान के दोषी हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

इसमें मीनिंग ए पर्सनल स्टेटमेंट है। मालूम पड़ता है कि माननीय नेगी जी मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस समझते नहीं हैं। उसमें पर्सनल स्टटमेंट के लिए कवल है।

श्री अध्यक्ष---

जानकारी के लिए आपको धन्यवाद।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

माननीय काशीनाथ मिश्र के कहने से मतलब यह है कि पर्सनल स्टेटमेंट झूठा नहीं हो सकता है, लेकिन सरकारी कामों के लिये स्टेटमेंट झूठ हो सकता है।

श्री राजेन्द्रकुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)---

इस पर आपकी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर मंत्री महोदय (व्यवधान) वह तो आप सही कह रहे हैं। लेकिन इसके भयंकर परिणाम होंगे कि मंत्री लोग सरकारी कामो पर सब झूंठ बोल सकते हैं, अगर यह न हो कि झूठ बोलना अवमान होगा। यह बड़ी गम्भीर बात है। माननीय मंत्री ने जवाब दिया कि आपात्कालीन स्थिति में चुनाव नहीं हो सकते, नहीं कराये गये। यह इस बात से गलत साबित होता है कि वह उसी पार्टी के मेम्बर हैं जिसने गुजरात में चुनाव कराया कैसे उस मुल्क को गुमराह कर रहे हैं? लोग समझेंगे कि आपात्कालीन स्थिति इस लिए लगायी गयी है कि चुनाव नहीं कराना चाहते।

श्री अध्यक्ष---

चुनाव कराना न कराना यह सारवान प्रश्न अलग है। प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री ने जवाब दिया। शासन के दूसरे सदस्य ने, गवर्नमेंट के मेम्बर ने, मान लीजिए, उसमें कुछ जरा सी गड़बड़ी थी, तो उसका जवाब वही दे दिया, तो इसमें नीयत का क्या प्रश्न हो सकता है? हो सकता है कि कोई मंत्री किसी चीज में स्वयं गुमराह हो (हंसी)। वह दूसरे को गुमराह नहीं कर रहा है। एक बयान जो लिख कर आया, वह बयान वह पढ़ रहा है। उस बयान के लिए अगर कोई पकड़ा जा सकता है, तो वही जिसने जवाब दिया है, वह माननीय मंत्री ने तो जवाब पढ़ दिया।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

मेरा निवेदन यह है कि वह जो अधिकारी है, उसके कान पकड़ें माननीय मंत्री। लेकिन हम माननीय मंत्री जी को पकड़ेंगे क्योंकि सदन के प्रति उत्तरदायी माननीय मंत्री हैं।

श्री अध्यक्ष---

दूसरे मंत्री ने सही कर दिया। कोई यह नहीं कह सकता कि हम भूल नहीं करेंगे। मंत्री के जवाब देने में जीभ से निकल गया। लेकिन उसी समय माननीया डाक्टर राजेन्द्र-कुमारी ने खड़े होकर जवाब दे दिया और सभी संतुष्ट हो गये। चूंकि डाक्टर राजेन्द्र कुमारी का जवाब ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि माननीय मंत्री का जवाब सही नहीं है। जान-बूझ कर किसी सरकारी व्यक्ति ने आपको गुमराह करने के लिये बयान नहीं दिया।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

आपका कुछ आबजर्वेशन होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष---

जानबूझ कर धोखा देने का मामला हो नहीं सकता। अपनी कुछ कमजोरी हो सकती है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला सुल्तानपुर)---

एक बात मेरी सुन लें। माननीय मंत्री जी का जो वक्तव्य था जिसमें उन्होंने यह कहा कि आपात्कालीन स्थिति के कारण चुनाव नहीं हो सके, जैसा कि माननीय सदस्य के

[कुंवर श्रीपाल सिंह]
प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, यदि मान लीजिए माननीय सदस्य हाउस में न रहे होते, उनके इस वक्तव्य के ऊपर उत्तर-प्रत्युत्तर न हुए होते, पूरक प्रश्न न किये गये होते, तो उस समय उनका वक्तव्य प्रोसीडिंग में ज्यों का त्यों दर्ज हो जाता।

श्री अध्यक्ष---

काल्पनिक प्रश्न उठा रहे हैं, अगर नहीं होते।

कुंवर श्रीपाल सिंह---

जी हां, उसी के आधार पर निवेदन कर रहा हूं। परिस्थिति ऐसी बन गयी थी। इनका वक्तव्य प्रोसीडिंग्स में आता तो उससे यही सिद्ध होता आपात्कालीन स्थिति के अन्दर चुनाव नहीं हो सकते थे, ऐसा कोई निर्णय था। जब प्रश्न किये गये और प्रश्नों में बात आयी, डाक्टर राजेन्द्र कुमारी ने साफ किया। लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया था वह सीधा-सीधा मिसलीडिंग था। क्या वह मंत्रि-मंडल में नहीं बैठते हैं, कैबिनेट में बुलाये नहीं जाते हैं, उनको मालूम नहीं है ?

श्री अध्यक्ष---

बात यह है कि कवि की कल्पनाशीलता अपनी जगह पर सही है। लेकिन राजनीति की यथार्थता अपनी जगह पर है। यथार्थता यह है, सत्य यह है कि उन्होंने जवाब दिया यहां शुद्ध अशुद्ध हो जाता है तो मूल उत्तर के संशोधन का भी प्राविधान है, अगर कोई भूल हो गयी है, भूल-चूक लेनी-देनी जैसे आप कहते हैं, तो उसे दरगुजर करनी चाहिये।

कुंवर श्रीपाल सिंह ---

कम से कम मंत्री जी इतना तो मान लें कि भूल हो गयी।

श्री अध्यक्ष---

मंत्री जी मान क्या लें ? इसलिये कि सदन को जान बूझकर गुमराह करने के लिये माननीय राज्य मंत्री जी ने सूचना दी उसमें उनका कोई फायदा नहीं था। यह प्रत्यक्षतः निराधार बात लगती है। उनका उद्देश्य हो सकता है आपात्कालीन स्थिति में चुनाव न होने से। मैंने दिनांक 11 मई, 1976 की कार्यवाही देखी है और इस सम्बन्ध में उसी वक्त श्री नेगी द्वारा प्रश्न उठाया गया था, जिसका माननीय राज्य मंत्री तथा माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने स्पष्टीकरण किया। उसको देखते हुए मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई जानबूझ कर बदनियती से सदन को गुमराह करने का आशय प्रतीत नहीं होता। अतः मैं इस विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को उठाने की इजाजत नहीं देता।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)---

अध्यक्ष जी, आपकी रूलिंग पर नहीं, आपने जिस पर रूलिंग दी, वह अध्यक्ष जी शिरोधार्य है, लेकिन प्रश्नों के उत्तर के समय में आप भी महसूस कर रहे होगें कि जिस तरह के उत्तर माननीय मंत्री जी देते हैं, उससे सदस्य संतुष्ट नहीं होते हैं।

श्री अध्यक्ष---

आपकी मदद जितनी मैं करता हूं, आप जानते हैं।

श्री भीखा लाल---

मान्यवर, जो अधिकारीगण या प्रशासनिक मशीनरी जो जवाब लिख कर भेज देते हैं, उसी से माननीय मंत्री जी संतुष्ट हो जाते हैं। और सदन में पढ़ देते हैं। इस प्रशासन का दृष्टिकोण कवल प्रशासनिक होता है लेकिन मंत्रि मंडल का कार्य ऐडमिनिस्ट्रेटिव और पोलिटिकल दोनों होता है। प्रशासनिक मशीनरी समझती है कि आपात्कालीन स्थिति में चुनाव नहीं हो सकते, लेकिन मंत्रियों को इसमें पोलिटिकल माड इस्तेमाल करना चाहिए। आपको उसको देखना चाहिए। सरकार ऐसी बातों पर जरूर ध्यान रखे ताकि ऐसे उत्तर न आवें।

श्री अध्यक्ष---

यह आपकी सलाह है। इस पर अमल किया जाना चाहिए। ठीक है, अच्छी सलाह है। आपको पढ़कर आना चाहिए, अच्छी तरह से तैयार होकर आना चाहिए। लेकिन कहीं कोई एक दिन न पढ़ सके, ऐसा भी हो जाता है। तो अब तो आज हम उठ रहे हैं फिर जब होगा, तब देखा जायगा।

श्री शतरुद्ध प्रकाश, सदस्य, विधान सभा का विधान सभा के उपवेशनों से अनुपस्थित के लिये प्रार्थना-पत्र

श्री अध्यक्ष---

माननीय शतरुद्ध प्रकाश, सदस्य विधान सभा ने आवेदन पत्र दिया है कि "मैं दस अक्तूबर, 1975 से भारत रक्षा नियमों तथा 26 मार्च, 1976 से "मीसा" के अन्तर्गत निरुद्ध हूं और सम्प्रति मीसा बन्दी' के रूप में बलरामपुर लखनऊ,अस्पताल में इलाज हेतु भरती हूं। सरकार द्वारा मेरे ऊपर लगायी गयी दफायें, आरोप एवं गिरफ्तारी अकारण, अवैध तथा अन्यायपूर्ण है सम्प्रति बगैर मुकदमा चलाए हुए मुझे बन्द रखा गया है।"

इस दौरान 1975 एवं 1976 में विधान सभा उत्तर प्रदेश की आहूत बैठकों में मैं हिस्सा नहीं ले पाया और सम्प्रति हो रही बैठकों में इच्छा होते हुए भी उपस्थित नहीं हो सकता।

अतः निवेदन है कि वर्तमान सत्र के उपवेशनों की पूर्ण कालावधि के लिए मुझे अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की जाये और उपस्थिति से मुझे मुक्त करन अथवा अवकाश स्वीकृत करने की व्यवस्था की जाय।"

प्रश्न यह है कि वर्तमान सत्र के उपवेशनों की पूर्ण कालावधि के लिए श्री शतरुद्ध प्रकाश, सदस्य, विधान सभा को अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ।)

22 अप्रैल, 1975 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 11 के अनुपूरक प्रश्नोत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री विजय कुमार)---

अध्यक्ष महोदय, दिनांक 22 अप्रैल, 1975 को सर्वश्री बाबा रामनाथ, भगवती सिंह एवं जनार्दन प्रसाद ओझा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 11 के संबन्ध में सर्वश्री तीरथ राम कोहली तथा आशा राम यादव ने विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की निम्नलिखित सूचना दी थी---

"कल दिनांक 22 अप्रैल, 1975 को आदरणीय सदन में सहकारिता मंत्री श्री नारायण सिंह ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि सी0 आयल का बाजार भाव 80 रु0 प्रति लीटर है। (प्रश्न संख्या 11 नत्थी 'ग')। यह सूचना बिलकुल असत्य एवं निराधार है। सबसे ऊंची क्वालिटी के सी0 आयल का मूल्य 12 रु0 प्रति लीटर से अधिक नहीं है। यह सूचना जानबूझ कर उन्होंने दी क्योंकि सत्तारूढ़-दल के वरिष्ठ नेता श्री चन्द्र शंकर त्रिवेदी द्वारा कोआपरेटिव बिजली

[श्री विजय कुमार]

सप्लाई कम्पनी, लखनऊ की जीपों का चुनाव में अन्धाधुन्ध किए गए इस्तेमाल के कारण बढ़े व्यय को छिपाना चाहते थे, जिससे कि उक्त श्री त्रिवेदी की कुख्याति न हो।

इस प्रकार श्री नारायण सिंह द्वारा सदन को प्राप्त विशेषाधिकारों की अवहेलना होती है। अस्तु, मैं सहकारिता मंत्री श्री नारायण सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना देता हूं।"

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि जी हां, समिति के वाहनों पर कलेन्डर वर्ष 1973 के मुकाबले में वर्ष 1974 में अधिक व्यय हुआ। इसका कारण वाहनों के उपयोग में आने वाले इंजन के मूल्य में वर्ष 1974 में हुई वृद्धि है। अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में यह भी बताया गया था कि सी0 आयल का मूल्य सन् 1973 में 26 रु0 प्रति लीटर था जोकि सन् 1975 में बढ़कर 80 प्र0 प्रति लीटर हो गया।

उक्त अनुपूरक प्रश्न का उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है कि सी0 आयल (एच0 वाई0 पी0 वाई0 वी0) का मूल्य जून, 1973 में 26 रुपया प्रति 5 लीटर तथा फरवरी, 1975 में 80 रु0 प्रति पांच लीटर था।"

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न हैं।

(मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर के लिए देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 624 पर।)

विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कतिपय विषयों पर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि का प्रस्ताव

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा (जिला कानपुर)—

चूंकि श्री शिवानन्द नौटियाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री हरि राम श्री माली तथा श्री प्रेमपाल सिंह रावत, (बालयोगेश्वर) के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न 8 मई, 1973 को पंचम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट हुआ था और इस प्रश्न पर प्रतिवेदन प्रस्तुत दिये जाने हेतु माननीय अध्यक्ष द्वारा 31 जनवरी, 1974 तक का समय बढ़ाया गया था तथा पंचम विधान सभा के विघटन के बाद उक्त प्रश्न को तत्कालीन माननीय अध्यक्ष द्वारा 14 मार्च, 1974 को षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था;

और चूंकि श्री मलखान सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा श्री अयोध्या प्रसाद, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला जालौन के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न वर्तमान विधान सभा की विशेषाधिकार समिति को 1 जुलाई, 1974 को निर्दिष्ट हुआ था;

और श्री भगवती सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा श्री कुंवर बहादुर मिश्र, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध शिकायत तथा श्री काशी नाथ मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री हरिकेवल, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध शिकायत से सम्बन्धित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न विशेषाधिकार समिति को 26 जुलाई, 1974 को निर्दिष्ट हुआ था;

और चूंकि श्री दीप नारायण पांडेय एवं श्री काशी नाथ मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री मोती लाल देहलवी, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध सदन का अवमान एवं विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न 25 मार्च, 1975 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट हुआ था;

और श्री काशी नाथ मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री डी0 पी0 वरुण, सचिव, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न 15 अप्रैल, 1975 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट हुआ था।

और चूंकि सदन के 28 अप्रैल, 1975 के निश्चयानुसार उपर्युक्त प्रश्नों पर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय गत सत्र के प्रथम दिनांक तक के लिए बढ़ा दिया गया था और चूंकि समिति उपर्युक्त प्रश्नों पर उक्त समय के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकने में समर्थ न हो सकी, सदन के 28 जुलाई, 1975 के निश्चयानुसार उपर्युक्त सभी प्रश्नों पर समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय वर्तमान सत्र के अन्तिम दिन तक के लिए बढ़ा दिया गया था;

और चूंकि श्री मुहम्मद अमरार अहमद, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रतिपूर्चित श्री शिव प्रसाद, सदस्य विधान सभा जो डी0 आई0 आर0 के अन्दर बन्दी थे, को रोसा के अन्तर्गत निरुद्ध किये जाने की सूचना माननीय अध्यक्ष को विलम्ब से दिये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी आजमगढ़ के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न 6 अप्रैल, 1976 को निर्दिष्ट हुआ था तथा निश्चित समय के भीतर समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकी है;

अतः सदन यह निश्चय करता है कि विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन के अवमान के उपर्युक्त सभी प्रश्नों पर समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय आगामी सत्र के अन्तिम दिन तक के लिए और बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि "चूंकि श्री शिवानन्द नौटियाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री हरिराम श्रीमाली तथा श्री प्रेम पाल सिंह रावत (बाल योगेश्वर) के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न 8 मई, 1973 को पंचम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट हुआ था और इस प्रश्न पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु माननीय अध्यक्ष द्वारा 31 जनवरी, 1974 तक का समय बढ़ाया गया था तथा पंचम विधान सभा के विघटन के बाद उक्त प्रश्न को तत्कालीन माननीय अध्यक्ष द्वारा 14 मार्च, 1974 को षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था;

और चूंकि श्री मलखान सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री अयोध्या प्रसाद, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला जालौन के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न वर्तमान विधान सभा की विशेषाधिकार समिति को 1 जुलाई, 1974 को निर्दिष्ट हुआ था,

और श्री भगवती सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री कुंवर बहादुर मिश्र, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध शिकायत तथा श्री काशी नाथ मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री हरिकेवल, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध शिकायत से सम्बन्धित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न विशेषाधिकार समिति के 26 जुलाई, 1974 को निर्दिष्ट हुआ था:

और चूंकि श्री दीप नारायण पाण्डेय एवं श्री काश नाथ मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री मोती लाल देहलवी, सदस्य, विधान सभा, के विरुद्ध सदन का अवमान एवं विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न, 25 मार्च, 1975 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट हुआ था;

[श्री अध्यक्ष]

और श्री काशीनाथ मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री डी0पी0 वरुण, सचिव हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न 15, अप्रैल 1975 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट हुआ ;

और चूंकि सदन के 28 अप्रैल, 1975 के निश्चयानुसार उपर्युक्त प्रश्नों पर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय गत सत्र के प्रथम दिनांक तक के लिए बढ़ा दिया गया था और चूंकि समिति उपर्युक्त प्रश्नों पर उक्त समय के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकने में समर्थ न हो सकी, सदन के 28 जुलाई, 1975 के निश्चयानुसार उपर्युक्त सभी प्रश्नों पर समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय वर्तमान सत्र के अन्तिम दिन तक के लिए बढ़ा दिया गया था;

और चूंकि श्री मुहम्मद असरार अहमद, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित श्री शिव प्रसाद, सदस्य, विधान सभा जो डी0आई0आर0के अन्दर बन्दी थे को "मीसा" के अन्तर्गत निरुद्ध किए जाने की सूचना माननीय अध्यक्ष को विलम्ब से दिये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, आजमगढ़ के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न 6 अप्रैल, 1976 को निर्दिष्ट हुआ था तथा निश्चित समय के भीतर समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकी है;

अतः सदन यह निश्चय करता है कि विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन के अवमान के उपर्युक्त सभी प्रश्नों पर समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय आगामी सत्र के अन्तिम दिन तक के लिए और बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1976

शिक्षा श्री मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आज कार्य स्थगन नहीं है । इसलिए हम वित्तीय वर्ष 1976-77 के आय-व्ययक पर मतदान कार्य सूची नं0 26 पर आते हैं ।

1976–77 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 3--मंत्रि-परिषद् के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों, अनुदान संख्या–5 निर्वाचन, अनुदान संख्या 6–वृत्ति, व्यापार आजीविका तथा सेवायोजन पर कर, अनुदान संख्या 8–स्टाम्प एवं पंजीकरण, अनुदान संख्या 11–बिक्री-कर, अनुदान संख्या 13--अन्य कर और शुल्क, अनुदान संख्या 42–विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र, अनुदान संख्या 73–विशेष तथा पिछड़े क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय अनुदान संख्या 53–उद्योग, अनुदान संख्या 55–खाने तथा खनिज, अनुदान संख्या 74–विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 90--ऋण और अग्रिम-उद्योग तथा अनुदान संख्या 54–ग्राम एवं लघु उद्योग

*मुख्य मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 3--मंत्रि-परिषद् के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 28 95,300 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर मैं, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 5--निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,44,13,900 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर मैं, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 6--वृत्ति, व्यापार, आजीविका तथा सेवायोजन पर कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,86,500 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर मैं, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 8--स्टाम्प एवं पंजीकरण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,04,77,500 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

मान्यवर मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष म अनुदान संख्या 11—बिक्री-कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,85,75,200 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर मैं, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 13—अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 52,30,500 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर मैं, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 42—विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 53,97,49,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर मैं, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष म अनुदान संख्या 73—विशेष तथा पिछड़े क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,66,39,200 रुपए से अनधिक की धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन् मैं, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 53—उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति क लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,22,72,700 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन मैं, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाल वर्ष मे अनुदान संख्या 55 ख न तथ खनिज के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनदाशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 62,88,100 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 74 विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्ययों के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 30,25,62,700 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन मैं, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष म अनुदान संख्या—90 ऋण और अग्रिम-उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,77,47,200 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष

लघु उद्योग वाली मांग भी या तो आप रख दें या 3 बजे से 4 बजे तक इसको ले लिया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी

उसको माननीया लघु उद्योग मन्त्री जी रखें।

3 · मंत्रि-परिषद् के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों, अनुदान संख्या 5 निर्वाचन, अनुदान संख्या 6 वृत्ति, व्यापार, आजीविका तथा सेवायोजन पर कर, अनुदान संख्या 8 स्टाम्प एवं पंजीकरण, अनुदान संख्या 11 बिक्री-कर, अनुदान संख्या 13 अन्य कर और शुल्क, अनुदान संख्या 42 · विशेष एवं पिछड़े हुये क्षेत्र, अनुदान संख्या 73 विशेष तथा पिछड़े क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 53 · उद्योग, अनुदान संख्या 55 खाने तथा खनिज, अनुदान संख्या 74 · विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 90 ऋण और अग्रिम-उद्योग तथा अनुदान संख्या 54 ग्राम एवं लघु उद्योग

श्री अध्यक्ष--

इसके बाद ही तो रखेंगी। वैसे आप मुख्य मन्त्री हैं, आप तो सब रख सकते हैं। आप रख दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–54 ग्राम एवं लघु उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,73,61,600 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(माननीय मुख्य मन्त्री के बैठ जाने पर)

श्री अध्यक्ष--

आपने जो अनुदान रखे हैं, उनके बारे में कुछ कहेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

मैंने परम्परा यह डाली थी कि मैं अन्त में ही बोलूंगा क्योंकि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वाली ग्रान्टस पर भी मैं अन्त में ही बोला था। इससे माननीय सदस्यों को ज्यादा समय मिल जायगा बोलने के लिए।

(माननीया लघु उद्योग मन्त्री के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष--

अब कटौती के प्रस्ताव पहले आ जायं, तभी आप बोल सकेंगी।

*श्री रामचन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)

श्रीमन, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–3 के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री अध्यक्ष--

यह जरूरी नहीं है कि आप सभी पर अपना कटौती का प्रस्ताव रखें, कुछ पर भी रख सकते हैं।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह--

श्रीमन, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–5 के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामचन्द्र बख्श सिंह]

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-6 के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, लघु उद्योग के बारे में बाकी साहब रखेंगे।

श्री अध्यक्ष--

आप ही रख सकते हैं, वे बोल सकेंगे।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ·54 के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना है।

*लघु उद्योग मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवाई)--

मान्यवर, मेरे विभाग का जो ग्रान्ट पेश किया गया है, कुछ थोड़ी सी बात मैं अपने विभाग के बारे में कहना चाहूंगी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज के हालात में हमारे लघु उद्योगों का, हमारे ग्रामीण उद्योगों का कितना महत्व है, कितनी अहमियत है। मैं समझती हूं कि इस वक्त जब कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, यहां की 80 प्रतिशत आबादी हमारे गांवों में रहती है। जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, हमारी जमीन छोटी होती जा रही है, हिस्सेदार बढ़ते जा रहे हैं उस वक्त यह जरूरी है कि हमारे लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाय। हमारे ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा दिया जाय ताकि जमीन का बोझ कुछ कम हो सके। जमीन के बोझ को डाइवर्ट करना है इंडस्ट्रीज की तरफ क्योंकि इंडस्ट्रीज और खेती-बारी का लाजिमी तौर से एक दूसरे से सम्बन्ध है। दोनों को अलग-अलग नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ जहां हमें इनको बढ़ावा देना है, तो यह भी देखना है कि अपने आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करें, सामाजिक पिछड़ेपन को दूर कर सकें, बेरोजगारी को दूर कर सकें, गरीबी को दूर कर सकें, तालीम को बढ़ावा दे सकें, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे सकें। इन सब चीजों को देखते हुए यह जरूरी हो जाता है कि हम उद्योग धंधों को बढ़ावें। खासतौर से लघु उद्योग हर मुल्क का आर्थिक ढांचा तैयार करते हैं वहां की आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने का। छोटे और बड़े दोनों तरह के उद्योगों से सारे मुल्क का नक्शा बदल जाता है। उसकी आर्थिक कठिनाई व परेशानियां दूर हो जाती हैं। क्योंकि बड़े उद्योग जब किसी मुल्क में लगते हैं तो उनसे वहां की बेरोजगारी का मसला हल नहीं होता लेकिन छोटे उद्योग धंधे हमारी बेरोजगारी को दूर करने में बहुत बड़े मददगार साबित होते हैं। पिछले दो सालों में जबकि उद्योग धंधों में रिसेज आयी, आपको मालूम है, सदन के माननीय सदस्यों को मालूम है कि उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए बिजली तथा रा मेटीरियल्स की खासतौर से जरूरत होती है। उसकी कमी की वजह से पिछले दो सालों में परेशानी सी रही लेकिन उसके बाद जब से पिछले एक दो साल से बिजली और रा-मेटीरियल्स मिलने लगे, कुछ परेशानी दूर हुई तो 1974-75 में कोई 7-8 प्रतिशत ग्रोथ हुआ और 11-12 प्रतिशत करीब ग्रोथ हो जाने की सम्भावना 1966-77 में है। खासतौर से जबसे इमर्जेंसी लागू हुई, तालाबन्दी, स्ट्राइक्स वगैरह, इन चीजों में कमी आई, इसलिये उत्पादन बढ़ा और एक ऐसा एटमोसफेयर बना, इंडस्ट्रीज की तरफ एक अच्छी फिजा बनी, जिससे हमारे नौजवानों ने उद्योग धंधों में अपने को लगाया और जब उनके दिमाग में इस तरह की बात आई तो उन्होंने कोशिश शुरू की कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे लगायें। इस पंचवर्षीय योजना में हमारा टारगेट 15 हजार यूनिट्स लगाने का है। जिनमें से 3 हजार इन पंचवर्षीय योजना के इन सालों में आ गयी है और बाकी 10 हजार हम इस पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लगायेंगे। इन 3 हजार यूनिट्स

*वक्ता ने भाषण का पुर्नीक्षण नहीं किया।

में हम अपने 45 हजार बेरोजगार लोगों को रोजगार फराहम करेंगे। और जो अगली 10 हजार यूनिटें लगेंगी उसमें डेढ़ लाख के करीब बेरोजगार नौजवान लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा मान्यवर, रायबरेली में जहां 15 यूनिट्स का इंजीनियरिंग काम्पलेक्स कायम किया है, उसको कायम करने से यह महसूस हुआ कि काम्पलेक्सेज बनाकर हम अपने नौजवान इंजीनियर्स और ग्रेजुएट्स को अधिक काम दे सकते हैं, इंटरप्रिन्यूर्स को जो काम करना चाहते हैं उसको इनकरेज कर सकते हैं। इसी तरह से एनीसिलेरी इंडस्ट्री में, स्कूटर इंडिया लिमिटेड की एक एनीसिलेरी स्टेट, लखनऊ में कायम कर रहे हैं।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, हरिद्वार का, झांसी में एक काम्पलेक्स लगाया जा रहा है। इसी तरह से चमड़ा उद्योग के लिए उन्नाव में और केमिकल्स के लिए बाराबंकी में, बिल्डिंग मैटीरियल के लिए मथुरा में कायम करने की योजना है। होजरी के लिये काशीपुर में खोलने की योजना है। इसी तरह से गाजीपुर, फैजाबाद, बस्ती, बिन्दकी, फतेहपुर में भी प्रोजेक्ट्स लगाये जा रहे हैं। और जिलों में भी कोशिश होगी कि जहां जमीन आसानी से मिल सकती है वहां पर इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जौनपुर और बलिया में भी इंडस्ट्रियल स्टेट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जमीन मिलने में दिक्कत होती है, जहां-जहां जमीन मिल जायगी वहां हम बनायेंगे। स्पोर्टस गुड्स का काम्पलेक्स की, मेरठ में लगाने जा रहे हैं। इसके तहत हमने बहुत सी कोशिशें की हैं कि ऋण देने की व्यवस्था जो है, क्योंकि किसी इंडस्ट्री को लगाने के लिये 3 चीजों की आवश्यकता होती है। बिजली, रा-मेटीरियल और पैसा। तो पुराना तजुर्बा है और पैसा हम दे रहे हैं। छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज को उद्योग लगाने वालों को हम पैसा दे रहे हैं जिनको पहले नहीं दे पाते थे। इसके लिये फाइनेन्सियल इंस्टीट्यूशन्स का इन्तजाम किया गया है, बैंक्स के जरिये और मुखतलिफ कारपोरेशन्स के जरिये हम आसान तरीके से धन उपलब्ध कराते हैं। जहां काम्पलेक्स बन रहे हैं यह हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम जहां काम्पलेक्सेज बनायेंगे उनको रा-मेटीरियल दें। उनके माल की निकासी की और उनको पैसा दिलाने की जिम्मेदारी लें। कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार की दिक्कतें हमारे इन्टरप्रिन्यूर्स को न हों।

मान्यवर, माननीय सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि ओखला डेवलपमेंट अथारिटी बनी है वहां पर 10 हजार यूनिट्स की एक योजना है। हम इसको लगा रहे हैं ताकि हमारे प्रदेश के तमाम बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके। इसके अलावा जो हमारे बेकार इंजीनियर, ग्रेजुएट्स हैं उनके लिये हमने अपने यहां योजना रखी है और बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें यह योजना शुरू कर रहे हैं। उनको एक बुकलेट छपाकर, हमने हर जिलाधिकारी के पास भेजी है ताकि उसकी सूचना हमारे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री अधिकारी के जरिये से इन लोगों को मिल सके और जो जिस किस्म की इंडस्ट्री लगाना चाहते हों डिपार्टमेन्ट से मदद ले। इसके अलावा मेरे पास पूरी लिस्ट है जिसको मैं सदन के सामने रखना चाहती हूं। हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में हर किस्म की इंडस्ट्री पनपें और आये। इलेक्ट्रिकल्स, इंजीनियरिंग टूल्स, बल्बस आदि चीजें हमारे यहां बनें। हम जो हमारी पड़ोसी स्टेट्स हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली

[श्रीमती मोहसिना किदवाई]

उनसे कम्पीट कर सकें ऐसा हम सोच रहे हैं। इसके लिए हमें बहुत सी चीजों को बदलना पड़ेगा सेल्स टैक्स में छूट देनी पड़ेगी। इन्टेक्सिव्स देने पड़ेंगे जिससे हमारी स्टेट की तरफ इन्टरपिन्यूर्स आये, उनका ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो, क्योंकि दूसरी स्टेट में उनको ज्यादा फायदा दिखायी देता है और हमारे प्रदेश में ऐसी फिजां या ऐसा माहौल पहले इन्डस्ट्रीज के लिये नहीं था और जब हमारा विभाग कोशिश करता था कि कर्ज दिलवा सके जिससे उद्योग-धन्धे चल सके। मैं जानती हूं कि हमारी दिक्कत रहती थी कि कर्जा तो दिलवा दिया लेकिन उनको बिजली मिली कि नहीं, मेटीरियल मिला कि नहीं इसमें उनकी मदद नहीं कर पाते थे। इसलिये मैं यह कोशिश कर रही हूं कि एक ऐसी लिस्ट बनायी जाय कि कितनी ऐसी यूनिटें जो बन्द हो रही है तो क्यों वह बन्द हो रही हैं? उनके माल की खपत नहीं है या और कोई कारण है। मैं विभाग में यह कोशिश कर रही हूं कि सेल्स बनायी जायं जिससे जो कहा जाता है कि नवजवान इन्टर प्रेन्योर है और वह पैसा लेना चाहता है जैसे बिल्डिंग के लिये या उद्योग के लिये तो उसको दिक्कत होती है और काफी समय लग जाता है। तो कोशिश यह है कि किसी भी सूरत में जो गैप है वह कम किया जाय क्योंकि टाइम फैक्टर इन्डस्ट्री में बहुत बड़ा फैक्टर है। यदि इन्डस्ट्रलिस्ट उसमें उलझा रहे तो वह ठीक नहीं है। इसलिये इस पर ध्यान दिया जा रहा है और कुछ सेल्स बनायी जायेंगी।

मान्यवर, एक हाई पावर कमेटी बना रखी है जो 'आन दि स्पाट' जाकर वहां के लोगों की दिक्कतें दूर करते हैं और वहीं डिसीजन लेकर तय कर देते हैं। इस प्रकार अब कानपुर में या लखनऊ में जाकर ही काम होगा ऐसा नहीं है। हमारे मैनेजर्स, डाइरेक्टर और डिप्टी डाइरेक्टर वहां जाते हैं। इस प्रकार हमने डाइरेक्टर के पावर का डिसेन्ट्रलाइजेशन किया है जिससे वहां के लोगों को पावर दी जाय और कानपुर का मुंह न देखना पड़े।

मान्यवर, हमारी एक यह दिक्कत थी, मंत्रि परिषद् ने और खासतौर पर मुख्यमंत्री जी ने महसूस किया कि सेल्स-टैक्स की वजह से रा-मैटेरियल पर 2–3 तरीके से सेल्स-टैक्स हो जाता है जिससे हम और लोगों से कम्पीट नहीं कर पाते हैं। मुख्यमंत्री जी की मैं बड़ी आभारी हूं कि उन्होंने महसूस किया कि कुछ चीजें से सेल्स टैक्स की छूट देना चाहिए होगी और इसलिए कुछ चीजों के ऊपर से उन्होंने सेल्स टैक्स हटा दिया है। इसलिये रा-मैटेरियल पर और 11 अन्य आइटम जो मैं दे रही उन पर छूट दिया है –बाइसिकिल, ट्राइसिकिल, बच्चों की गाड़ी, सहायक पुर्जे कांच और कांच का सामान जिसमें सभी प्रकार की चीजें शामिल हैं साल्वेंट आयल, पेन्टिंग मैटेरियल, हर प्रकार के पैकिंग मैटेरियल, रबर और उससे जो चीजें बनती हैं, पेंसिल, पेन्ट, वार्निश, एनमेल, कोटिंग के सामान पर से प्रेसर कुकर और उनके जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, खेलकूद का सामान जिसमें स्पोर्टसशूज भी शामिल हैं, इनसे सेल्स टैक्स हटाया गया है। जौनपुर के हमारे ओम प्रकाश जी की बारह, तेरह साल से मांग थी कि वहां चमेली का तेल बनता है उस पर से सेल्स-टैक्स हटाया जाय, तो वह उठा लिया गया है।

इसी प्रकार से राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि निम्नलिखित वस्तुओं का उत्पादन करने वाली नई इकाइयों से 1 जनवरी, 69 के बाद सेल्स टैक्स नहीं लिया जायगा जबतक कि उनका उत्पादन शुरू न हो जाय। उत्पादन करने के दिनांक से पांच वर्ष तक और अन्य जिलों में 3 साल तक कच्चा माल बिना बिक्री कर के क्रय कर सकेंगे। मैं यह लिस्ट पढ़ कर सुना दूंगी। यह लम्बी लिस्ट है। मैं एक बार फिर मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिये उन्होंने सेल्स टैक्स को उठाना स्वीकार किया। छोटे उद्योग करने वालों के लिये यह बहुत बड़ी राहत है और आइन्दा भी सोच-विचार कर और कुछ किया जा सकेगा। अब हैन्डलूम सेक्टर की बाबत कहना चाहती हूं कि क्योंकि कृषि के बाद हैन्डलूम हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी सनत है। इसकी एहमियत को देखते हुये श्रीमती इंदिरा जी ने बीस सूत्री कार्यक्रम में इसको नवे आइटम पर रखा है।

हमारे प्रदेश में बुनकर काफी तादाद में हैं 15 हजार बुनकर कार्य करते हैं और अन्दाजन 45 करोड़ मीटर कपड़ा तैयार करते हैं । लेकिन हमारे इन बुनकरों में तालीम की कमी है जिसकी वजह से वह नई चीजों को जल्दी स्वीकार नहीं कर पाते । जो पुराने छोटे करघे उन पर ही वह काम करते हैं । अब हम कोशिश कर रहे है कि उनको इम्प्रूव्ड करघे में तब्दील करें । 300 लूम्स इंप्रूव्ड हो सके यह हमारी कोशिश है । साथ ही बड़ा अर्ज का कपड़े बने और ऐसा बने जो बाहर देशों में भेजा जा सके क्योंकि बाहर के देशों में हाथ के बने कपड़े की काफी मांग है । इसके लिये हम डिजाइन सेन्टर्स भी खोल रहे है । दो कमेटी बैठी थी । एक तो राम सहाय कमेटी हमारे सूबे में और दूसरे शिवारमन कमेटी की सिफारिशें भी केन्द्र से आ गयी है । शिवारमन कमेटी की सिफारिशों की तहत में 60 परसेन्ट कोआपरेटिव फोल्ड में ले आना है । जहां कोआपरेटिव सोसाइटीज काम कर रही है वहां तो उनको एनकरेज करना है और जहां नहीं है वहां नई बनानी है । शिवारमन कमेटी की एक यह सिफारिश थी कि एक सघन योजना बनायी जाय । उसके तहत हमारे सूबे में बस्ती और गोरखपुर दो जगहों पर हमें मिली है । गोरखपुर में 22 तारीख से शुरू करने जा रहे है । 10 हजार बुनकर को उसकी तहत में ले आयेंगे और उनका जो कपड़ा होगा वह प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी होगी कि वह उसको बेचे । 40 फीसदी कपड़ा सरकार बेचे, यह उसकी जिम्मेदारी होगी ।

यह सारी चीजें इसलिये की जा रही है कि बुनकरों को राहत मिले । उनको जो दिक्कत होती है वह सूत की और रंग की और साथ ही उनका फराहम करने की, माल की निकासी की सूत के लिये 20 कताई मिलों का लाइसेंस मिल गया है और रायबरेली में तो प्रोडक्शन भी आरम्भ हो गया है । और जगहों में भी यह मिलें सूत बनाने का काम या तो शुरू कर चुकी हैं या जल्दी ही इनका काम शुरू हो जायगा इस तरह से हमारी सूत की दिक्कत दूर हो जायेगी माल की निकासी के लिये यूपिका और पावर और हैन्डलूम कारपोरेशन माल की निकासी के लिये काम कर रहा है । इनका जो माल पड़ा था उसकी निकासी के लिये भी हमने जगह-जगह पर नुमाइश करके करीब 2 करोड़ रुपये का माल बेंच दिया है । ऐसे सेन्टर्स भी खोले गये है जहां पर नये-नये डिजाइन्स बनाये जाते हैं ताकि जो माल हमारा तैयार हो वह बाहर के मुल्कों में भी भेजा जा सके । एक्सपोर्ट कारपोरेशन रेडीमेड गार्मेन्ट सेन्टर्स भी खोल रहा है और शो रूम्स भी खोले जा रहे है और आज काम बढ़ाने के लिये बहुत अच्छी फिजा और रिस्पान्स हमको मिल रहा है ।

हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा उद्योग कालीन उद्योग है । पिछले सालों में हम 40 करोड़ रुपये का कालीन एक्सपोर्ट करते थे और अब हमने इस टार्गेट को बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया है कि हम इतने का कालीन निर्यात करेंगे । जब हम अपना टार्गेट बढायेंगे तो हमको इसके लिये ट्रेन्ड बुनकरों की भी जरूरत पड़ेगी । पिछले साल 30 ट्रेनिंग सेन्टर्स थे और अब 70 सेन्टर्स और हमको मिल गये है । भदोही, मिर्जापुर, जौनपुर और इलाहाबाद जहां-जहां यह काम ज्यादा होता है हम कोशिश करेंगे कि इन सेन्टर्स को वहां पर कायम करें । छोटे बच्चे अच्छी कालीन तैयार कर लेते है । अगर हम उनको अभी से ट्रेनिंग देंगे तो वे और अच्छी कालीन बना सकेंगे और यह काम अच्छी तरह से चलता रहेगा ।

[श्रीमती मोहसिना किदवाई]

मान्यवर, हमारे यहां चमड़े का उद्योग भी बहुत बड़ा उद्योग है और उसका कारपोरेशन भी है । यह सफलतापूर्वक चल रहा है । जूता बनाने वाले कारखानों को चमड़े को दिक्कत है । हमारे जो आर्टीजन्स है वे चाहे बर्तन बनाने वाले हों या चिकन का काम करने वाले हों वे लोग एक तरह से बान्डेड लेबर ही है । वे लोग सेठ साहूकारों से जुड़े है । 20–25 रुपया देकर वे उनको हमेशा के लिये खरीद लेते है, बांध लेते है । यह कारपोरेशन का खास काम है कि बीच से इन बिचौलियों को हटा दिया जाय । यह कोशिश है कि इन आर्टीजन्स को इसका पूरा लाभ मिले । लेकिन सिर्फ सरकार के ही किये यह सारा काम नहीं हो सकता है जब तक कि पब्लिक के नुमाइन्दे न आयें । हम लोग बहुत सी शिकायतें सुना करते है कि हमारे आफिसर्स ने ढील डाल दी या कहीं आर्टीजन को सामान नहीं मिला । अब वह फिजा आ गई है कि पब्लिक के नुमाइन्दे बन कर इसमें काम करें । हमने बनारस में सिल्क पर भी तवज्जह की है । वे कोआपरेटिव्ज के जरिये से इस काम को करके ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा रहे है दिल्ली में भी रेशम महल हमने खोला है जो काफी पापुलर हो रहा है । इन आर्टीजन्स को कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाकर काम करना है ताकि उनको शोषण से बचाया जा सके । इसलिये मैं समझती हूं कि इसमें जो पब्लिक के नुमाइन्दे हैं उनको भी आगे आना पड़ेगा । ये आर्टीजन्स कोआपरेटिव के जरिये से या फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स के जरिये से ज्यादा से ज्यादा हेल्प लें ।

एक यह भी शिकायत आती है कि छोटे-छोटे लोगों व बुनकरों को कर्जा नहीं मिलता । बैंक वाले बड़े-बड़े लोगों को ही करोड़ों रुपये का कर्जा बांटते है । बैंक वालों से हमारी बातचीत हुई और बहुत से अब सहमत हो गये है और यह मानते है कि 1 करोड़ रुपया हजारों लोगों को बांट कर उनको फायदा पहुंचा सकेंगे । बैंकों के नेशनलाइजेशन का उद्देश्य भी यही था कि चन्द मुट्ठी भर लोगों के हाथ से पैसा निकाल कर जनता में बांटा जाय ताकि उसकी आर्थिक कठिनाई दूर हो सके । लेकिन सफलता तभी मिल सकती है जब सरकार को जनता का सहयोग हासिल हो । चमड़े के उद्योग के लिये भी सरकार ने काफी प्रयास किया है । हमारा देश इस मामले में खुश किस्मत है कि हर तरह का पोटेंशियल यहां मिलेगा । हैन्डीक्राफ्ट, हैन्डलूम ब्रासवेयर, आदि के लिये यहां बहुत पोटेंशियल अवेलेबिल है लेकिन हर जगह कारखानेदार मजदूर को तंग करता है । मुरादाबाद में हमारा प्रयास है कि वहां के मजदूर को हम ब्रास उपलब्ध करायें और नान फैरस रोलिंग मिल की यहां स्थापना की जाय । इसी तरह से सहारनपुर में लकड़ी का काम, फर्रूखाबाद में छपाई का काम को प्रोत्साहन दिया जा रहा है । इसलिये छपाई कारपोरेशन कायम किया गया है । इसमें 700 करघे लग सकेंगे और 200 छीपियों को काम मिल सकेगा । जिससे बेरोजगारी दूर होगी । यह सब एक्सपोर्ट के प्वाइन्ट आफ व्यु से किया जा रहा है ताकि मुल्क का फायदा हो और लोगों की खिदमत भी हो सके ।

खादी ग्रामोद्योग के बारे में सभी को मालूम होगा कि हमारा मकसद यही है कि बिलेज इन्डस्ट्री को बढ़ावा मिले ताकि गांव वाले शहर की तरफ न भागें । गांवों की तरक्की हो सके क्योंकि बगैर गांवों की तरक्की के मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती । पिछले एक साल में इसमें काफी तरक्की हुई है और गांव-गांव में काफी योजनायें चलाई गयीं हैं । बहुत दिन बाद खादी बोर्ड को भी फायदा हुआ है और जो कभी व परेशानियां थीं उनको भी दूर किया गया है । खादी बोर्ड ने काफी अच्छा काम किया है, काफी इकाइयों को पैसा दिया गया है । कोआपरेटिव्स को भी और व्यक्तिगत लोगों को भी । दियासलाई, कागज व कपड़ा तथा इसी तरह से 19,20 आइटम्स के लिये पैसा दिया है । दियासलाई का रोजगार काफी अच्छा है, इसमें स्किल्ड लेबर की भी जरूरत नहीं होती है। रा-मैटीरियल बाहर से मंगाना पड़ता था जैसे तीलियां इसके लिये नैनीताल में एक फैक्ट्री कायम करने की कोशिश है अगर वन विभाग लकड़ी देने के लिये राजी हो गया तो । बाहर से रा-मैटीरियल मंगाने में दिक्कत के साथ वह गरा होता है और वक्त पर मिलता नहीं है । पहाड़ों पर उद्योग धन्धों का बहुत स्कोप है । कोशिश

यही है कि रा-मैटीरियल को तो लोकल वहीं पर काम में लाया जाय ताकि लोकल लोगों के साथ काम करने का फायदा हो और लोग शहर की तरफ न भागें ।

इसके अलावा बहुत सी योजनायें चालू की गई हैं जो कि हमें लाभ देंगी । मैं समझती हूं कि ये सारी चीजें मिलकर हमारे लक्ष्य की पूर्ति करेंगी । मैं यह भी समझती हूं हम इन्डस्ट्रीज के जरिये अपने देश और प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं । इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है कि हम छोटे-छोटे उद्योग धन्धों को फैलायें और उसके जरिये जो दबे और कुचले हुये लोग है वे आगे बढ़ें, बेरोजगारी दूर हो और मुल्क में मोहजब इन्क्लाब एक आर्थिक इन्क्लाब आवे ताकि हमारे लीडरान ने जो ख्वाब देखा था वह पूरा हो सके । मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे ज्यादा वक्त दिया । इन शब्दों के साथ मैं अर्ज करूंगी कि जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसे वे वापस लेंगें ।

*श्री अब्दुल बाकी (आजमगढ़)--

मोहतरिम साहब, सबसे पहले मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि मुझे बैठकर बोलने दिया जाय क्योंकि मैं ब्लड प्रेसर का मरीज हूं ।

श्री अध्यक्ष---

अगर आप रक्त चाप के मरीज है तो आप 5 मिनट ही बोलें । ठीक है । आप आगे आकर बैठकर ही बोलें ।

श्री अब्दुल बाकी--

मैं सबसे पहले आपकी मार्फत शुक्रिया अदा करूं मोहतरिमा इंदिरा गांधी का जिन्होंने कि मौजूदा संगीन सूरतेहाल में जहां खेतिहर मजदूरों की तरफ जबरदस्त ध्यान दिया, मुल्क के दबे कुचले लोगों को उठाने की कोशिश की वहीं पर उनकी निगाह हथ-करघा बुनकरों पर भी गई और यह पहली बार मरकजी सरकार ने एक जानी स्कीम, मजबूत स्कीम पेश की है कि 300 करोड़ रुपये हैन्डलूम को बढ़ावा देने के लिये रखे । उनकी स्कीम है कि सन् 80 तक 60 फीसदी करघे इस स्कीम के मातहत ले लिये जायेंगे खुद हमारे कमर्शियल मिनिस्टर ने एलान किया है कि स्टैन्डर्ड क्लाथ स्कीम पूरी की पूरी हैन्डलूम के लिये रिजर्व कर दी जाय । हमें देखना है कि हमारी यह जो मरकजी सरकार की स्कीम है उसमें हमारा उत्तर प्रदेश कहां खड़ा है ? उत्तर प्रदेश से पहले हम सिर्फ एक प्रान्त का तस्किरा करा दें और वह है केरला । 20 प्वाइन्ट प्रोग्राम के एलान के बाद सबसे पहला अगर कोई सूबा है तो वह है केरला जिसने एक बहुत ही मजबूत स्कीम मरकजी सरकार को अपने सूबे के बारे में पेश की जिसे कि वह अपने सूबे में लागू करने जा रहा है । इस स्कीम पर उनका खर्चा 22 करोड़ रुपये का होगा । उसमें कहा गया है कि 3 साल के अन्दर-अन्दर सौ सनअती सोसाइटियां मुनज्जिम की जायेंगी ताकि उजरत के लिये मुकम्मिल मिल सके और बरामद के लिये कपड़ा मिल सके और प्रान्त के 60 फीसदी बुनकरों को सहकारिता के अन्दर लाया जा सके । उन्होंने कहा कि 100 इजतमाई बुनकर मरकस कायम किये जायेंगे जो प्राइमरी सोसाइटियों से जुड़े हुये होंगे । ये करघा बुनकरों की मदद करेंगे और प्रान्त के हिस्से को पूरा करेंगे ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अब्दुल बाकी]

इस स्कीम के मातहत करघों का नया बना कर कुछ बुनकरों को तरजीह देना, बुनकरों के मकान बनाना है और कोआपरेटिव सोबे में दो कताई मिलों की थी उसमें गुंजायश निकाली है ।

अब मैं अपने प्रदेश के हैन्डलूम के बारे में कहना चाहता हूं । मोहतरिम हमारे यहां मुख्य मंत्री जी ने भी कहा है कि 5 लाख 60 हजार करघे हैं । मेरा ख्याल है कि केरल की आबादी एक करोड़ होगी तो उसके पचास फीसदी हमारे यहां बुनकर हैं यानी 40–50 लाख और करघे 5 लाख हैं । हमें देखना है इस बारे में हमारी सूबाई सरकार क्या कर सकती है । अभी हमारी मोहतरिमा उद्योग मंत्री ने कहा है कि बस्ती और गोरखपुर में अभी एक स्कीम चालू कर रहे है और उस स्कीम के मातहत 10 हजार बुनकर आयेंगे । आप सोचें कि 5 लाख करघे और 10 हजार बुनकर । तो मैं एक फारसी का सेर की मिशाल देता हूं:

ता तिरियाक अज, इराक आबुर्दी शबद,

मारगुजीदा मुरदा शबद ।

यानी मरीज के इलाज ढूढ़ने तक मरीज शमशान घाट पंहुच जायेगा । यानी इतनी धीमी रफ्तार से बुनकरों की तरक्की कैसे हो जायेगी ? अब आप देखें कि हमारा हैन्डलूम किस हालत में है । मौजूदा हालात में आप कहते है कि गल्ले के दाम कम हो गये और चीजों के दाम कम हो गये । यह बात सही है । मगर देखा जाय कि जो हमारे मुल्क के अन्दर उद्योगपति टाटा, बिरला और जैपरिया जिनके हाथों में काटन है, सूत है वह दोहरी लूट करते है । एक तरफ तो कपास पैदा करने वाले किसानों को लूटते ह और दूसरा रा-मैटीरियल यानी धागे को इस्तेमाल करने वालों को लूटते ह । आज उनको खुली छूट है जिस दाम पर चाहे अपने सूत को बेचें । मैं कुछ मिसाल पेश करता हूं । आज से कुछ दिनों पहले एक सूत जिसका नाम 50 एन एफ है जो कोयम्बटूर में बनता है के दाम 135 रुपया गटठा यानी 5 के0 जी0 के दाम 135 रुपये थे और अब वह 175 रुपये में बिक रहा है। इसी तरह से आप देखें कि 62 धागा पहले 97 रुपया था आज वह 5 के0 जी0 का 135 रुपये में बिक रहा है ।

इसी तरीके से केमिकल्स की बात बताता हूं । 1970 में जिस ब्लू रंग के दाम 180 रु0 के0 जी0 थे और आज 360 रु0 है, ग्रीन रंग 1970 में 300 रुपये में एक के0 जी0 आता था और वह 480 रु0 मे मिल रहा है । यही हाल और केमिकल्स का भी है । यह मुल्क के महाजन जो बाहर से रंग मंगाते है उसको आप देखें आरेंज रंग 1970 में 575 रु0 के0 जी0 था और आज 2 500 रुपया हो गया है ।

आप बता दें कि हमारी स्कीम कहां है ? आज इस एमरजेन्सी के दौर में उन महाजनों, मिल मालिकों की खुली छूट है । 20 सूत्रीय कार्यक्रम का उन पर कुछ भी असर नहीं हुआ है । यही वजह है कि आज अपने सूबे में हैन्डलूम तबाह हो रहा है । 2 करोड़ रुपये का माल नुमायशों के जरिये से बेचा गया यह सही है । मगर उत्तर प्रदेश में हैन्डलूम के जरिये से कितना माल तैयार होता है ? 10 करोड़ रुपये के मूल्य के स्टाक की निकासी का सवाल है । आज माल की खरीदारी बन्द है, नुमायशें बन्द है । पूरे मुल्क के अन्दर स्टाक भरा पड़ा है ।

श्रीमन्, मैं एक चीज की ओर आपकी तवज्जह और दिलाऊं, जिसका इस स्कीम में कहीं तसकिरा है ही नहीं । माननीय मुख्य मंत्री ने भी अपने बजट भाषण में उसका कहीं तसकिरा नहीं किया । ऐसा मालूम पड़ता है कि इसका कोई वजूद ही नहीं है । हमारे प्रान्त में 25 हजार पावर लम हैं, आप उनकी दशा देखिये । पावरलूम को चलाने वाले दो वर्ष से लगातार सरकार से बातचीत कर रहे है, किन्तु मसले का हल कुछ भी नहीं निकल रहा है । पावरलूम की तरह ... है एक में मोटा सफेद कपड़ा 30 नम्बर, 20 नम्बर के सूत से तैयार किया जाता है । जो हमारे सूबे में ही तैयार होता है । आज उसकी दशा यह है कि यह सफेद माल तैयार करने वाले पावरलूम, जो साड़ी और मलमल, मार्किन वगैरह तैयार करते है और जिसे आप अपनी सस्ती दुकानों से बेचते है, बिलकुल बर्बाद हो रहे है । तमहा आजमगढ़ के मऊ, गोपालगंज

और खैराबाद में इसका मरकज है और इसी तरह से कानपुर में मऊ-आयमा है । इन जगहों पर लोग जो सफेद कपड़ तैयार करते है, तबाही के शिकार हो गये है । इसी तरह से दूसरी जगहों पर पावरलूम के चलाने वाले, जो लखपति थे आज कर्जदार हो गये है । हजारों पावरलूम बिक चुके है उनका कहीं वजूद नहीं है और 90 फीसदी बन्द पड़े है । मोहतरिमा, उद्यो मंत्री ने कहा है कि हम कुछ उद्योग धंधे कायम कर रहे है, जिसके जरिये से 42 हजार लो ों के काम धंधा मिलेगा । लेकिन आप देखिये यहां यह 25 हजार पावरलूम तबाह हो रहा है, जिसमें के 30—35 ह ार मजदूर गली-गली की ठोकर खा रहे हैं, फाके के शिकार हो रहे है । इसका कोई हल नही निकाला जा रहा है । इसका हल मोटा हल है, यदि सरकार इस पर तवज्जह करे । सस्ते कपड़े की दूकानों से जो कपड़ा सप्लाई होता है, वह मिलों का होता है उस पर 50 पैसा पर मीटर सरकार छूट भी देती है । हम कहते है कि आप कुछ करें 20 करोड़, 10 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के पावरलूमों के लिये रिजर्व करें । आपको इसमें दिक्कत नहीं है, आपकी एजेन्शियां है, कारपोरेशन बना है, यूपिका है और इस तरह से 10 एजेन्सियां है, उनके जरिये से आप तैयार कराये । उनको पैसा दीजिये । बजाय इनसे माल की खरीदारी कीजिये । यह कपड़ा बेचें । कपड़े की दूकानों से सप्लाई करने का बन्दोबस्त कीजिये । यह उद्योग संभल जायगा ।

दूसरे जब पावरलूम का तजकिरा करता हूं तो बिजली का तजकिरा जरूर होगा । इसके ऊपर बिजली का बिल बहुत बढ़ रहा है । 20 20, 30 30 हजार रुपये मिनिमम चार्ज, और 12 फीसदी सरचार्ज के जरिये हो रहे हैं । जाहिर है कि कहीं सैलाब आता है खुश्कसाली पैदा हो जाती है तो किसानों को हम राहत देने के लिये कुछ लगान में छूट देते है, तकावी देते हैं । मैं नहीं कह रहा हूं, मजदूरों के लिये तकावी नहीं मांगता, कोई इमदाद नहीं मांगता, बल्कि मेरी एक खास मांग है कि मौजूदा दौर के अन्दर जो आपका 15 रुपये पर हार्स पावर मिनिमम चार्ज है इसकी रकम में आप रियायत कर दें । 12 रुपये सैकड़ा जो आप सरचार्ज लगाते है इसकी छूट आप दे दीजिये । श्रीमन्, इसके साथ-साथ सूत का दाम लाजमी तौर से मुतअद्यन करना पड़ेगा । मोहतरिम अध्यक्ष, आपके जरिये से मैं सरकारी तवज्जह इस तरफ ले जाना चाहता हूं कि मऊ में जैपुरिया काटन मिल लगी हुई है । वह कौन तैयार करते हैं जो पावरलूम में इस्तेमाल होता है । सप्लाई कहां कर रहे है महाराष्ट्र में । वहां पर बुनकरों को सप्लाई नहीं हो रहा है । मनमाने दाम रखते जा रहे है ।

साथ ही साथ एक चीज की तरफ आपकी तवज्जह और ले जाऊं । यह बात सही है कि हैन्डलूम पावरलूम के लिये आर0 बी0 आई0 की स्कीम है कि हैन्डलूम और पावरलूम को नेशनलाइज्ड बैंकों से कर्जा दिलाया जायगा । आप जायजा ले लें । मौजूदा वक्त के अन्दर उत्तर प्रदेश की 0 फीसदी कोआपरेटिव सोसाइटियां तबाह हो रही हैं । आर0 बी0 आई0 स्कीम नौकरशाही के चक्कर में पड़ गयी । यह स्कीम है रिजर्व बैंक के माध्यम से कोआपरेटिव सोसाइटियों को कर्जा देने की । यह इमदाद कोआपरेटिव सोसाइटियों को नहीं मिल रही है कोमियायी गयी बैंकों में वह अफराद है जो आबादी क पहल थ । पूरा-पूरा नौकरशाही राज्य

[श्री अब्दुल बाकी]

वहां अब भी है यानी आप देखें, मैं एक मिसाल दे दूं। लगातार बुनकर दौड़ते रहते है बैंकों में लेकिन उनको कर्जा नहीं मिल पा रहा है। छः महीने से एक शख्स के लिये मैंने कहा था, पावरलूम चलाता था, वही दुज्जमां, कागज की खानापूरी बन कर भी कुछ नहीं मिला। आज का कौमी आवाज लिखता है बैंकों के बारे में, मऊ की मुकामी शाखा के मैनेजर से दरियाफ्त किये जाने पर, मैनेजर ने कहा कि जनवरी, 1976 से अब तक कि सिर्फ एक बुनकर को कर्ज दिया है। आप बता दीजिए कि एक तरफ हमारी स्कीम है और दूसरी तरफ ये बैंक मैनेजरों का हाल है। इस तरफ सरकार को बहुत मजबूती के साथ तवज्जह देनी चाहिए। आप देखें कि हमारी पालिसी का हाल क्या है यानि 80 हजार आबादी वाले कस्बे में जहां बुनकर अक्सरियत में है, एक बुनकर को जनवरी, 76 से लेकर अब तक कर्जा मिला और जैपुरिया को गवर्नमेंट ने अपनी गारंटी पर दो करोड़ रुपये बैंक से दिलाया। आप बता दीजिए चीनी मिलों को 70 करोड़ रुपये दिया गया। आज यह हैन्डलूम, पावरलूम तबाह हो रहा है। यह बैंकों के जरिये से, आर0 बी0 आई0 स्कीम के जरिये सरकार क्या दिलाने का बन्दोबस्त कर रही है श्रीमन्, एक मायूसी का शिकार बुनकर उद्योग है।

प्रान्त में इसलिए कि हमारे मोहतर्मा उद्योग मंत्री ने यूपिका का भी जिक्र किया है। ये लगातार जब से कायम रहा है, ये नौकरशाही के कब्जे में रहा। यह मांग बुनकर उठाते रहे कि इसमें पब्लिक का श्रीमन, रखा जाय। आज से 3 साल पहले हाथ में यह इरादा आया और आने के बाद इसमें इसला भी हुई और 3 सालों में बनाये कर्जे की अदायगी भी की। 3 साल में 7 लाख कर्जा जो था अदा किये। इसके पहले जो नौकरशाही के कब्जे में था वह तो सिर्फ टी0 ए0 डी0 ए0 के भत्ते के चक्कर में पड़ा रहा। आज यूपिका की बाड़ी में यूपिका की मैनेजिंग कमेटी को सुपरसीड कर दिया गया। उस पर इलजाम लगाया गया और मैं खाश तवज्जह इस पर दिलाना चाहता हूं मोहतरिमा उद्योग मंत्री का कि आप देखें कि रिपोर्ट, किस रिपोर्ट के मातहत उस पर इलजाम है। क्योंकि बोर्ड खत्म हो जाने के बावजूद एलेक्शनकराने में नाकामयाबी रही है और गलत तौर पर काम कर रहा है। इसलिए मैं ए0पी0 सिंह डायरेक्टर, हैन्डलूम, कोअपरेटिव सोसायटीज को खत्म करके बहैसियत ऐडमिनिस्ट्रेटर चार्ज सम्भाल रहे हैं यानि कितनी सितम गरीबी है कि इसी एक ऐडमिनिस्ट्रेटर ने इतना बड़ा चुनाव कराया था। जिला मजिस्ट्रेट को आर्डर देकर यूपिका के बोर्ड आफ डाइरेक्टर को आर्डर देकर चुनाव कराया था। लेकिन चुनाव में रिट पेटीशन कर दिया। चुनाव का नतीजा जाहिर नहीं हुआ, पेटी में अभी तक बंद है और इन्हीं हजरत ने चुनाव कराया और यह नौकरशाही का आलम है कि खुल्लमखुल्ला इस यूपिका को तबाह करना चाहते हैं, बरबाद करना चाहते हैं। आज हालत क्या है? जाहिर है कि इस्तिदारे ने अपने काम को बढ़ाया है। आज इस हैन्डलूम पावरलूम और 20 सूत्री कार्यक्रम में हैन्डलूम के बढ़ावा के लिए जाहिर है कि इस बाड़ी को भी सरकार को कर्ज देना पड़ेगा।

मेरी तो सीधी मांग है, जैसा कि आर0 बी0 आई0 ने भी सिफारिश की है यूपिका के लिए कि इसको 1 करोड़ रुपये की रकम दी जाय चलाने के लिये। बड़े-बड़े कारपोरेशन चलाये जाते हैं। बताइये, क्या वह बगैर किसी इमदाद के, बगैर कर्जे के चलाये जाते हैं? अगर ऐसी कोई जादू की छड़ी हो तो जाहिर है, हम यूपिका वालों से कहेंगे कि आप इस तरह की मांग न करें। मगर नहीं, जाहिर है बगैर पूंजी के नहीं चलेगा। आज मौजूदा दौर में उन्हें जरूरत है कि आप रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने जो सिफारिश की है उस पर अमल करें। मोहतरिम सदर, हमारे सूबे में इस उद्योग पर नौकरशाही पूरे तरीके से मुसल्लत है। एक जगह नहीं, आप देख रहे है पुरी बुनकर तहरीक की हालत, बैंक का हाल, यूपिका का हाल। अभी कुछ दिनों पहले सूत कताई मिल की हम बात कर रहे थे और यह बहुत तजी से चर्चा

थी, इसके पहले के उद्योग मंत्री इस्तफा हुसैन कई कई बार दिल्ली गये, वजह क्या थी ? एक सवाल था कि जो सूती कताई मिलें....

श्री अध्यक्ष---

अब आप खत्म करें। बहुत जोर से आप बोल रहे है, रक्त चाप में वह ठीक नहीं है।

श्री अब्दुल बाकी--

दो चार मिनट दें दें। मोहतरम, वजह यह थी कि ये दो सूती मिलें सोवियत रूस से मंगाई जाने वाली थी मशीनरी और सौदा तय हो चुका था, शर्त यह थी कि 10 साल के कर्ज पर सामान आयेगा और 3 फीसदी सिर्फ सूद देना पड़ेगा और कर्ज की अदायगी कैसे होगी ? मुझे जहां तक मालूम है, जो हैन्डलूम माल तैयार होगा मिल की अदायगी में इसका कर्जा अदा किया जायगा मगर आज क्या हुआ ? इस इमरजेन्सी के दौर में यह पूरी स्कीम पलट दी गई। इस पूरी स्कीम को तबाह या बरबाद कर दिया गया। वजह क्या है ? आज जब कि खुद मरकजी सरकार मशरिकी जरमनी से एक समझौता करने जा रही है, जो हमारी बोमार मिलें हैं जिनको हम अपने कब्जे में ले रहे हैं उनके पुर्जों को मगाने के लिये समझौता करने जा रही है मशरिकी जरमनी से और मथुरा की आयल रिफाइनरी और थर्मल पावर और दूसरे कारखाने सोशलिस्ट मुल्कों से मंगा रहे हैं और लगा रहे हैं, मगर उत्तर प्रदेश के अन्दर यह सुती कताई मिल जिस पर हजारेदार है बिरला, जयपुरिया की, कहीं इस मिल को लगाने से भान्ड़ा न फूटे, मुकाबला न हो इसलिये नौकर शाही को फेवर में लेकर इस पूरी स्कीम को तबाह व बरबाद कर दिया गया। मैं सरकार से चाहूंगा कि इस सिलसिले में कोई इनक्वायरी करें और इन सूती मिलों को, जैसा पहले तय हुआ था उसको अमल दरामद करने की कोशिश करें।

दोबारा मैं मोहतरिमा मंत्री से यह चाहूंगा कि सूत के दाम तय करें। मऊ में 15 दिन के अन्दर सूत महाजनों ने करोड़ों रुपये का मुनाफा कमाया सूत के दाम बढ़ाकर। आप क्या उनको पाबन्द करेंगे कि सूत के दाम जो उनके गोदामों में रखे हैं, जिस रेट से लिये हैं उसी पर मुनाफा लेकर बेंचें ? इस तरह का कदम सरकार को उठाना चाहिये। दूसरा यह है कि फौरी जिस तरह से पहले नुमाइशें लगाई जाती थीं, नुमाइशें लगाना शुरु कीजिये ताकि रुके हुये मालों की निकासी हो सके।

इन मोटी मोटी मांगों के साथ यह चाहूंगा कि जब आप मेरे सुझावों पर गहराई के साथ और मजबूती के साथ गौर करेंगी तभी जाकर के इतने बड़े प्रान्त में हैन्डलूम उद्योग कुछ भलाई पा सकेगा वरना बुनकर दिन ब दिन नर्वस होता चला जा रहा है। आखिर में मोहतरिम मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का इतना टाइम दिया।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी (जिला उन्नाव)--

माननीय अध्यक्ष जी, इसके पहले कि मैं इस उद्योग के बजट का समर्थन करूं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री श्रीमती इंन्दिरा गांधी को धन्यवाद देना चाहूंगा और साथ ही कन्द्रीय सरकार

[श्री सच्चिदानन्द बा पेयी]

को भी कि उन्होंने आपको स्मरण होगा कि मैंने एक सुझाव दिया था कि उद्योगों में मजदूरों की प्रबन्ध में साझेदारी की प्रथा लाग की जाय ·मजदूरों की साझेदारी को घोषणा की यद्यपि उसमें काफी मुश्किलें और दिक्कतें आयीं हैं। मजदूरों को वह लाभ जिसकी कल्पना थी वह नही मिल पा रहा है। लेकिन जब कभी कोई नयी योजना शुरु होती है तो कुछ न कुछ दिक्कतें आती हैं। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो मजदूरों की साझेदारी की प्रथा प्रारम्भ की की गई है उसमें जो मुश्किलें मजदूरों की हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी उनका निवारण करेंगे। माननीया लघु उद्योग मंत्री जी ने काफी नयी सहूलियतें दी हैं। रीजनल आफिसेज और जोनल आफिसेज जो खोले गये हैं और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज आफिसर जो अधिक अधिकार दिये हैं वह निश्चित रूप से उद्योगों को बढ़ावा देंगे। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि रेसिपांसिबिलिटी ओरिएंटेड सर्विसेज हों। जिम्मेंदारी फिक्स की जाय। जो अधिकारी अपनी जिम्मेंदारी का पालन न करें उनको कड़ी सजा दी जाय जिससे नये एन्ट्रेप्रेन्योर्स को मुश्किलें न पड़ें नये उद्योगों के खोलने में।

इस अवसर पर जो माननीय मंत्री जी ने निर्यात की चर्चा की जो कि उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट कारपोरेशन बना है उस संबंध में मैं अपने सुझाव देना कर्त्तव्य समझता हूं। यह कारपोरेशन जिस ढंग से काम कर रहा है मुझे प्रदेश के निर्यातक मिले हैं और उन्होंने बताया है कि वह जो सरकार की मंशा है उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा है। आवश्यकता है कि इस कारपोरेशन में इस ढंग से काम शुरु हो जिससे निर्यातक यह महसूस करे कि यह कारपोरेशन एक एजेन्ट के रूप में काम कर रहा है और जो जानकारी समय-समय पर विदेशों से अपेक्षित है उसको भी वह निर्यातकों को पहुचाता रहे। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको रा-मेंटीरियल की दिक्कत होती है। आवश्यकता इस बात की है कि जो भी चीजें इम्पोर्टेड मैंटीरियल से बनती हैं वह रा-मेंटीरियल इक्सपोर्ट कारपोरेशन अपने पास रखें और आवश्यकतानुसार उसको इन उद्योगों के माध्यम से दें।

इसके अतिरिक्त पिक अप में जो उद्योग लगाये गये हैं उनको इंट्रेस्ट फ्री लोन देने की सुविधा दी है। जो 72-73 के पहले के उद्योग लगे हैं और जो अपने पुराने उत्पादन के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं उनको भी इसी तरह की सुविधा मिले जिससे पुराने उद्योग भी उन्नति कर सकें। इसके अतिरिक्त जो इन्सेन्टिव्ज नये उद्योगों को दिये जा रहे हैं। वे सब पुराने उद्योगों को दिये जायं।

पिछले दो, तीन वर्षों में उद्योगों के सामने एक बड़ी मुश्किल आयी बिजली की ओर रिसेशन की। तो जो उनसे कर्जे की वसूली हो रही है उसमें कुछ ऐसी नीति बनायी जाय जिससे उन उद्योगों को कोई ज्यादा दिक्कत न पड़े। इसलिये ऋण वसूली में शासन द्वारा उदार नीति अपनाये जाने की आवश्यकता है। नये इन्टरप्रीन्योर के सामने कई समस्यायें आती हैं। जब आप जोनल और रीजनल आफिस खोलने की बातें करते हैं और नये अधिकारों को देने की भी बात करते हैं तो आप केन्द्रीय स्थान पर एक उद्योग भवन बनायें जिसमें बनाये उद्योग डायरेक्टोरेट हो तथा उद्योग के सभी बड़े-बड़े अधिकारी वहां बैठे ताकि लोगों को इधर-उधर भागना न पड़े और टी० ए० आदि में भी पैसा खर्च न हो। साथ ही जहां-जहां आप इन्डस्ट्रियल इस्टेट और इन्डिस्ट्रियल एरिया बना रहे हैं वहां आप मजदूरों के रहने के लिये क्वार्टर्स भी बनाये। जो नये नये इन्टरप्रीन्योर हैं वहां भी आवासीय स्थान बनाये जायें। उन्नाव में इण्डस्ट्रियल एरिया में, नये-नये इन्टरप्रीन्योरर्स के लिये एक फील्ड होस्टल हो। उसके बनाने की योजना भी गत वर्ष थी, मगर वह बनाया नहीं जा सका। वह शीघ्र बनवाया जाय।

आपने एक नयी योजना बनायी है मिनी पेपर मिल प्लान्ट की। इसकी दशा स्टील के मिनी प्लान्ट जैसी न हो, यह देख लिया जाय।

उन्नाव में एक कोल कार्बोनाइजेशन प्लान्ट लगाया जाय। कानपुर और लखनऊ जैसे महानगरों को वहां स पाइप लाइन बिछाई जाय ताकि कोयले से बनने वाली गैस वहां पहुंच सके। उसकी आजकल काफी जरूरत है।

उन्नाव के उद्योगों के सामने एक संकट आज कल टेलीफोन का है। कानपुर के उद्योगों को जो फोन की सुविधा प्राप्त है वैसी यहां भी प्राप्त होना चाहिये। सरकार ने शायद यह निणय दिया है कि पंच महानगरों में उद्योग नहीं लगेंगे। ऐसी हालत में उन्नाव की भौगोलिक स्थित ऐसी है कि वह फरीदाबाद की हैसियत रखता है। नबावगंज और बिछिया के बीच धान की फसल भी अच्छी होती है। धान की भूसी और पयाल से कोई उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता है।

जहां-जहां औद्योगीकरण हो रहा है वहां रेलवे स्टेशन तक सड़कों का बनाना बहुत जरूरी है। इस ओर विशेष ध्यान दिया जाय।

ग्रामोद्योग बोर्ड के बारे में मुझे सूचना मिली है कि प्रशासन के गलत व्यवहार के कारण दो कर्मचारियों ने आत्म हत्या कर ली। उनकी लिखी हुई कई चिट्ठी भी मिली जिसमें भ्रष्टाचार का उल्लेख था। कोई अधिकारी मिस्टर सिंघल है जिनके यहां सी0 बी0 आई0 को जांच के समय कई तरह के लटर पैड्स भी मिले। माननीया मंत्रीजी इस बोर्ड को इस तरह से गठित करें और इसके भ्रष्टाचार को दूर करें ताकि जो इसका उद्देश्य है वह निश्चित रूप से पूरा हो सके और यह बोर्ड अपने कार्यों में सफल हों।

इसके अन्त में मैं गवर्नमेंट प्रेस का जिक्र कुछ कर देना चाहता हूं। वहां लाखों रुपये का घपला है। माननीय मुख्य मंत्री जी की जानकारी में शायद वह बात आयी है। उसे भी देखना जरूरी है। इन शब्दों के साथ मैं इस उद्योग के बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

माननीय, मैं अनुदान संख्या 42 पर बोलना चाहता हूं। अनुदान संख्या 42--विशेष एवं पिछड़ हुए क्षेत्र के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के सम्बन्ध में है। मान्यवर, हम पहाड़ वालों की यह बदकिस्मती है कि श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा मुख्य मंत्री बने और अब चूंकि श्री नारायण दत्त तिवारी मुख्य मंत्री बन गये हैं तो इस तरह का प्रचार चारों तरफ किया जा रहा है कि सारे उत्तर प्रदेश का खजाना पहाड़ों पर ही खर्च होने जा रहा है। चौधरी चरण सिंह ने तो यहां तक कह दिया था कि नैनीताल और मसूरी के इंटरटेनमेंट टैक्स को उठा कर देख लें--कौन कहता है कि पहाड़ में गरीबी है। पहाड़ तो हमार लिय बोझ हैं।

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

मान्यवर, मैं आपको बताऊं कि 74-75 में पर्वतीय क्षेत्र के लिये 21 करोड़ 1 हजार रुपये का परिव्यय था। इसी तरीके से 75-76 में 23 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया था और इन दोनों वर्षों में केन्द्र से 12 12 करोड़ रुपये मिले। आपके इस उत्तर प्रदेश के खजाने से 74 75 में हमको 9 करोड़ रुपया मिला और 75 76 में केवल 11 करोड़ रुपया मिला और अब तक 37 करोड़ 75 लाख रुपया दिया गया है जिनमें से 22 करोड़ रुपया हमें केन्द्र से मिला है और आपके खजाने से केवल 15 करोड़ रुपये मिला है। जब कि मुतवातिर इस तरह का प्रचार किया जाता रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार पहाड़ों पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रही है। पहाड़ तो उत्तर प्रदेश के खजाने को दे रहा है। बन मंत्री जी अभी बैठे हुए थे, 38 करोड़ रुपये की आय केवल जंगलात से उत्तर प्रदेश को हुई है जिसमें से कम से कम 25 करोड़ रुपये की आय पर्वतीय क्षेत्रों से ही हुई है। राजस्व की बात मैं नहीं करता, सेल्स टैक्स की बात नहीं करता, तमाम और चीजों से जो वसूली हुई है उसकी बात नहीं करता, अकेले पहाड़ के जंगलों से जो आमदनी होती है उस आमदनी का आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश सरकार पहाड़ों पर नहीं खर्च करती है। और प्रचार किया जाता है कि मुख्य मंत्री, श्री नारायण दत्त तिवारी ने उत्तर प्रदेश के खजाने को लुटवा दिया, माननीय हेमवती नन्दन बहुगणा ने उत्तर प्रदेश के खजाने को लटवा दिया, लेकिन जो तथ्य है उनको मैंने आपके सामने रखा।

(इस समय 1 बजकर 59 मिनट पर उपाध्यक्ष, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुये।)

मान्यवर, कुछ विशेष बातों की तरफ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हू। पहाड़ों की अपनी कुछ विशेष परिस्थितियां हैं। पहाड़ के साथ लगातार भेदभाव बरता गया है बावजूद इसके कि पहाड़ों से उत्तर प्रदेश को आमदनी हो रही है, इस से पहाड़ों के अन्दर भयंकर असन्तोष व्याप्त हो गया है। पहाड़ों की कुछ विशेष परिस्थिति होने से वहां नियोजन की भी कोई विशेष सम्भावना नहीं है। जब वह हिमांचल की तरफ देखता है जिसकी जनसंख्या उतनी ही है जितनी कि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र की है, तो उसकी आंखें खुल जाती हैं कि किस तरह से वहां प्रगति हो रही है। उस तरह की प्रगति उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं हो पा रही है लिहाजा पहाड़ी क्षेत्रों की जनता के अन्दर यह भावना पैदा हो गयी है कि संभव है यदि हम अपना अलग राज्य बना सकते, स्वयं अपना नियोजन कर सकते तो हम शायद हिमांचल प्रदेश की तरह प्रगति की दौड़ में दौड़ सकते थे लेकिन आज बहुत से लोग जो कि शासन के अन्दर हैं, इन लोगों ने इस मांग को किया था और तभी मान्यवर, गुप्ता जी के जमाने में पर्वतीय विकास परिषद् का गठन हुआ था। ताकि पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष परिस्थितियों को देखते हुये नियोजन का काम किया जा सके। पहले यह होता था कि जो वार्षिक योजनायें बनती थीं उसमें पर्वतीय विकास परिषद् से कुछ प्रस्ताव मांगे जाते थे। पर्वतीय विकास परिषद् के अधिकारियों की ओर से प्रस्ताव जाते थे कि इस क्षेत्र में कम खर्च किया जाय और इसमें ज्यादा। उसकी मीटिंग्स भी होती थीं। और लोग बैठकर चर्चा करते थे। लेकिन बदकिस्मती से पर्वतीय विकास परिषद् अब केवल नाम के लिये है। पिछले 2 सालों से बाकायदा मीटिंग्स भी नहीं होती है। बजट के प्रस्ताव भी नहीं आते हैं। आपने एक हिल डेवलपमेंट डिपार्टमेन्ट भी बनाया। इस डिपार्टमेन्ट का काम केवल रुपया सैंक्शन कराना है।

उत्तर प्रदेश के जो सचिव लोग हैं विभिन्न विभागों के, उनको बड़ा मोह पर्वतों की तरफ हो गया है। कोई अधिकारी अपने अधिकार छोड़ने के लिये तैयार नहीं हैं। अगर तमाम सचिव लोगों को पहाड़ की बात याद आती है। नैनीताल, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री की सर क समय आती है। पर्वत की याद उनको जून के महीने में आती है जब सैर सपाटे क लिये

जाना पड़ता है, तब तमाम लोगों को बात याद आती है। तो जो मुख्य मकसद है हिल डेवलपमेंट डिपार्टमेन्ट का वह पूरा नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ अब हिल डेवलपमेंट कारपोरेशन बनाया गया है, उसने कुछ काम किया। अब चूंकि हर डिवीजन में अलग अलग कारपोरेशन बन रहे हैं तो इसके भी दो भाग हो गये। एक गढ़वाल कारपोरेशन और दूसरा कुमायूं कारपोरेशन। इनके अलग-अलग हेड्स होंगे। मैनेजिंग डाइरेक्टर होंगे इसके, डेवलपमेंट कमिश्नर। मैं पूछना चाहता हूं कि चेयरमैन और मैनेजिंग डाइरेक्टर को फुल टाइम का बनाया होता तो ठीक होता लेकिन आप आयुक्तों को चेयरमैन बना रहे हैं। डिवीजनल कमिश्नर खुद ही बिजी अधिकारी हैं। उसके पास अधिक प्रशासनिक काम होता है। तो पार्ट टाइम बनाया है इसलिये वहां का काम ठीक से वह नहीं देख सकते हैं। मेरा निवेदन है कि जो आप कारपोरेशन बना रहे हैं, विशेष रूप से पहाड़ों के अन्दर, तो उनके चेयरमैन या मैनेजिंग डाइरेक्टर होल टाइम का बनायें। आप चाहे किसी अधिकारी को रखें लेकिन होल टाइम का बनायें। जिससे वह वहां के कार्यों को ठीक से इक्जीक्यूट करें। विकास के कार्यों को, स्कीमों को वह अच्छी तरह देख सकें।

मान्यवर, मंत्री जी ने अपनी पुस्तिका में स्वीकार किया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में 40 प्रतिशत गांवों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। पर्वतीय क्षेत्र, जहां से गंगा, यमुना, जैसी नदियां आती हैं और पूरे देश को हरा भरा करती हैं, जिस गंगा और यमुना के जल के लिये लोग दूर-दूर से आते हैं, उसी गंगा, जमुना की उद्गम स्थलों के लोग प्यासे हैं। प्यास से तड़प रहे हैं। जब से आपने जल निगम बनाया और जल संस्थान बनाया है, मैं समझता हूं कि तब से पर्वतीय क्षेत्र के लिये एक भी पेयजल योजना नहीं बनी। पानी के ऊपर आपने टैक्स इतना ज्यादा लगा दिया जिसको पहाड़ के लोग शायद बरदास्त कर सकें। मेरा निवेदन है कि पानी पहुंचाना केवल कामर्शियल हिसाब पर नहीं रखना चाहिये बल्कि पानी पहुंचाना तो एक सोशल सर्विस है जिसके लिये सरकार को खर्च करना चाहिये। आज जल निगम तमाम तखमीना लगाते हैं कि कितना खर्च होगा और वह कैसे मिल सकेगा। मान्यवर, पहाड़ों में 7–8 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है और वह भी चढ़ाई होती है तथा नलों को दबाना आवश्यक होता है जिसमें एक छोटी योजना के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है। इसलिये यदि व्यवसायिक ढंग से लेंगे कि इतना खर्च हो गया और इतना टैक्स लगाना चाहिये तो एक भी योजना वहां कार्यान्वित नहीं हो सकती है। इसलिये छोटी-छोटी योजनायें जिस प्रकार पहले कारपोरेशन से बनवाते थे, वह उन्हीं को दे दें।

मान्यवर, दूसरी तरफ एक बात और कहना चाहता हूं कि पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था विभिन्न क्षेत्रों के अन्दर जो विकास में असंतुलन है वह दूर किया जाय। केन्द्र की ओर से जो विकास में बजट दिया गया है उसके लिये मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं। पहली बार केन्द्र ने माना है कि पहाड़ के विकास के लिये जो अनुदान देते हैं वह जन संख्या के आधार पर इस साल दिया जाय। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना सरकार का मुख्य कर्तव्य है। जो समाजवाद की विचार धारा मानने वाले लोग हैं उनके लिये परम आवश्यक है कि क्षेत्रीय असंतुलन दूर होना चाहिये। चाहे बुन्देलखंड हो, चाहे पूर्वी उत्तर

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

प्रदेश हो या पर्वतीय अंचल का मामला हो जब तक असंतुलन दूर नहीं करेंगे तब तक असंतोष व्याप्त रहेगा। इसलिये पर्वतीय क्षेत्र में जो असंतुलन है वह दूर होना चाहिये। और विभिन्न जिलों क अन्दर जो असंतुलन है उसको भी दूर करना चाहिय। जब बजट बनता है तभी टेहरी-उत्तरकाशी 13 साल तक राजा के गुलाम रहे और दूसरे अंग्रेजों के भी गुलाम रहे इस लिये वहां की जनता का शोषण होता रहा। हिन्दस्तान के अन्दर टेहरी, उत्तरकाशी सबसे पिछड़ा जिला है। इसकी एक में मिसाल देना चाहता हूं कि हमारे जिले और उत्तरकाशी जिले के साथ कितना अन्याय पर्वतीय विकास विभाग कर रहा है। मान्यवर, सड़कों के मामले में जिला चमोली 200 किलोमीटर, अल्मोड़ा 352 किलोमीटर, नैनीताल मिलाकर अन्तर्राज्यीय 151 किलोमीटर है। गढ़वाल-चमोली 150 किलोमीटर वहीं हैं, नैनीताल 137 मिलोमीटर और जिला टेहरी गढ़वाल 140 किलोमीटर है। यह असंतुलन दूर हो रहा है। दूसरी मिसाल शिक्षा की है। नैनीताल में 31 प्रतिशत शिक्षितों की संख्या है। वहां पिछले साल हाई स्कूल खुल हैं 10। चमोली में 28 फीसदी शिक्षितों की संख्या है वहां 8 हाई स्कूल खुले हैं। अल्मोड़ा में 28 फीसदी शिक्षितों की संख्या है, वहां भी पांच छः खुले हैं। टिहरी गढ़वाल में 19 फीसदी शिक्षितों की संख्या है, वहां केवल खोले हैं 7। जिन स्कूलों का प्रान्तीयकरण किया है अल्मोड़ा में 5 इंटर कालेज, एक हाई स्कूल, नैनीताल में एक इन्टर कालेज और 3 हाई स्कल, चमोंली म एक इंटर कालेज, पौढ़ी गढ़वाल में 8 इंटर कालेज और 4 हाई स्कूल और टेहरी गढ़वाल में जीरों और उसके आगे लिख दिया रघनाथ इन्टर कालेज। क्या आधार आप रखत ह? जो कमजोर क्षेत्र हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिये। जो आगे बढ़े हुए हैं उनको थोड़ा सा रोक दीजिये ताकि हम भी उनके साथ पहुंच सकें और फिर हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ें। अगर आप असंतुलन को दूर नहीं कर सकगे तो यह लाजिम है कि वह अन्तर हमेशा बढ़ता जायगा।

श्री ऊदल---

यह पहाड़ में सारा लिये जा रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

हम नहीं लिये जा रहे हैं, आप ही हमें खा रहे हैं। अगर आप हमसे पिंड छुड़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी तैयार हैं। अब 76--77 के बजट को देखें। नैनीताल 7 करोड़ 23 लाख, अलमोड़ा 4 करोड़ 31 लाख, पिथौरागढ़ 3 करोड़ 37 लाख, टिहरी गढ़वाल 4 करोड़ 53 लाख, चमोली 3 करोड़ 90 लाख और टिहरी गढ़वाल 3 करोड़ 42 लाख। कम से कम जो सबसे पिछड़ा हुआ और सब मानते है कि पिछड़ा है और जिसका लगातार न केवल अंगरेजों ने बल्कि राजा रजवाड़ों ने भी शोषण किया है उसका विशेष ध्यान रखें। आपको ताज्जुब होगा, उत्तर प्रदेश के 55 जिले हो गये और इनमें एकमात्र जिला टिहरी गढ़वाल ऐसा है जहां लड़कियों का एक भी इंटर कालेज नहीं है। मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे। आर्य जी भी बैठे हैं, वह तो हमारे प्रतिनिधि भी हैं, माननीय भंडारी जी भी बैठे हैं। आप आगे जब स्कीम बनावें तो मेहरबानी करके यह देख लें कि कौन पिछड़ा हुआ है। सड़कों के बारे में आर्य जी ने ठीक कर दिया। अब स्कूल और अस्पतालों का मामला है। मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि वह इसमें स्वयं दिलचस्पी लें और पिछले दो साल का खाता देख लें कि किन-किन जिलों में कितना हो चुका है।

*श्री निसार अहमद अंसारी (जिला फैजाबाद)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बजट माननीय लघु उद्योग मंत्री जी ने पेश किया है उसका समर्थन करने के लिय मैं खड़ा हुआ हूं। छोटी सनतों के सिलसिले में खासतौर से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैन्डलूम बोर्ड और पावर लूम बोर्ड के मुतालिक बुनकरों के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। अभी हमारे माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव पेश किया और उन्होंने विस्तार के साथ हर एक चीज पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह कहा कि बुनकरों के सामने बहुत बड़ी समस्यायें हैं और उनका तैयार शुदा माल के बिकने में परेशानियां हैं। मैं समझता हूं कि हमारे हैन्डलूम से ऐसा कपड़ा बहुत कम तैयार किया जा रहा है जिसकी विदेशी बाजारों में खपत बढ़ सके। बहुत कम कपड़ा विदेशों में एक्सपोर्ट करने के काम में आ पाता है। हमारे बुनकरों के हाथ में बहुत बड़ा फन है और उनको किसी तालीम या ट्रेनिंग की ऐसी जरूरत नहीं है। बिना इसके ही वे बहुत उम्दा माल तैयार कर सकते हैं। उनकी उंगलियों में फन है। हमारे इन्डीविजुअल बुनकर भी ऐसा माल तैयार करते हैं जो एक्सपोर्ट किया जा सकता है। ऐसे जो इन्सटीट्यूशन्स एक्सपोर्ट का काम करते हैं वे डिजाइनों को इन सेन्टर्स पर लें आयें और बुनकरों को उसको इन्ट्रोड्यूस करवायें। अगर ऐसा होता है तो कोई वजह नहीं है कि हम एक्सपोर्ट के लायक ज्यादा माल तैयार करने लगेंगे। इससे हमको अधिक विदेशी मुद्रा भी मिलेगी और बुनकरों को प्रोत्साहन भी। इससे माल की निकासी का भी बड़ा मसला हल हो जायगा।

मंत्री जी ने कहा कि बस्ती और गोरखपुर को मिलाकर एक्सपोर्ट इन्टेन्सिव सेन्टर्स करेंगी। रा-मैटीरियल और रंग के मसले को भी वे हल करने जा रहे हैं, यह ठीक है लेकिन ऐसे सेन्टर्स को अभी काफी समय लग जायगा। मैं सुझाव दूंगा कि जितनी भी मंडियों के सेन्टर्स हैं वह चाहे मऊनाथ भंजन हो, फैजाबाद, टांडा का सेंटर हो, पश्चिम में भी ऐसी मंडिया हैं इनके सेन्टर्स पर एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड गुड्स तैयार करने का बढ़ावा दें इससे देश को विदेशी मुद्रा का भी लाभ होगा और बुनकरों का भी फायदा होगा। यह ठीक है कि विदेशी मुल्कों में हमारे यहां के छपाई कपड़े की मांग बढ़ी है लेकिन अभी तक यह छपाई का कपड़ा मिलों में ही छापा जाता रहा है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह केन्द्रीय सरकार को लिखें कि मिलों पर इस बात के लिये पूरी पाबन्दी लगाई जाय कि प्रिंटिंग का कपड़ा मिलों द्वारा बिलकुल तैयार नहीं होगा और सारी प्रिंटिंग हैन्डलूम कपड़े पर ही होगी। विदेशों में हैन्डलूम के प्रिन्टस की बहुत मांग है और जब हैन्डलूम के प्रिन्टस विदेशों ने ज्यादा जायंगे तो बुनकरों को ज्यादा रोजगार मिलेगा।

देश और प्रदेश का हैन्डलूम बुनकर सबसे कमजोर वर्ग है और उसकी बैकवर्डनेस को समझ कर ही प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी ने अपने 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में इसको 9 वां स्थान दिया है। जब इस उद्योग की इतनी अहमियत दी गयी है तो मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि हमारा प्रदेश जितनी तेजी से इस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेगा उतना ही वह मुबारकबाद के काबिल होगा। मंत्री महोदय ने यह भी बतलाया कि रा-मैटीरियल की जो परेशानी बुनकरों को है वह दूर हुई है। लेकिन एसी बात है नहीं। इन मानों में रा-मेटीरियल की परशानी दूर हुई है कि आपात कालीन स्थिति के कारण स्ट्राइक्स नहीं हो रही हैं, इससे कारखानों में पैदावार में बढ़ोत्तरी अवश्य हुई है लेकिन मिलमालिक इस घात में लगा रहता है कि जहां मौका पाय वह दाम में तेजी से वृद्धि कर दे इस तरह से वह बुनकरों का खून चूसता रहता है, उनकी रोजी रोटी पर भरपूर लात मारता है। बाकी साहब न अभी

[श्री निसार अहमद अन्सारी]

बताया कि 135 रुपये का सूत का बंडल 175 रुपये का होगया और 97 रुपये का बंडल 135 रुपये का हो गया। 18 अक्तूबर, 75 तक स्टिपल यार्न का रेट 60-62 रुपये प्रति बंडल प्रति 5 किलोग्राम था। जब तक मिल मालिकों को यह उम्मीद थी कि सरकार द्वारा जो मिल अकबरपुर, फैजाबाद में लगाई जा रही है जिसका शिलयान्यास श्रीमती इन्द्रा गांधी ने किया था उस समय तक स्टिपल यार्न की कीमत मिल मालिकों ने 60-62 रुपये बंडल रखी। लेकिन मिल मालिकों की पूरी लाबी ने यू0 पी0 स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन, कानपुर पर यह असर डाला कि वह यह रिपोर्ट दे कि भविष्य स्टिपल का बहुत डार्क है, खपत कम हो जायगी और फैक्टरी लास में जायगी इसलिये इस मिल को धागे में परिवर्तित कर दिया जाय और जब वह रिपोर्ट कारपोरेशन के जरिये चली गयी तो आपाताकालीन स्थिति के बावजूद मिलों ने दाम बढ़ा दिये और वह बढ़ कर 87, 88 रुपये हो गये और भारत सरकार के बड़े प्रेशर डालने पर 75 या 76 रुपये बड़ी मुश्किल से किये गये लेकिन इससे बुनकरों को कोई फायदा नहीं हुआ और मिल मालिक हमेशा उनका शोषण करने तथा उनके पेट पर लात मारने के लिये तैयार रहता है।

सरकार से मेरी अपील है कि वह केन्द्रीय सरकार को सुझाव दे कि इन चीजों के दाम मुकर्रर किये जायं जो बुनकरों से सम्बन्धित रा-मैटीरियल है, ऐसा करने पर ही बुनकरों को राहत मिल सकती है। सबसे बड़ी चीज यह है कि बुनकरों का जो तबका है वह बड़ा कमजोर तबका है। अपने बाल-बच्चों को रोजी देने के साथ-साथ उसके मुतल्लिक बहुत से लोग इससे रोजी पा जाते हैं। इस अहमियत के पेशेनजर उसके पास पूंजी बहुत कम है। वह महाजनों के चंगुल में फंसा रहता है। सरकार ने भी बैंकों के द्वारा ऋण लेने की योजना इनके लिये बनाई है ताकि उनको इस उद्योग को बढ़ाने के लिये मदद मिले। मैं अदब के साथ यह कहना चाहता हूं कि इस पर अमल नहीं हो रहा है। ये बैंक बड़े-बड़े लोगों को कर्ज देने के लिये तो जरूर पहल करते हैं लेकिन बुनकरों को पैसा देने में उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाते जितनी होनी चाहिये। उनके साथ इन बैंकों का बिल्कुल सौतेलापन है। इसलिये हमारे देश की लीडरशिप को चाहिये कि वह दबे हुए, पिछड़े हुये जो लोग हैं उनको किन वजूहात से कर्जा नहीं मिल पाता है। उनको ऋण मुहैया करे। ग्रामीण क्षेत्रों को इन बैंकों ने छुआ तक नहीं है। एक भी मिशाल नहीं है जहां ग्रामीण क्षेत्र में किसी को कर्जा मिला हो। इसलिये मैं पुरजोर शब्दों मे अर्ज करूंगा कि केंद्रीय सरकार की जो स्कीम है और उसकी जो खासियत है उनको अमलीजामा पहनाने के लिये पूरी कोशिश की जाय और 20 प्वाइंट प्रोग्राम के मातहत कड़ी से कड़ी कार्यवाही ऐसे लोगों के ऊपर की जाय।

सन् 72 में बुनकरों की तरफ से एक बहुत बड़ा एजीटेशन हुआ था। उस वक्त मुख्य मंत्री जी ने बुनकरों की पूरी मांगें देखी थी और बहुत सी चीजों को उसमें तस्लीम भी किया था। उसके साथ ही साथ एक राम सहाय कमीशन भी मुकर्रर किया गया था। उसने अपनी रिपोर्ट भी तैयार करके शासन को भेज दी। उसमें सरकार का हजारों रुपया खर्च भी हुआ लेकिन अभीतक उत्तर प्रदेश के बुनकर यह नहीं समझ पायें कि जो राम सहाय कमीशन की रिकमन्डेशन थीं उनके कौन से हिस्से को सरकार ने मान लिया है और किसको नहीं माना है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पुरजोर अनुरोध करूंगा कि उस रिपोर्ट को हाउस में रखा जाय और उस पर बहस की जाय। साथ ही जिन सिफारिशों को, जिन आइटम्स को सरकार उचित समझे उनको तस्लीम किया जाय और उसके अनुसार काम किया जाय।

एक अर्ज मुझे यह करनी है कि उत्तर प्रदेश में एक अर्से से एक हैंडलूम पावरलूम बोर्ड कायम था। उसमें आफीशियल मेम्बर्स के साथ-साथ कुछ नान-आफीशियल मम्बर्स भी जिलों से लिये जाते थे। उनकी बैठकें होती थीं और अपनी-अपनी समस्याओं के बारे में

वे लोग विचार करते थे । उसमें कुछ सुझाव भी आते थे । लेकिन वह बोर्ड तोड़ दिया गया है । काफी अर्से से उसका गठन नहीं हुआ है । मैं मंत्री महोदया से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इस बोर्ड का गठन जल्द से जल्द करें । इस संबंध में एक सुझाव देना चाहूंगा कि जब वे इस बोर्ड का गठन करें तो उसमें पावर लूम को अलग करें और हैंडलूम को अलग करें । दोनों की अलग-अलग समस्याएं हैं, अलग-अलग मसले हैं । अगर पावर लूम को नुकसान पहुंचता है तो उसे सरकार को देखना होगा । पावर लूम को मिलों से भी बचाना होगा । मिलों के एक्सप्लोयटेशन से पावर लूम वालों को बचाने के लिए आपको उनके लिये कपड़ा रिजर्व कर देना चाहिये । जो मिलें इसका उल्लंघन करें, उस पर पिनाल्टी लगाई जानी चाहिये ।

मैं सुझाव देना चाहता हूं कि हमारी सरकार केंद्र सरकार को सुझाव दे कि वह मोटे कपड़े जो ग्रे कलर के हैं उनको बनाने के लिए मिलों पर पाबन्दी लगा दी जाय और वह काम पावरलूम को दिया जाय । इस काम में काफी बुनकर लगे हुए हैं उनको भी रोजी रोटी का सवाल है जिनको नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है । तो मिलों द्वारा इनका शोषण रोकने का एक यही उपाय हो सकता है कि उनके लिये भी कुछ आईटम्स रिजर्व किये जायं । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री वीर सिंह सेंगर (जिला जालौन) --

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । हमारे प्रदेश में जो लघु उद्योगों का विकास का काम चल रहा है उसमें उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है । इसकी तस्वीर यह है कि यह प्रदेश में कारीगरों को प्रोत्साहन देने में पर्याप्त कार्य करता है और गरीबी को दूर करने में इसका बड़ा योगदान है ।

अभी हमारी माननीया मंत्री जी ने इसकी प्रशंसा की और प्रदेश में लघु उद्योगों के विकास के लिए इसके योगदान की बात बताई । मैं माननीया मंत्री जी का और सदन का ध्यान इस खादी बोर्ड में फैले हुए भ्रष्टाचार की ओर दिलाना चाहता हूं । मान्यवर, पहले इसका संचालन एक बोर्ड के द्वारा होता था लेकिन जब उसमें बहुत सी अनियमिततायें पाई गई और बहुत सी शिकायतें आई तो उसको दूर करने के लिए बोर्ड को भंग कर दिया गया और उसके स्थान पर एक प्रशासक नियुक्त कर दिया गया और जो यहां के डाइरेक्टर, इंडस्ट्रीज थे उनको इसका प्रशासक नियुक्त किया गया । उनके पास चूंकि दोहरा काम था लिहाजा उन्होंने एक उप-प्रशासक नियुक्त करने की अनुमति सरकार से ले ली और उसके बाद भी बोर्ड की हालत दिनों दिन खराब होती गई और जो यह उप-प्रशासक थे यह उद्योग निदेशालय में बदनाम थे जिनका नाम श्री बी० के० सिंगल है जिनक खिलाफ आरोपों की जांच चल रही है । तो ऐसे व्यक्ति को उप-प्रशासक नियुक्त कर दिया गया तो कैसे उम्मीद की जा सकती है कि उसका काम सही तरह से चलगा । श्री सिंघल के विरुद्ध उद्योग निदेशालय में इम्पोर्टलाईसेंज आगरा तथा यू०पी०एस०आई० सी० की जी०पी० सीट/बी०पी० सीट के गलत ढंग से स्वीकृत कराकर ब्लैक में बेंचने के आरोप की जांच चल रही है

[श्री वीर सिंह सेंगर]

तथा श्री ए0के0 शर्मा, भूतपूर्व आयुक्त एवं उद्योग निदेशक के यहां जब सी0बी0 आई0 ने छापा मारा तो श्री शर्मा ने अपनी सफाई में लगभग पचपन पृष्ठ की रिपोर्ट शासन को देते हुए यह आरोप लगाया कि कच्चा माल की पूर्ति की अनियमितताओं का पूर्ण उत्तरदायित्व श्री सिंघल पर है तथा श्री सिंघल की मेज की तलाशी लेने पर कई फर्मों के लेटर हेड बरामद हुये थे ।

जब बोर्ड में ऐसे आदमियों को नियुक्त किया जायेगा तो कैसे बोर्ड ठीक तरह से चल सकता है । शासन ने जो अरविन्द वर्मा कमेटी जांच के लिए नियुक्त की थी उसकी रिपोर्ट आ गई है, लेकिन अभी तक उसे लागू नहीं किया गया है । इस संबंध में हमारी माननीया मंत्री ने बयान दिया जिसका जिक्र 8 अप्रैल के जागरण में छपा है, उसमें लिखा है कि उद्योग मंत्री, श्रीमती मोहसिना किदवाई ने आज विधान परिषद में प्रश्नोत्तर काल में बताया कि जून, 1974 में महालेखाकार ने उत्तर प्रदेश खादी-ग्रामोद्योग बोर्ड, कानपुर के लेखा परीक्षण में साठ लाख रुपयों के गबन और अनियमित व्यय का उल्लेख किया था ।

लघु उद्योग मंत्री, सर्वश्री रमेश चन्द्र शर्मा विकट और ध्रुव नारायण सिंह द्वारा संयुक्त रूप से पूछे गये प्रश्न का उत्तर दे रही थीं । उन्होंने सूचित किया कि समूचे मामले की जांच के लिये कोई उच्चस्तरीय समिति गठित की गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर, 75 में ही शासन को सुपुर्द कर दी है, जांच रिपोर्ट शासन के विचाराधीन है । मैं चाहूंगा कि उसके संबंध में संस्तुतियों को बहुत दिनों तक बर्फ में दबाये न रखें । उनको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए और यदि जल्दी लागू नहीं किया जाता है, तो कमेटियां कायम करने का और जांच कराने का कोई मतलब नहीं रह जाता है और उनमें होने वाला लाभ जनता को नहीं मिल पाता है । पहले चूंकि प्रशासन को दो जगहों का काम देखना होता था, उप-प्रशासक की आवश्यकता थी, लेकिन अब जबकि पूर्णकालिक उप-प्रशासक है, तो उप-प्रशासक की कोई आवश्यकता नहीं है । मान्यवर, इस बोर्ड के संबंध में, जो इस समय चल रहा है, कहना चाहता हूं कि जिन लोगोंने एवं कर्मचारियों ने सिंघल साहब का साथ नहीं दिया, उनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया तमाम लोगों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया गया । 13 व्यक्तियों की सेवायें समाप्त कर दी गई और 11 का निलम्बन कर दिया गया, जिसमें दो यूनियन के कर्मचारी थे । इस प्रताड़ना से परेशान होकर दो ने आत्म-हत्या तक कर ली, जिनको अखबारों ने समय-समय पर छापा है । यहां के 'नवजीवन' अखबार ने अपन 12-4-76 के अंक में छापा है खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, कानपुर के एक निलम्बित एकाउन्ट्स इंस्पेक्टर, आदित्य प्रकाश पांडेय ने यहां एक चलती हुई ट्रेन के आग कूदकर आत्म-हत्या कर ली ।

पता चला है कि उक्त कर्मचारी को पिछले साल अगस्त के महीने में किसी छोटे-मोटे कारण से ही खादी बोर्ड से निलम्बित कर दिया गया था, तबसे उसका वेतन मिलना बन्द था, जिसके कारण वह जीवन से निराश हो गया था, फलस्वरूप उसने आत्म-हत्या कर ली । आत्म-हत्या के कुछ दिन पूर्व उसने अपनी पत्नी को कानपुर से लिख दिया था कि वह जीवन से निराश होकर आत्म-हत्या करने जा रहा है । किन्तु जब तक पत्नी दौड़कर बांदा पहुंची तब तक वह व्यक्ति आत्म-हत्या कर चुका था । इस प्रकार की गड़बड़ियां प्रशासक महोदय अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ कर रहे थे, जिसकी खबरें बराबर अखबारों में आती रहीं । ऐसी ही एक खबर जागरण, ने 12-4-76 को निकाली ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं देख रहा हूं कि आप पत्र पढ़ रहे हैं, समाचार पत्रों से पढ़ रहे हैं ।

श्री वीर सिंह सेंगर---

नहीं मैं जिस्ट दे रहा हूं, आपने दो मिनट दिया है, आप चिन्ता न करें ।

श्री उपाध्यक्ष--

चिन्ता तो मुझे करनी पड़ेगी । जब आप अनियमित ढंग से रखेंगे तो हमें चिन्ता करनी ही पड़ेगी ।

श्री वीर सिंह सेंगर--

मान्यवर, इस संबंध में यूनियन ने मांग किया इन दो आत्म-हत्याओं की जांच करने और दोषी अधिकारियों को दोष सिद्ध करके दंड देने के लिए । यह सही तरीके से नहीं की जाती है तो बोर्ड का काम ठीक तरह से चल नहीं सकता है और बोर्ड का गोलमाल रोका नहीं जा सकता है । वहां पर गबन संबंधी अनियमिततायें आज भी विद्यमान हैं । बोर्ड की सांठ-गांठ के कारण कोई कार्यवाही उसमें हो नहीं पाती है । मैं इसके कुछ उदाहरण दे देना चाहूंगा । 3 लाख 23 हजार के ऐसे केसेज हैं, जिस पर वहां के प्रशासक और अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं और उचित कार्यवाही करके सूचित न किये जाने से लोग मिल-जुल कर अपनी फाइलें दबा रहे हैं । इनके गबन के कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं, जिनसे संबंधित यह धन है हाथ कागज उत्पादन केंद्र, कालपी, रिवर व्यु फैक्टरी, अल्मोड़ा, कम्बल कारखाना नजीबाबाद, कम्बल कारखाना, मुजफ्फरनगर, कम्बल कारखाना गोपीगंज, वाराणसी, खादी उत्पादन केंद्र मधुवन, खादी उत्पादन केंद्र नौबस्ता, कुटरी दियासलाई डिपो, कानपुर । तो मान्यवर, यह 3 लाख 23 हजार रुपया खादी बोर्ड का घपले में पड़ा हुआ है । वसूली की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है । फाइलें दबायी जा रही हैं । लगभग 60 लाख 77 हजार 3 सौ 65 रुपये की योजनायें घाटे पर चल रही हैं । फाइलें देख कर मांग सकते हैं । हाथ कागज योजना, पर्वतीय ऊन योजना, कम्बल योजना, अम्बर उत्पादन योजना, अनाज दाल प्रशोधन, कागज बिक्री संस्थान, गुड़ योजना, ताड़ गुड़ योजना, स्वतः रोजगार योजना । ये योजनायें घाटे पर चल रही हैं । अब तक प्रशासक और उप-प्रशासक ने घाटे का उद्धार करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की । जन धन की बड़े पैमाने पर हानि हो ही रही है । अगर इस प्रकार गड़बड़ी होती रहेगी तो शासन का पैसा बरबाद होता रहेगा। 532 फर्जी यूनिट चल रही हैं । उनको 47 लाख रुपया दिया गया है जिसकी वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । इस प्रकार खादी बोर्ड को खाने-पीने का एक चरागाह समझ रखा है ।

422 यूनिटों पर 47 लाख रुपये की वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है । रिकवरी सर्टिफिकेट नहीं इश्यू किये गये । सदस्यों की व्यक्तिगत सम्पत्ति से रुपया वसूल किया जाना चाहिये । लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई । इस ओर कार्यवाही की जाय जिससे इस परिस्थिति को रोका जा सके । आठ लाख रुपया लोन दिया गया । लोन के जो डीड भरे जाते हैं वे नहीं मिल रहे हैं । आठ लाख रुपये के डीड जो लोहे की अलमारी में बन्द रखे थे, कहते हैं कि दीमक खा गयी । दीमक कैसे पहुंच गयी ? दीमक खा गयी इसकी जांच होनी चाहिये ? इसमें बड़ा भारी षड़यंत्र है । अगर रोका नहीं जाता है तो काम चलने वाला नहीं है । खादी बोर्ड इन्हीं कारणों से बदनाम हो गया है । 1973 में बोर्ड द्वारा प्रदर्शनी लगायी गयी । उसका 4 लाख 60 हजार

[श्री वीर सिंह सेंगर]

रुपये का लेखा-जोखा आज तक तैयार नहीं हो सका । किस मद में कितना खर्चा हुआ, इसकी बैलेंसशीट बन कर आडिट होना चाहिये था । लेकिन नहीं हुआ । इसलिए कि प्रशासक महोदय रहते हैं लखनऊ में और उनका दफ्तर है कानपुर में उनका मुख्यावास भी कानपुर में होना चाहिये । लेकिन रोज आते जाते हैं । गाड़ी रहती है । कभी ट्रेन से चले गये नहीं तो गाड़ी से चले गये । उनकी गाड़ी अक्सर हजरतगंज में बच्चों को लिए हुए देखी जा सकती है, इस प्रकार धन का दुरुपयोग होता है । इसको रोका जाना चाहिये । यह संस्था पवित्र उद्देश्य के लिये छोटे-छोटे लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए खोली गयी थी । वह बड़ा भारी भ्रष्टाचार का अड्डा बन कर रह गयी है । उसका उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं है । शायद एक निर्णय यह लिया गया कि उसका मुख्यावास कानपुर से लखनऊ में आ जाय । उसके लिये पीरपुर हाउस को खरीद लिया गया । उसमें शायद एजूकेशन का दफ्तर पहले से है । आपने ऐसी बिल्डिंग क्यों खरीदी जो खाली नहीं है ? खाली करा नहीं सकते । आपका रुपया भी फंस गया और कानपुर में किराया भी पड़ रहा है । कैसे खरीदी गयी, मकान मालिक से कोई सांठगांठ हुई ? इसकी जांच होनी चाहिये ।

इसके साथ थोड़ा सा अपने क्षेत्र के बारे में कह दूं । बुन्देलखंड के चारों जिलों में कालपी हाथ कारीगरों का बहुत प्राचीन केंद्र है । कालपी का कागज पृथ्वीराज के जमाने से और आल्हा-ऊदल के जमाने से मशहूर रहा है । 'कागज कालपी को मगंवाये, अपना कलमदान है हाथ" । कालपी में वाटर मार्क का कागज बनता है । कालपी में गलीचे इतने अच्छे बनते हैं जोकि 3,4 हजार का विदेशों में बिकता है । परन्तु मान्यवर, शासन की ओर से वहां पर कोई केंद्र इस प्रकार का स्थापित नहीं किया जा सका, जिससे वहां के बच्चों को और अच्छा काम सिखाया जा सके वहां ट्रेनिंग दी जा सके । आपने इस बजट में 50 ट्रेनिंग सेंटर खोलने की मांग रखी है । हमारे मंत्री जी जब डाक्टर रामजी लाल सहायक, वहां पर गये थे तो उनको वहां पर गलीचा दिखाया गया था ।

(इस समय 2 बजकर 47 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

तो मान्यवर, वहां एक ट्रेनिंग सेंटर खोलने की जरूरत है । वहां पर 10 लाख का स्वीटर ऊन का बनता है, लेकिन वहां पर ऊन के तागे की कोई सुविधा नहीं है । मंत्री लोग जब-जब वहां पर गये वहां पर बचन देकर आये, वहां पर कहे कि हम कालपी में एक मिल खोलने के लिए विचार करेंगे । मान्यवर, केवल झांसी में एक फैक्टरी खोल दी गयी जहां पर गलीचे बनाने वाले लोग हैं, जहां स्वीटर बनाने वाले लोग हैं वहां नहीं । वहां पर कोई भी उद्योग खोला जाना चाहिये जिससे कि वहां के बुनकरों की वहां के दस्तकारों की खपत हो सके । इन शब्दों के साथ मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने मुझे बोलने का समय दिया ।

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद) ---

मान्यवर, मंत्री महोदय ने जो कदम उठाया है बुनकरों के हैंडलूम या पावर लूम या लघु उद्योग के बारे में, वह मैं समझता हूं अच्छा है, लेकिन यह सालों साल से हमारे भूतपूर्व यानी पिछले जो लघु उद्योग मंत्री जी थे उन्होंने भी करीब-करीब इन बातों में बहुत बात कही थी, कारण क्या है कि जो हैंड लूम, पावर लूम के जो बुनकर हैं, उद्योगकर्ता हैं, उनकी आर्थिक हालत रोज-बरोज गिरती चली जा रही है । यहां तक कि पावर लूम तो कुछ जिन्दा है, लेकिन हैंड लूम बिलकुल मर रहा है । बुनकर, उसके पास कोई यह हमारी जो संबंधित मंत्री महोदया हैं, यह खुद बाराबंकी, एक हैंडलूम, पावरलूम के लघु उद्योग के बीच से चुन कर आई हैं । आप देखें कि मुख्य उनकी गिरानी के कारण क्या हैं । आप काटन के भाव गिरात हैं । आप उसके अन्दर जो सामान लगा है, रंग ऐसी चीज वह गिरता है । लेकिन उनके माल की निकासी की गारंटी यह हमारी सरकार सालों साल से वायदा करती है, लेकिन अमल में एक बात नहीं आती है । मुख्य बात हैंडलूम, पावर लूम

की गिरानी के कारण उनके माल की निकासी की गारन्टी नहीं देते हैं। लेकिन तमिलनाडु मद्रास की निकासी वहां की सरकार लेती है। वहां का पावरलूम, हैंडलूम पूरे देश में बिकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के माल की निकासी बिचौलिया करता है। वह बिचौनिया जो फैक्टरियों से, चाहे जयपुरिया की रेयन फैक्टरी हो या कलकत्ते की फैक्टरी हो उससे सम्बन्धित है इसी आधार पर उसको निगलता चला जा रहा है। अभी हमारे जिले के निसार भाई ने कहा जो बड़ा लघु उद्योग का संघर्ष आया हुआ है, एक दूसरे को खा रहा है। हैंडलूम को पावरलूम खा रहा है और पावरलूम को कानपुर और अहमदाबाद के उद्योग खा रहे हैं। कारण क्या है ? आप माल की किस्म को निर्धारित नहीं करते हैं कि हैन्डलूम में इस किस्म का माल निकाला जायगा। अगर नहीं करते हैं तो हैन्डलूम पर कास्ट ज्यादा पड़ता है और पावरलूम चूंकि बिजली से चलता है मशीन से चलता है। इसलिए उस पर कम पड़ती है। जब मुनाफे में बिचबनियां के हाथ में माल पहुंच जाता है तो बिचबनियां संबन्धित पावरलूम या ऐसे टेक्सटाइल से माल निकालने के आधार पर माल को खा जाता है। इसलिए माल की गारन्टी जब तक आप नहीं करेंगे तबतक चाहे स्पूल का भाव 5 रुपया बंडल कर दें या काटन का भाव अकबरपुर रोड या मऊ से गिरा दें या हर मंडी पर पावरलूम सेंटर पर मिल खड़ी कर दें, लाखों करोड़ों गांठ स्पूल और काटन निकालें लेकिन उनकी आर्थिक हालत को नहीं संभाल सकते हैं। इसका कारण यह है कि बिचबनियां करोड़ों रुपये का मुनाफा कर रहे हैं। छोटी-छोटी मंडियों में, बाराबंकी में उतना मुनाफा नहीं है। निसार भाई बैठे हैं। मैं बुनकर मंडी से आया हूं। एक एक साल के अन्दर पावरलूम के आम कारोबारी जिनकी मिलों से साठ-गांठ है उन्होंने लाखों लाख रुपया एक साल के अन्दर कमाया है।

और उनके बैंक बैलेंन्स और उनकी बिल्डिगों का तजकिरा किया जाय तो आप देखेंगे कि यहां लूट का माहोल है। क्योंकि सारे देश में गमछा और चादर हैं भागलपुर टाइप की वह माल हमारे प्रदेश में तैयार हो रहा है और एक चेक मद्रास से आती है, हमारे यहां नहीं तैयार होती है। मंत्री महोदया को बताने की जरूरत नहीं है, खुद तजुर्बेकार हैं, संबन्धित हैं उस विभाग से बड़ा अच्छा है उनको यह विभाग सौंपा गया है। मैं जानता हूं वह बुनकर नहीं हैं, मैं बाराबंकी का सारा हाल जानता हूं। तो मैं कह रहा था कि बुनकरों की हालत कैसी है। अगर बुनकर आबादी में आप जायें, कत्तियों का नहीं, बुनकर कारोबारियों से भी मेरा मतलब नहीं, बल्कि जहां पर हाथ से काम करने वाले बुनकर गांव में, छोटे कस्बों में हैं, उनका आमतौर से खानदानी पेशा सदियों से, उनके बाप-दादाओं से वही है, वह दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, उनकी हालत इतनी दयनीय है कि खेत मजदूर से भी ज्यादा खराब है। अगर बिचवनिये नहीं निकलेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकर जो लाखों की संख्या में हैं उनकी हालत ऐसी हो जायगी कि वे भूखों मरेंगे। क्योंकि उनके पास दूसरा जरिया कोई नहीं है।

बैंक का तजकिरा है। बाकी साहब ने डिटेल में कहा है। मऊ में मैंने प्रयत्न किया कि बुनकरों के बैंक से एक आदमी को कर्जा मिल जाय जिसका कि प्राविधान है। बैंक मैनेजर से लेकर अन्य संबंधित लोगों तक मैंने जानकारी करने की कोशिश की कि क्या कोई प्राविधान है, लेकिन एक भी बुनकर को सालों साल से बैंक से पैसा नहीं मिला इस उद्योग के लिए।

[श्री भगवती प्रसाद]

कारण क्या है ? आप आदेश दे देते हैं और उसका तजकिरा करते हैं हर साल और हर साल छोटे उद्योग की कटौती की बात आती है, लेकिन ऐक्चुअल में जितने सेंटर हैं बाराबंकी है, गोरखपुर है, फैजाबाद है, आजमगढ़ है, ये सब अच्छे सेंटर हैं, आप मंगाये कि कितना बैंक से कर्जा इस कमजोर वर्ग को जिसको मिल मालिक से लेकर बिच-बनियें तक लूटते हैं, उसको कितना कर्जा दिया गया ।

आप कोआपरेटिव की बात करते हैं । वह भी इस लघु उद्योग के सेन्टर पर जो चार सौ बीसिया या बड़े लोग रहते हैं वे निगल लेते हैं । उसका मुनाफा उस साधारण और खुद मेहनत करने वाले बुनकर को नहीं मिलता है । जो भाव आप निर्धारित करेंगे वह आपके वश का नहीं है । जो सरमायेदार है, इजारेदार है, कारखानेदार है, वे आपको राहत नहीं लेने देंगे क्योंकि उनके पास तिकड़म है, वह आपके ऊपर छाये हुये हैं, उनका संबंध आप की सरकार से है । मुझे बड़ा दुःख होता है जब मैं बुनकर की बस्ती में जाता हूं और उनके यहां टिकता हूं । सैकड़ों बुनकरों को एक टाइम रोटी नहीं मिलती है, उनके पास बिस्तरे नहीं है । 20 सूत्री कार्यक्रम में यह 9वें नम्बर पर है । इस पर विशेष ध्यान देना होगा । इससे प्रदेश की जनता को भी जो इस कपड़े को इस्तेमाल करती है, राहत मिलेगी । इसलिये पहला प्वाइन्ट है कि आप बिच-बनियों को देखें और बैंक से जो लोन नहीं मिल रहा है उस पर विशेष ध्यान दें ।

*श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ) :

मान्यवर, समाजवादी ढांचे के अन्दर यदि सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था सरकार के हाथ में हो जाय तो कठिनाइयां पैदा होने की कम सम्भावना रहती है । परन्तु जहां निजी क्षेत्र भरपूर कार्य कर रहा हो, जैसा कि अपने देश में है, तब सरकार की नीतियां निर्धारित करते वक्त बहुत जिम्मेवरियां हैं, उसके अन्दर न्याय, कठोरता और सरलता होना अनिवार्य है । हमें उन नीतियों उन भावनाओं को जोरों से रखना है जिनके आधार पर व्यक्ति उस मानवता को छोड़ जाय और ईमानदारी को छोड़ते हुये दौड़ता फिरे खुशहाली को किन्हीं तरीकों से इकट्ठा करने के लिये । तब हमारी अर्थ व्यवस्था कंट्रोल में आ सकती है और हमारा प्रदेश तरक्की कर सकता है । हमने अपनी नीतियों के आधार पर कह तो दिया कि हम इस प्रदेश में जो भी सरमायेदार और काले का खजाना इकट्ठा करने वाले व्यक्ति हैं उनकी निन्दा करते हैं और हमने भरपूर कानून बनाये उनको पकड़ने के लिये परन्तु फिर भी हमारी नीतियों की जड़ में कहीं न कहीं ऐसी चीजें हैं जिनकी बिना पर अनेकों समस्यायें खड़ी हो जाती हैं । जैसे कि औद्योगीकरण में सेल्स-टैक्स एक ऐसी चीज है, उसमें इतनी खामियां हैं कि इन्सान खुद बेईमानी पर उतर आता है और उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं कुछ कमाऊं । तो इस नीति के प्रति मैं केवल दो शब्द कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में सेल्स टैक्स के मुताल्लिक और हमसे लगते हुये प्रदेशों के जो आंकड़े प्राप्त हुये हैं उनके मुताबिक यहां 12 परसेंट सेल्स-टैक्स लेते हैं और वन परसेंट का सरचार्ज लगाया जाता है जब दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में 10 परसेंट ही है । कृषि यंत्रों पर जो पावर से चलते हैं हमारे यहां 5 परसेंट सेल्स-टैक्स है जब कि हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में जीरो परसेंट है । स्पोर्टस के लिये रा-मैटीरियल पर परचेज टैक्स हमारे यहां 4 परसेंट है जब कि और प्रदेशों में नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

यह बहस तो अलग है, इससे इसका क्या मतलब है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अजीत सिंह सेठी--

यह मनोवृत्ति जो है वह गलत है जिससे प्रदेश का नुकसान हो रहा है। मेरा अनुरोध है कि आप सेल्स टैक्स आर्गेनाइजेशन को ठीक करें और इसे दूसरे प्रान्तों की तरह समान करें, ताकि प्रदेश तरक्की कर सके।

*श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं माननीया मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करती हूं। मैं एक दो प्वाइन्टस आपके सामने रखना चाहती हूं। हमारे प्रदेश में कारीगरों की कमी नहीं है। मुरादाबाद में पीतल का काम करने वाले, बनारस में साड़ी बनाने वाले, फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले, लखनऊ में चिकन और खिलौने बनाने वाले कारीगरों की तथा अन्य छपायी आदि करने वाले कारीगरों की हमारे प्रदेश में बहुतायत है और उनका नाम विदेशों तक में है। इन कलाकारों और कारीगरों की कहानी बहुत पुरानी है। जब कि सभ्यता की शुरुआत हुई तभी से कला का आरम्भ हुआ। सभ्यता के क्षितिज पर कलाकार पहले आया, राजनीतिज्ञ बाद को आया। हमारे कलाकारों की कहानी आंसुओं और दर्द से भरी हुई है। जिन कारीगरों की कलाकृतियों से हमारे घर जगमगाया करते हैं और सुन्दर चमकते हैं उन कारीगरों की आंखों में आंसू भरे रहते हों यह सभ्यता के लिये कलंक की बात है। यह खुशी की बात है कि माननीया मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है। उससे उनको उन्नति का कुछ अवसर मिलेगा, हमारे उद्योग भी तरक्की करेंगें, लेकिन इन कारीगरों के लिये अभी बहुत कुछ करना शेष है। जब तक हम इन कारीगरों को गरीबी के चंगुल से मुक्ति नहीं दिला पाते, तब तक प्रदेश की तरक्की नहीं हो सकती, तब तक हम अपनी माननीया प्रधान मंत्री इन्दिरा जी के आदेशानुसार समाजवाद की स्थापना नहीं कर पायेंगे और हर इंसान हर कारीगर को उनकी जिन्दगी बसर करने का मौका नहीं देते तब तक हम अपने प्रदेश को गरीबी से मुक्ति नहीं दे सकते। इसलिये मेरा सुझाव है कि जहां तक हो सके इन कारीगरों को बनियों के शोषण से किसी प्रकार से मुक्ति दे सकें। मेरा क्षेत्र लखनऊ है और बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आप सब लोग लखनऊ में जमा होते हैं और अपने विचार प्रकट करते हैं तथा अच्छे अच्छे सुझाव देते हैं। हमारे लखनऊ में चिकन का काम करने वाले हैं, खिलौने का काम करने वाले हैं, आप देखें कि ये लोग कितने गरीब हैं। यहां जरदोजी का काम करने वाले हैं वे कितने गरीब हैं। उनको 6 आने और 8 आने रोज मिलता है। आप देखें कि चिकन का काम कितना सुन्दर होता है, कितना आर्टिस्टिक होता है। हमारे चिकन का काम न केवल इस देश में बल्कि सारे विश्व में मशहूर है, जिसकी वहां इज्जत है और उसे पसन्द किया जाता है। अमीर-उमरा लोग चिकन का कुर्ता पहन कर खस और इत्र लगा कर घूमते हैं और अपना शौक पूरा करते हैं। चिकन का काम करने वालों की दर्दभरी कहानी है, इसको शायद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी]

आप लोग समझ सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि मंत्री महोदया इन चिकन का काम करने वालों तथा इस दुखभरी जिन्दगी को बिताने वाली महिलाओं के लिये कोई समुचित व्यवस्था कर सकेंगी और उनकी मजदूरी के पैसे में वृद्धि हो सकेगी।

दूसरी बात मैं लघु उद्योगों के सम्बन्ध में कहना चाहती हूं कि हर घर और हर झोपड़ी में एक छोटे उद्योग की फैक्ट्री होनी चाहिये और हर परिवार में यह कुव्वत होनी चाहिये कि वह उद्योग धंधों की तरक्की में सहायक हो सके। औरतों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे अपने घरों से बाहर नहीं जा सकती हैं। बड़ी मुश्किल होती है उनको बाहर जाने में। इसलिये स्त्रियों के लिये लोन की व्यवस्था की जाय और इस तरह से उनकी मदद की जाय कि वे घरों में ही अपना उद्योग धंधे कर सकें और दूसरी परेशानी उनकी यह है कि जो माल वे तैयार करें उनका वितरण किस तरह से किया जाय उसकी भी ऐसी व्यवस्था होना चाहिये कि जो सामान वे अपने घरों में पैदा करें वे उनके घरों पर ही बिक सकें। एक मूविंग मारकेटिंग की तरह से प्रबन्ध होना चाहिये। जिससे घर की औरतें उद्योग धंधों की तरक्की में आपको अपना सहयोग दे सकें और आपके प्रदेश की उन्नति में सहायक हो सकें। मान्यवर, अगर हम समाजवाद लाना चाहते हैं, तो हमें हर घर को अपने पैरों पर खड़ा करना पड़ेगा, हर घर को एक छोटी फैक्ट्री बनानी पड़ेगी जिससे बीच में किसी बनिये का हाथ न हो।

*श्रीमती मोहसिना किदवाई--

मान्यवर, मैं उन सभी माननीय सदस्यों की बहुत आभारी हूं और उनको शुक्रिया अदा करती हूं जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और बहुत अच्छे सुझाव दिये। उन्होंने उन कमियों की तरफ भी इशारा किया जिनका सुधार अपने डिपार्टमन्ट मे किया जा सकता है। हमारे बुजुर्ग मेम्बर बाकी साहब ने बड़ी गहराई के साथ इस मसले को देखा है। उन्होंने जो बातें सदन के सामने रखी, उनकी बातों में काफी अहमियत है और मैं उनसे सहमत हूं। पावर-लूम के बारे में वाकई रह गया था लेकिन इस वक्त हमारे स्टेट में 22,970 पावरलूम चल रहे हैं और इस पंचवर्षीय योजना में 20 हजार के करीब लगायेंगे। बाम्बे टेक्सटाइल कमिश्नर को हमने लिखा है कि इसके लिये हमको लाइसेन्स दें क्योंकि केन्द्रीय सरकार और टेक्सटाइल कमिश्नर ही देते हैं। हमारे बाकी साहब ने कहा कि पावरलूम बढ़ नहीं सके हैं। तो कुछ बिजली की कमी से और कुछ सूत न मिलने के कारण यह हालात पैदा हुए। हमारी कोशिश है कि पावरलूम और हैंडलूम दोनों में इजाफा हो। दोनों साथ-साथ चलते रहें और जो चीज बनाते हैं वह अलग-अलग बनाते रहें। हम चाहते हैं कि दोनों में अलग-अलग चीजें बनती रहें ताकि दोनों उद्योग-धंधे चलते रहें। एक बात रंगों की कीमत के बारे में कही गयी कि रंगों की कीमत बढ़ रही है, हैंडलूम कारपोरेशन ने इस तरफ ध्यान दिया है कि कीमत न बढ़े और अपनी दुकानों के जरिये सस्ते रंग उपलब्ध कराये जा सकें। आपने कहा कि इसमें 10 हजार करघे क्यों नहीं किये गये तो यह तो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की स्कीम है उसी के अनुसार हुआ है। स्टेट गवर्नमेन्ट भी बढ़ावा देगी। रफ्ता-रफ्ता बढ़ेंगे। अब अगर 15 लाख लोग एक स्कीम के साथ शुरू कर दें तो सुचारु रूप से चलना मुश्किल होगा। क्योंकि तमाम समस्याएं पैदा हो जायंगी। इसलिए 22 केन्द्रों को गोरखपुर में कामर्स मिनिस्टर इनागरेट कर रहे हैं। हमारे नसीर साहब ने कुछ सुझाव रखे। हर जिले की उन्होंने बात कही कि होना चाहिए। तो मिसाल के तौर पर क्रेप अमरोहा में बन रही है। मद्रास में जो चेक बनायी जाती है वह भी हमारे यहां बनती है। तो विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिये ही हमने तमाम योजनायें बनायी हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोआपरेटिव सोसाइटीज का मकसद यही है कि हम लोगों को, छोटे-छोटे काम करने वालों को शोषण से बचायें। हमारा मकसद है कि चाहे चिकन के कारोबार हों, बरतन बनाने वाले हों, जूता बनाने वाले हों, या बुनकर हों, वह बान्डेड लेबर बन कर न रह जायं, उनको मुक्ति दिलाने के लिये हमने यह स्कीम बनायी है। मेरा कहना यह भी है कि यह सारी स्कीमें सिर्फ सरकार की ओर से चल नहीं सकतीं जबतक पब्लिक और जनता का सहयोग न हो। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इन तमाम स्कीमों को चलाने के लिये, जहां बैंक वाले कर्ज नहीं दे रहे हैं, तो वहां उसमें लोगों को सामने आना चाहिये, जिससे समस्याओं को हल किया जा सके। किसी मसले को हल करने के लिये उसके साथ तमाम मसले सामने आ जाते हैं। एक मसले के साथ 20 मसले सामने आ जाते हैं। इसलिये मसलों को हल करने की जिम्मेदारी सरकार और जनता दोनों की है।

खादी बोर्ड के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और कुछ आरोप लगाये गये। मुझे यह सुनकर बड़ी तकलीफ हुयी कि 2 कर्मचारियों ने आत्म-हत्या कर ली। लेकिन इनमें से एक मिस्टर पांडे थे जिनके ऊपर गबन का आरोप था इनको निलम्बित भी किया गया था। मार्च तक कोई वेतन या भत्ता इनका सरकार की तरफ से देय नहीं था। सब दिया जा चुका था। यह बड़े अफसोस की बात है कि इन्होंने आत्म-हत्या की। मुझे ऐसा बताया गया है कि कुछ घरेलू परेशानियों की वजह से इन्होंने आत्म-हत्या की। जब सख्ती की जाती है या ऐक्शन लिया जाता है तो इसलिये किया जाता है कि कार्य को ठीक तरह से चलाया जा सके। लेकिन इस घटना से बोर्ड का कोई सम्बन्ध नहीं है। दूसरी घटना के सम्बन्ध में यह पता चला है कि वह कैंसर के मरीज थे। कोई रिपोर्ट भी नहीं है कि क्यों उन्होंने आत्म-हत्या की। आपने यह भी कहा कि रिकवरीज नहीं हुयी हैं। तो 46.85 लाख की रिकवरी बाकी थी तो उसमें से 34 लाख की हो चुकी है। तो मैं समझती हूं कि जो खामियां थीं उनको दूर किया जा रहा है। वर्मा साहब की कमेटी बैठायी गयी थी। वह इसलिये कि जो जो कमियां हैं उनको पूरा किया जा सके और उसकी रिपोर्ट शासन के विचाराधीन है। मैं सदन को आश्वासन देना चाहती हूं कि कोई भी कर्मचारी या अधिकारी जो इसमें पाया जायेगा उसके खिलाफ कोई रियायत नहीं बरती जायेगी। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मुख्य मंत्री जी ने कुछ चीजों पर सेल्स-टैक्स माफ किया है। बोर्ड का गठन और एडमिनिस्ट्रेटर जो कुछ महीनों से हैं उनके प्रति ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने बड़ी गड़बड़ियां कीं तो 6 महीनों में ही सारी गड़-बड़ियां बोर्ड में आ गयीं तो ऐसा नहीं माना जायेगा। प्रशासक तो कुछ दिनों के लिये आये हैं और उसके बाद बोर्ड का गठन होगा और जो कमियां हैं उन्हें दूर करने में आपका और हमारा सहयोग होना चाहिये। तभी वह दूर हो सकेंगी।

मान्यवर, यूपीका के बारे में कहा गया कि ऐसी संस्थाओं को लिक्वीडेट कर दिया जाय जिसमें इलेक्शन न हुआ हो, यह कोआपरेटिव विभाग के आर्डीनेन्स से हुआ था। यूपीका के मेम्बर रिट में चले गये और स्टे-आर्डर आ गया है और वह वैसे ही काम कर रहे हैं। जहां नान-आफिशियल बाडी है और अच्छा काम कर रही है तो उनकी सराहना तो करनी ही चाहिये बैंकों के बारे में कहा गया कि कर्जा नहीं दे रहे हैं। जब मैं कह चुकी हूं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण

[श्रीमती मोहसिना किदवाई]

इसीलिये किया गया था कि पैसा बांटें किन्तु दिक्कतें तो आयेंगी ही इसलिये हम सबको मिलकर काम करना चाहिये । कुछ जिलों में कर्जा दिया है और कुछ में नहीं । जहां नहीं पैसा दिया गया है वहां हमारे अधिकारी उनसे बात करते हैं । हमारा विभाग कोआपरेटिव सोसाइटी को पैसा दे रहा है माल की निकासी के लिये । आजमगढ़ में कोआपरेटिव सोसाइटी है उनको माल को बेचने के लिये एक सोसाइटी को 10 हजार, दूसरी को 5 हजार और तीसरी को भी 5 हजार रुपया दिया है । दूसरे विभागों के जरिये कोशिश हो रही है कि पैसा दें ।

मान्यवर, निसार साहब ने कहा कि बुनकरों के लिये जो हल ढूंढ़ रहे हैं वह नाकाफी है । यह कहना कि 20 साल पहले जो उनकी हालत थी वही है तो यह नाइन्साफी की बात है । भले उतनी तरक्की न कर सकें जितनी कि होनी चाहिये । लेकिन हमारे क्षेत्र में बुनकर काफी हैं और उनकी हालत ठीक है । उनकी जो परेशानी है यह पिछड़ेपन की और उनमें तालीम की कमी है । पूरा खानदान अंधेरे में बैठकर कपड़ा बिनता है । नये विचारों की उनमें कमी है । इसलिये वह नई चीजों को एडाप्ट नहीं करते हैं । बाराबंकी में हमने इम्प्रूव लूम की योजना चलाई तो उसमें काम करने के लिये बुनकर नहीं मिले । जबरदस्ती कोशिश करके कि तुम आओ और कपड़ा बनाओ तो उसका एक्सपोर्ट होगा जब कहीं जाकर मिले इसलिये उनमें तालीम की जरूरत है जिससे नयी चीज अपना सकें ।

मान्यवर, मैं मुख्य मंत्री जी की बड़ी आभारी हूं कि हमारे विभाग और प्रदेश के हित के लिये एक यह बड़ा कदम उठाया कि उन्होंने कुछ चीजों पर से सेल्स टैक्स माफी का एलान किया । यह उनकी प्रदेश को बहुत बड़ी देन है । 11 आइटम हैं जिन पर बिल्कुल सेल्स-टैक्स छोड़ दिया है ।

सन् 1969 से जो इकाइयां शुरू होंगी उसमें पिछड़े जिलों के लिये यह है कि पांच साल तक कच्चा माल खरीदने पर बिक्री-कर नहीं देना होगा और बाकी दूसरे जिलों में तीन साल तक यह सुविधा मिलेगी । जो लिस्ट है वह मैं मुख्य मंत्री जी को दे दूंगी वह उसको एनाउन्स कर देंगे क्योंकि उनको भी बोलना है । इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य से गजारिश करूंगी कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें ।

एक सदस्य—

राम सहाय कमेटी की रिपोर्ट . . .

श्रीमती मोहसिना किदवाई—

उसके तहत में ही हमने बहुत सी सिफारिशें मानी हैं । जो डायरेक्टोरेट अलग किया गया वह उनकी सिफारिश पर ही हुआ । आप अगर किसी वक्त आयें तो मैं बतलाऊंगी कि कितनी सिफारिशें मानी हैं । इस समय वक्त कम है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने लघु उद्योग, भारी उद्योग, पिछड़े क्षेत्रों एवं अन्य मदों के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये । मेरे योग्य सहयोगी लघु मंत्री जी ने लघु उद्योग से सम्बन्धित सभी प्रश्नों पर प्रकाश डाला । मैं अधिक समय न लेते हुये सदन को श्रीमन्, आपके माध्यम से यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि अपने प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिये जिस रण नीति यानी स्ट्रेटेजी का उल्लेख मैंने अपने बजट भाषण में किया था उसे सम्मानित सदस्यों के सहयोग से लागू करने को हम कृत संकल्प हैं । इस वर्ष बजट में पिछले साल के मुकाबले 17 करोड़ 63 लाख का अधिक प्राविधान उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किया गया है जिनका उल्लेख इस सदन में किया गया । एक वर्ष में 37 करोड़ 34 लाख से प्राविधान बढ़ाकर 54 करोड़ 83 लाख किया गया । इसमें भी ऐसी मदों में बढ़ोत्तरी की गयी है जो कि हमारे प्रदेश के औद्योगिक विकास की दर को बढ़ाये । हमारा यह लक्ष्य है कि पिछले वर्ष के

मुकाबले इस वर्ष हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट की रेट आफ ग्रोथ 11 से बढ़ कर 12 परसेंट हो और उसी के लिये यह सब परिव्यय बढ़ाये गये हैं। साथ ही निगमों को भी सक्रिय किया गया है। सदन को यह आश्वासन दिया था कि पिछड़े क्षेत्रों में अधिक धन दिया जायगा। 124 उद्योगों के लिये 3 करोड़ रुपया यू0पी0 फाइनेन्स कारपोरेशन ने दिया। स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन 19 जिलों में 21 इंडस्ट्रियल कांप्लेक्स स्थापित कर रहा है। अब हमारे सभी कारपोरेशन्स मिलकर समन्वित कोआर्डिनेटेड रूप से चेष्टा कर रहे हैं कि औद्योगिक विकास हो। कई माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया कि ऋण स्वीकृत होने में काफी देर लगती है। इस समय को कम करने के लिये जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं जो कि टाप आफिसर्स हैं वे एक साथ ग्रुप बनाकर डिवीजन में गये। चाहे बिजली का हो, फाइनेन्स कारपोरेशन का ऋण हो या पिकअप का ऋण हो या कच्चे माल का कोटा हो, वहीं मौके पर यह एक साथ निर्णय लेते हैं। श्रीमन्, पिछले वर्षों में बिजली की कठिनाई थी। हमारे औद्योगिक विकास में बिजली की कमी एक बहुत बड़ी बाधा थी। लेकिन सदन ने सहयोग दिया और बिजली के लिये समय-समय पर ज्यादा रुपया स्वीकृत किया जिससे ज्यादा बिजली पैदा हो रही है। यह जो शिकायत सदन में होती थी कि नये कनेक्शन देना बन्द है तो जितने पुराने कनेक्शन्स थे उनको बिजली दी जा चुकी है और नयों को बिजली देने का प्रयास किया जा रहा है। ट्रांसमीशन लाइन्स बनाई जा रही हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स के जो अधिकार नहीं थे वे अब जुलाई से उनको दिये जा रहे हैं कि वे 25 हार्स पावर तक पावर रिलीज करवा सकेंगे। इसी के साथ ही साथ जैसा कि लघु उद्योग मंत्री जी ने कहा जो हमारे घरेलू उद्योग हैं जैसे कि मुरादाबाद के बर्तन, भदोही का कालीन, सहारनपुर की लकड़ी और आगरा का चर्म उद्योग, वे उद्योग किसी एक ही स्थान पर सीमित होकर न रह जायं बल्कि उनका विस्तार हो। कारपोरेशन के माध्यम से मार्केटिंग की भी व्यवस्था की गई है। हमारे जो कारपोरेशन्स हैं वे अब एक बफर की तरह से प्रयास कर रहे है जिससे कि जो हमारे आर्टीजन्स हैं उनको सोसाइटीज के जरिये से तथा अन्य फाइनेन्शियल इन्स्टीटयूशन्स से ऋण की प्राप्ति हो सके और उस पूंजी से अधिक कार्य कर सकें। हमारे कारपोरेशन इनका तैयार माल खरीद लेंगे और उनका एक्सपोर्ट होगा। साथ ही हम यह भी नहीं चाहते हैं कि जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनका भी कोई नुकसान हो। वे अपना काम करेंगे और हम मार्केट से सामान खरीद कर उसका एक्सपोर्ट करेंगे।

इस प्रकार से हम घरेलू उद्योगों को अच्छी तरह से बढ़ाना और फैलाना चाहते हैं और हमारे शासन की यह नीति है। मुरादाबाद में बर्तन बनता है तो वह बरेली और रामपुर में भी विकसित किया जा सकता है। उसी तरह से आगरा के जूते का उद्योग आसपास के जिलों में भी फैलाया जा सकता है। हमारे जो मास्टर क्राफ्टमैन हैं उन्हीं के घरों पर ट्रेनिंग सेन्टर्स हो जायं और आसपास के ग्रोथ सेन्टर के रूप में लाखों लोगों को इससे रोजगार मिल पायेगा। सीतापुर में दरी का काम होता है तो वे कालीन भी बना सकते हैं। वे लोग कारपोरेशन्स, संस्थागत वित्त और बैंकों का इस्तेमाल करके ऋण की सुविधा ले सकते हैं और उद्योगों को विकसित कर सकते हैं। दूसरी ओर इन कारपोरेशन्स के जरिये से भारी उद्योग, लघु उद्योग और मझले उद्योगों के बीच में समन्वय भी हम करना चाहते हैं।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

सेल्स-टैक्स के बारे में जो हमारी नीति है जैसा कि लघु उद्योग मंत्री ने भी उल्लेख किया वह बहुत से उद्योगों पर छूट दी गई है जैसे कि बाइसिकिल, ट्राइसिकिल आदि। इसी प्रकार से कांच और कांच के सामान पर सेल्स-टैक्स में छूट दी गई है बल्कि इन पर टैक्स बिल्कुल ही माफ कर दिया गया है। साल्वेन्ट आयल जिसकी बड़ी भारी मांग थी उन स्थानों से जहां पर तेल की बड़ी मांग थी उसका भी छोटा उद्योग मान कर टैक्स समाप्त कर दिया गया है। इसी प्रकार से रबड़ पर भी किया गया है। स्पोर्ट्स गुड्स के बारे में मेरठ की बड़ी मांग थी कि सेल्स-टैक्स की सबब से उनके इस उद्योग पर बड़ा भारी धक्का लग रहा है तो यह समझ कर कि इस उद्योग में हजारों आदमियों को रोजगार मिलेगा और इस उद्योग का विकास होगा इस टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। इसी प्रकार से ताला भी है, अलीगढ़ का ताला उद्योग है जिसके बारे में हजारों आदमी कहते थे कि टैक्स न लगे तो इस बजट के माध्यम से यह निर्णय लिया गया है इस पर से भी टैक्स समाप्त कर दिया जाय। इससे लाखों व्यक्तियों को राहत मिलेगी। साथ ही साथ हमने यह भी तय किया है कि किसी उद्योग में उत्पादन की तारीख से 5 वर्ष के लिये और कच्चे माल पर 3 वर्ष के लिये बिक्री-कर देय नहीं होगा। 1 जनवरी से यह समय 1989 तक के लिये बढ़ा दिया गया है। 5 साल तक की यह छूट बैकवर्ड जिलों के लिये है और नान-बैकवर्ड जिलों के लिये यह छूट 3 वर्ष के लिये है कि उन पर उत्पादन की तिथि से यह सेल्स-टैक्स नहीं लगाया जायगा। जैसे आयल इंजिन तथा आयल एक्सपेलर, पावर टिलर पोलो प्रोपलीन फिलोमेन्ट्स, रिफैक्टरी, स्टोरेज बैटरी, रेडियो, फोनोग्राम, टेलीवीजन सेट, स्विचगियर प्लास्टिक से बनी वस्तयें, अस्पताल सम्बन्धी साज-सामान, वैज्ञानिक, वृत्तिक, मापन तथा प्रक्रिया नियंत्रण उपकरणिका, टायर तथा ट्यूब, 7.5 कि0वा0 रेटिंग्स से अधिक के बिजली के मोटर, रसायन जिसके अन्तर्गत औद्योगिक विस्फोटक, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, टिकाऊ ब्लीचिंग पाउडर, परफ्यूमरी, चीनी मिट्टी के बर्तन, सिलाई मशीन, ट्रांसफारमर, बड़े आकार के भारी पम्प, इलेक्ट्रानिक इक्विपमेन्ट, पम्प तथा कम्प्रेशन, साबुन तथा कृत्रिम अपमाय ब्वायलड तथा स्टैन्ड आयल, सिन्थेटिक रेजिन्स और प्रिंटिंग इंक, फैटो एसिड, स्टियरिंग ऐसिड तथा आयलिक एसिड, ड्राइंग आयल प्रोडक्ट्स अर्थात् लिलोनियम तथा आयल क्लाथ, लुबरीकेटिंग तथा स्कूटर। रा-मैटीरियल में इन सबमें छूट है और इससे रा-मैटीरियल देने वालों को राहत मिलेगी। ओखला तथा सिकन्दराराऊ (बुलन्दशहर) के बीच एक नई इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने की योजना है। 10 करोड़ की लागत का प्राविधान है और 1 करोड़ मार्च में खर्च भी किया गया है। इससे यह लाभ होगा कि छोटे उद्योग जो दिल्ली से या दूसरे सूबों जैसे हरियाना से आकर्षित होते हैं अब ओखला की जो स्कीम है उससे आकर्षित होने लगेंगे। ओखला के पास ऊसर तथा बंजर जमीन के ही ज्यादा इस इंडस्ट्रियल इस्टट की स्थापना में लिया जायगा गाजियाबाद जिस तरह से विकसित हुआ है वैसे ही इस नई इंडस्ट्रियल स्टेट को भी विकसित करने का हमारा विचार है। बैंक से, कारपोरेशन से ऋण लिया जा सकेगा तथा ओखला डेवलपमेंट अथारिटी को भी ऋण लेने का अधिकार होगा। एक तरफ रुपया जमा होगा और दूसरी तरफ खर्च भी होगा। हमारा यह भी विचार है जिन जिलों के मुख्यालय पर इंडस्ट्रियल इस्टेट्स नहीं हैं वहां उनको लगाया जाय।

श्री ऊदल—

जहां है भी लेकिन खाली पड़ी हैं उस पर भी तो ध्यान दिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

आपने बड़ा अच्छा सुझाव दिया है। विधायकों से इस सम्बन्ध में बातचीत भी हुई है और यह निर्णय लिया गया कि जहां इंडस्ट्रियल स्टेट्स खाली पड़ी हैं वहां पर इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने के लिये यह किया जाय कि पहले साल कोई किराया न लिया जाय, दूसरे साल चौथाई किराया लिया जाय, तीसरे साल आधा लिया जाय। इससे आसानी होगी और जो औद्योगिक शहर खाली पड़े हैं उनको सहूलियत हो सकेगी। सरकार इस पर अपना निर्णय शीघ्र ही घोषित

करने वाली है । इसी तरह मिर्जापुर का जो क्षेत्र है उसके पोटेंशियल को पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है ।

आपको सुन कर खुशी होगी कि जो कजराहाट चुनार सीमेंट फैक्ट्री है उसमें जोरों से काम हो रहा है और उसमें 8 लाख टन से बढ़ा कर 16 लाख टन सीमेंट का उत्पादन होगा और एशिया की यह सबसे बड़ी फैक्ट्री होगी और इसके लिये हमने 73 करोड़ रुपये का इन्तजाम भी कर लिया है । पहले यह आशा थी कि इतना अधिक रुपया इस फैक्ट्री के लिये हमको नहीं मिल सकेगा। लेकिन प्रधान मंत्री जी के हम बहुत आभारी हैं कि उनके आशीर्वाद से हमें 73 करोड़ रुपया आई0 डी0 बी0 आई0, एल0 आई0 सी0 और रिजर्व बैंक से मिला है । ये कारखानें चालू हो गये हैं और हमें पूरा विश्वास है कि ये कारखानें समय के अनुसार बन जायेंगे । मुझे यह बताते हुये खुशी है कि बिजली का काम पूरा होने से हमें 75-76 में कुल मिला कर 473 लेटर आफ इन्टेन्ट मिले हैं जिनको हमें इम्पलीमेंट करना है । हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा सूबा एक ज्वाइन्ट सेक्टर में हो । जून के महीने में मैं एक कान्फ्रेंस बुलाने वाला हूं जिसमें बस्ती, बहराइच, फतेहपुर, मैनपुरी, एटा, सुल्तानपुर और जहां औद्योगीकरण नहीं हुआ है, उनमें उद्योग लगें । यह हमारा प्रयास होगा । इसमें एक कठिनाई है और वह यह है कि अगर हम सूबे में उनको उद्योग लगाने की इजाजत नहीं देते तो वे दूसरे सूबों में चले जाते हैं । सहूलियतों में कंपटीशन होने लगती है । हर औद्योगिक आदमी यह चाहता है कि हमें कहां पर अधिक सहूलियतें उपलब्ध होंगी । हम केन्द्रीय सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि जो सहूलियतें हैं उसके हिसाब से राज्य स्टैंडर्डाइज कर दें ताकि सहूलियतों में कम्पीटीशन न हो सके । तो मैं जून के महीने में एक सम्मेलन इन 473 लेटर आफ इण्डेण्ट को कार्यान्वित करने के लिये बुलाने वाला हूं । तब तक हमने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कहा है कि वह हमें यह बता दें कि कितना लोड किस साल किस ग्रोथ सेन्टर पर कितना है और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रिब्यूशन कैपेसिटी जो है वह कितना लोड, फर्म पावर कहां पर कितना उपलब्ध कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी दें ताकि हम इन लाइसेंस होल्डर्स से बात कर सकें ।

इस बात को जानकर हमें जरा दुख हुआ कि पिछले साल सदन में हमने घोषित किया था कि हम तेल उद्योग में राहत देंगे और साथ ही यह भी कहा था कि जो कारखाना ज्यादा तेल उत्पादन करेगा उनके सेलसटैक्स में रिबेट दिया जायेगा । लेकिन एक भी सूचना इस बारे में हमें नहीं मिली कि किसी तेल उद्योग के कारखाने ने रिबेट के लिये एप्लाई किया हो । हम शासन से कंसेशन मांगते है लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं । इसलिये मैं सम्मानित सदस्यों से अपील करूंगा कि वे उद्योगकर्ताओं से बात करेंगे कि जहां-जहां सहूलियतें दी गई हैं उनका वे लाभ उठायें ताकि उद्योग को बढ़ावा मिल सके । हमने कन्सेशन भी दिया और फिर भी उसका कोई लाभ नहीं उठाया गया तो यह उचित नहीं है ।

इलेक्ट्रानिक्स को बढ़ावा देने के लिये बहुत जोरों से काम हुआ है । यू0 पी0 में इलेक्ट्रानिक्स उद्योग की बड़ी भारी समस्या थी । इसी प्रकार इलाहाबाद में टेलीविजन की तथा

[श्री नारायणदत्त तिवारी--]
कानपुर में इलेक्ट्रानिक्स टेस्टिंग लेबोरेटरी की समस्याएं थीं । इसी चीज को मद्देनजर रखते हुये मैंने भारत सरकार के ख्यातिप्राप्त व्यक्ति डाक्टर मेनन से बात की कि हम इस क्षेत्र में पिछड़े हैं । टेलीविजन की एक और इकाई हम खोल सकते थे । हमारा यह भी प्रयास है कि रायबरेली में टेलीफोन फैक्ट्री, हरिद्वार में हैवी इलेक्ट्रिकल्स, झांसी में हैवी इलेक्ट्रिकल्स, हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स, लखनऊ, स्कूटर इंडिया, लखनऊ जो इस प्रकार के बड़े कारखानें हैं उनको एनसिलरी यूनिट्स, सहायक यूनिट्स लगें इसमें तीन-चार फैक्ट्रीज ने काम शुरू कर दिया है और हमारा स्माल स्केल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन इसमें सहायता देता है ।

हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन के द्वारा चार-हजार एकड़ जमीन विकसित हो रही है । चूंकि कई माननीय सदस्यों की शिकायतें थीं कि कारपोरेशन जमीन एक्वायर कर लेता है लेकिन कारखाने नहीं लगते हैं । मैं इस बात को स्वीकार करता हूं । अगर इस प्रकार कोई जमीन खाली पड़ी रहे तो उसमें किसानों को मौका मिलना चाहिये कि वह खेती कर सकें । लेकिन कई बार ऐसा होता है और कहा जाता है कि जल्दी जमीन लाइये या 10 दिन के अन्दर लाइये और फलां इंडस्ट्री लगनी है तो उसके लिये भी राज्य को सतर्क रहना होता है । जो राज्य सतर्क होते हैं और जमीन उपलब्ध करा देते हैं वहां इंडस्ट्रीज खुल जाती है । तो इसके लिये भी हमें चौकस रहना होता है । बस्ती की बात आई उसमें एक सौ एकड़ जमीन तैयार रहनी चाहिये । जहां तक हो सके हमारा प्रयत्न है कि ऊसर जमीन का प्रयोग किया जाय जहां-जहां वह मिल जाय उसे पहले लिया जाय । मैं संडीला की मिसाल रखता हूं वहां जल्दी जमीन मिल गई तो हमने स्पिनिंग मिल लगा दी ।

पिकअप ने भी बड़ा अच्छा काम किया है जो मैंने महाराष्ट्र के स्कीम की टक्कर का बनाया था । इसने पिछले साल 9 करोड़ रुपये का ऋण दिया है । मैं ज्यादा विस्तार में न जाता हुआ यह विश्वास करता हूं कि जो तमाम कदम विभाग द्वारा उठाये गये हैं उनको सदन स्वीकृति देगा । अब हमारे यहां बिजली भी उपलब्ध है इसलिये हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इंटरप्रेन्योर यहां आयें और उद्योग लगायें । हमारे यहां उद्योगपति नहीं हैं उन्हें बाहर से आना पड़ता है । हमारे पूर्वी जिलों के बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर कलकत्ता में रहते हैं उनके पास पैसा है हम उनको दावत देते हैं कि वह यहां आयें और उद्योग लगायें । आज हमारे यहां उद्योगपतियों की कमी है रुपये की कमी नहीं है, रुपये का तो प्रबन्ध हो सकता है । मुझे आशा है श्रीमन्, कि हमारा जो लक्ष्य है 11,12 प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करने का, वह पूरा होगा।

श्री वीर सिंह सेंगर --
माननीय मुख्य मंत्री ने बुन्देलखंड का कोई जिक्र नहीं किया । यह बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है उसका जिक्र आना चाहिये था ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--
बुन्देलखण्ड में मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन ने 4 फैक्ट्रीज दी हैं । उरई में मैंने बताया था।

श्री अध्यक्ष --
माननीय राम चन्द्र बक्श सिंह क्या कटौती का प्रस्ताव वापस लेंगे ?

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह---
वापस लेता हूं ।

3 -- मंत्रि-परिषद् के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों, अनुदान संख्या 5---निर्वाचन, अनुदान संख्या 6---वृत्ति व्यापार, आजीविका तथा सेवायोजन पर कर, अनुदान संख्या 8 ---स्टाम्प एवं पंजीकरण, अनुदान संख्या 11 --बिक्री-कर, अनुदान संख्या 13 ---अन्य कर और शुल्क, अनुदान संख्या 42 -- विशेष एवं पिछड़े हुये क्षेत्र, अनुदान संख्या 73 --विशेष तथा पिछड़े क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 53 -- उद्योग, अनुदान संख्या 55---खानें तथा खनिज, अनुदान संख्या 74 · विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 90 -ऋण और अग्रिम--उद्योग तथा अनुदान संख्या 54 -- ग्राम एवं लघु उद्योग

श्री अध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि श्री राम चन्द्र बक्श सिंह द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्तावों को वापस लेने की अनुमति दी जाय ।

(सदन की अनुमति से सभी कटौती के प्रस्ताव वापस हुये ।)

श्री अध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 3 -मंत्रि परिषद् के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 28,95,300 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 5--निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,44,13,900 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 6--वृत्ति व्यापार, आजीविका तथा सेवायोजन पर कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशिके अतिरिक्त 8,86,500 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 8 --स्टाम्प एवं पंजीकरण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,04,77,500 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 11—बिक्री-कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,85,75,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 13—अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 52,30,500 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 42—विशेष एवं पिछड़े हुये क्षेत्र के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यके धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 53,97,49,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 73—विशेष तथा पिछड़े क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,66,39,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 53—उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,22,72,700 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 55--खानें तथा खनिज के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 62,88,100 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 74—विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक

3--मंत्रि-परिषद् के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों, अनुदान संख्या 5--निर्वाचन, अनुदान संख्या 6--वृत्ति व्यापार, आजीविका तथा सेवायोजन पर कर, अनुदान संख्या 8--स्टाम्प एवं पंजीकरण, अनुदान संख्या 11--बिक्री-कर, अनुदान संख्या 13--अन्य कर और शुल्क, अनुदान संख्या 42--विशेष एवं पिछड़े हुये क्षेत्र, अनुदान संख्या 73--विशेष तथा पिछड़े क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 53--उद्योग, अनुदान संख्या 55--खानें तथा खनिज, अनुदान संख्या--74--विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 90--ऋण और अग्रिम--उद्योग तथा अनुदान संख्या 54--ग्राम एवं लघु उद्योग

धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 30,25,62,700 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 99--ऋण और अग्रिम--उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,77,47,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 54--ग्राम एवं लघु उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,73,61,600 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1976

मुख्य मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन को अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रतियां बट जायं ।

(विनियोग विधेयक की प्रतियां वितरित की गयीं ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी

श्रीमन्, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय ।

श्रीमन्, मैं सदन को बधाई देता हूं कि सबके आशीर्वाद से पहली बार विनियोग विधेयक की मूल धनराशि 20 अरब रुपये से बढ़ गयी है, बीस अरब, अट्ठारह करोड़ के ऊपर धनराशि है ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)

अध्यक्ष जी, इस बजट सत्र में, बजट पास करने के दौरान इस सदन में जो बहसें हुई उनमें बहुत-सी चीजें प्रकाश में आयीं और प्रशासन की जो कमजोरियां हैं, जिनकी तरफ माननीय सदस्यों ने ध्यान दिलाया वह भी बहुत सी प्रकाश में आयीं, इस सत्र की विशेषता यह है कि प्रशासन की कमजोरियां उस विरोधी पक्ष की ओर से नहीं आयीं जो सरकार की आलोचना केवल आलोचना के मतलब से किया करती थीं । इस बार जो प्रशासन की कमजोरियां सामने रखी गयीं वह शासक पार्टी की तरफ से, उन माननीय सदस्यों के द्वारा बहुत सी सामने आयीं । दो-तीन बातें जो इस दरमियान में साफ हुईं, उनमें एक मुख्य बात यह है कि इमर्जेन्सी लगने के वक्त प्रशासन में जो चुस्ती आयी थी, अनुशासन बढ़ा था, उसमें कुछ ढ़िलाई हुई है । यह अनुभव इस सदन के माननीय सदस्यों और मेरा ही नहीं है, प्रधान मंत्री ने भी यह बात कही दिल्ली में जब उन्होंने चीफ सेक्रेटरीज की मीटिंग की । इसमें दो राय नहीं हो सकतीं कि प्रधान मंत्री ने बगैर किसी तथ्य के यह बात नहीं कहीं । उत्तर प्रदेश के प्रशासन पर इमर्जेन्सी के दौर में जो ग्रिप होना चाहिये, उसमें ढिलाई आयी है उसको दूर करना चाहिये ।

एक बात और सामने आयी । 20 सूत्री कार्यक्रमों के जरिये से देश और प्रदेश के निर्बल वर्गों को जो ऊपर उठाने की बात कही गयी है, देखा गया है कि हमारे प्रशासन की जो मशीनरी है उसमें विशेष रूप से पुलिस विभाग निर्बल वर्ग की सहायता करने के बजाय उल्टा काम करती है । निर्बल वर्ग की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये जमीनों के बंटवारे का कार्यक्रम लिया गया । बंधुआ मजदूरी को खत्म करने का कार्यक्रम लिया गया, इस तरह के बहुत से कार्यक्रम लिये गये । ऐसी मिसाल सामने आयीं कि जहां पर गरीबों की जमीन जमींदारों द्वारा छीनी जा रही है, गरीब पुलिस की सहायता चाहते थे तो पुलिस ने जमींदारों की मदद की है, गरीबों की मदद नहीं की है । मैंने अपने भाषण में एसी मिसालें दी थीं कि जमींदारों ने जमीन हड़पने के लिये गरीबों पर, हरिजनों पर गोलियां चलाई और उन जमींदारों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी बल्कि गरीबों के ऊपर डी0आई0आर0का मुकदमा कायम करके, मुकदमा चलाया गया । इस प्रकार से कर्जे की मुक्ति जहां तक हुई है, अगर महाजन कर्जे की वसूली में सख्ती करते है, तो हमारी पुलिस को मदद देना चाहिये बल्कि वह उन्हीं महाजनों से साठ-गांठ करके गरीबों को परशान करती है डाला की घटना है कि हरिजन बेचारे को इतना मारा गया कि वह मर गया । हमारे औद्योगिक क्षेत्र में जो मजदूर वर्ग है, वह उत्पादन बढ़ाने में लगा हुआ है, अगर उसमें किसी किस्म का नुकसान होता है, तो उसको पीड़ा होती है । वहां के इम्बेजलमेंट को, चोरियों को रोकने के लिये प्रकाश में लाता है । तो बजाय इसके कि चोरों को पकड़ा जाय, उन्हीं मजदूरों के ऊपर शिकायत की जाती है । कई मजदूरों को ट्रांसफर इधर से उधर किया जाता है । मान्यवर, अभी एक वाकये की सूचना मिली है कि डाला सीमेंट फैक्ट्री के 4 4 , 5 5 मजदूर जिन्होंने वहां के इंजीनियर के खिलाफ चोरी की शिकायत की और उस चोरी के खिलाफ आवाज उठाई थी, तो वहां के इंजीनियर ने पुलिस से मिलकर उन्हें डकैती में फंसा दिया । मान्यवर, पुलिस को इतनी बड़ी छूट नहीं होनी चाहिये । पुलिस तो समझती है कि इस इमरजेन्सी के समय में हमारे अधिकार बढ़ गये हैं । मान्यवर, इस तरह जो कमजोरी आई है, सरकार का ध्यान उधर जाना चाहिये ।

मान्यवर, इस शासन में बहुत सी चीजें ऐसी प्रकाश में आईं कि जो हमारे निर्माण के विभाग हैं, चाहे वह पी0 डब्लू0 डी0 हो, चाहे बिजली का हो, चाहे सिंचाई हो, चाहे और कोई हो जिसमें लाखों, करोड़ों रुपये खर्च होते हैं जनता के कामों के लिये, उसमें बहुत से गबन की शिकायतें इस सदन में आईं। हमारे साथी ऊदल जी बहुत एक्सपर्ट हैं, खोज-खोज कर लाते हैं। लेकिन बहुत से माननीय सदस्यों ने ऐसे मामले उठाये जिसमें लाखों के गबन थे। उनके खिलाफ इन्क्वायरी भी बैठी। लेकिन इन्क्वायरी का हाल ऐसा है कि 4--4, 5--5 साल गुजर जाते हैं इन्क्वायरी खत्म नहीं होती है। तो मान्यवर, यही नहीं, आज क्या कई दिन प्रश्नों के माध्यम से ऐसी चीज आई कि अगर किसी अधिकारी के खिलाफ कोई इम्बेजेलमेंट या कोई गबन की बात सामने आती है और सतर्कता विभाग को उसमें इन्क्वायरी सुपुर्द की जाती है और चार्ज-शीट भी उस अधिकारी को दी जाती है, उस दर्मियान में बजाय इसके कि उसको पनिशमेंट दिया जाय, उसकी तरक्की होती है उसकी पदोन्नति होती है। इस तरह की चोरियां और गबन के भ्रष्टाचार को रोकने के लिये ऐसा करना सहायक नहीं होता है। अगर आपके रूल हैं, जो इस किस्म क कार्य करने के लिये मौके दिये जाते हैं, तो रूल में परिवर्तन होना चाहिये। अगर किसी अधिकारी के खिलाफ कोई गबन की या भ्रष्टाचार की शिकायत आती है और प्राइमाफेसी केस बन जाता है, तो जब तक उसकी इन्क्वायरी खत्म न हो जाय, उसकी पदोन्नति नहीं होनी चाहिये। बजाय उसको मुअत्तल होने के उसको तरक्की दी जाती हैं। हमारे पास सड़कों के निर्माण के लिये पैसा नहीं है माननीय मुख्य मंत्री जी बड़ा प्रयास करते है, लेकिन तब भी उतना पूरा नहीं होता है। जो कुछ पैसा है उसमें से हमारे अधिकारी उसमें गबन करें, चोरी करें तो मान्यवर, यह सख्ती के साथ रोका जाना चाहिये और अगर कोई नियम बाधक है तो उनमें परिवर्तन होना चाहिये और ऐसे अधिकारियों को तरक्की देकर इस भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देना यह बहुत ही गलत नीति है। मान्यवर, जैसा मैंने मजदूरों की बात कही थी, वह चाहे जिस विभाग के हों, आज वह मजदूर इस बात से परेशान होता है कि जब वह देखता है कि चोरी हो रही है तो वह उस चीज को उठाता है, सरकार को बताता है तो उसको भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिये कि कहीं वह अधिकारियों का शिकार न बन जाय और उसको परेशान किया जाय। ये दो-तीन चीजें ऐसी प्रैक्टिस में आ रही हैं जिनकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

एक चीज उद्योगों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। जो बड़े उद्योग हैं हमारे यहां, विदेशी शासन और कांग्रेस पार्टी सरकार ने एक सिद्धांत रूप से स्वीकार किया है कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय, लेकिन नहीं किया गया। नतीजा यह है कि चीनी मिलें बरबाद हो रही हैं। सरकार उनके लिये पैसे का बन्दोबस्त कर रही है, मार्डनाइज करने के लिये सरकार को यह ध्यान रखना चाहिये कि उनकी रिकवरी न गिरे, परसेंटेज न गिरने पाये, बल्कि उनका प्रोडक्शन बढ़े। उधार मिल-मालिक उसमें पैसा नहीं लगा रहे हैं। वह समझते हैं कि सरकार ने सिद्धांततः स्वीकार कर लिया है, किसी न किसी दिन वह ले ली जायेगी। यह चीज बड़ी गलत है। जब सिद्धाततः स्वीकार कर लिया है तो कब तक इस मामले को टालते रहेंगे कि सेन्टर करे या प्रदेश करे। इसका निर्णय कीजिये ताकि मिलों को जब लेना चाहें तो आपके हाथ में जंग न लगे, लोहा-लंगड़ ही न मिले, अच्छी मशीनें मिल जायें।

जितनी इस किस्म की चीनी मिलें है और जो रिसीवर थे आधारित मिलें हैं वह कितने घाटे पर चल रही हैं। जैसे कानपुर की दो-तीन सूती मिल महीनों से बन्द हैं। आज तक सरकार निर्णय नहीं ले पायी कि उनको कब्जे में लिया जाय। हजारों मजदूर बेकार हैं। तो जिस सिद्धांत को आपने स्वीकार कर लिया है उसको लागू करने में हिचक नहीं होनी चाहिये वरना हमारी अर्थ-व्यवस्था पर बड़ा बुरा असर पड़ेगा। मिलें इतनी जर्जर हो जायेंगी कि

[श्री भीखा लाल]

करोड़ों रुपया माडर्न करने में खर्च हो जायगा । इसलिये अपनायी हुई नीतियों को तुरन्त लागू किया जाय ताकि अर्थ-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव न पड़े ।

यही चन्द शब्द मैं कहना चाहता हूं ।

श्रीमन्, मैं नेता साम्यवादी दल का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस प्रदेश के विनियोग विधेयक के पारण के अवसर पर कुछ विचार व्यक्त किये । वह और उनके दल के सम्मानित सदस्य इस सारे बजट के वाद-विवाद के दौरान अपने सुझावों से हमें सूचित करते रहे हैं और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि उन सभी पर सम्बन्धित विभाग अवश्य विचार करेंगे । हमने पहले भी उनके जो व्यावहारिक सुझाव हैं उनको आदर से कार्यान्वित किया है । भविष्य में भी हमारा प्रयास रहेगा । उन्होंने ठीक ही अनशासन के वातावरण की ओर ध्यान दिलाया प्रधान मंत्री जी ने भी सारे देश का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि इमरजेन्सी के दौरान जो अनुशासन का वातावरण देश में बना था उसमें कुछ थोड़ी ढिलाई दिखाई दे रही है । हमारे प्रदेश में भी अवश्य ही हम यह कह सकते हैं कि थोड़ी कुछ वातावरण में समय के गुजर जाने के बाद ढिलाई आयी है । जब सारे देश मे आयी तो यहां भी आना स्वाभाविक है, लेकिन यह ढिलाई नही आने देनी है और मैं नेता साम्यवादी दल से पूरा सहमत हूं कि यह ढिलाई का जो वातावरण है उसको समाप्त करना है, अनुशासन में और अधिक मजबूती लानी है और न केवल साम्यवादी दल, बल्कि जो उपस्थित नहीं हैं वे दल भी, आशा है कि अपने को बदले और अनुशासन के वातावरण को लाने में और बढ़ाने में देश के प्रत्येक अंग में हमारी सहायता करें ।

जहां तक इस आश्वासन का सम्बन्ध है, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रत्येक क्षण यह प्रयास हमारा रहेगा कि हमारे प्रदेश में न केवल अनुशासन की भावना बनी रहे, बल्कि और वर्तमान हो ।

और इसके लिये मैं प्रत्येक सदस्य का सहयोग चाहूंगा क्योंकि हमें भी दृढ़ होना पड़ेगा । बहुत जगह लोग कहेंगे कि सख्ती हो रही है लेकिन बिना सख्ती के अनुशासन नहीं चल सकता । और अगर कहीं सख्ती हो तो हमें कहना होगा कि अनुशासन का वातावरण बनाने के लिये यह सख्ती की जा रही है । अगर हम उसमें दयावान हो गये तो फिर दयावान की दया की कोई सीमा नहीं है । इन्सानियत हमें नही छोड़नी है । इन्सानियत को बिना छोड़े हुये अनुशासन की मर्यादाओं को कायम रखना है । तो इसके लिये हमें सख्त होना पड़ेगा । इसी सख्ती के कारण आज हमें प्रदेश में हाई-वे राबरी को रोकने के लिये शूट ऐट साइट के आदेश देने पड़े, नाट शूट टु किल । ट्रांसफार्मर्स की चोरी को रोकने के लिये, इसलिये नहीं कि ट्रांसफारर्मर्स की चोरी बहुत बढ़ गयी है, हम उससे भयभीत नहीं हैं, लेकिन अनुशासन की भावना मजबूत करने के लिये यह जरूरी समझा गया कि ऐसे आदेश दिये जायं । आज पहली बार सारे प्रदश में इम्तेहान समय से हो रहे हैं ।

पिछले सालों में समय से इम्तेहान नहीं हो पाते थे । मैं बधाई देता हूं विद्यार्थियों को कि इक्का दुक्का कहीं कोई घटना हो गयी हो लेकिन इतने बड़े प्रदेश मे तमाम इम्तेहान शान्तिपूर्वक शुरू हो चके हैं इस सदन के सहयोग से, मैनेजमेंट के सहयोग से और अध्यापकों के सहयोग से । यह बहुत बड़ी बात है । जहां दिसम्बर तक इम्तेहान नहीं हो पाते थे वहां अध्यापकों ने रात दिन एडिशनल क्लासेज ले कर कक्षायें चलायीं और आज अधिकांशतः इम्तहान समय से हो चुके हैं । लोगों ने कहा कि इम्तेहान रोक दिये जांय । लेकिन उसे नहीं माना गया । हमारे शिक्षा मंत्री जी ने और हम सब लोगों ने इस बात का निर्णय ले लिया था कि इम्तेहान समय से होंगें । हमारे राज्यपाल भी इस बात के लिय बधाई क पात्र है कि उन्होंन भी दृढ़तापूवक कहा

कि विश्वविद्यालयों में इम्तेहान समय से हों और वाइस चांसलर्स ने और सभी अध्यापकों ने उसको माना । फिर यह दृढ़ता बनाये रखेंगे कि इमरजेन्सी रहे या न रहे इम्तेहान समय से हों । यह पार्टी का प्रश्न नहीं होना चाहिये, यह नहीं होना चाहिये कि कौन मुख्य मंत्री है, कौन मंत्री है इसको जनता का प्रश्न समझ कर सारे देश का निर्माण करना है इस दृष्टि से देखना चाहिये ।

जहां तक पुलिस का सम्बन्ध है, जो उन्होंने सझाव दिया, वह ठीक है । पुलिस को एक तलवार की धार पर चलना होता है । एक तरफ तो उसे सख्ती करनी पड़ती है और दूसरी तरफ मुलायमियत और उनका मनोबल भी बनाये रखना होता है । शासन चलेगा कैसे अगर जो शासन चलाने वाले हैं उनका मनोबल टूट गया । तो जहां कोई आततायी है पुलिस को उसके खिलाफ कार्यवाही करनी होगी, दूसरी तरफ यह भी देखना होगा कि कहीं उनका मनोबल न समाप्त हो जाय ।

जहां तक चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है, यह प्रश्न एक प्रदेश का नहीं है, सारे देश का प्रश्न है और इस सम्बन्ध में क्या नीति अपनायी जाय यह प्रश्न सेन्टर के विचाराधीन है यह बात हमारे विद्वान सदस्य को मालूम है । तो मैं अधिक समय न लेते हुये सभी सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विधेयक को पारित करने की स्थिति लायी और जिस प्रकार बजट को पारित कराने में योगदान दिया उस सब के लिये मैं बहुत आभारी हूं ।

श्री अध्यक्ष : :

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 2, 3, अनुसूची तथा खंड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1976

31 मार्च, 1977 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संहत निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये,

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1976 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से वर्ष 1976-77 के लिये 20,18, 55,75,200 रुपये का दिया जाना

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो 31 मार्च, 1977 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ 2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका योग कुल [उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1976) की अनुसूची के स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके] 20,18,55,75,200 रुपये (बीस अरब, अट्ठारह करोड़, पचपन लाख, पचहत्तर हजार, दो सौ रुपये)] होता है, अधिक न हो ।

विनियोग

3. इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1977 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुए हैं ।

अनुसूची

(धारायें 2 व 3 देखें)

1	2	3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
1	राज्य विधान मंडल	1,28,75,200	2,07,400	1,30,82,600
*2	राज्यपाल तथा उनका सचिवालय	..	11,58,800	11,58,800
3	मंत्रि-परिषद्	34,69,300	..	34,69,300
4	न्याय प्रशासन	6,10,38,900	1,41,56,800	7,51,95,700
5	निर्वाचन	1,72,80,900	..	1,72,80,900
6	वृत्ति, व्यापार, आजीविका तथा सेवा-योजन पर कर	10,63,500	1,000	10,64,500
7	भू-राजस्व	32,78,99,500	9,75,30,800	42,54,30,300
8	स्टाम्प एवं पंजीकरण	1,25,73,500	1,400	1,25,74,900
9	भूमि और भवन कर	22,800	..	22,800
10	राज्य आबकारी	1,29,01,100	1,800	1,29,02,900
11	बिक्री-कर	5,82,90,200	4,64,35,000	10,47,25,200
12	मोटर गाड़ियों पर कर	8,33,84,700	4,500	8,33,89,200
13	अन्य कर और शुल्क	62,74,500	1,000	62,75,500
14	अल्प बचतों की प्रोन्नति	46,86,200	..	46,86,200
*15	ऋण कम करना अथवा उसका परिहार	..	31,74,04,700	31,74,04,700
*16	ब्याज का भुगतान	..	93,04,63,100	93,04,63,100
*17	लोक सेवा आयोग	..	34,91,700	34,91,700
18	सचिवालय	6,75,57,700	4,100	6,75,61,800
19	जिला प्रशासन	9,15,24,200	35,000	9,15,59,200
20	कोषागार तथा लेखा प्रशासन	1,71,66,300	1,000	1,71,67,300
21	पुलिस	60,88,87,600	6,000	60,88,93,600
22	कारागार	5,64,32,700	2,000	5,64,34,700
23	लेखन-सामग्री और मुद्रण	5,09,79,200	..	5,09,79,200
24	सार्वजनिक निर्माण-कार्य	94,03,000	15,500	94,18,500
25	अन्य प्रशासनिक सेवायें	4,25,98,600	1,000	4,25,99,600
26	अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें	8,76,37,200	3,93,000	8,80,30,200
27	प्रकीर्ण सामान्य सेवायें	2,08,01,300	1,100	2,08,02,400
28	शिक्षा	2,14,94,98,900	1,900	2,14,95,00,800

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या ।

अनुसूची—(क्रमशः)

1	2	3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
29	कला एवं संस्कृति	62,91,800	1,000	62,92,800
30	वैज्ञानिक सेवायें एवं शोध	23,65,800	..	23,65,800
31	चिकित्सा	43,92,17,200	11,000	43,92,28,200
32	परिवार नियोजन	10,54,24,200	4,000	10,54,28,200
33	सार्वजनिक स्वास्थ्य	17,56,47,900	8,000	17,56,55,900
34	आवास भवन	99,77,100	2,52,000	1,02,29,100
35	नगर विकास	39,22,400	..	39,22,400
36	सूचना तथा प्रचार	1,64,30,100	1,000	1,64,31,100
37	श्रम एवं सेवायोजन	7,13,06,300	8,000	7,13,14,300
38	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	21,19,30,100	12,300	21,19,42,400
39	दैवी आपदाओं के कारण सहायता	2,18,04,200	2,18,01,000	4,36,05,200
40	अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें	7,51,500	..	7,51,500
41	सहकारिता	4,78,17,300	38,500	4,78,55,800
42	विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र	64,57,92,000	19,500	64,58,11,500
43	सामान्य आर्थिक सेवाएं	1,50,65,700	5,000	1,50,70,700
44	कृषि	32,59,66,900	2,02,400	32,61,69,300
45	सामुदायिक विकास	23,79,19,400	26,500	23,79,45,900
46	भूमि तथा जल संरक्षण	3,85,12,500	1,000	3,85,13,500
47	क्षेत्र विकास	2,71,20,100	..	2,71,20,100
48	खाद्य तथा पोषाहार	4,10,00,000	50,000	4,10,50,000
49	पशुपालन	8,62,77,700	1,500	8,62,79,200
50	दुग्धशाला (डेरी) विकास	74,60,400	1,100	74,61,500
51	मत्स्य उद्योग	86,05,200	1,000	86,06,200
52	वन	6,96,20,700	40,000	6,96,60,700
53	उद्योग	6,22,74,700	4,500	6,22,79,200
54	ग्राम्य एवं लघु उद्योग	4,32,04,600	..	4,32,04,600
55	खाने तथा खनिज	70,88,100	2,000	70,90,100
56	विद्युत् विकास	57,60,100	..	57,60,100
57	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य	68,76,61,000	2,000	68,76,63,000
58	सिंचाई अधिष्ठान	26,76,45,000	10,000	26,76,55,000
59	सिविल विमानन	11,50,900	..	11,50,900
60	संचार साधन	24,86,57,400	10,000	24,86,67,400
61	कार्यात्मक भवन	37,59,800	20,000	37,79,800

अनुसूची—(क्रमशः)

1	2	3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
62	सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान	14,32,36,000	5,000	14,32,41,000
63	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान	5,64,83,100	..	5,64,83,100
64	सड़क तथा जल परिवहन	9,10,300	..	9,10,300
65	पर्यटन	21,11,400	..	21,11,400
66	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण	10,95,33,700	1,000	10,95,34,700
67	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	7,46,88,600	1,00,000	7,47,88,600
68	कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय	2,12,49,700	1,25,000	2,13,74,700
69	चिकित्सा, परिवार नियोजन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	2,45,38,000	..	2,45,38,000
70	आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय	2,40,61,900	25,000	2,40,86,900
71	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	15,01,300	50,000	15,51,300
72	सहकारिता तथा डेरी विकास संबंधी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	18,84,11,000	..	18,84,11,000
73	विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	16,37,37,200	2,000	16,37,39,200
74	विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	36,19,37,700	5,00,000	36,24,37,700
75	जमींदारी उन्मूलन के संबंध में प्रतिकर	61,50,100	..	61,50,100
76	कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	16,37,76,000	2,000	16,37,78,000
77	सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,79,05,000	..	1,79,05,000
78	खाद्य तथा पोषाहार पर पूंजीगत परिव्यय	1,21,82,00,000	..	1,21,82,00,000

अनुसूची --(समाप्त)

1	2	3		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
79	पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	6,62,700	..	6,62,700
80	वनों पर पूंजीगत परिव्यय	9,24,700	1,000	9,25,700
81	सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	1,36,55,00,000	2,000	1,36,55,02,000
82	बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	16,60,00,000	..	16,60,00,000
83	संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय	26,92,90,500	50,000	26,93,40,500
84	सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	50,00,100	..	50,00,100
85	पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	6,16,000	..	6,16,000
*86	राज्य सरकार के ऋण	..	4,75,79,88,200	4,75,79,88,200
87	ऋण और अग्रिम--शिक्षा	70,00,000	..	70,00,000
88	ऋण और अग्रिम--स्वायत्त शासन	9,67,67,200	..	9,67,67,200
89	ऋण और अग्रिम--सहायता एवं पुनर्वासन	30,50,100	..	30,50,100
90	ऋण और अग्रिम--उद्योग	8,68,74,200	..	8,68,74,200
91	ऋण और अग्रिम--सहकारिता	3,87,10,700	..	3,87,10,700
92	ऋण और अग्रिम--कृषि	2,81,25,100	..	2,81,25,100
94	ऋण और अग्रिम--विद्युत्	1,58,37,41,000	..	1,58,37,41,000
95	ऋण और अग्रिम--वित्त	1,45,03,700	..	1,45,03,700
	योग ..	13,99,28,72,100	6,19,27,03,100	20,18,55,75,200

*भारित विनियोग से संबंधित क्रम-संख्या।

श्री अध्यक्ष · ·

प्रश्न यह है कि खंड 2, खंड 3, अनुसूची, खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष · ·

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

आज श्री ऊदल द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न 8 के संबंध में वक्तव्य

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री मुमताज मुहम्मद खां) ···

मान्यवर, आज के प्रश्न नत्थी 'ग' के प्रश्न 8 के संबंध में कुछ अनुपूरक प्रश्न पूछे गये थे जिसमें आरोपों के संबंध में जानकारी मांगी गयी थी। श्री अतीउर रहमान, अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध सूक्ष्म में निम्न आरोप लगाये गये थे।

(1) इन्होंने रफीक एक व्यक्ति को 14-5-70 के प्रार्थना-पत्र पर 11-6-70 के आदेश से अनन्तिम रूप से पानी पिलाने वाले के पद पर 16-5-70 से नियुक्त किया तथा बाद में 4-2-71 के आदेश से पानी पिलाने वाले के अस्थायी पद पर 16-5-70 से ही नियुक्ति किया अभ्यर्थी मजदूर पद के लिये मांगे गये थे परन्तु नियुक्ति पानी पिलाने वाले पद पर की। वेतन देने में भी गड़बड़ की और उससे घर पर ही कार्य लेते रहे। इन्हें नियमों का पालन न करने तथा सरकारी धन का अपव्यय करने का दोषी समझा गया।

(2) इन्होंने अपने पद पर कार्यरत रहते हुये अलाटमेंट से अत्यधिक व्यय किया जो कि वित्तीय नियमों के विरुद्ध है।

(3) इनके अधीन कार्यरत श्री आर० सी० गुप्ता, सहायक अभियन्ता ने लगभग 14,566 रुपया सरकारी धन का अपव्यय किया और इन्होंने उस पर नियन्त्रण नहीं रखा जिससे यह अपव्यय सम्भव हुआ। इन्हें अधिशासी अभियन्ता के पद की जिम्मेदारी न निभाने का दोषी पाया गया।

(4) वर्ष 1969-70 में विभिन्न सहायक अभियन्ताओं के वर्क आर्डर्स का अपने कार्यालय में पोस्ट आडिट नहीं कराया और सहायक अभियन्ताओं द्वारा स्वीकृत रेटों पर नियन्त्रण नहीं रखा जिससे ऊंचे दरों के कारण शासन को हानि हुई।

(5) वर्ष 1969-70 में विभिन्न क्लोजर के कार्यों के पानी निकालने के शिड्यूल रेट के विपरीत फी वर्ग फुट दर रेट स्वीकृत किये जिसके कारण शासन को 1964 रुपये की क्षति उठानी पड़ी।

(6) इन्होंने वर्ष 1969-70 में नाले के कार्य पर सहायक अभियन्ता-प्रथम को हुये कार्य से अधिक भुगतान करने दिया और उन पर कोई नियंत्रण नहीं रखा, न ही उनके नाले के एल सेक्शन स्वीकृत किये और न कार्य चेक किया। इन्हें वित्तीय नियमों के उल्लंघन का दोषी समझा गया।

(7) वर्ष 1969-70 में उन्होंने सहायक अभियन्ताओं को एक ही कार्य के विभिन्न रेट स्वीकृत करने दिये। इन्हें कर्त्तव्य-पालन न करने का दोषी पाया गया।

(8) वर्ष 1969-70 में सहायक अभियन्ताओं को आगणन की स्वीकृति के बिना ही डिपाजिट तथा क्लोजर कार्य करने दिये। इन्हें वित्तीय नियमों के पैरा 375 के उल्लंघन का दोषी पाया गया।

(9) वर्ष 1969-70 में उन्होंने श्री डी0 के0 जैन, अधिदर्शक के माध्यम से अपना व्यक्तिगत सामान खरीदवाया जो कि सरकारी कर्मचारियों की नियमावली का उल्लंघन है।

(10) वर्ष 1969-70 में इन्होंने अपने खंड के कार्यों पर उचित नियन्त्रण नहीं रखा जिससे कार्य से अधिक भुगतान हो गया। इन्हें अपनी जिम्मेदारी न निभाने का दोषी पाया गया।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)....

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष.....

इस प्रश्न पर नहीं होगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने तमाम अनियमिततायें गिनायी हैं जबकि इनको पब्लिक एकाउन्ट कमेटी ने प्वायंट आउट किया था, यह सन 68 का मामला है। तो क्या माननीय मंत्री जी ....

श्री अध्यक्ष.....

मैं इस पर सवाल की इजाजत नहीं देता हूं। जैसा कि उन्होंने आज सबेरे कहा था, उन्होंने पूरी सूचना सदन के सामने रख दी। इस सूचना के आधार पर आप आगे कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)....

उसकी एक कापी तो हमें दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष.....

पहले एक कापी यहां तो आवे।

विभिन्न समितियों एवं निकायों के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन निम्नलिखित समितियों एवं निकायों में उनके सामने उल्लिखित संख्या में वर्ष 1976-77 के लिये संलग्न सूची के अनुसार विधान सभा के निम्नलिखित सदस्यों का निर्वाचन करता है:....

	सदस्यों की संख्या
(क) समितियां	
1....लोक लेखा समिति	21
2....प्राक्कलन समिति	25
3....सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति	25
4....अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति	21
5....28 स्थायी समितियां (प्रत्येक में)	16

[श्री अम्मार रिजवी]

(ख) निकाय

1—राज्य निराश्रित सहायता समिति	3	(जिनमें कम से कम एक महिला सदस्य होगी)
2—किंग एडवर्ड सप्तम सेनीटोरियम, भुवाली की परामर्शदात्री समिति	2	
3—माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश	5	
4—उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ कौंसिल	2	(जिसमें कम से कम एक महिला सदस्य होगी)

लोक लेखा समिति :

1—श्री आगा जैदी, जौनपुर ।
2—श्री गुलाब चन्द्र सोनकर, देवरिया ।
3—श्री जय नारायण सिंह, फतेहपुर ।
4—श्री धर्म सिंह, बुलन्दशहर ।
5—श्री नजीर अहमद, मेरठ ।
6—श्री प्यारे लाल, मेरठ ।
7—श्री भगवती सिंह विशारद, उन्नाव ।
8—श्री ऊदल, वाराणसी ।
9—श्री रामपाल त्रिवेदी, लखनऊ ।
10—श्री शिवानन्द नौटियाल, गढ़वाल ।
11—श्रीमती सुनीता चौहान, रायबरेली ।
12—श्री रघुबीर सिंह, मैनपुरी ।
13—श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी, गोरखपुर ।
14—श्री सोहन लाल धुसिया, बस्ती ।
15—श्री मुहम्मद असरार अहमद, बदायूं ।
16—श्री अब्दुल वहीद, बिजनौर ।
17—श्री चन्दन सिंह, मथुरा ।
18—श्री सुन्दर लाल, उन्नाव ।
19—श्रीमती शान्ती देवी, बदायूं ।
20—श्री कल्यान सिंह, अलीगढ़ ।
21—श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, बरेली ।

प्राक्कलन समिति :

1—श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी, प्रतापगढ़ ।
2—श्री राम बाबू मिश्र, मथुरा ।
3—श्री मन्जूर अहमद, मेरठ ।
4—श्री रामलाल जी केन, आगरा ।
5—श्री रणजीत सिंह जूदेव, झांसी ।
6—श्री काशीनाथ मिश्र, बलिया ।

विधान सभा

7—श्री बच्चा पाठक, बलिया ।
8—श्री विमल प्रसाद तिवारी, फर्रुखाबाद ।
9—श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी, उन्नाव ।
10—श्री राजबहादुर चन्द, बस्ती ।
11—श्री कन्हैयालाल सोनकर, इलाहाबाद ।
12—श्री राम रतन सिंह, सीतापुर ।
13—श्री राम सजीवन, बांदा ।
14—श्री मोहम्मद शकील, लखनऊ ।
15—श्री देव बहादुर सिंह, नैनीताल ।
16—श्री राम बचन यादव, आजमगढ़ ।
17—श्री बेनी प्रसाद वर्मा, बाराबंकी ।
18—श्री बलबीर सिंह, मैनपुरी ।
19—श्री शफीकुर्रहमान वर्क, मुरादाबाद ।
20—श्री जंगबहादुर सिंह पटेल, इलाहाबाद ।
21—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, गोरखपर ।
22—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, बस्ती ।
23—श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी, मरादाबाद ।
24—श्री राज ब्रजराज सिंह, खीरी ।
25—श्री जंग बहादुर वर्मा, बाराबंकी ।

सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति:

1—श्री श्रीशचन्द्र अग्रवाल, हरदोई ।
2—श्री त्रिवेणी राय, आजमगढ़ ।
3—श्री रामपाल सिंह यादव, कानपुर ।
4—श्री रामनारायण पाठक, कानपुर ।
5—श्री निर्भय नारायण सिंह, बलिया ।
6—श्री रामसुन्दर पाण्डे, आजमगढ़ ।
7—श्री शिवकुमार पाण्डे, सुल्तानपुर ।
8—डा० कृष्णवीर सिंह कौशल, आगरा ।
9—श्री ओम प्रकाश, मुरादाबाद ।
10—श्री अनवार मुहम्मद, फर्रुखाबाद ।
11—श्री निशार अहमद अंसारी, फैजाबाद ।
12—श्रीमती शकुन्तला देवी, सहारनपुर ।
13—श्री भूप सिंह केन, मेरठ ।
14—श्री संत सिंह युसूफ, कानपुर ।
15—श्री रमेशचन्द श्रीवास्तव, लखनऊ ।
16—श्री वीर सिंह सेंगर, जालौन ।
17—श्रीमती गायत्री देवी, मथुरा ।
18—श्री मधुकर दिघे, गोरखपुर ।
19—श्री उदयनाथ, वाराणसी ।
20—श्री फरजन्द अली, अलीगढ़ ।
21—श्री अब्दुल रऊफ लारी, गोरखपुर ।
22—श्री हिम्मत सिंह, बुलन्दशहर ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

[श्री अम्मार रिजवी]

23---श्री दधीच सिंह, हरदोई ।
24---श्री उमानाथ सिंह, जौनपुर ।
25---श्री दयाकिशन पाण्डेय, पिथौरागढ़ ।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति :

1---श्री माता प्रसाद, जौनपुर ।
2---श्री गुलाब सिंह, देहरादून ।
3---श्री आबिद अली अंसारी, सीतापुर ।
4---श्री चन्द्र नारायण सिंह, हमीरपुर ।
5---श्रीमती बेनी बाई, झांसी ।
6---श्री प्रभुदयाल, बस्ती ।
7---श्रीमती रामरती देवी, फैजाबाद ।
8---श्री इन्द्र लाल, नैनीताल ।
9---श्री रामलाल राही, सीतापुर ।
10---श्री मुन्शीलाल, मैनपुरी ।
11---श्री शिवलाल बाल्मीकी, कानपुर ।
12---श्री लटूरी सिंह, एटा ।
13---श्री खचेड़ू सिंह मोहरिया, बुलन्दशहर ।
14---श्री शिव चरण लाल, आगरा ।
15---श्री सीताराम निषाद, फैजाबाद ।
16---श्री मोतीलाल देहलवी, कानपुर ।
17---श्री नन्द राम, मुजफ्फरनगर ।
18---श्री राम प्यारे तिवारी, वाराणसी ।
19---श्री तेज सिंह, बुलन्दशहर ।
20---श्री श्रीनारायण, देवरिया ।
21---श्री वेद प्रकाश अग्रवाल, फैजाबाद ।

1---हरिजन स्थायी समिति :

1---श्री कुंवर बहादुर मिश्र, हमीरपुर ।
2---श्री झिलमिट, गाजीपुर ।
3---श्री देवी सिंह, मुरादाबाद ।
4---श्री धर्मपाल सिंह, अलीगढ़ ।
5---श्री बेचनराम, वाराणसी ।
6---श्री मलखान सिंह, जालौन ।
7---श्री महाबीर प्रसाद, गोरखपुर ।
8---श्री रघुनाथ राम, बलिया ।
9---श्री रामजी, गाजीपुर ।
10---श्री रामस्वरुप भारतीय, प्रतापगढ़ ।
11---श्री रुपराम, शाहजहांपुर ।
12---श्री सत्तार अहमद, बिजनौर ।
13---श्रीमती सरस्वती टम्टा, अल्मोड़ा ।
14---श्री सुक्खन सिंह, बिजनौर ।
15---श्री हुबराज, फैजाबाद ।
16---श्री जंगबहादुर (महनगर), आजमगढ़ ।

2----शरणार्थी स्थायी समिति---

1 . श्री अजीत सिंह सेठी, मेरठ ।
2 . श्री मंजूर अली खां उर्फ शन्नू खां, रामपुर ।
3 . श्री प्रियदर्शी जेटली, फैजाबाद ।
4 . श्रीमती संतोष कुमारी पाठक, बदायूं ।
5 . नबाव सैयद मुर्तजा अली खां, रामपुर ।
6 ...श्री काजी जलील अब्बासी, बस्ती ।
7 ... श्री काशी प्रसाद, हमीरपुर ।
8 . . श्रीमती सुखदा मिश्र, इटावा ।
9.... श्री प्रभुदयाल विद्यार्थी, बस्ती ।
10 ... श्री शिव सम्पत्ति राम, मिर्जापुर ।
11 . श्री तीरथ राम कोहली, इलाहाबाद ।
12 ..श्री जमना प्रसाद बोस, बांदा ।
13 ..श्री चन्द्रपाल सिंह, मुरादाबाद ।
14 ...श्री छज्जू सिंह, मरठ ।
15 ...श्री रामअधार राय, आजमगढ़ ।
16 . . श्री राधवेन्द्र सिंह, उन्नाव ।

3----सामान्य प्रशासन स्थायी समिति---

1 . श्री देवी सिंह, मुरादाबाद ।
2.. श्री चन्द्र शेखर सिंह, बस्ती ।
3 . . श्री लालू राम, बस्ती ।
4 ... श्री गुलाब सेहरा, आगरा ।
5 .... श्री मलखान सिंह, आगरा ।
6 -- श्री काशी प्रसाद, हमीरपुर ।
7 -- श्री दीपनारायण बन महन्थ, गोंडा ।
8 . श्री रुद्र प्रसाद, मिर्जापुर ।
9.... श्री सरस्वती प्रताप सिंह, खीरी ।
10 ...श्री माखनलाल मिश्र, खीरी ।
11.... श्री शाह अब्दुल फैज, गाजीपुर ।
12 . श्री गोविन्द सिंह नेगी, टेहरी गढ़वाल ।
13 ..श्री राम प्रकाश यादव, मथुरा ।
14.... श्री राजहादुर, जौनपुर ।
15....श्री शारदा प्रसाद रावत, गोरखपुर ।
16 ..श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा, सीतापुर ।

4.... सार्वजनिक निर्माण स्थायी समिति---

1.. श्री कृष्णवीर सिंह, बदायूं ।
2....श्री गंगास्वरुप भटनागर, सीतापुर ।
3 .. श्री धर्मपाल सिंह, अलीगढ़ ।
4 . श्री भगवती प्रसाद वर्मा, बाराबंकी ।
5 . श्री मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, एटा ।

विधान सभा

[श्री अम्मार रिजवी]

6 -- श्री रघुराज सिंह, देवरिया ।
7 · कु0 रमापन्त, अल्मोड़ा ।
8 · श्री राजेन्द्र शाह, जालौन ।
9 · श्री रामजी, गाजीपुर ।
10 · श्री रामलखन सिंह, बस्ती ।
11 · श्री सत्यवीर सिंह, बुलन्दशहर ।
12 · श्री फजल रहमान अन्सारी, बहराइच ।
13 · श्री रामगरीब, गोन्डा ।
14 · श्री भीखन, बस्ती ।
15 · श्री वेद प्रकाश अग्रवाल, फैजाबाद ।
16 · श्री राजेन्द्र सिंह, अलीगढ़ ।

5 · सिंचाई स्थायी समिति--

1 · श्री ओम प्रकाश, जौनपुर ।
2 · श्री गजेन्द्र सिंह, इटावा ।
3 · श्री बाबू लाल तिवारी, झांसी ।
4 · श्री मानबहादुर सिंह, गोंडा ।
5 · श्री मोहम्मद हयात, मुरादाबाद ।
6 · श्री मोहम्मद असलम, सहारनपुर ।
7 · श्रीमती श्यामा देवी, बस्ती ।
8-- श्री रफीउल्ला, बलिया ।
9 · श्री जफर आजमी, आजमगढ़ ।
10 · श्री मलखान सिंह, जालौन ।
11 · श्री दयाराम भास्कर, आजमगढ़ ।
12 · श्री राम जनम राय, गाजीपुर ।
13 · श्री अंगने लाल, हरदोई ।
14 · श्री दशरथ सिंह, गोंडा ।
15 · श्री एदल सिंह, बुलन्दशहर ।
16 · श्री राव मुश्ताक, सहारनपुर ।

6 -- विद्युत् स्थायी समिति --

1 · श्री पुरुषोत्तम दास, मिर्जापुर ।
2 · श्री सुरेन्द्र प्रताप नारायण पाण्डेय, बस्ती ।
3 · श्री रफीउल्ला, बलिया ।
4 · श्री राम दुलारे, रायबरेली ।
5 · श्री ईश्वरी सिंह, बुलन्दशहर ।
6 · श्री महेश सिंह, हरदोई ।
7 · श्री खूब चन्द, एटा ।
8 · श्री बंशीधर, रामपुर ।
9 · श्री वीरेन्द्र कुमार चौधरी, सीतापुर ।
10 · श्री महावीर सिंह, सहारनपुर ।
11 · श्री राम मूर्ति, बरेली ।

12 · श्री जगन्नाथ सिंह परमार, बांदा ।
13 · श्री शारदा भक्त सिंह, हरदोई ।
14 · श्री धर्मवीर सिंह, बिजनौर ।
15 · श्री जंगबहादुर सिंह, आजमगढ़ ।
16 · श्री मनी राम, मुरादाबाद ।

7---शिक्षा स्थायी समिति---

1-- श्री प्यारे लाल, अलीगढ़ ।
2---श्री ए० सी० ग्राइस, कानपुर ।
3 --श्री कुंवर बहादुर मिश्र, हमीरपुर ।
4 · श्री केशरी लाल, कानपुर ।
5 ---श्रीमती चम्पावती, आगरा ।
6 · श्री प्रभाकर सिंह, प्रतापगढ़ ।
7 ---श्री बाल कृष्ण सनवाल, नैनीताल ।
8 · श्री मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, एटा ।
9 · श्री राज किशोर तिवारी, जौनपुर ।
10 ---श्री राम देव, इलाहाबाद ।
11 ---श्री काली चरण, गाजीपुर ।
12---श्री पुरुषोत्तम कौशिक, देवरिया ।
13---श्री शिव सम्पत्ति राम, मिर्जापुर ।
14 · श्री भगवत दयाल, झांसी ।
15 · श्री मूल चन्द, मुजफ्फरनगर ।
16 ---श्री सोहन लाल, रामपुर ।

8- श्रम स्थायी समिति---

1--श्री प्यारे लाल शर्मा, मेरठ ।
2- श्री रघुवीर राम, गाजीपुर ।
3 --श्री राम रतन सिंह, सीतापुर ।
4 --श्री चन्द्र शेखर शुक्ल, गोरखपुर ।
5 --श्री मोहम्मद शकील अहमद, लखनऊ ।
6 श्री प्यारे लाल, अलीगढ़ ।
7--श्री अनुरुद्ध राय, देवरिया ।
8--श्री रमेशचन्द श्रीवास्तव, लखनऊ ।
9--श्री हरी राम, सहारनपुर ।
10--श्री किशन लाल, पीलीभीत ।
11--श्री बादाम सिंह, बरेली ।
12--श्री चन्द्रपाल सिंह, मुरादाबाद ।
13--श्री राजा महेन्द्र रिपुदन सिंह, आगरा ।
14--श्री रामरति विन्द, वाराणसी ।
15--श्री शिव प्रसाद, आजमगढ़ ।
16--श्री गोपीनाथ कामेश्वरपुरी, बस्ती ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

[श्री अम्मार रिजवी]

9--वन स्थायी समिति--

1--श्री गोविन्द सिंह नेगी, टेहरी-गढ़वाल ।
2--श्री मोहन सिंह, रायबरेली ।
3--श्री चन्द्र शेखर शुक्ल, गोरखपुर ।
4--श्रीमती श्यामा देवी, बस्ती ।
5--श्री गोविन्द सिंह मेहरा, अल्मोड़ा ।
6--श्री बाल कृष्ण सनवाल, नैनीताल ।
7--श्री भारतसिंह रावत, गढ़वाल ।
8--श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला, टिहरी-गढ़वाल ।
9--श्री सोहन लाल धुसिया, बस्ती ।
10--श्री राम चरन शाह, खीरी ।
11--श्री विजय पाल सिंह, गोंडा ।
12--श्री चन्द्र पाल सिंह, मुरादाबाद ।
13--श्री मिश्रयार खां, बरेली ।
14--श्री महेन्द्र रिपुदमन सिंह, आगरा ।
15--श्री गंगा प्रसाद, एटा ।
16--कैप्टेन राम गरीब, गोंडा ।

10--माल स्थायी समिति--

1--श्री आनन्द स्वरुप, जालौन ।
2--श्री ख्याली राम शास्त्री, मुरादाबाद ।
3--श्री गया सिंह, उन्नाव ।
4--श्री जागेश्वर, फतेहपुर ।
5--श्री प्रेम सुन्दर नारायण सिंह, मेरठ ।
6--श्री बंशीधर, रामपुर ।
7--श्री भगवती चरण निर्मोही, गढ़वाल ।
8--श्री सत्तार अहमद, बिजनौर ।
9--श्री हुकुम सिंह, मुजफ्फरनगर ।
10--श्री राम पति, गोंडा ।
11--श्री सूबेदार प्रसाद, मिर्जापुर ।
12--श्री गिरजा शंकर पाठक, वाराणसी ।
13--श्री राज बहादुर, जौनपुर ।
14--श्री नियाज हसन खां, प्रतापगढ़ ।
15--श्री बैजनाथ यादव, वाराणसी ।
16--श्री राम दयाल सिंह, मेरठ ।

11--न्याय तथा विधान सम्बन्धी स्थायी समिति--

1--श्री देव कुमार यादव, बांदा ।
2--श्री रूप राम, शाहजहांपुर ।
3--श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्रा, देवरिया ।
4--श्री मलखान सिंह, मुजफ्फरनगर ।
5--श्री ए० सी० ग्राइस, नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

6--श्री रामपूजन पटेल, इलाहाबाद ।
7--श्री केदार नाथ अग्रवाल, बहराइच ।
8--श्री पूरन लाल, अलीगढ़ ।
9--श्री चरन दास सेठ, वाराणसी ।
10--श्री अवधेश कुमार, गोरखपुर ।
11--श्री राम अधार राय, आजमगढ़ ।
12--श्री राघवेन्द्र सिंह, उन्नाव ।
13--श्री राधा चरण सिंह, मथुरा ।
14--श्री भारत सिंह चौहान, इटावा ।
15--श्री महेन्द्र सिंह, मुरादाबाद ।
16--श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, बांदा ।

12--कृषि तथा पशुपालन स्थायी समिति--

1--श्री ईश्वरी सिंह, बुलन्दशहर ।
2--श्री बशीधर, रामपुर ।
3--श्री गोपीनाथ कामेश्वरपुरी, बस्ती ।
4--श्री चन्दन सिंह कामरेड, झांसी ।
5--श्री दीपनारायण पान्डेय, गोंडा ।
6--श्री जंगबहादुर सिंह, आजमगढ़ ।
7--श्री धर्म चन्द्र मिश्र, फैजाबाद ।
8--श्री ध्रुवनारायण सिंह, गोरखपुर ।
9--श्री मजूर अली खां उर्फ शम्भू खां, रामपुर ।
10--श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, इलाहाबाद ।
11--श्री भाभी यादव, आजमगढ़ ।
12--श्री शिव कैलाश, बाराबंकी ।
13--श्री मुलतान सिंह, आगरा ।
14--श्री बल्देव, वाराणसी ।
15--श्री गजाधर प्रसाद आर्य, गोंडा ।
16--श्री श्याम बिहारी सिंह, बरेली ।

13--आबकारी स्थायी समिति--

1--श्री रामेश्वर नाथ चौबे, बरेली ।
2--श्री श्याम लाल रावत, सीतापुर ।
3--श्री मन्नूलाल द्विवेदी, रायबरेली ।
4--श्री केदार नाथ अग्रवाल, बहराइच ।
5--श्री राम अवतार सिंह, कानपुर ।
6--श्री जगदीश अवस्थी, कानपुर ।
7--श्री राजपाल, मेरठ ।
8--श्री गया सिंह, उन्नाव ।
9--श्री रघुराज सिंह, देवरिया ।
10--श्री गंगा सिंह यादव, एटा ।
11--श्री झिलमिट, गाजीपुर ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

[श्री अम्मार रिजवी]

12—श्री राम रेखा यादव, बस्ती ।
13—श्री श्यामलाल अहिरवार फर्रुखाबाद ।
14—श्री कृपा शंकर आर्य, देवरिया ।
15—श्री राम निहोर, वाराणसी ।
16—श्री लालूराम, बस्ती ।

14—जेल स्थायी समिति—

1—श्री देव कुमार यादव, बांदा ।
2—श्री सोहन लाल, बदायूं ।
3—श्री राम लखन सिंह, बस्ती ।
4—श्री अम्बिका प्रसाद सिंह, सुल्तानपुर ।
5—श्री गजेन्द्र सिंह, इटावा ।
6—श्री भोलादत्त सकलानी, देहरादून ।
7—श्री मान बहादुर सिंह, गोंडा ।
8—श्री मान बहादुर सिंह, गोंडा ।
9—श्री बनवारी राम यादव, बलिया ।
10—श्री गोपीनाथ कामेश्वरपुरी, बस्ती ।
11—श्री मुन्नूलाल द्विवदी, रायबरेली ।
12—श्री रामस्वरूप भारतीय, प्रतापगढ़ ।
13—श्री नन्हे लाल, बाराबंकी ।
14—श्री नत्थू सिंह यादव, मैनपुरी ।
15—श्री मंगरे सिंह, गोन्डा ।
16—श्री राम लखन, इटावा ।

15—चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थायी समिति—

1—श्री काशी प्रसाद, हमीरपुर ।
2—हाजी मोहम्मद हयात, मुरादाबाद ।
3—डा० धर्मपाल सिंह, फर्रुखाबाद ।
4—श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला, गढ़वाल ।
5—श्री प्रेमसुन्दर नारायण सिंह, मेरठ ।
6—श्रीमती राजपती देवी, सुल्तानपुर ।
7—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह, बाराबंकी ।
8—श्री राम लखन सिंह, बस्ती ।
9—श्री राम शिरोमणि दुबे, जौनपुर ।
10—डा० श्याम किशोर, सीतापुर ।
11—श्री जुगुल किशोर, बदायूं ।
12—डा० जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, सुल्तानपुर ।
13—श्री चन्द्र शेखर सिंह, बस्ती ।
14—श्री राधा चरण सिंह, मथुरा ।
15—श्री गंजी प्रसाद, वाराणसी ।
16—श्री अठई राम, इलाहाबाद ।

16---स्थानीय स्वशासन सम्बन्धी स्थायी समिति---

1---श्री अनवार मोहम्मद, फर्रुखाबाद ।
2---श्री अब्दुल रहमान खां 'नातर', कानपुर ।
3---श्री दीपनारायण बन, गोन्डा ।
4---श्री ध्रुवनारायण सिंह, गोरखपुर ।
5---श्री बाबू लाल तिवारी, झांसी ।
6---श्री भोलादत्त सकलानी, दहरादून ।
7---श्री मलखान सिंह, जालौन ।
8---श्री राम देव, इलाहाबाद ।
9---श्री वीरेन्द्र स्वरुप भटनागर, बुलन्दशहर ।
10---श्री कैलाश सिंह, बलिया ।
11---श्री दीनानाथ सेवक, रायबरेली ।
12---श्री राजेन्द्र सिंह, अलीगढ़ ।
13---श्री काजी मो० मोहिउद्दीन, सहारनपुर ।
14---श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, गोन्डा ।
15---श्री ओम प्रकाश सिंह, मिर्जापुर ।
16---श्री शारदा प्रसाद रावत, गोरखपुर ।

17---सूचना स्थायी समिति---

1---श्री गोरे लाल शाक्य, इटावा ।
2---श्री महावीर सिंह, सहारनपुर ।
3---श्री मेघनाथ सिंह शिसौदिया, मेरठ ।
4---श्री नारायण हरी शर्मा, अलीगढ़ ।
5---श्री कृष्ण दत्त उर्फ बलराज, फतहपुर ।
6---श्री जगदीश नारायण त्रिपाठी, मैनपुरी ।
7---श्री जगदीश मिश्र, आजमगढ़ ।
8---श्री अनुरुद्ध राय, देवरिया ।
9---श्री दुर्योधन प्रसाद, गोरखपुर ।
10---श्री गौरी शंकर एडवोकेट, इटावा ।
11---श्री बाबू लाल वर्मा, बहराइच ।
12---श्री पूरन लाल, हरदोई ।
13---श्री धरमराम, गाजीपुर ।
14---श्री कबूल सिंह, मुजफ्फरनगर ।
15---श्री गिरिजा शंकर पाठक, वाराणसी ।
16---श्री ज्ञानेन्द्र स्वरूप, मथुरा ।

13---रसद स्थायी समिति---

1---श्री गंगा सिंह, एटा ।
2---श्री गोपीनाथ कामश्वरपुरी, बस्ती ।
3---श्री चन्द्रभान आजाद, बांदा ।
4---श्री जगदीश अवस्थी, कानपुर ।
5---श्री दुर्योधन प्रसाद, गोरखपुर ।
6---श्रीमती दुलारा देवी, बहराइच ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

[श्री अम्मार रिजवी]

7 · श्री प्रेमदत्त तिवारी, फतेहपुर ।
8 · श्री राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, आगरा ।
9 · कैप्टैन राम गरीब, गोण्डा ।
10 · श्री लालन शर्मा, हरदोई ।
11 · श्री सत्यवीर सिंह, बुलन्दशहर ।
12 · श्री शारदा भक्त सिंह, हरदोई ।
13 · श्री शिवसम्पत्ति राम, मिर्जापुर ।
14 · श्री छज्जू सिंह, मेरठ ।
15 · श्री नजुराम, जौनपुर ।
16 · श्री जंगबहादुर, मेहनगर, आजमगढ़ ।

19—पुलिस स्थायी समिति—

1 · श्री गंगा स्वरूप भटनागर, सीतापुर ।
2 · श्री जुशल किशोर, बदायूं ।
3 · श्री जयराज गौतम, सुल्तानपुर ।
4 · श्री नाथूराम, एटा ।
5 · श्री रमा कान्त द्विवेदी, फतेहपुर ।
6 · श्री बेचन राम, वाराणसी ।
7 · श्री राजा रणंजय सिंह, सुल्तानपुर ।
8 · श्री राज किशोर तिवारी, जौनपुर ।
9 · श्री नबाव सयद मुर्तजा अली खां, रामपुर ।
10 · श्री हेमराज, बरेली ।
11 · श्री काशीनाथ मेहरोत्रा, हरदोई ।
12 · श्री दर्लासिंह यादव, शाहजहांपुर ।
13 · श्री नियाज हसन खां, प्रतापगढ़ ।
14 · श्रीमती गायत्री देवी, मथुरा ।
15 · श्री बाबू सिंह, अलीगढ़ ।
16 · श्री मुलायम सिंह, इटावा ।

20—यातायात स्थायी समिति—

1 · श्री आबिद अली, सीतापुर ।
2 · श्री गोविन्द सिंह मेहरा, अल्मोड़ा ।
3 · श्री सुरेन्द्र प्रताप नारायण पांडे, बस्ती ।
4 · श्री पुरुषोत्तम दास, मिर्जापुर ।
5 · श्री पूरन लाल, हरदोई ।
6 · श्री प्रतापनारायण द्विवेदी, हमीरपुर ।
7 · श्री भगवती चरण निर्मोही, गढ़वाल ।
8 · श्री रमाकान्त द्विवेदी, फतेहपुर ।
9 · श्री हरीराम, सहारनपुर ।
10 · श्री हुबराज, फैजाबाद ।
11 · श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा, सीतापुर ।
12 · श्री बादाम सिंह, बरेली ।

13—श्री मुहम्मद अमरार अहमद, बदायूं ।
14 · श्री राम प्रकाश यादव, मथुरा ।
15 · श्री शिव कैलाश, बाराबंकी ।
16—श्री नत्थू सिंह यादव, मैनपुरी ।

21—उद्योग स्थायी समिति—

1—श्री अब्दुल बाकी, आजमगढ़ ।
2— श्री नारायण हरी शर्मा, अलीगढ़ ।
3—श्री रघुवीर राम, गाजीपुर ।
4 · श्री सरस्वती प्रताप सिंह, खीरी ।
5 · श्री प्रेमदत्त तिवारी, फतेहपुर ।
6 · श्री चितरंजन स्वरूप, मुजफ्फरनगर ।
7 · श्री जंगबहादुर सिंह, आजमगढ़ ।
8 · श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान, अलीगढ़ ।
9 · श्री रघुबीर सिंह, मैनपुरी ।
10— श्री रेवती शरण मौर्य, मेरठ ।
11 · श्री सोहन लाल लाठ, रामपुर ।
12 · श्री एदल सिंह, बुलन्द शहर ।
13 —श्री गंगा प्रसाद, एटा ।
14 —श्री रेवती रमण, इलाहाबाद ।
15 —श्री कबूल सिंह, मुजफ्फरनगर ।
16—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, बस्ती ।

22—विकास तथा नियोजन स्थायी समिति—

1— श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डे, गोरखपुर ।
2— श्री मन्नी लाल, हरदोई ।
3— श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, देवरिया ।
4— श्री अजीत सिंह सेठी, मेरठ ।
5—श्री ओम प्रकाश, जौनपुर ।
6 · श्री लालन शर्मा, हरदोई ।
7 · श्री रामपाल सिंह, मुरादाबाद ।
8 · श्री श्याम मिश्र , कानपुर ।
9—श्री प्यारे लाल, अलीगढ़ ।
10—श्री मनी राम, मुरादाबाद ।
11— श्री रामरति विन्द, वाराणसी ।
12—श्री राव मुश्ताक, सहारनपुर ।
13—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, गोरखपुर ।
14—श्री अंगने लाल, हरदोई ।
15—श्री राम प्रकाश त्रिपाठी, फर्रुखाबाद ।
16—श्री तीरथराम कोहली, इलाहाबाद ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

[श्री अम्मार रिजवी]

23—सहकारी स्थायी समिति—

1—श्री ओम प्रकाश गुप्ता, शाहजहांपुर ।
2—श्री अम्बिका प्रसाद सिंह, सुल्तानपुर ।
3—श्री बनवारी राम यादव, बलिया ।
4—श्री राम अवतार सिंह, कानपुर ।
5—श्री रमा कान्त द्विवेदी, फतेहपुर ।
6—श्री महेश सिंह, हरदोई ।
7—श्री बंशीधर रामपुर ।
8—श्री राम दुलारे, रायबरेली ।
9—श्री रघुराज सिंह, गोंडा ।
10—श्री भगवती प्रसाद, फैजाबाद ।
11—श्री नन्हे लाल, बाराबंकी ।
12—श्री धरम राम, गाजीपुर ।
13—श्री दीनाथ सेवक, रायबरेली ।
14—श्री ज्ञानेन्द्र स्वरूप, मथुरा ।
15—श्री भगौती प्रसाद, बाराबंकी ।
16—श्री बाबू लाल वर्मा, बहराइच ।

24—समाज कल्याण स्थायी समिति—

1—श्री सोहन लाल, बदायूं ।
2—श्री नाथू राम, एटा ।
3—श्रीमती गंगा देवी विशारद, बिजनौर ।
4—श्री नारायण दास, लखनऊ ।
5—श्रीमती दुलारा देवी, बहराइच ।
6—श्री राम हर्ष चौधरी, बहराइच ।
7—श्रीमती राजपती देवी, सुल्तानपुर ।
8—श्री भगवती प्रसाद शुक्ला, फैजाबाद ।
9—श्री रघुनाथ, बलिया ।
10—डा० जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, सुल्तानपुर ।
11—श्री वेद प्रसाद अग्रवाल, फैजाबाद ।
12—श्री मंगर सिंह, गोंडा ।
13—श्री कृष्णा राय, देवरिया ।
14—श्री बल्देव, वाराणसी ।
15—श्री शिव प्रसाद, आजमगढ़ ।
16—श्री शतरुद्र प्रकाश, वाराणसी ।

25—प्रशिक्षण एवं सेवायोजना स्थायी समिति—

1—श्री मन्नी लाल, हरदोई ।
2—श्री लालू राम, बस्ती ।
3—श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, लखनऊ ।
4—श्री राम देव यादव, रायबरेली ।
5—श्री राम समुझ तिवारी, बस्ती ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

6—श्री धर्म चन्द्र मिश्र, फैजाबाद ।
7—श्री महावीर प्रसाद, गोरखपुर ।
8—श्रीमती श्यामा देवी, बस्ती ।
9—हाफिज मुहम्मद असलम, सहारनपुर ।
10—श्री शारदा प्रसाद रावत, गोरखपुर ।
11—श्री राज ब्रजराज सिंह, खीरी ।
12—श्री कमला प्रसाद, वर्मा, बहराइच ।
13—श्री मोहन लाल कपूर, मेरठ ।
14—श्री पुरुषोत्तम कौशिक, देवरिया ।
15—श्री बैजनाथ यादव, वाराणसी ।
16—श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, इलाहाबाद ।

26—बिक्री कर स्थायी समिति—

1—श्री चन्द्रभान आजाद, बांदा ।
2—डा० श्याम किशोर, सीतापुर ।
3—श्री सुक्खन सिंह, बिजनौर ।
4—श्री ख्याली राम शास्त्री, मुरादाबाद ।
5—श्री निर्भय नारायण सिंह, बलिया ।
6—श्री तेजनारायण त्रिवेदी, खीरी ।
7—श्री श्याम मिश्र, कानपुर ।
8—श्री राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, आगरा ।
9—श्री राजपाल, मेरठ ।
10—श्री ओम प्रकाश, शाहजहांपुर ।
11—श्री सत्य प्रकाश, बरेली ।
12—श्री दिनेशचन्द्र रस्तोगी, मुरादाबाद ।
13—श्री ज्ञानेन्द्र स्वरूप, मथुरा ।
14—श्री भीषम, बस्ती ।
15—श्री गंगा प्रसाद, एटा ।
16—श्री रामदयाल सिंह, मेरठ ।

27—पर्यटन स्थायी समिति—

1—श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग, सहारनपुर ।
2—श्री पूरन चन्द्र, अलीगढ़ ।
3—श्री कृष्ण वीर सिंह, बदायूं ।
4—श्री रघुनाथ सिंह, झांसी ।
5—डा० धर्मपाल सिंह, फर्रुखाबाद ।
6—श्री प्रियदर्शी जेटली, फैजाबाद ।
7—श्री भगौती प्रसाद शुक्ल, फैजाबाद ।
8—श्री मोहन सिंह, रायबरेली ।
9—कुमारी रमा पन्त, अल्मोड़ा ।
10—श्री गोविन्द सिंह नेगी, टेहरी-गढ़वाल ।
11—श्रीमती संतोष कुमारी पाठक, बदायूं ।
12—श्रीमती सुखदा मिश्र, इटावा ।

[श्री अम्मार रिजवी]

13---श्री रामपति, गोंडा ।
14---श्री मिश्रयार खां, बरेली ।
15---श्री मोहम्मद रफी खां, शाहजहांपुर ।
16---श्री गिरिजा शंकर पाठक, वाराणसी ।

28---स्पोर्टस स्थायी समिति, 1976---

1---श्री शतरुद्र प्रकाश, वाराणसी, ।
2---श्री काजी मोहम्मद मोहिउद्दीन, सहारनपुर ।
3---श्री सत्यपाल मलिक, मेरठ ।
4---श्री रेवती रमण सिंह, (उपनाम मणी जी) इलाहाबाद ।
5---श्री कल्याण सिंह, अलीगढ़ ।
6---श्री किशन लाल, पीलीभीत ।
7---श्री रणजीत सिंह 'जुदेव', झांसी ।
8---श्री मोहन सिंह, रायबरेली ।
9---श्रीमती सुखदा मिश्र, इटावा ।
10---श्री क्रान्तिकुमार, बिजनौर ।
11---श्री मेघनाथ सिंह शिशोदिया, मेरठ ।
12---श्री रघुराज सिंह, देवरिया ।
13---श्री जयराज गौतम, सुल्तानपुर ।
14---हाजी मोहम्मद हयात, मुरादाबाद ।
15---श्री रुद्र प्रसाद, मिर्जापुर ।
16---श्री केशरी लाल, कानपुर ।

उ० प्र० निराश्रित सहायता समिति---

1---श्रीमती गायत्री देवी, मथुरा ।
2---श्री महेश सिंह, हरदोई ।
3---श्री केदारनाथ अग्रवाल, बहराइच ।

मुवाली सेनीटोरियम---

1---श्रीमती शान्ति देवी, बदायूं ।
2---डा० कृष्णवीर सिंह कौशल, आगरा ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्---

1---श्री प्रभाकर सिंह, प्रतापगढ़ ।
2---श्री महावीर प्रसाद, गोरखपुर ।
3---श्री ए० सी० ग्राइस, नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय ।
4---श्री पुरुषोत्तम कौशिक, देवरिया ।
5---श्री मोहन लाल कपूर, मेरठ ।

यू० पी० नर्सेज एण्ड मिडवाइफ कौंसिल---

1---श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी, आंग्ल लखनऊ ।
2---श्री गिरिजा शंकर पाठक, वाराणसी ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन निम्नलिखित समितियों एवं निकायों में उनके सामने उल्लिखित संख्या में वर्ष 1976-77 के लिये संसदीय कार्य मन्त्री द्वारा प्रस्तुत सूची के अनुसार विधान सभा के सदस्यों को निर्वाचित करता है।

(क) समितियां---	सदस्यों की संख्या
1---लोक लेखा समिति	21
2---प्राक्कलन समिति	25
3---सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति	25
4--अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति	21
5---28 स्थायी समितियां (प्रत्येक में)	16
(ख) निकाय	
1---राज्य निराश्रित सहायता समिति	3 (जिनमें कम से कम एक महिला सदस्य होगी।)
2---किंग एडवर्ड सप्तम सैनीटोरियम भुवाली की परामर्शदात्री समिति ..	2
3---माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश	5
4---उत्तर प्रदेश नर्सेज ऐंड मिडवाइफ कौंसिल	2 (जिसमें कम से कम एक महिला सदस्य होगी।)

समय के अन्दर नामजदगी नहीं हुई और समझ बूझ कर समझौते के आधार पर यह प्रणाली अपनाई गई है। इसलिए मैंने आपके सामने यह प्रश्न रख दिया है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1976

शिक्षा मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

श्रीमन, इस विधेयक को जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है इसका इन्तजार बहुत पहले से था। आज आखिर में आया है। इसमें उन उपलब्धियों का जिक्र है जो माननीय सदस्यों को दी गयी हैं। उम्मीद है कि जो सहूलियतें उनको दी गयी हैं उनको देखते हुए माननीय सदस्य अपने उत्तरदायित्वों को पूरी तरह से निभायेंगे और जनता की पूरी तरह से सेवा करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)---

अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना निवेदन था कि आपने डेली एलाउन्स को बढ़ा दिया तो माहवारी तनख्वाह को कुछ कम कर देते तो प्रेसफुल होता। अभी मान्यवर, इसको स्वीकार कर लीजिये।

(शोर)

श्री अध्यक्ष---

अभी तो विचार किया जायगा, खंडों पर संशोधन होगा।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

खंडों में संशोधन है, कई सदस्यों के आये हैं। माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह, श्री यादवेंद्र सिंह, श्री राम समुझ तिवारी, श्री गोविन्द सिंह मेहरा, श्री शिव प्रसाद गुप्त, श्री रुद्र प्रसाद आदि अनेक सदस्यों ने दिये हैं। मैंने देखा है। जो माननीय शिव प्रसाद गुप्त के संशोधन है, वह सब कवर कर लेते हैं। इसलिये मैं माननीय शिव प्रसाद गुप्त को अपना संशोधन प्रस्तुत करने के लिये आज्ञा देता हूं।

खण्ड 2

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1952 की धारा 2 का संशोधन

2---उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, 1952 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में---

(1) उपधारा (1) में ...

(क) शब्द "निःशुल्क असंक्रमणीय कूपन या पास भी दिये जायेंगे जिससे वह उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर किसी भी समय उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज द्वारा उच्चतर श्रेणी, यदि कोई हो, से यात्रा करने का अधिकारी होगा" के स्थान पर शब्द "निःशुल्क असंक्रमणीय पास भी दिये जायेंगे जिससे वह उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर किसी भी समय उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस द्वारा उच्चतर श्रेणी में, यदि कोई हो, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन देय यात्री-कर का भुगतान किये बिना यात्रा करने का अधिकारी होगा" रख दिये जायेंगे।

(ख) द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायगा, अर्थात् :---

"परन्तु यह और कि ऐसा सदस्य उक्त रेल यात्रा कूपनों का, नियत की जाने वाली रीति से, रेल यात्रा में अपने साथ अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर रेल यात्रा में ले जाने के लिए प्रयोग कर सकता है, किन्तु इस प्रकार

कुल दूरी, जिसमें उसके द्वारा उत्तर प्रदेश के बाहर और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा, चाहे वह उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर हों, की गयी यात्रा की दूरी सम्मिलित है, 10,000 किलोमीटर प्रति वर्ष की उपर्युक्त अधिकतम सीमा के भीतर रहेगी।";

(2) उपधारा (1 क) में, परन्तुक और स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक और स्पष्टीकरण रख दिये जायेंगे, अर्थात् :—

"परन्तु ऐसा सदस्य उक्त रेल यात्रा कूपनों का, नियत की जाने वाली रीति से, रेल यात्रा में अपने साथ अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर रेल यात्रा में, ले जाने के लिए प्रयोग कर सकता है, किन्तु इस प्रकार कुल दूरी, जिसमें उसके द्वारा उत्तर प्रदेश के बाहर और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा, चाहे वह उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर हों, की गई यात्रा की दूरी सम्मिलित है, 10,000 किलो मीटर प्रति वर्ष की उपर्युक्त अधिकतम सीमा के भीतर रहेगी।"

स्पष्टीकरण—उपधारा (1) और उपधारा (1 क) के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश क बाहर रेल द्वारा यात्रा की दूरी की गणना में, उत्तर प्रदेश की सीमा में स्थित किन्हीं दो रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी निकाल दी जायेगी।";

(3) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

"(2) ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जो नियत की जायं, उपधारा (1) में अभिदिष्ट प्रत्येक सदस्य, होने के नाते अपने कर्तव्य तथा कार्य के सम्बन्ध में अपेक्षित अपनी उपस्थिति के लिए निम्नलिखित के पाने का अधिकारी होगा :—

(i) उक्त प्रयोजनों के निमित्त यात्रा के लिए, अर्थात् यथास्थिति विधान सभा या विधान परिषद् के प्रत्येक सत्र में या उसकी किसी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए, किसी एक कलेंडर मास में दो बार से अनधिक केवल लखनऊ आने के लिये और अपने निवास स्थान वापस जाने के लिए, आनुषंगिक व्यय; और

(ii) पन्द्रह रुपए की दर से दैनिक भत्ता

परन्तु नेता विरोधी दल को कोई भी दैनिक भत्ता देय न होगा।

स्पष्टीकरण—इस अधिनियम में, 'पदावलि' 'नेता विरोधी दल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभा के ऐसे सदस्य से है जिसे अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा तत्समय इस रूप में अभिज्ञात किया गया हो।";

(4) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेंगी, अर्थात्:—

"(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य, जो नेता विरोधी दल से भिन्न हो, तीन सौ पचास रुपए प्रति मास का समेकित प्रतिकर भत्ता [जिसके अन्तर्गत सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों या कृत्यों के सिलसिले में अपेक्षित अपनी उपस्थिति के सम्बन्ध में रेल, सड़क या वायुयान द्वारा किसी यात्रा के लिए उपधारा (2) में निर्दिष्ट आनुषंगिक व्यय को छोड़कर कोई और आनुषंगिक व्यय, और दैनिक भत्ता और किसी भी प्रकार के अन्य सभी व्यय भी सम्मिलित हैं] राज्य विधान मंडल के सदन की या उसकी किसी समिति की, जिसका वह सदस्य हो, किसी बैठक में प्रत्येक दिन की अनुपस्थिति के लिए दस रुपए की कटौती की शर्त के अधीन, पाने का हकदार होगा :

परन्तु ऐसी परिस्थितियों में और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो नियत की जायं, अनुपस्थिति के लिए कोई कटौती नहीं की जायेगी।

श्री शिव प्रसाद गुप्त (जिला आगरा) ..

अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं....

"खंड 2(1) (क) के प्रारम्भ में निम्नलिखित अंक तथा शब्द बढ़ा दिये जायं:....

'अंक तथा शब्द '10,000 किलोमीटर' के स्थान पर अंक तथा शब्द '15,000 किलोमीटर रख दिये जायं, तथा"

श्री अम्मार रिजवी ...

मान्यवर, स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष....

प्रश्न यह है कि खंड 2(1) (क) के प्रारम्भ में निम्नलिखित अंक तथा शब्द बढ़ा दिये जायें।

"अंक तथा शब्द '10,000 किलो मीटर' के स्थान पर अंक तथा शब्द '15,000 किलो मीटर' रख दिये जायें, तथा"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शिव प्रसाद गुप्त ..

श्रीमन्, खण्ड 2(1) (ख) तथा 2(2) में अंक तथा शब्द "10,000 किलो मीटर" के स्थान पर अंक तथा शब्द "15,000 किलो मीटर" रख दिये जायं।

श्री अम्मार रिजवी ..

मान्यवर, स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष . .

प्रश्न यह है कि खंड 2(1) (ख) तथा 2(2) में तथा मूल अधिनियम में अन्यथा सर्वत्र अंक तथा शब्द '10,000 किलो मीटर' के स्थान पर अंक तथा शब्द "15,000 किलो मीटर" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शिव प्रसाद गुप्त--

श्रीमन, "खंड 2(3) द्वारा प्रतिस्थापति की जाने वाली उपधारा (2) में शब्द "लखनऊ" के स्थान पर शब्द "बैठक के स्थान" रख दिये जायं।

श्री अम्मार रिजवी . .

स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष . .

प्रश्न यह है कि खंड 2(3) द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली उपधारा (2) में शब्द "लखनऊ" के स्थान पर शब्द "बैठक के स्थान" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शिव प्रसाद गप्त . .

श्रीमन, खण्ड 2(4) में शब्द "निम्नलिखित उपधारा" के स्थान पर शब्द "निम्नलिखि उपधारायें" रख दिये जायं, तथा इस उप खंड द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (4) रख दी जाय: . .

. . . (4) उपधारा (1) में उल्लिखित प्रत्येक सदस्य उस उपधारा में उल्लिखित बस पास का अपने साथ एक सहवर्ती ले जाने के लिये भी, प्रयोग कर सकता है। . . .

श्री अम्मार रिजवी --

स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि खंड 2(4) में शब्द 'निम्नलिखित उपधारा' के स्थान पर शब्द 'निम्नलिखित उपराधाये' रख दिये जायं, तथा इस उपखंड द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (4) रख दी जाय:--

". . (4) उपधारा (1) में उल्लिखित प्रत्येक सदस्य उस उप धारा में उल्लिखित बस पास का अपने साथ एक सहवर्ती ले जाने के लिये भी, प्रयोग कर सकता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शिव प्रसाद गुप्त--

श्रीमन, खंड 2(4) के बाद निम्नलिखित उपखंड बढ़ा दिया जाय:--

"(5) अंक तथा शब्द '10,000 किलो मीटर' जहां-जहां आयें हों, के स्थान पर अंक तथा शब्द '15,000 किलो मीटर' रख दिये जायं।"

श्री अम्मार रिजवी--

स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2(4) के बाद निम्नलिखित उपखंड बढ़ा दिया जाय:—

"(5) अंक तथा शब्द '10,000 किलो मीटर' जहां-जहां आये हों, के स्थान पर अंक तथा शब्द '5,000 किलोमीटर' रख दिये जायं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 3,4,5, खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

धारा 2-ख का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 2-ख में

(1) उपधारा (1) के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जाय, अर्थात्:—

"परन्तु जब व्यवस्थित आवास 'ख' श्रेणी का हो या जब किसी आवास की व्यवस्था न की जाय तो सदस्य को प्रतिकर भत्ता दिया जायगा जो प्रथमोक्त दशा में 55 रुपए प्रतिमास की दर से और उपरोक्त की दशा में 150 रुपए प्रतिमास की दर से होगा।";

(2) उपधारा (2) के अन्त में शब्द "और उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रवर्तन में आने के तत्काल पूर्व प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे नियम विधान मंडल के सभी सदस्यों के सम्बन्ध में बनाये जा सकते हैं।";

जोड़ दिये जायं।

धारा 2-ग का संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 2-ग के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी अर्थात्—

निर्वाचन क्षेत्र भत्ता

"2-ग. उत्तर प्रदेश विधान सभा का या उत्तर प्रदेश विधान परिषद् का प्रत्येक सदस्य तीन सौ पचास रुपए प्रतिमास निर्वाचन क्षेत्र भत्ता पाने का हकदार होगा"

पूर्ववर्ती दिनांक से नियम बनाने का अधिकार

5.—कोई नियम जो इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (3) के परन्तुक को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ मूल अधिनियम की धारा 5 के अधीन बनाया जा सकता है, पूर्ववर्ती दिनांक से, किन्तु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व नहीं बनाया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1976

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, 1952 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायेगा।

(2) धारा 2 के खंड (3) और (4), धारा 3 और धारा 4, 1 अप्रैल, 1976 से प्रवृत्त समझी जायेगी और शेष उपबन्ध तत्काल प्रवृत्त होंगे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 3, 4, 5 और खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1976 जैसा कि संशोधित किया गया है, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1976 यथा संशोधित पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(मेजों की थपथपाहट)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 की सूचनायें अस्वीकृत की गयी हैं।

सदन का अनिश्चित काल के लिये स्थगन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं अनिश्चित काल के लिए।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 30 मिनट पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
12 मई, 1976।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 478 पर)

संलग्नक 1

शारदा सहायक खंड नवम बाराबंकी के दो सहायक अभियन्ता अक्तूबर, 75 में मुअत्तल किये गये उनके नाम निम्नलिखित हैं :—

1—श्री जी0 पी0 श्रीवास्तव,

2—श्री राम चरन लाल गुप्ता

श्री जी0 पी0 श्रीवास्तव सहायक अभियन्ता के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप हैं :-

1—अनियमित भुगतान करने तथा अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करना।

श्री राम चरन लाल गुप्ता सहायक अभियन्ता के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप हैं :—

1—अनियमित भुगतान करना,

2—नियमों का उल्लंघन करना,

3—अधिक दर पर पूर्ति लेकर शासन को हानि पहुंचाना,

4—अनियमित क्रय करना।

सर्वश्री जी0 पी0 श्रीवास्तव तथा रामचरन लाल गुप्ता के विरुद्ध आरोप-पत्र शासन के विचाराधीन है। तत्कालीन मुख्य मन्त्री जी के आदेश से श्री जी0 पी0 श्रीवास्तव के मुअत्तली के आदेश स्थगित कर दिये गये हैं। अतः इस समय वे कार्य कर रहे हैं।

विधान सभा सदस्य

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 482 पर)

जिला अधिकारी, कानपुर की अध्यक्षता में दिनांक 25 नवम्बर, 1974 को हुई बैठक में वर्ष 1975–76 के लिए पंचम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत चयन किये गये मार्गों की सूची:—

नये निर्माण कार्य	अनुमानित लागत
	कि0मी0
1—सिकन्दरा—बैजामऊ	11.00
2—डेरापुर—मंगलपुर—कंचोसी	15.00
3—शिवराजपुर—सबीरामऊ	5.00
4—भाऊपुर—सचेंडी	5.00
5—बन्दीमाता—चौबेपुर	6.00
6—नवेड़ी कटरा—मकरन्दपुर	5.00
योग ..	47.00

इन मार्गों की लागत 65,000 रु0 प्रति कि0मी0 की दर से कुल लागत 30.55 लाख होती है।

टेस्ट वर्क के अन्तर्गत बनी सड़कों को पक्का कराया जाना

	कि0मी0
1—बैरी—मैथा	1.5
2—शिवराजपुर से शिवली	2.4
3—बेला—अमापुर	5.0
4—मंछावन—साढ़	2.0
योग ..	10.9

इन कच्चे मार्गों को पक्का करने की लागत 55,000 रु0 प्रति कि0मी0 की दर से 5.99 लाख आती है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 484 पर)

शिकायती–पत्र

बांदा जिले का एक जनसेवक तथा पत्रकार होने के नाते मैं आपका ध्यान बांदा जिले के डाल सिंचाई अधिशासी अभियन्ता, श्री पी0एन0 मिश्रा तथा उनके सहयोगियों द्वारा की गई धांधलियों और घोरभ्रष्टाचारों की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। श्री पी0 एन0 मिश्रा ने अपनी काफी लम्बे कार्यकाल में जिस तरह से विभाग के धन व माल को अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिये इस्तेमाल किया है उनकी मिसाल आसानी से नहीं मिल सकती है। श्री मिश्रा के व्यक्तिगत जीवन को देखने से नवाब वाजिद अली शाह की याद ताजा हो जाती है। श्री मिश्रा के कार्यकाल का काम दिन में 5 बजे के बाद शुरु होता है जबकि नियमानुसार सभी सरकारी कार्यालय बन्द हो जाते हैं। दिन में घर पर पड़े रहना और शराब के नशे का आनन्द लेना उनके जीवन का एक स्थायी रूप हो गया है। विभाग के 8 चपरासी सरकारी काम छोड़कर श्री मिश्रा के परिवार तथा भैंस की सेवा करने में लगे रहते हैं। कार्यालय के बाबुओं को 8 बजे रात्रि तक दफ्तर से श्री मिश्रा का इन्तजार करना पड़ता है लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि वह शाम को शराब के नशे से बेहोश हो और दफ्तर आ ही जायें। श्री मिश्रा की रंगीन जिन्दगी जघन्य भ्रष्टाचारों की जमघट बनी हुई है अपने कार्यालय में इनके मातहत सहायक अभियन्ताओं तथा जूनियर अभियन्ताओं ने जिस दुस्साहस के साथ यहां के ठेकेदारों तथा सरकारी धन व माल को लूटा है और लाखों रुपए कमाये हैं वे अत्यन्त निन्दनीय है उनके सम्पूर्ण भ्रष्टाचारों तथा कुकर्मों का पूरा विवरण लिखना सम्भव नहीं लेकिन उदाहरण के लिये कुछ तथ्य निम्नांकित हैं —

1—यह कि ट्यूबवेल न0 8 पपरेन्दा में पक्की नाली बनाने के बहाने श्री मिश्रा सहायक इंजीनियर श्री गुप्ता तथा जूनियर इंजीनियर श्री वीरेन्द्र सिंह ने भौरी परगना कर्वी से पत्थर मंगाने के काम कर 5,000 रुपया रामसिंह ठेकेदार के नाम से निकाले और सब लोगों ने मिलकर बांट कर 5,000 रुपया हजम कर लिया। पत्थरों के नाम पर भौरी से पपरेंदा एक भी गिट्टी (पत्थर) नहीं गई और न ही पत्थर की नाली बनाई गई दुबारा इसी नाली को बनाने के लिए करीब एक लाख ईंट का पैसा फिर से किसी दूसरे ठेकेदार के नाम निकाला गया और उसके भी कुछ ईंट मौके पर भेज कर काफी रुपया मिल बांट कर खा लिया। पपरेंदा ट्यूबवेल सरकार के लिए इन अधिकारियों ने सफेद हाथी बना दिया है। ट्यूबवेल निर्माण पर इन अधिकारियों ने अपनी तिजोरियां भर ली हैं लेकिन मिसाल को उसका कोई फायदा नहीं मिला है। यह धनराशि सन् 1973 ई0 के आसपास निकाली हुई बताई जाती है। इस तथ्य की जांच सरकारी अभिलेखों तथा मौके का निरीक्षण करके किया जा सकता है। इसी ट्यूबवेल में ईंट की नाली बनवाने के लिए रामसिंह के नाम से फिर काफी बड़ी रकम निकाली गई लेकिन इस रकम से कोई भी ईंट नहीं भेजी गयी फिर इसी ट्यूबवेल में ईंटा भेजने के लिये 50 हजार ईंटों का 2700 रुपया रामगोपाल ठेकेदार के नाम निकाला गया और इन्हीं अधिकारियों द्वारा मिल बांट कर खा लिया गया इस बात की तसदीक राम गोपाल निवासी लाभा परगना बांदा से आज भी की जा सकती है फिर भी पपरेन्दा ट्यूबवेल की नाली बनवाने के लिए 7,500 हजार ईंटें साधू राम ठेकेदार निवासी पपरेन्दा व 50 हजार ईंटों के दाम श्री अहमद ठेकेदार निवासी बलिया जिला को दिये गये और इन ईन्टों में लगभग 250 मीटर नाली ईंटों की नाली बनायी गयी।

2—यह कि इसी प्रकार लाभा ट्यूबवेल के लिए भी कई ठेकेदारों के नाम भारी रकमें निकाली गयीं जिसकी तसदीक मौके पर जांच से या कागजात से की जा सकती है।

3—यह कि सतन्याव ट्यूबवेल परगना बवेरू की ईटा भेजने के लिए राम किशोर ठेकेदार के नाम साढ़े 6 हजार रुपया निकाला गया लेकिन ईटा नहीं भेजे गये और रुपया इन अधिकारियों ने मिल बांटकर खा लिया और सतन्याव ट्यूबवेल अधूरा पड़ा है।

4—यह कि अलौना नहर में हेड के पास मिट्टी डालने के लिए 3 लाख घनफिट मिट्टी डालने के लिए रामसिंह ठेकेदार के नाम निकाला गया लेकिन उसमें रामसिंह ठेकेदार ने एक डलिया भी मिट्टी नहीं डलायी निकाला हुआ रुपया सब अधिकारी खा गये। जो भी मिट्टी पड़ी है उसके रामगोपाल साधूराम, नन्दा, अहमद आदि को बचे ठेके देकर मिट्टी डलवाई गई।

5—यह कि अलौना माइनर निर्माण के लिए भेजी गयी सीमेंट में करीब 90 हजार रुपए की सीमेंट श्री पी0 एन0मिश्रा व ओवरसियर वीरेंद्र सिंह व एस0 डी0 ओ0 ने मिलकर ब्लैक से बाहर भेज कर बेच दिया। कहा जाता है कि इस क्षेत्र की आधी रकम मिश्रा जी खा गये और आधी रकम एस0 डी0 ओ0 और ओवरसियर खा गये। इस बात की तसदीक मौके पर का निरीक्षण तथा कागजात जांच करके की जा सकती है।

6—यहकि श्री वीरेन्द्र सिंह, ओवरसियर ने साधूराम नाम के पपरेन्दा निवासी ठेकेदार से 1,000 रुपया उधार मोटर साइकिल खरीदने के लिये और 3,000 रुपया श्री पी0 एन0 मिश्रा को रिश्वत देकर उनकी नाराजगी शान्त करने के लिये इसके अलावा घर खर्च के बहाने 200 रुपया लखनऊ जाने के लिए खर्च के बहाने ले लिया है और ठेकेदार द्वारा कई तकादा करने पर भी उसकी रकम वापस नही की जब आपने ज्यादा जोर देकर रुपया मांगा जो श्री वीरेन्द्र सिंह व श्री मिश्रा ने मिलकर उसको सजा देने के लिए उसके द्वारा अलोना नहर में किये गये कार्यों में करीब 8,000 रुपए मिलने वाली धनराशि का भुगतान नहीं किया और उसके ऊपर किये गये कार्यों का भुगतान न कराकर पेनाल्टी लगा दिया। इन लोगों ने श्री साधूराम से जबानी आदेश देकर करीब 7,000 रुपए का काम करा लिया है और बाद में बेइमानी से वर्क-आर्डर देने से मुकर गये। श्री साधूराम ने 14 अक्तूबर सन् 74 को श्री मिश्रा को लिखित शिकायत दी थी लेकिन गरीब ठेकेदार का भुगतान न करके अपना रुपया मांगने की सजा दे दी थी।

7—यह कि श्री पी0 एन0 मिश्रा ने अपने कार्यकाल में जितने भी काम किये हैं लगभग सभी अधूरे हैं और इन्होंने जी भर नाजायज धन हर काम में कमाया है जिले में इनके कुछ कृपा पात्र ठेकेदार हैं जिनके नाम फरजी बिल बनाकर धनराशि का गबन कर जाना इनके काले कमाई का बहुत आसान तरीका हो गया है।

8—यह कि श्री मिश्रा की इन भ्रष्ट एवं अवांछनीय हरकतों के कारण सरकार का लाखों रुपया बरबाद किया जा रहा है और किसानों को इनकी योजनाओं से कोई लाभ नहीं मिल रहा है।

अतः जनहित में मैं निम्नांकित मांग करता हूं :—

1—यह कि डाल सिंचाई बांदा के इन अधिकारियों द्वारा की गयी इन धांधलियों और भ्रष्टाचार की जांच उच्चस्तरीय कराई जाय।

2—यह कि सभी किये गये भुगतानों व कार्य सम्बन्धी अभिलेखों को अविलम्ब सील करा दिया जाये।

3—यह कि जांच शुरु होने के पहले श्री मिश्रा, एस0 डी0 ओ0 तथा वीरेन्द्र सिंह, ओवरसियर तथा उत्तरदायी अधिकारियों का स्थानान्तरण दूर के जिले को कर दिया जाय।

4—यह कि जांच के दौरान दोषी अधिकारियों को निलम्बित रखा जाय और इन भ्रष्टाचारों के अपराध में गबन और जाल साजी के मुकदमें कायम कराके गिरफ्तार किये जायं और खाए हुए धन की वसूली कराई जाय।

5—यह कि साधूराम जैसे दंडित ठेकदारों के बकाया भुगतान कराये जायं।

नत्थी 'घ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 22 का उत्तर पीछे पृष्ठ 490 पर)

तालिका

नगर क्षेत्र

क्रम-सं0	नगरपालिका का नाम	भुगतान की तिथि
1	उरई	1-11-74
2	कौंच	22-11-74
3	कालपी	19-12-74
4	जालौन	17-10-74

ग्रामीण क्षेत्र —

क्रम-सं0	ब्लाक का नाम	भुगतान की तिथि
1	नदी गांव	13-8-75
2	माधौगढ़	13-8-75
3	कुठौंद	14-8-75
4	रामपुरा	5-9-75
5	डकोर	6-9-75
6	जालौन	6-9-75
7	एट	5-9-75
8	महेवा	1-11-75
9	कदौरा	1-12-75
	उपर्युक्त 9 विकास क्षेत्रों के अन्तर्गत समस्त अध्यापिकायें ..	1-12-75

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्नसंख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 498 पर)

वर्ष 1975–76 में स्वीकृत व्यय का विवरण

क्रमांक	मण्डल का नाम	धनराशि
		रु0
1	मेरठ	8,01,660
2	आगरा	6,67,166
3	बरेली	3,80,048
4	इलाहाबाद	13,67,349
5	वारणसी	32,14,335
6	लखनऊ	4,51,901
7	गोरखपुर	21,74,945
8	फैजाबाद	17,71,713
9	झांसी	6,58,794
10	नैनीताल	48,774
11	पौड़ी-गढ़वाल	4,98,621
	योग ..	1,20,35,306

संस्कृत पाठशालाओं के सुधार के सम्बन्ध में सरकार जागरूक है तथा इस दिशा में सरकार ने अनेक कार्य किये हैं, जैसे कि संस्कृत पाठशालाओं में कार्यरत लगभग 5,800 अध्यापकों का आर्थिक स्तर उच्चा करने तथा उनका मनोबल बढ़ाने के लिए सरकार ने 1-8-72 से नवीन वेतनमान लागू कर दिया है । प्रदेश की समस्त संस्कृत पाठशालाओं को चार श्रेणियों में विभक्त किया गया है तथा उन्हें विभिन्न वतन क्रम प्रदान किये गय ह। अभी तक केवल प्रथम एवं द्वितीय श्रणी के लिए नवीन वेतनमान स्वीकृत था। सरकार के नवीन आदेश नुसार अब प्रदेश की सभी पाठशालाओं को नवीन वेतनक्रम का लाभ दिया जा रहा है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ञ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 499 पर)

जुलाई, 1974 से मार्च, 1975 तक भट्ठे लाइसेन्सियों को वितरित स्लैक कोल की सूची

नाम भट्ठा लाइसेन्सों तथा पूरा पता	स्लैक कोल की दी गयी उक्त अवधि की मात्रा
1	2
1 सर्व श्री डी0 सी0 एफ0 सिधुआ	1 बाक्स 2 फोर व्हीलर
2 ,, गोपी राम, गोबिन्दपुर	1 बाक्स
3 ,, बसनी दूबे, श्रीनगर	2 बाक्स
4 ,, मुन्नू पाण्डेय, कोयर पट्टी	2 बाक्स
5 ,, बिरेन्द्र बहादुर सिंह, परसिया	1 बाक्स
6 ,, नथूनी प्रसाद, कुसमौनी	1 बाक्स फोर व्हीलर
7 ,, राजकुमार, कुसमानी	4 फोर व्हीलर
8 ,, सुमेश्वर प्रसाद, पथरदेवा	1 बाक्स
9 ,, कैलाश दूबे, महराजपुर	1 बाक्स
10 ,, मुर्तुजा हुसेन, परानपुर	1 बाक्स
11 ,, भगौती पाण्डेय, माधोनाथ तिवारी, विशुनपाली ..	1 बाक्स
12 ,, त्रिवेनी सिंह, सिरसिया	1 बाक्स
13 ,, उमाशरण सिंह, बरारी	1 बाक्स
14 ,, लाल बचन पाण्डेय, बरवामोरछापर ..	1 बाक्स
15 ,, ओम प्रकाश, रच्चापार	1 बाक्स
16 ,, पारस नाथ सिंह, गोरेया	2 बाक्स
17 ,, रामबिशुन सिंह, देवगेबि	1 बाक्स
18 ,, चन्द्र शेखर सिंह रामनरगा, बेलडाड ..	1 बाक्स
19 ,, देवराज, सहजोर	1 बाक्स
20 ,, सूरज बली सिंह पल्टू, खामपार	2 बाक्स
21 ,, श्री बिशेन सिंह, अहिरौली	1 बाक्स
22 ,, खुशेद अहमद, सोहनपुर	2 बाक्स
23 ,, डी0 सी0 एफ0 खुखुन्दू	4 बाक्स 1 फोर व्हीलर
24 ,, तुलसी सिंह राउतपार	1 बाक्स
25 ,, श्री रामन गोना, चान्वपार	1 बाक्स 3 फोर व्हीलर
26 ,, देवनरायन चौधरी, लवछीं	1 बाक्स

विधान सभा

1	2
27 सर्वश्री जवाहर प्रसाद, नदावल	1 बाक्स
28 ,, नरायन प्रसाद यादव, मईल	1 बाक्स
29 ,, बृजराज, देईडोहा	1 बाक्स
30 ,, पन्ना लाल, महाव	1 बाक्स
31 ,, ध्रुवदेव पाण्डेय, बग्गा बाजार	1 बाक्स
32 ,, कन्हैया सिंह, रामपुर बुजर्ग	1 बाक्स
33 ,, चिन्तामणि सिंह, खुदिया मिश्र	3 बाक्स
34 ,, राम प्यारे सीताराम, पिपरा पूरन ..	1 बाक्स
35 ,, योगेंद्र प्रताप सिंह, कपरवार	1 बाक्स
36 ,, गोरख प्रसाद जयसवाल, गौरा जायनगर ..	1 बाक्स
37 ,, विजयी सिंह, बैरिया	1 बाक्स
38 ,, हरेन्दग प्रताप सिंह, लाखोमार	2 बाक्स
39 ,, बद्री प्रसाद, भागलपुर	1 बाक्स
40 ,, राजू एण्ड कं0, भागलपुर	1 फोर व्हीलर
41 ,, छंगा मल राजपाल, पडरौना	1 बाक्स
42 ,, जेछा मल, बलुचहा	1 बाक्स
43 ,, मनोहर लाल, मैला नगरी	1 बक्स
44 ,, लाल बचन सिंह, धर्मपुर	1 बाक्स
45 ,, महल ब्रिक्स, सोहरौना	2 बाक्स
46 ,, मोहन लाल, बैरिया	2 बाक्स
47 ,, बृजराज सिंह, भटवलिया पडरौना ..	1 बाक्स
48 ,, जुगुल किशोर, सोहरौना	1 बाक्स
49 ,, धर्मपाल राजपाल, बलुचहा	2 बाक्स 2 फोर व्हीलर
50 ,, व्यास प्रसाद, नकटिया बुजुर्ग	3 बाक्स 2 फोर व्हीलर
51 ,, मनोहर लाल, बेलवा सुदामा	1 बाक्स
52 ,, चन्द्र कुमार, बोदरवार	4 बाक्स
53 ,, डी0 सी0 एफ0 कप्तानगंज	5 बाक्स
54 ,, ज्ञान चन्द्र महेश, बागरा	3 फोर व्हीलर
55 ,, कैलाश प्रसाद, सुजहनारहोम	3 बाक्स
योग ..	77 बाक्स 21 फोर व्हीलर

विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 500 पर)

परिशिष्ट 1

जिला बाराबंकी के उन चीनी विक्रेताओं की सूची जिनके विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 दर्ज है और उनके कोटे जांच के दौरान निलंम्बित चल रहे हैं।

क्रम-सं0	दूकानदार का नाम	न्याय पंचायत	ब्लाक	तहसील	एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराने की तिथि	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री मोहम्मद मुशीर	बंकी	बंकी	नवाबगंज	22-5-74	पुलिस की विवेचना चल रही है।
2	श्री बकार अहमद फकीर चन्द।	टिकरिया	देवा	,,	2-8-74	,,
3	श्री शिव गोविन्द जैसवाल।	सफदरगंज	मसौली	,,	22-5-74	,,
4	श्री अकबर अली	टाउन एरिया	जैदपुर	,,	4-5-74	,,
5	श्री मो0 मुस्तफा	,,	,,	,,	,,	,,
6	श्री मो0 यूसुफ	,,	,,	,,	,,	,,
7	श्री सन्त सरन	तिलोकपुर	रामनगर	फतेहपुर	5-9-74	,,
8	श्री अब्दुल कादिर	मरकामऊ	,,	,,	30-8-74	,,
9	श्री द्वारिका प्रसाद रामज्ञानी।	सुरवारी	,,	,,	11-8-75	,,
10	श्री मसूदुल जफर	अटहरा	निन्दूरा	,,	24-8-73	,,
11	श्री रामेश्वर लल्लन	तिलोकपुर	रामनगर	,,	21-9-75	,,
12	श्री मो0 हुसैन	फिरोजपुर पवारान	सिदौली	रा0 स0 घाट	15-8-73	
13	श्री मो0 हुसेन	हमीदपुर	हरियाबाद	,,	28-12-74	,,
14	श्री बुधराम	सीवन	पूरेडलई	,,	23-5-73	,,
15	श्री सोहन लाल	लखनीपुर	मवई	,,	17-9-75	,,

सूची उन चीनी विक्रेताओं की जिनके कोटे निलम्बित चल रहे हैं।

1	श्री प्रेम चन्द	किन्तुर	रामनगर	फतेहपुर	22/29-10-75 परगनाधिकारी की जांच चल रही है।

परिशिष्ट [2]

जिला बाराबंकी के उन चीनी विक्रेताओं की सूची जिनके लाइसेन्स वर्ष 1974 में निरस्त कर दिये गये हैं।

क्रमांक	नाम दूकानदार	न्याय पंचायत	ब्लाक	तहसील	निरस्तीकरण की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्री जगप्रसाद	मवैया	वनीकोडर	रा0स0घाट	4-1-74
2	श्री फकीर मोहम्मद	मोरमऊ	रुदौली	,,	28-1-74
3	श्री फिरोज अहमद	गनेशपुर	मवई	,,	24-3-74
4	श्री दत्तू	लखनीपुर	,,	,,	8-4-74
5	मे0 बक्शीस अहमद काशीराम।	नरौली	रुदौली	,, ,,	15-7-74
6	मे0 मो0 नफीस अमरचन्द	रानीमऊ	मवई	,,	25-5-74
7	श्री भगवती प्रसाद	अलियाबाद	पूरेडलई	,,	20-7-74
8	श्री रामपाल सिंह	कस्बा इचाली	,,	,,	12-8-74
9	श्री भगवानदीन	रानीमऊ	डवई	,,	14-12-74
10	श्री भवानी बक्श सिंह	पुरेडलई	पूरेडलई	,,	2-4-74
11	श्री प्रेम नाथ सिंह	सैमराय	सूरतगंज	फतेहपुर	26-8-74
12	श्री रामप्रधार रामबिलास	सूरतगंज	,,	,,	9-12-74
13	श्री अब्दुल कादिर गुलाम	खपुरवा खानपुर	फतेहपुर	,,	26-12-74
14	श्री गया प्रसाद मेवा लाल	रामनगर	रामनगर	,,	24-5-74
15	श्री गया प्रसाद सिंह	निन्दूरा	निन्दूरा	,,	4-3-74
16	श्री भोलानाथ अयोध्या प्रसाद।	बड़ा गांव	,,	,,	14-1-74
17	श्री बैजूरामदयाल	दुर्गापुर नौबस्ता	सूरतगंज	,,	12-11-74
18	श्री लखन लाल	बिलौली	फतेहपुर	,,	30-7-74
19	श्री गया प्रसाद तिवारी	शेषपुर दामोदर	सिद्धौर	हैदरगढ़	28-1-74
20	श्री जनार्दन प्रसाद	खरसतिया	हैदरगढ़	,,	24-3-74
21	श्री जगत नरायन सिंह	सेमराय	सिद्धौर	,,	15-4-74
22	श्री रामेश्वर प्रसाद	मन्सारा	सिद्धौर	,,	6-4-74
23	श्री राम नेवाज वर्मा	बिबियापुर	,,	,,	14-11-74
24	श्री दिलदार अहमद	भेलवल	बिबेदीगंज	,,	18-4-74
25	श्री मोहम्मद याकूब	हरई	देवा	नवाबगंज	2-3-74
26	श्री राधे लाल	खेवली	,,	,,	12-8-74
27	श्री सोहन लाल	सफदरगंज	मसौली	,,	30-7-74
28	श्री गया प्रसाद	मौथरी	बंकी	,,	12-8-74
29	श्री राम शंकर	टा0ए0 सतरिख	,,	,,	10-9-74

नत्थी 'ज'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 500 पर)

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत 25 जून, 1975 से 24 सितम्बर, 1975 की अवधि में पकड़े गये व्यक्तियों की सूची ।

क्रम-सं0	नाम जिला	पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या	क्रम-सं0	नाम जिला	पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	1	2	3
1	लखनऊ	4	30	इलाहाबाद	137
2	रायबरेली	5	31	गोंडा	47
3	पीलीभीत	17	32	आजमगढ़	35
4	पौड़ी-गढ़वाल	2	33	मुरादाबाद	49
5	झांसी	9	34	सीतापुर	18
6	फैजाबाद	2	35	मेरठ	81
7	उत्तरकाशी	6	36	उन्नाव	44
8	रामपुर	33	37	फतेहपुर	55
9	गोरखपुर	204	38	देवरिया	42
10	लखीमपुर खीरी	55	39	बरेली	61
11	अल्मोड़ा	5	40	बहराईच	17
12	मैनपुरी	28	41	बाराबंकी	40
13	चमोली	8	42	जालौन	10
14	हरदोई	23	43	बिजनौर	16
15	बांदा	23	44	सहारनपुर	42
16	जौनपुर	35	45	शाहजहांपुर	39
17	इटावा	99	46	अलीगढ़	9
18	वाराणसी	33	47	गाजीपुर	64
19	ललितपुर	12	48	मुजफ्फरनगर	26
20	मिर्जापुर	41	49	बदायूं	170
21	कानपुर	94	50	बुलन्दशहर	42
22	फर्रुखाबाद	8	51	देहरादून	3
23	सुल्तानपुर	159	52	मथुरा	76
24	टिहरी-गढ़वाल	1	53	आगरा	51
25	पिथौरागढ़	शून्य	54	प्रतापगढ़	129
26	नैनीताल	45	55	बस्ती	56
27	एटा	13			
28	बलिया	161			
29	हमीरपुर	10		योग ..	2495

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 507 पर)

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1974 पर नियुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन

मैं, उस प्रवर समिति की सभापति, जिसे उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1974 निर्दिष्ट किया गया था, समिति की ओर से उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत की गयी हूं । अतः मैं समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं ।

2 यह विधेयक विधान सभा में 26 दिसम्बर, 1974 को पुरः स्थापित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अनुसार 31 दिसम्बर, 1974 के असाधारण गजट, उत्तर प्रदश में प्रकाशित किया गया था । 27 दिसम्बर, 1974 को राजस्व मंत्री द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकृत हुआ:---

"उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1974 को विधान सभा की एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो अपना प्रतिवेदन विधान सभा के आगामी सत्र के प्रथम दिन प्रस्तुत करे ।"

उसी दिनांक को समिति में कार्य करने के लिये 18 सदस्य निर्वाचित हुये । समिति के गठन तथा उसमें समय-समय पर हुये परिवर्तनों सम्बन्धी अधिसूचनाओं के लिये परिशिष्ट "1"† देखिये ।

प्रवर समिति को अपना प्रतिवेदन 27 दिसम्बर, 1974 के प्रस्ताव के अनुसार विधान सभा के आगामी सत्र के प्रथम उपवेशन में, जो 18 फरवरी, 1975 को था, प्रस्तुत करना था । परन्तु समिति उक्त समय के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकी । अतः सदन ने 18 फरवरी, 1975 को समिति द्वारा इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय विधान सभा के वर्षाकालीन सत्र के प्रथम उपवेशन तक, जो 28 जुलाई, 1975 को था, के लिये बढ़ा दिया । 18 फरवरी, 1975 को समिति का कार्य काल बढ़ाते समय सदन ने समिति को विधेयक की परिधि को बढ़ाने का भी अधिकार दिया । सदन द्वारा 18 फरवरी, 1975 को पारित प्रस्ताव निम्न प्रकार है:---

"चूंकि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1974 सदन के 27 दिसम्बर, 1974 के निश्चयानुसार इस निदेश के साथ प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया था कि वह अपना प्रतिवेदन विधान सभा के आगामी सत्र के प्रथम दिन प्रस्तुत करे और चूंकि प्रवर समिति अभी तक विधेयक पर विचार करके अपना प्रतिवेदन तैयार नहीं कर सकी;

और चूंकि, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 258 के उपनियम (1) के अनुसार सदन को यह अधिकार है कि वह किसी भी समय प्रस्ताव किये जाने पर निदेश दे सकेगा कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय प्रस्ताव में उल्लिखित तिथि तक बढ़ा दिया जाय ;

और चूंकि यह आवश्यक प्रतीत होता है कि प्रवर समिति को विधेयक में ऐसे संशोधन करने पड़ सकते है जो विधेयक की परिधि के बाहर हों;

अतएव यह सदन निदेश देता है कि उक्त प्रवर समिति को विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार रहे और उसके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय इस सदन के वर्षाकालीन सत्र के प्रथम दिन तक बढ़ाया जाता है ।"

---

†छापा नहीं गया ।

समिति वर्षाकालीन सत्र के प्रथम दिन तक भी, जो 28 जुलाई, 1975 को था, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकी। सदन ने 28 जुलाई, 1975 को समिति का समय आगामी सत्र के प्रथम उपवेशन तक के लिए पुनः बढ़ा दिया और यह निदेश दिया कि प्रवर समिति को बढ़े हुए काल में भी सदन के 18 फरवरी, 1975 के निश्चयानुसार विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार होगा।

समिति इस दूसरी बार बढ़ाए गये समय में भी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत न कर सकी। अतः 22 मार्च, 1976 को तीसरी बार समिति का कार्यकाल वर्तमान सत्र के अन्तिम दिन तक बढ़ाया गया। इस बढ़े हुए कार्यकाल में भी समिति को विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार दिया गया।

3—समिति की कुल 12 बैठकें, दिनांक 21 जनवरी, 26 जून, 26 जुलाई, 8 सितम्बर, 16 अक्टूबर, 10 नवम्बर तथा 26 नवम्बर, 1975 और 17 फरवरी, 10 मार्च, 20 मार्च, 6 अप्रैल तथा 29 अप्रैल, 1976 को हुईं। इनमें से 10 नवम्बर तथा 26 नवम्बर, 1975 और 10 मार्च, 20 मार्च तथा 6 अप्रैल, 1976 की बैठकें गणपूर्ति के अभाव में स्थगित करनी पड़ीं। उक्त बैठकों में समिति ने विधेयक के सिद्धान्तों पर सामान्य चर्चा की तथा स्थानीय निकायों के सम्बन्ध में निम्नलिखित विशेषज्ञों के साक्ष्य उनके सामने अंकित तिथियों को लिए :

(1) डा0 डी0 पी0 सिंह, विभागाध्यक्ष, पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ। 26—75

(2) प्रो0 देवराज, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली। 26-7-75

(3) श्री गिरिजा पति मुकर्जी, वर्ल्ड लिट्रेसी सेंटर, लखनऊ 26-7-75

(4) डा0 के0 श्रीराम, प्राध्यापक, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ। 26-7-75

(5) श्री मुहीउद्दीन अहमद, आयुक्त, इलाहाबाद मंडल, इलाहाबाद। 8-9-75

समिति द्वारा लिये गये साक्ष्यों का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट "2"† में दिया गया है।

4—समिति ने अपनी 29 अप्रैल, 1976 की बैठक में विधेयक पर खंडशः विचार किया और सदन के 18 फरवरी तथा 28 जुलाई, 1975 और 22 मार्च, 1976 के इस निर्देश को कि समिति को विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार रहेगा, ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 6, यू0 पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की धारा 9, 10-कक, 11, 31, 31-ए, 54, 54-ए, 81 और 333, संयुक्त प्रान्त टाउन एरियाज अधिनियम, 1914 की धारा 8-क तथा उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 41 में संशोधनों की संस्तुति की है। समिति की बैठकों की कार्यवाहियों का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट "3" †में दिया गया है।

5. समिति ने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार कर उसे 29 अप्रैल, 1976 की बैठक में स्वीकार किया। विधयक में प्रस्तावित मुख्य परिवर्तनों क सम्बन्ध में समिति की अभ्युक्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:—

(1) नगर महापालिका अधिनियम में प्रस्तावित धारा 539-क तथा यू0 पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की प्रस्तावित धारा 30-क को निकाल दिया गया है।

(2) नगर महापालिकाओं एवं नगरपालिकाओं में राज्य विधान सभा एवं लोक सभा के ऐसे सभी सदस्यों को जिनके निर्वाचन क्षेत्र में सम्पूर्ण नगर या उसका कोई भाग पड़ता हो, पदेन सदस्य रखने की संस्तुति की गयी है।

---

†छपा नहीं गया।

(3) नगर महापालिका, नगरपालिका, टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया में यदि कोई महिला सदस्य निर्वाचित होकर न आये तो राज्य सरकार को एक महिला सदस्य को नामांकित करने का अधिकार देने की संस्तुति की गयी है ।

(4) यू0 पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 में प्रस्तावित धारा 43 की उपधारा (4) निकाल दी गयी है क्योंकि इसके उपबन्ध पहले से उक्त अधिनियम की धारा 43-ए (बी) में विद्यमान है ।

(5) नगरपालिकाओं के उपाध्यक्ष की पदावधि के भी बोर्ड के समकालीन करने का प्राविधान कर दिया गया है ।

(6) नगरपालिका बोर्डों के प्रेसीडेन्ट तथा वाइस प्रेसीडेन्ट की रिक्तियों को भरने हेतु रिक्तियों के दिनांक से बिलम्बतम तीन माह की अवधि के भीतर निर्वाचन सुनिश्चित करने का उपबन्ध करने की संस्तुति की गयी है ।

(7) नगरपालिका बोर्डों के प्रशासक को अपने अधिकारों का प्रभारी अधिकारी के पक्ष में प्रतिनिधायन करने का अधिकार देने का उपबन्ध करने की संस्तुति की गयी है । साथ ही प्रभारी अधिकारी के पद को विधिक मान्यता प्रदान करने तथा उक्त पदाधारियों को म्युनिसिपल फंड से वेतन तथा भत्ते के भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्राविधान करने की भी संस्तुति की गयी है ।

(8) जहां तत्समय बोर्ड के सदस्यों की संख्या किसी आकस्मिक रिक्ति होने के कारण बोर्ड के कुल सदस्यों की संख्या की आधे से कम हो जाय वहां बोर्ड के विघटित समझे जाने का प्राविधान करने की संस्तुति की गयी है ।

(9) यू0 पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट की धारा 81 की उपधारा (3) में निहित वैकल्पिक प्रक्रिया की यदि अधिभार कार्यवाही नहीं की जाती है तो बोर्ड के नियत प्राधिकारी के पूर्व अनुमति प्राप्त करके अथवा नियत प्राधिकारी द्वारा निर्देश दिये जाने पर ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध क्षतिपूर्ति का दावा न्यायालय में किया जा सकता है, हटा दिया गया है क्योंकि इस धारा में इस आशय का नीति निदेशक सिद्धान्त शामिल नहीं था कि दोनों प्रक्रियाओं में से कौन सी प्रक्रिया कब अपनायी जायगी । ऐसी हालत में उक्त धारा संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत प्रतीत होती थी ।

(10) यू0 पी0 टाउन ऐरियाज ऐक्ट, 1914 की धारा 8-क (3) में संशोधन करके प्राविधान कर दिया गया है कि यदि स्थान रिक्त होने के दिनांक से पद का कार्यकाल एक वर्ष से कम रह जाय तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार रिक्त स्थान को न भरे जाने का आदेश दे सकती है ।

(11) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 41 की उपधारा (3) में संशोधन करके उपाध्यक्ष के आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार को पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र देने का प्राविधान निकाल दिया गया है । इस परिवर्तन के फलस्वरूप अब केवल अध्यक्ष और विकास प्राधिकरण के आदेशों के विरूद्ध ही राज्य सरकार को पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र दिया जा सकेगा ।

(12) खण्ड 14 और खण्ड 25 में प्रस्तावित तृतीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया गया है क्योंकि सुनवाई का अवसर न देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है । इस परिवर्तन के फलस्वरूप नगर महापालिका या म्युनिसिपल बोर्ड के निर्णय के विरूद्ध निदेशक द्वारा इस आधार पर कि वह नगर महापालिका या म्युनिसिपल बोर्ड के हित के विरूद्ध है, निर्णय लिये जाने से पूर्व सुनवाई का अवसर दे सकेगा ।

6—इस विधेयक के जो उपबन्ध उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1975) द्वारा अधिनियमित हो चुके हैं उन्हें निकाल दिया गया है ।

7 · विधेयक, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित किया गया है, संलग्न है ।

8 · श्री बालकृष्ण सनवाल ने इस प्रतिवेदन के संबन्ध में विमति टिप्पणी दी है जो परिशिष्ट "4" में दी गयी है ।

डा० (श्रीमती) राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी,
सभापति,
प्रवर समिति ।

लखनऊ :
दिनांक 29 अप्रैल, 1976 ।

विधान सभा सदस्य पुस्तकालय

परिशिष्ट '4'

विमति टिप्पणी

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1974 पर नियुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदन पर श्री बाल कृष्ण सनवाल की विमति टिप्पणी —

प्रवर समिति के सदस्य के नाते विधेयक में दिये गये संशोधनों जिनको संसदीय प्रणाली के अनुरूप नहीं माना जा सकता उनके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, 1958 के नियम 259 के अनुसार अपनी लिखित विमति टिप्पणी निम्नलिखित आधार पर देता हूं —

1—मूल अधिनियम की धारा 43 को प्रस्तावित संशोधन विधेयक द्वारा संशोधित कर नगरपालिका अध्यक्ष का निर्वाचन बालिग मताधिकार के आधार पर किया जा रहा है जो उत्तरदायी संसदीय प्रणाली के प्रतिकूल है क्योंकि अध्यक्ष को पालिका सदस्यों के साथ कार्य करना होता है और सदस्य भी बालिग मताधिकार के आधार पर चुन कर आते हैं, इसलिये अध्यक्ष सदस्यों के प्रति उत्तरदायी नहीं रहेगा और कार्य भी सुचारु रूप से नहीं चलेगा इसके प्रत्यक्ष उदाहरण 1953 में अध्यक्ष के बालिग मताधिकार के चुनाव के पश्चात् हुआ और महाराष्ट्र में भी पिछले एक वर्ष में इस पद्धति के अनुसार कार्य करने में सामने आ रही है।

2—यह भी विचार करने योग्य है कि जब सदस्यों द्वारा अध्यक्ष का चुनाव होगा ही नहीं तो फिर अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव के अधिकार का कोई औचित्य नहीं है।

3—बजट के पास न होने पर संशोधन अधिनियम की धारा 25 में दी गई विधि प्रजातंत्री सिद्धातों के प्रतिकूल है जिससे चुने हुये प्रतिनिधियों के अधिकार पर अंकुश लगता है और प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में शक्ति आती है।

4—इस बात की पूरी आशंका है कि चुनाव के दो वर्ष बाद 2/3 बहुमत से अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव लाये जाने के अधिकार के कारण जहां अध्यक्ष अपने को शक्तिशाली महसूस करेंगे वहां सदस्य या तो कुन्ठित हो जावेंगे या बार-बार तनाव की स्थिति पैदा करेंगे।

अतः इस सम्बन्ध में मेरा स्पष्ट मत है कि पालिका अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों के द्वारा एकल संक्रमणीय (Single Transferable) मत प्रणाली से रक्खा जाय और डेढ़ वर्ष से पूर्व कोई अविश्वास का प्रस्ताव 51 प्रतिशत सदस्यों द्वारा लाये तथा पारित किये जाने का प्राविधान होना जहां संसदीय उत्तरदायी प्रणाली के अनुकूल होगा और अध्यक्ष को भी स्वतंत्रता व निष्पक्षतापूर्वक कार्य करने का अवसर मिलेगा और निरंकुशता पर अंकुश भी रहेगा।

जैसा कि ऊपर कह चुका हूं अध्यक्ष की संस्तुति पर पालिका के बजट को बावजूद सदस्यों के बहुमत के विरोध के निदेशक, स्थानीय निकाय को देने से प्रशासनिक अधिकारियों को प्रजातंत्रीय आधार पर चुने गये जनप्रतिनिधियों के निर्णय को "वीटो" करने का अधिकार प्राप्त हो जावेगा।

स्थानीय निकायों को स्थानीय परिस्थितियों तथा स्थानीय लोगों की इच्छा व आकांक्षा के अनुरूप संचालित करने से ही स्थानीय समस्याओं का समाधान व प्रजातंत्रीय पद्धति का प्रशिक्षण प्राप्त हो सकेगा।

बाल कृष्ण सनवाल,
सदस्य प्रवर समिति।

29 अप्रैल, 1976।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1974

(जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित किया गया। प्रवर समिति द्वारा निकाले गये अंश कोष्ठकों [ ] में हैं और बढ़ाये गये अंश अधोरेखांकित हैं।)

नागर स्वायत्त शासन से सम्बन्धित विभिन्न अधिनियमितियों को आगे आये हुए प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने [और इलाहाबाद महापालिका के प्रशासन के लिये कतिपय अस्थायी प्रबन्ध की व्यवस्था करने] के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के [पच्चीसवें] सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम [1974] 1976 कहलायेगा।

[(2) अध्याय 6 तुरन्त प्रवृत्त होगा, अध्याय 5 दिनांक 15 अगस्त, 1974 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा और शेष अध्याय दिनांक 23 अक्तूबर, 1974 को प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे।]

अध्याय 2

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 का संशोधन [और इलाहाबाद महापालिका के प्रशासन के लिये कतिपय अस्थायी प्रबन्ध के लिये उपबन्ध]

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1959 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (17) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"(17-क) 'निदेशक' का तात्पर्य धारा 5-क के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त स्थानीय निकाय निदेशक, उत्तर प्रदेश से है ;"

धारा 5 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 5 में, खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"(खख) नगर प्रमुख;"।

नई धारा 5—क का बढ़ाया जाना

4—मूल अधिनियम की धारा 5 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय अर्थात्:—

"5—क—(1) राज्य सरकार, किसी अधिकारी को स्थानीय निकाय स्थानीय निकाय निदेशक, उत्तर प्रदेश नियुक्त करेगी।
निदेशक

(2) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अभिव्यक्तितः समनुदेशित कृत्यों के अतिरिक्त, निदेशक, महापालिका के कार्य-कलापों के संबन्ध में,

राज्य सरकार के ऐसे अधिकारों का (जो धारा 538 और 539 के अधीन अधिकार न हों) जिन्हें राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों के अधीन (जिनके अन्तर्गत स्वयं उसके द्वारा पुनर्विलोकन की शर्त भी है) जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायें, उसे प्रतिनिहित करे, प्रयोग करेगा।"

धारा 6 का संशोधन

4—क—मूल अधिनियम की धारा 6 में—

(1) उपधारा (1) में खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"(ग) पदेन सदस्य जिसमें लोक सभा और राज्य विधान सभा के ऐसे सभी सदस्य हैं जिनके निर्वाचन क्षेत्र में सम्पूर्ण नगर या उसका भाग आता हो।"

(2) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

"(3) यदि इस धारा के अधीन कोई भी सभासद् या विशिष्ट सदस्य महिला न हो तो राज्य सरकार इसी प्रकार की अधिसूचना द्वारा, एक महिला को सभासद् नाम-निर्दिष्ट कर सकती है, और तदुपरान्त महापालिका की सदस्य संख्या में उस सीमा तक परिवर्तन हो जायगा।"

नई धारा 11-क का बढ़ाया जाना

5—मूल अधिनियम की धारा 11 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाए, अर्थात्:—

"11—क—(1) नगर प्रमुख नगर में निर्वाचकों द्वारा व्यस्कमता निर्वाचन नगर प्रमुख का अधिकार के आधार पर निर्वाचित किया जायगा

(2) कोई बहिर्गामी नगर प्रमुख, धारा 15—क के साथ पठित धारा 16 द्वारा यथा उपबंधित के सिवाय, पुनर्निर्वाचन के लिये पात्र होगा।

(3) सभासद के निर्वाचन के संबन्ध में (जिसके अन्तर्गत निर्वाचन तथा निर्वाचन अपराध से संबंधित विवाद भी है) इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्ध नगर प्रमुख के निर्वाचन के संबन्ध में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(4) यदि किसी सामान्य निर्वाचन में कोई व्यक्ति नगर प्रमुख तथा सभासद् दोनों ही रूप में निर्वाचित हो जाय, या सभासद् या विशिष्ट सदस्य होते हुये किसी उप निर्वाचन में नगर प्रमुख निर्वाचित हो जाये तो वह नगर प्रमुख के रूप में निर्वाचित होने के दिनांक से, यथास्थिति, सभासद् या विशिष्ट सदस्य न रह जायगा।"

धारा 12 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 12 में—

(क) पार्श्व शीर्षक में शब्द 'नगर प्रमुख तथा' निकाल दिये जायें;

(ख) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाए, अर्थात्:—

"(1) उप नगर प्रमुख, सभासदों का निर्वाचन पूरा हो जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र निर्वाचित किया जाएगा।";

(ग) उपधारा (2) निकाल दी जाए;

(घ) उपधारा (3) में, शब्द 'नगर-प्रमुख तथा' निकाल दिये जाएं; और

(ङ) उपधारा (5) में, शब्द 'नगर प्रमुख तथा' निकाल दिए जाएं।

धारा 13 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 13 में शब्द "नगर प्रमुख" निकाल दिये जायें।

धारा 14 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 14 में शब्द तथा अंक "धारा-12 में" के स्थान पर शब्द, अक्षर तथा अंक "यथा-स्थिति, धारा 11-क या धारा 12 में" रख दिये जायें।

धारा 15 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 15 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के अधीन रहते हुए, नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख की पदावधि महापालिका के कार्यकाल के साथ समाप्त होगी।"

नई धारा 15-क का बढ़ाया जाना

10—मूल अधिनियम की धारा 15 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"15-क—नगर प्रमुख में अविश्वास प्रकट करने के प्रस्ताव पर धारा 16 के उपबन्ध निम्नलिखित परिष्कारों सहित लागू होंगे, अर्थात्:—

नगर प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

(क) उपधारा (7) निकाल दी गई समझी जायगी; और (ख) उप नगर प्रमुख और नगर प्रमुख के प्रति किन्हीं निर्देशों का अर्थ यह लगाया जायगा कि ये क्रमशः नगर प्रमुख और जिला जज के प्रति निदेश हैं।"

धारा 16 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 16 में,—

(क) उपधारा (2) में, शब्द "बारह महीने" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायें;

(ख) उपधारा (3) में, शब्द "आधे से" के स्थान पर शब्द "दो तिहाई से" रख दिये जायें

(ग) उपधारा (15) में, शब्द "आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत" के स्थान पर शब्द "दो-तिहाई बहुमत" रख दिये जायें; और

(घ) उपधारा (16) में, शब्द "बारह मास" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायें।

धारा 39 का संशोधन

12—मूल अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (2) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात् जिसमें कक्ष से सभासद या सभासदों को निर्वाचित करने की अपेक्षा की गयी हो, निर्वाचक नामावली में किये गये किसी ऐसे संशोधन पर उक्त निर्वाचन के प्रयोजनार्थ ध्यान नहीं दिया जायगा।"

धारा 51 का संशोधन]

13—मूल अधिनियम की धारा 51 में, उपधारा (1) के खंड (क) में, शब्द "उपनगर प्रमुख" के स्थान पर शब्द "नगर प्रमुख" रख दिया जाय।

धारा 92 का संशोधन

14—मूल अधिनियम की धारा 92 में, उपधारा (1) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिये जायें, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि जहां नगर प्रमुख की यह राय हो कि किसी विषय पर जिसके अन्तर्गत बजट के तखमीन और कराधान के प्रस्ताव भी हैं, महापालिका या उसकी किसी समिति के अधिवेशन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा उसका निर्णय महापालिका के हित के विरुद्ध है तो वह अपनी टिप्पणियों सहित उसे निदेशक को भेज देगा, जो राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, उस पर ऐसा निर्णय ले सकता है (जो, यथास्थिति, महापालिका या समिति के निर्णय का अतिक्रमण या आंशिक परिष्कार करते हुये हो सकता है) जिसे वह उचित समझे और उसका निर्णय ऐसे प्रभावी होगा मानों वह महापालिका या ऐसी समिति का निर्णय हो :

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि निदेशक अपना अंतिम निर्णय देने तक ऐसे अन्तरिम निदश दे सकता है जिन्हें वह उचित समझे, और ऐसे निदेश ऐसे प्रभावी होंगे मानों वे, यथास्थिति, महापालिका या ऐसी समिति के निर्णय हों [:]।

[प्रतिबन्ध यह भी है कि पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खंडों की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वे निदेशक से यह अपेक्षा करते हैं कि वह अपना निर्णय या अन्तरिम निदेश देने के पूर्व महापालिका (या, यथास्थिति समिति) या नगर प्रमुख को सुनवाई का अवसर दे।]

धारा 117 का संशोधन

15—मूल अधिनियम की धारा 117 में, उपधारा (5) में, शब्द "जब कभी इसमें आगे स्पष्टतः ऐसा निर्देश किया गया हो, यथास्थिति, महापालिका या कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति के अधीन रहते हुये" के स्थान पर शब्द "नगर प्रमुख के सामान्य नियंत्रण और निदेश के तथा जहां कहीं भी इसमें आगे स्पष्टतः ऐसा निदेश किया गया हो, यथास्थिति, महापालिका या कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति के अधीन रहते हुये, रख दिये जायें।

[नई धारा 539-क का बढ़ाया जाना]

[16—मूल अधिनियम के अध्याय 22 में धारा 539 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

धारा 538 या 539 के अधीन कार्यवाही के पूर्व जज से परामर्श

539 क- राज्य सरकार द्वारा धारा 538 या धारा 539 के अधीन महापालिका के विघटन या अतिक्रमण का कोई अन्तिम आदेश, राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नाम निर्दिष्ट उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त जज से परामर्श करने के पश्चात् ही दिया जायगा, अन्यथा नहीं।]

[इलाहाबाद महापालिका के प्रशासन के संबंध में अस्थायी उपबन्ध]

[17—मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी 17 सितम्बर, 1974 से ही—

(क) इलाहाबाद महापालिका के नगरप्रमुख, उपनगर-प्रमुख, सभासद विशिष्ट सदस्य और उक्त अधिनियम की धारा 5, 95 तथा 97 के अधीन संगठित अथवा नियुक्त समस्त समितियों, विशेष समितियों संयुक्त समितियों तथा उप-समितियों के सदस्य और मुख्य नगराधिकारी, अपने-अपने पद रिक्त कर देंगे, तथा ऐसी समस्त समितियां, विशेष समितियां, संयुक्त समितियां और उप समितियां विघटित हो जायेंगी ;

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन नई महापालिका का सम्यक रूप से पुनर्गठन होने तक, उक्त महापालिका, उसके नगर प्रमुख उप नगर प्रमुख तथा उक्त अधिनियम की धारा 5 में निर्दिष्ट समितियों की और मुख्य नगराधिकारी की समस्त शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अधिकारी में (जिसे आगे प्रशासक कहा गया है) निहित हो जायेंगे, और उसके द्वारा उनका प्रयोग, पालन तथा निर्वहन किया जायगा, तथा प्रशासक को विधि की दृष्टि से महापालिका नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, ऐसी समिति अथवा मुख्य नगराधिकारी जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, समझा जायगा ;

(ग) प्रशासक, राज्य सरकार के किन्हीं साधारण या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुये, अन्तिम पूर्ववर्ती खंड द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों में से सब या किन्हीं के बारे में—

(1) उसके द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट रीति से संगठित समिति या अन्य निकाय से, यदि कोई हो, परामर्श कर सकेगा, अथवा

(2) इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों को, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिन्हें अधिरोपित करना वह उचित समझे, किसी ऐसे व्यक्ति को अथवा अन्तिम पूर्ववर्ती उपखंड के अधीन संगठित किसी ऐसी समिति या अन्य निकाय को जिसे वह इस निमित्त निर्दिष्ट करे, प्रतिनिहित कर सकेगा,

(घ) प्रशासक का ऐसा वेतन और भत्ते, जो उस निमित्त राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेशों द्वारा नियत किये जायें, महापालिका की निधि से दिये जायेंगे ।]

अध्याय 3

यू० पी० म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 का संशोधन

यू० पी० ऐक्ट संख्या 2, 1916 की धारा 2 का संशोधन

18—यू० पी० म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (5) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"(5—क) 'निदेशक, का तात्पर्य धारा 31-ख के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त स्थानीय निकाय निदेशक, उत्तर प्रदेश से है ।"

धारा 9 का संशोधन

18—क—मूल अधिनियम की धारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय अर्थात्—

"9 धारा 10 में की गयी व्यवस्था के सिवाय बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा— बोर्ड का गठन

(क) अध्यक्ष,

(ख) निर्वाचित सदस्य जो 10 से कम और 40 से अधिक नहीं होंगे जिन्हें राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें और

(ग) पदेन सदस्य जिसमें लोक सभा और राज्य विधान सभा के ऐसे सभी सदस्य हैं जिनके निर्वाचन क्षेत्र में सम्पूर्ण नगर या उसका भाग आता हो,

प्रतिबन्ध यह है कि यदि खंड (ख) के अधीन निर्वाचित सदस्यों में से कोई महिला न हो तो राज्य सरकार इसी प्रकार की अधिसूचना द्वारा एक महिला को बोर्ड का सदस्य नाम निर्दिष्ट कर सकती है और तदुपरान्त बोर्ड की सामान्य रचना में उस सीमा तक परिवर्तन हो जायगा।

18—(ख) मूल अधिनियम की धारा 10 कक को पुनः संख्यांकित करके उसकी उपधारा (1) कर दी जायगी, और यू० पी० ऐक्ट संख्या 2, 1916 की धारा 10-कक का संशोधन

(i) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड रखा जायगा, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि जहां इस धारा के अधीन नियुक्त प्रशासक जिला मजिस्ट्रेट हो, वहां वह राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुये, इस अधिनियम के अधीन अपनी सभी या किसी शक्ति, कृत्य या कर्त्तव्य को, अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को जिसे यहां आगे प्रभारी अधिकारी कहा गया है प्रतिनिहित कर सकता है और तत्पश्चात् प्रभारी अधिकारी का वेतन और भत्ता खंड (ख) के अनुसार दिया जायगा,"

(ii) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्—

"(2) जहां तत्समय बोर्ड के सदस्यों की संख्या किसी आकस्मिक रिक्ति होने के कारण बोर्ड के कुल सदस्यों की संख्या की आधी से कम हो जाय, वहां बोर्ड उस दिनांक से, जब बोर्ड के तत्समय सदस्यों की संख्या इस प्रकार कम हो जाय या इस धारा के प्रारम्भ के दिनांक से जो भी पश्चातवर्ती हो, विघटित समझा जायगा।

(3) जहां कोई बोर्ड उपधारा (2) के अधीन विघटित समझा जाय, वहां ऐसे विघटन के दिनांक से जिला मजिस्ट्रेट, विधि के हेतु, उसका प्रशासक समझा जायगा, और तदुपरान्त उपधारा (1) के खंड (क) से (ग) में उल्लिखित परिणाम होंगे।"

धारा 11-का संशोधन

18--ग --मूल अधिनियम की धारा 11 में, खण्ड (सी) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्---

"प्रतिबन्ध यह है कि जहां इस धारा के अधीन नियुक्त प्रशासक जिला मजिस्ट्रेट हो, वहां वह राज्य सरकारके सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुये, इस अधिनियम के अधीन अपनी सभी या किसी शक्ति, कृत्य या कर्तव्य को अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को (जिसे यहां आगे प्रभारी अधिकारी कहा गया है) प्रतिनिहित कर सकता है और तत्पश्चात् प्रभारी अधिकारी का वेतन और भत्ता खण्ड (ख) के अनुसार दिये जायेंगे।"

धारा 12-बी का संशोधन

19 · मूल अधिनियम की धारा 12-बी में, उपधारा (3) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्---

"प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात् जिसमें कक्ष से सदस्य या सदस्यों को निर्वाचित करने की अपेक्षा की गयी हो, निर्वाचक नामावली में किये गये किसी ऐसे संशोधन पर उक्त निर्वाचन के प्रयोजनार्थ ध्यान नहीं दिया जायगा ।"

[20- मूल अधिनियम की धारा 30 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्---

धारा 30 के अधीन कार्यवाही के पूर्व न्यायाधीश से परामर्श ।

"30 क- राज्य सरकार द्वारा धारा 30 के अधीन बोर्ड के विघटन या अतिक्रमण का कोई अन्तिम आदेश राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नाम-निर्दिष्ट उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात् ही दिया जायगा, अन्यथा नहीं ।"]

नई धारा 30-क का बढ़ाया जाना

20---(क) मूल अधिनियम की धारा 31 में, खण्ड (बी) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्

धारा 31 का संशोधन

(ख) ऐसा व्यक्ति, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे, जब तक बोर्ड का अतिक्रमण बना रहे बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन यथाशक्य करेगा और उसे सभी प्रयोजनों के लिये बोर्ड समझा जायगा और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति प्रशासक कहलायेगा, और तद्नुसार धारा 10-कक के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे, और"

धारा 31-ए का संशोधन

20---(ख) मूल अधिनियम की धारा 31-ए, में खण्ड (सी) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा, अर्थात् --

"(ग) ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे, जब तक बोर्ड का पुर्नगठन न हो जाय, बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन यथाशक्य करेगा और उसे सभी प्रयोजनों के लिये

बोर्ड समझा जायगा और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति प्रशासक कहलायेगा और तदनुसार धारा 10—कक के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे ।

धारा 31-ख का बनाया जाना

21—मूल अधिनियम की धारा 31—क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

स्थानीय निकाय निदेशक

"31-ख (1) राज्य सरकार, किसी अधिकारी को स्थानीय निकाय निदेशक, उत्तर प्रदेश नियुक्त करेगी ।

(2) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अभिव्यक्त समनुदेशित कृत्यों के अतिरिक्त, निदेशक बोर्ड के कार्यकलापों के सम्बन्ध में राज्य सरकार की ऐसी शक्तियों का (जो धारा 30 के अधीन शक्तियां न हों) जिन्हें राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों के अधीन (जिसके अन्तर्गत स्वयं उसके द्वारा पुनर्विलोकन की शर्त भी है) जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायं, उसे प्रतिनिहित करे, प्रयोग करेगा ।

धारा 43 का प्रतिस्थापन

22—मूल अधिनियम की धारा 43 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

प्रेसीडेन्ट का निर्वाचन

"43—(1)—प्रेसीडेन्ट, म्युनिसिपैलिटी के निर्वाचकों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किया जायेगा ।

(2) कोई बहिर्गामी प्रेसीडेंट पुनर्निर्वाचन के लिये पात्र होगा।

(3) सदस्य के निर्वाचन के सम्बन्ध में (जिसके अन्तर्गत निर्वाचन तथा निर्वाचन अपराध से सम्बन्धित विवाद भी है) इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्ध प्रेसीडेन्ट के निर्वाचन के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे ।

[(4) पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुये भी, कोई भी निर्वाचक प्रेसीडेन्ट के रूप में निर्वाचित होने के लिये अर्ह नहीं होगा जब तक कि उसकी आयु तीस वर्ष की न हो गई हो ।]

(4) (5) यदि किसी सामान्य निर्वाचन में कोई व्यक्ति बोर्ड के सदस्य और प्रेसीडेन्ट दोनों ही रूप में निर्वाचित हो जाय, या बोर्ड का सदस्य होते हुये किसी उप निर्वाचन में प्रेसीडेन्ट निर्वाचित हो जाय, तो वह धारा 49 में यथा उपबन्धित के सिवाय, प्रेसीडेन्ट निर्वाचित होने के दिनांक से सदस्य न रह जायगा ।"

23—मूल अधिनियम की धारा 44—ए के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

प्रेसीडेंट का उप निर्वाचन

"44-क—यदि मृत्यु या त्याग-पत्र दिये जाने या किसी अन्य कारण से प्रेसीडेन्ट के पद में आकस्मिक रिक्ति हो जाय तो तत्पश्चात, यथाशक्य शीघ्र किन्तु उक्त रिक्ति होने के दिनांक से तीन मास के भीतर धारा 43 में उपबन्धित रीति से, प्रेसीडेन्ट निर्वाचित किया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि बोर्ड के सदस्यों द्वारा निर्वाचित प्रेसीडेन्ट के पद में, चाहे 23 अक्तूबर, 1974 के पूर्व या उसके पश्चात् हुई आकस्मिक रिक्ति

की दशा में, उसकी पूर्ति बोर्ड के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रणाली के अनुसार किये गये निर्वाचन द्वारा की जायगी और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त मत-पत्र द्वारा होगा ।"

धारा 46 का प्रतिस्थापन

23—क—मूल अधिनियम की धारा 46 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

"46—(1) इस अधिनियम में अन्यथा की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुये अध्यक्ष की पदावधि, बोर्ड के कार्यकाल के साथ समाप्त होगी।

(2) आकस्मिक रिक्ति में निर्वाचित अध्यक्ष की पदावधि उसके पूर्वाधिकारी की पदावधि क शष भाग के लिये होगी ।"

धारा 54 का संशोधन

"23—ख—मूल अधिनियम की धारा 54 में, (1) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय अर्थात् :—

"(2) इस अधिनियम में अन्यथा की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुये किसी प्रकार के उपाध्यक्ष की पदावधि बोर्ड के कार्यकाल के साथ समाप्त होगी ।"

(2) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

"(4) उपधारा (1), (2) और (3) के अधीन वाइस प्रेसीडेन्ट का निर्वाचन, यथा स्थिति, बोर्ड के सम्यक् गठन के दिनांक से, जैसा धारा 56 के अधीन अधिसूचित किया जाय, या रिक्ति के दिनांक से तीन मास के भीतर पूरा किया जायगा ।"

धारा 54-ए का संशोधन

23—ग—मूल अधिनियम की धारा 54—ए को धारा 54—क रूप में पुनरांकित किया जाय और इस प्रकार पुनरांकित धारा 54—क में, उपधारा (1) व उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्—

"54—क (1) जहां कोई व्यक्ति प्रेसीडेंट (अध्यक्ष) निर्वाचित हो जाने पर कार्य करने में असफल रहता है या उससे इन्कार करता है और कार्य करने में अन्यथा असफल रहता है या धारा 44-क के अर्थान्तर्गत प्रेसीडेन्ट के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति होती है और इस अधिनियम के अनुसार कोई वाइस प्रेसीडेन्ट (उपाध्यक्ष) निर्वाचित नहीं हुआ है, या को वाइस प्रेसीडेंट अन्यथा कार्य करने लिये नहीं है, वहां प्रेसीडेन्ट की शक्तियों और कृत्यों का, जब तक कि प्रेसीडेन्ट या वाइस प्रेसीडेन्ट कृत्य

करन क योग्य न हो जाय, प्रयोग और निर्वहन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जायगा और ऐसा अधिकारी प्रशासक कहलायेगा और तदनुसार धारा 10-कक के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

(2) धारा 54 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, वाइस प्रेसीडेन्ट के निर्वाचन के लिये बैठक बोर्ड के कार्यालय में और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियत दिनांक को और समय पर होगी । बैठक और उसके लिये नियत दिनांक और समय की नोटिस बैठक के लिये निश्चित दिनांक से पूरे सात दिन पूर्व बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को उनके निवास-स्थान पर भेजी जायगी । ऐसी नोटिस की एक प्रति ऐसी रीति से भी प्रकाशित की जायगी जिसका निर्देश जिला मजिस्ट्रेट दे और ऐसे प्रकाशन पर यह समझा जायगा कि प्रत्येक सदस्य को नोटिस मिल गयी है ।"

यू0 पी0 ऐक्ट सं0 2, 1916 की धारा 81 का प्रतिस्थापना

23-घ—मूल अधिनियम की धारा 81 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय और सदैव से रखी गयी समझी जाय, अर्थात्—

"81—(1) बोर्ड का प्रेसीडेन्ट, वाइस प्रेसीडेन्ट और प्रत्येक सदस्य, अधिकारी और सेवक बोर्ड के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुप्रयोजन के लिये अधिभार का देनदार होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुप्रयोजन ऐसे प्रेसीडेन्ट, वाइस प्रेसीडेन्ट, सदस्य, अधिकारी या सेवक के रूप में कार्य करते हुये उसकी उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणाम-स्वरूप हुआ हो :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के होने के 10 वर्ष की समाप्ति के पश्चात् या उस दिनांक से, जब ऐसा प्रेसीडन्ट, वाइस प्रेसीडेन्ट, सदस्य, अधिकारी या सेवक अपने पद पर न रह जाय, पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, जो भी पश्चात्वर्ती हो, ऐसा दायित्व समाप्त हो जायगा ।

(2) इस प्रकार आरोपित अधिभार की राशि इस प्रकार वसूल की जायगी मानों वह भू-राजस्व का बकाया हो और कलेक्टर, यह समाधान हो जाने पर कि उक्त राशि देय है, उसे बकाया की भांति वसूल करने की कार्यवाही करेगा ।

(3) अधिभार की प्रक्रिया और हानि, दुर्व्यय या दुरुप्रयोजन में सम्मिलित राशि की वसूली एसी होगी, जैसी विहित की जाय ।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसी धनराशि की वसूली के लिए सिविल न्यायालय में कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।"

24—मूल अधिनियम की धारा 87-क में—

(क) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"(2) बोर्ड के प्रेसीडेंट में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अभिप्राय का लिखित नोटिस, जो बोर्ड के सम्पूर्ण सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित हो, मय उस प्रस्ताव की प्रतिलिपि के जिसे प्रस्तुत करने का विचार हो, नोटिस में हस्ताक्षर करने वाले किन्हीं दो सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से एक साथ जिला मजिस्ट्रेट को दिया जायगा।";

(ख) उपधारा (12) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्—

"(12) प्रस्ताव तभी स्वीकृत हुआ समझा जायगा जब वह बोर्ड के कुल सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित हुआ हो।";

(ग) उपधारा (13) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"(13) यदि प्रस्ताव यथा उपर्युक्त बहुमत द्वारा स्वीकृत न किया जाय या यदि बैठक गणपूर्ति के अभाव के कारण, जो तत्समय बोर्ड की कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई से कम न होगी, न हो सके तो उसी प्रेसीडेंट में अविश्वास के प्रस्ताव का कोई अनुवर्ती नोटिस प्राप्त नहीं किया जायगा जब तक कि बैठक के दिनांक से दो वर्ष की अवधि व्यतीत न हो जाय।";

(घ) उपधारा (14) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"(14) इस धारा के अधीन अविश्वास के प्रस्ताव का कोई नोटिस प्रेसीडेंट द्वारा पद ग्रहण करने के दो वर्ष के भीतर ग्रहण नहीं किया जायगा।"

धारा 92 का संशोधन

25—मूल अधिनियम की धारा 92 में, उपधारा (1) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिये जायें, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि जहां प्रेसीडेंट (जो धारा 43 के अधीन, जैसी कि वह 23 अक्तूबर, 1974 के पूर्व थी, या धारा 44-क के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन बोर्ड के सदस्यों द्वारा निर्वाचित प्रसीडेंट न हो) की यह राय हो कि किसी प्रश्न पर (जिसके अन्तर्गत बजट के तखमीने और कराधान के प्रस्ताव भी हैं) बोर्ड की बैठक में उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा उसका निर्णय बोर्ड के हित के विरुद्ध है तो वह अपनी टिप्पणियों सहित उसे निदेशक को भेज देगा, जो राज्य सरकार

के पूर्वानुमोदन से, उस पर ऐसा निर्णय ले सकता है (जो बोर्ड के निर्णय का अतिक्रमण या आंशिक परिष्कार करते हुए हो सकता है) जिसे वह उचित समझे, और उसका निर्णय ऐसे प्रभावी होगा मानो वह बोर्ड का निर्णय हो :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि निदेशक अपना अंतिम निर्णय देने तक ऐसे अन्तरिम निदेश दे सकता है जिन्हें वह उचित समझे और ऐसे निदेश ऐसे प्रभावी होंगे मानो वे बोर्ड के निर्णय हों :

[प्रतिबन्ध यह भी है कि पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खंडों की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वे निदेशक से यह अपेक्षा करते हैं कि वह अपना निर्णय अन्तरिम निदेश देन क पूर्व बोर्ड या प्रेसीडेंट को सुनवाई कर अवसर दें।"]

धारा 333 का संशोधन

25—क—मूल अधिनियम की धारा 333 में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :—

"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि धारा 10—कक के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे"

धारा 338 का संशोधन

25—ख मूल अधिनियम की धारा 338 में, उपधारा (2) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् : —

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस उपधारा के अधीन निर्वाचित सदस्यों में से कोई महिला न हो तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक महिला को नोटिफाइड एरिया कमेटी का सदस्य नाम-निर्दिष्ट कर सकती है, और तदुपरान्त कमेटी की रचना में उस सीमा तक परिवर्तन हो जायगा।"

अध्याय 4

संयुक्त प्रांत टाउन एरियाज अधिनियम, 1914

संयुक्त प्रांत अधिनियम संख्या 2, 1914 की धारा 5 का संशोधन

25—ग—संयुक्त प्रान्त टाउन एरियाज अधिनियम, 1914 जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 5 में, उपधारा (2) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि खण्ड (ख) के अधीन निर्वाचित सदस्यों में से कोई महिला न हो तो राज्य सरकार इस प्रकार की अधिसूचना द्वारा एक महिला को कमेटी का सदस्य नियुक्त कर सकती है, और तदुपरान्त कमेटी की सामान्य रचना में उस सीमा तक परिवर्तन हो जायगा।"

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 2, 1914 की धारा 6(1) का संशोधन

[26—संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 की धारा 6 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"(1) धारा 36 में जैसा उपबन्धित है, उसके सिवाय समिति का कार्यकाल पांच वर्ष होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा सभी समितियों का या किसी समिति का कार्यकाल समय-समय पर इस

प्रकार बढ़ा सकेगी कि बढ़ाये गये कुल कार्यकाल का योग दो-वर्ष से अधिक न हो।"]

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 2, 1914 की धारा 8-क का संशोधन

26—क—मूल अधिनियम की धारा 8-क में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

"(3) यदि अध्यक्ष के देहान्त हो जाने, या हटाये जाने त्याग-पत्र देने के कारण कोई रिक्ति होती है या उनका निर्वाचन इस अधिनियम के अधीन प्रस्तुत निर्वाचन अर्जी के कारण रद्द कर दिया जाता है, तो जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा निश्चित दिनांक पर टाउन एरिया के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उस अध्यक्ष के पद की अवधि रिक्ति होने के एक वर्ष के भीतर सामान्य घटना-क्रम में समाप्त हो गई होती, तो राज्य सरकार यह निर्देश दे सकती है कि रिक्ति को उपधारा (2) के अधीन अगले निर्वाचन तक न भरा जाय।"

अध्याय 5

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 का संशोधन

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11, 1973 की धारा 2 का संशोधन]

[27—उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में खंड, (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"(घघ) 'अध्यक्ष' और 'उपाध्यक्ष' का क्रमशः तात्पर्य विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से होगा;"]

[धारा 5 का संशोधन]

[28—मूल अधिनियम की धारा 6 में, उपधारा (6) में, शब्द "परिषद्" के स्थान पर शब्द "सलाहकार परिषद्" रख दिया जाय।]

[धारा 15 का संशोधन]

[29—मूल अधिनियम की धारा 15 में—

(क) जहां कहीं भी शब्द "प्राधिकरण" आया हो उसके स्थान पर शब्द "उपाध्यक्ष" रख दिया जाय;

(ख) उपधारा (1) में, शब्द "विनियमों" के स्थान पर शब्द "उपविधियों" रख दिया जाय;

(ग) उपधारा (5) में जहां कहीं भी शब्द "अधिकरण" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "अध्यक्ष" रख दिया जाय।]

[30—मूल अधिनियम की धारा 27 में—

(क) उपधारा (1) में—

(1) शब्द "प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा उस निमित्त सशक्त उसका कोई अधिकारी" के स्थान पर शब्द "उपाध्यक्ष या उसके द्वारा उस निमित्त सशक्त प्राधिकरण का कोई अधिकारी" रख दिये जायं;

(2) शब्द "अधिकारी" के स्थान पर शब्द "उपाध्यक्ष या ऐसा अधिकारी" और शब्द "उक्त अधिकारी" के स्थान पर शब्द "उपाध्यक्ष या ऐसे अधिकारी" रख दिये जायं ;

(ख) उपधारा (2), (3), (4) और (5) में, जहां कहीं भी शब्द "अधिकरण" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "अध्यक्ष" रख दिया जाय;

(ग) स्पष्टीकरण निकाल दिया जाय ।] [धारा 27 का निकाला जाना]

[31—मूल अधिनियम की धारा 33 में, उपधारा (4) में, शब्द इस अधिनियम के प्रख्यापन से पूर्व" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व" रख दिये जायं ।] [धारा 33 का संशोधन]

[32—मूल अधिनियम की धारा 36 में—

(क) जहां कहीं भी शब्द "प्राधिकरण" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "अध्यक्ष" रख दिया जाय;

(ख) उपधारा (4) में, शब्द "अधिकरण" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष" रख दिया जाय ।] [धारा 36 का संशोधन]

[33—मूल अधिनियम की धारा 37 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :— [धारा 37 का संशोधन]

"37—अपील पर अध्यक्ष का प्रत्येक विनिश्चय, और केवल अपील विनिश्चयों का पर (यदि वह की जा सकती हो और की जाय) किसी विनिश्चय अन्तिम होना के अधीन रहते हुए, धारा 15, धारा 28 या धारा 36 के अधीन उपाध्यक्ष या अन्य अधिकारी का आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी ।"]

[33क—उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 41 की उपधारा (3) में शब्द "प्राधिकरण अध्यक्ष या उपाध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "प्राधिकरण" अथवा अध्यक्ष रख दिये जायें ।] [धारा 41 का संशोधन]

[34—मूल अधिनियम की धारा 55 में, उपधारा (2) के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात् : [धारा 55 का संशोधन]

"(क) धारा 15 की उपधारा (5) के अधीन या धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन अपील के ज्ञापन पर फीस का उद्गृहीत किया जाना"।

[35—मूल अधिनियम की धारा 56 में, उपधारा (2) के खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायं, अर्थात् :— [धारा 56 का संशोधन]

"(छ) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन पर दी जाने वाली फीस;

(ज) दस्तावेजों तथा मानचित्रों के निरीक्षण या उनकी प्रतियां प्राप्त करने के लिए दी जाने वाली फीस;

(झ) कोई अन्य विषय जिसे विनियमों द्वारा विहित किया जाना हो या किया जाय ।"]

[धारा 57 का संशोधन]

[36—मूल अधिनियम की धारा 57 में—

(1) खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"(खख) धारा 32 के अधीन अपराधों के शमन के लिए मार्ग-दर्शन करने वाले सिद्धान्त;"

(2) खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायं, अर्थात्:—

"(घ) भवनों के नक्शे या जल प्रदाय, जल निकास तथा मूल वहन प्रणाली के तैयार करने के लिए वास्तुकलाविद्, नगर नियोजन, इंजीनियरों, सर्वेक्षकों, नक्शानवीसों को अनुज्ञप्ति स्वीकृत करना तथा ऐसी अनुज्ञप्ति की स्वीकृति के लिए दी जाने वाली फीस;

(ङ) कोई अन्य विषय जिसे उपविधियों द्वारा विहित किया जाना हो या किया जाय ।"]

[धारा 59 का संशोधन]

[37 · मूल अधिनियम की धारा 59 में—

(क) उपधारा (1) में · ·

(i) खण्ड (क) में, शब्द तथा अंक "ऐसी आवास या सुधार स्कीमों को छोड़कर जिनका कार्यान्वियन 12 जून, 1973 के पूर्व प्रारम्भ हो गया था और जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें" के स्थान पर शब्द तथा अंक, "उन आवास या सुधार स्कीमों को छोड़कर जो उनमें समाविष्ट क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित किये जाने के पूर्व उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 32 के अधीन विज्ञप्ति की गई हो" रख दिये जायं, शब्द तथा अंक "संयुक्त प्रान्त साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 6" के स्थान पर शब्द तथा अंक "संयुक्त प्रान्त साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 6 और 24" रख दिये जायें;

(ii) खण्ड (ख) में, शब्द तथा अंक "संयुक्त प्रान्त साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 6" के स्थान पर शब्द तथा अंक "संयुक्त प्रान्त साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 6 और 24" रख दिये जायें;

(iii) खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् : —

(ग) 'खण्ड (क) और (ख) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, यू० पी० म्युनिसिपैलीटीज एक्ट, 1916, अथवा उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958

अथवा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 के अधीन कोई उप-विधियां, निर्देश और विनियम जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवृत्त हों, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक कि इस अधिनियम के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित, निरसित या संशोधित न कर दिये जायें ।"

(ख) उपधारा (3) में प्रथम पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रख दिया जाय, अर्थात् :—

"ऐसे विकास क्षेत्र के सम्बन्ध में, जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 में यथापरिभाषित कोई सम्पूर्ण नगर है, विकास प्राधिकरण को गठन के दिनांक को, और उससे, विकास प्राधिकरण के गठन के दिनांक के ठीक पूर्व उस नगर की नगर महापालिका के अधिष्ठान के समस्त पद, जो अनन्यतः उक्त अधिनियम के अध्याय 14 के अधीन उसके कार्यकलापों के सम्बन्ध में हों, ऐसे दिनांक से ही ऐसे पदाभिधान से जैसा प्राधिकरण अवधारित करें, विकास प्राधिकरण को अन्तरित हो जायेंगे, तथा उस नगर की नगर महापालिका के अधीन सेवा करने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों का चयन (जो उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1966 जिसे आगे इस धारा में केन्द्रीयित सेवायें कहा गया है, के अधीन गठित किसी सेवा के सदस्य न हों, जिनकी संख्या इस प्रकार अन्तरित पदों की संख्या से अधिक न हो, उन पदों पर नियुक्त किये जाने के लिए, ऐसे निदेशों के अनुसार किया जायगा जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये जायें, और इस प्रकार चयन किये जाने पर वे विकास प्राधिकरण को अन्तरित हो जायेंगे और उसके अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी हो जायेंगे, और उसी अवधि के लिए, उसी पारिश्रमिक पर तथा सेवा की उन्हीं शर्तों तथा निबन्धनों पर पद धारण करेंगे जिन पर वे पद धारण करते होते यदि प्राधिकरण का गठन न किया गया होता, और तब तक उसी प्रकार पद धारण करते रहेंगे जब तक कि ऐसी अवधि, पारिश्रमिक तथा शर्तें और निबन्धन प्राधिकरण द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दी जातीं ।"

(ग) उपधारा (6) में—

(1) खण्ड (ग) में, शब्द, कोष्ठक तथा अंक "उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी, के स्थान पर शब्द, कोष्ठक तथा अंक "उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अधिनियमिति के अधीन गठित किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी रख दिये जायं;

(2) खण्ड (ङ) में, शब्द, कोष्ठक तथा अंक "उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट स्थानीय प्राधिकारी" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक तथा अंक "उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अधिनियमिति के अधीन नियुक्त या गठित किसी प्राधिकारी" रख दिये जायें ।

(3) खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"(च) इस अधिनियम के अधीन विकास क्षेत्र के रूप में घोषित किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन समस्त अपील, और उक्त अधिनियम की धारा 15-क के अधीन सभी पुनरीक्षण जो ऐसी घोषणा के दिनांक को, यथास्थिति, नियंत्रक प्राधिकारी या राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ अधिकृत अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन हों, धारा 37 के अधीन गठित अध्यक्ष को अन्तरित हो जायेंगे, सिवाय उक्त अधिनियम की धारा 8-ख के अधीन नियत प्राधिकारी या नियंत्रक अधिकारी के आदेश से उद्भूत होने वाले पुनरीक्षणों के जो विकास प्राधिकरण को अन्तरित हो जायेंगे, और यथास्थिति, अध्यक्ष या विकास प्राधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा।"]

अध्याय 6

उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958

38....उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में....

(1) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात् :....

"(ख) 'भवन' का वही तात्पर्य है जो उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 में है;"

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 34, 1968 की धारा 2 का संशोधन

(2) खण्ड (च) में शब्द "विनियमों" के स्थान पर शब्द "नियमों" रख दिये जायें।

39....मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) में, शब्द, अक्षर तथा अंक "यू0 पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की धारा 178 से 186 तक" के स्थान पर शब्द तथा अंक "यूनाइटेड प्राविंसेज म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट, 1916 की धारा में 178, 179, 180, 180-ए, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210 और 222" रख दिए जायें।

धारा 3 का संशोधन

40....मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (2) में, खण्ड (क) में शब्द "सचिव, स्वायत्त शासन, या" निकाल दिये जायें।

धारा 4 का संशोधन

41....मूल अधिनियम की धारा 5 में, शब्द "नियन्त्रक प्राधिकारी सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निम्नलिखित विधान में से एक या अधिक के सम्बन्ध में, किसी विज्ञापित क्षेत्र के लिए ऐसे आदेश प्रचारित कर सकता है जो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा प्रचारित किन्हीं सामान्य आदेशों से असंगत न हों और जो आवश्यक समझे जायं" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार

धारा 5 का संशोधन

गजट में विज्ञप्ति द्वारा किसी विनियमित क्षेत्र के सम्बन्ध में ऐसे विनियम, जो इस अधिनियम या नियमों से असंगत न हों और जिन्हें वह निम्नलिखित विषयों में से किसी एक या एकाधिक के सम्बन्ध में आवश्यक समझे, जारी कर सकती है" रख दिये जायें ।

नई धारा 5—क का बढ़ाया जाना

42 · मूल अधिनियम की धारा 5 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

विनियमित क्षेत्र के लिए महायोजना

"5-क—(1) यदि राज्य सरकार की राय में किसी विनियमित क्षेत्र का महायोजना के अनुसार विकास करना अपेक्षित हो तो वह ऐसी योजना या तो नियन्त्रक प्राधिकारी के माध्यम से अथवा ऐसे अन्य अभिकरण के माध्यम से जिसे वह उचित समझे तैयार करा सकती है ।

(2) प्रत्येक ऐसी योजना तदर्थ बनाये गये किन्हीं नियमों या विनियमों के अनुरूप होगी ।

(3) महायोजना का पुनरीक्षण प्रत्येक दस वर्ष की समाप्ति पर किया जायगा और यदि राज्य सरकार उचित समझे तो उसका पुनरीक्षण इसके पूर्व भी किया जा सकता है ।"

धारा 6 का संशोधन

43 · मूल अधिनियम की धारा 6 में, शब्द "आदेशों" के स्थान पर शब्द "विनियमों" रख दिया जाय ।

धारा 7 का संशोधन

44—मूल अधिनियम की धारा 7 में—

(1) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायें, अर्थात्—

"(2) ऐसा प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर, नियत प्राधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, लिखित आज्ञा द्वारा या तो, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जायं अनुज्ञा देगा या ऐसी अनुज्ञा देने से इंकार करेगा ।

(2-क) एक मात्र वे कारण जिन पर अनुज्ञा देने से इंकार किया जा सकता है निम्नलिखित हैं, अर्थात् :—

(क) ऐसे निर्माण-कार्य या निर्माण कार्य के स्थल के उपयोग से अथवा स्थल नक्शे, भूमि नक्शे उत्सेध, सेक्शन या विनिर्दिष्टयों में समाविष्ट किसी ब्योरे से किसी विधि या इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन दी गयी किसी आज्ञा अथवा बनाये गये किसी नियम या विनियम के उपबन्ध का उल्लंघन होगा;

(ख) ऐसी अनुज्ञा के लिए प्रार्थना-पत्र में नियत ब्योरे नहीं दिये गये हैं अथवा वह नियत रीति से तैयार या हस्ताक्षरित नहीं किया गया है ;

(ग) नियमों या विनियमों के अधीन नियत प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित कोई सूचना या लेख्य यथाविधि प्रस्तुत नहीं किया गया है;

(घ) प्रस्तावित भवन से किसी सार्वजनिक भू-गृहादि का, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 में परिभाषित है, अधिक्रमण होगा;

(ङ) ऐसे भवन का स्थल सड़क से लगा हुआ नहीं है और उस भवन में ऐसी सड़क से, उस स्थल से सम्बद्ध किसी ऐसे मार्ग या रास्ते द्वारा जो बारह फीट से कम चौड़ी न हो, पहुंचने का कोई साधन नहीं है;

(च) निर्माण-कार्य का स्थल, ऐसे क्षेत्र का भाग है जिसका विन्यास-नक्शा स्वीकृत नहीं किया गया है;

(छ) प्रस्तावित भवन का उपयोग या नक्शा महायोजना के अनुरूप नहीं है।

(2-ख) यदि प्रार्थना-पत्र में नियत ब्योरे न दिये गये हों अथवा वह नियत रीति से तैयार या हस्ताक्षरित न किया गया हो तो नियत प्राधिकारी उसे अस्वीकार करने के बजाय, प्रार्थी को उसे संगत नियमों तथा विनियमों के अनुरूप बनाये जाने के लिए लौटा सकता है।

(2-ग) विशेषतया, और उपधारा (2) में दिये गये उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियत प्राधिकारी, किसी भूमि क्षेत्र को कालोनी के रूप में विकसित करने के लिए धारा 6 के अधीन अनुज्ञा देते समय निम्नलिखित सभी या कोई शर्तें आरोपित कर सकता है, अर्थात्—

(क) प्रार्थी सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारी के माध्यम से अथवा अन्य ऐसे अभिकरण के माध्यम से जो निर्दिष्ट किया जाय, नियत मानकों के अनुसार ऐसे क्षेत्र का विकास और उसमें सुख-सुविधाओं की व्यवस्था का प्रबन्ध करेगा और तदर्थ प्राधिकारी या अन्य अभिकरण से अनुबन्ध करेगा अथवा उसे पर्याप्त प्रतिभूति देगा, अथवा स्वयं ऐसा विकास और ऐसी सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करने का वचन देगा और राज्यपाल के पक्ष में, प्रतिभू सहित या प्रतिभू रहित तदर्थ बन्धपत्र, नियत प्राधिकारी के सन्तोषानुसार निष्पादित करेगा।

(ख) प्रार्थी राज्य सरकार या सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारी को मार्गों, सार्वजनिक पार्कों तथा अन्य लोकोपयोगी सेवाओं के लिए अलग रखी जाने वाली भूमि या तो बिना मूल्य के या ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जो निर्दिष्ट की जायें, अन्तरित करेगा।

(2-घ) उपधारा (2-ग) के अधीन प्रार्थी द्वारा निष्पादित किसी बन्धपत्र के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 445, 446, 447 और 449 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, ऐसे लागू होंगे मानों मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के स्थान पर नियत प्राधिकारी के प्रति अभिदेश और सेशन्स न्यायाधीश के प्रति अभिदेश के स्थान पर नियन्त्रक प्राधिकारी के प्रति अभिदेश रख दिये गये हो।"

(2) उपधारा (4) में, उसके प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द "आदेशों" के स्थान पर शब्द "विनियमों" रख दिया जाय।

धारा 8 का संशोधन

45. मूल अधिनियम की धारा 8 में, खण्ड (ग) में, शब्द "इस अधिनियम के अधीन प्रचारित किसी आदेश" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी विनियम" रख दिये जायं।

धारा 8-ख का निकाला जाना।

46. मूल अधिनियम की धारा 8-ख निकाल दी जाय।

धारा 9 का संशोधन

47. मूल अधिनियम की धारा 9 में, उपधारा (1) में—

(1) शब्द "इस अधिनियम के अधीन किसी आदेश" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं विनियमों" रख दिये जायं; और

(2) शब्द "ऐसी अनुज्ञा दी गयी हो" के पश्चात् शब्द "या किसी भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण करने या किसी निर्माण-कार्य को निष्पादित करने से रोकने के लिए धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन की गयी किसी कार्यवाही का उल्लंघन करके" रख दिये जायं।

धारा 10 का संशोधन

48. मूल अधिनियम की धारा 10 की संख्या बदल कर उसकी उपधारा (1) कर दी जाय, और—

(1) इस प्रकार पुनः संख्याकित उपधारा (1) में,—

(क) शब्द "इस अधिनियम के अधीन प्रचारित आदेश" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी विनियम" रख दिये जायं।

(ख) शब्द "किसी ऐसे अभियोजन (Prosecution) के अतिरिक्त जो इस अधिनियम के अधीन निर्विष्ट किया जाय" के स्थान पर शब्द "धारा 9 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना" रख दिये जायं;

(ग) शब्द "स्वयं" के पश्चात शब्द "सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारी के माध्यम से अथवा ऐसे अन्य अभिकरण के माध्यम से जिसे वह उचित समझे," रख दिये जायें;

(2) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"(2) यदि नियत प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि किसी भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण या किसी ऐसे निर्माण-कार्य का निष्पादन जो कि धारा 6 में अभिदिष्ट है, अवैध रूप से प्रारम्भ किया गया है अथवा अवैध रूप से किया जा रहा है तो वह ऐसा निर्माण, पुनर्निर्माण या निष्पादन का निदेश देने वाले या उसे करने वाले व्यक्ति को लिखित नोटिस देकर यह अपेक्षा कर सकता है कि वह उसे तत्काल रोक दे, और उसके ऐसा न करने पर ऐसे निर्माण या पुनर्निर्माण के किये जाने को या निष्पादन को रुकवा सकता है और उसके लिए ऐसे युक्तियुक्त बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो।"

धारा 12 का संशोधन

49. मूल अधिनियम की धारा 12 की संख्या बदल कर उसे उसकी उपधारा (1) कर दी जाय, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(2) नियत प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का या तो अभियोजन निर्विष्ट किय जाने के पूर्व अथवा उसके

पश्चात् ,ऐसी शर्तों पर (जिनके अन्तर्गत अपराध के लिए संधान स्वरूप धनराशि का भुगतान भी हो सकता है) जैसा, यथास्थिति, वह या नियंत्रक प्राधिकारी उचित समझे, अभिसंधान कर सकता है, और नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा किये जाने पर, अभिसंधान करेगा।" ।

धारा 14 का निकाला जाना

50 · ·मूल अधिनियम की धारा 14 निकाल दी जाय ।

धारा 15–क का प्रतिस्थापन

51 · ·मूल अधिनियम की धारा 15-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्---

राज्य सरकार की पुनरीक्षण संबंधी शक्ति

"15-क · ·(1) राज्य सरकार किसी भी समय स्वतः या उसे तदर्थ प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी आज्ञा की वैधता अथवा उसके औचित्य के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के लिए नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा निस्तारित किसी मामले का अभिलेख मंगा सकती है और उसके सम्बन्ध में ऐसी आज्ञा दे सकती है जो वह उचित समझे ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ऐसी कोई आज्ञा नहीं देगी जिसका उस व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।

(2) राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त अधिकार किसी ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को जो नियंत्रक प्राधिकारी के सभापति से निम्न न होगा, प्रतिनिहित कर सकती है ।

नई धारा 16-क का बढ़ाया जाना

52---मूल अधिनियम की धारा 16 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय और सदैव से बढ़ाई गई समझी जाय, अर्थात्- ·

स्थानीय प्राधिकारी की निधियों में फीस आदि का जमा किया जाना जायगी ।

"16-क (1) किसी नगर (जैसाकि वह उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 में परिभाषित है) की सीमाओं के भीतर नियत प्राधिकारी या नियन्त्रक प्राधिकारी के कृत्यों का सम्पादन करने के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन वसूल की गयी समस्त फीस और धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन वसूल की गयी समस्त धनराशि सम्बद्ध नगर महापालिका की निधि में जमा की

(2) राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा उपधारा (1) के उपबन्धों का प्रसार, यूनाइटेड प्राविन्सेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 में यथापरिभाषित किसी म्युनिसिपैलिटी पर ऐसे दिनांक से जैसा भी निदेश दे, कर सकती है और तदुपरान्त उस उपधारा में नगर के प्रति अभिदेशों का उस म्युनिसिपैलिटी के सम्बन्ध में इस प्रकार अर्थ लगाया जायगा मानों उनके अन्तर्गत उक्त म्युनिसिपैलिटी के लिए अभिदेश भी हो ।

(3) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह निदेश दे सकती है कि उपधारा (1) के उपबन्ध किसी नगर पर लागू न रहेंगे और तदुपरान्त उपधारा (1) के उपबन्ध ऐसे नगर पर लागू न रह जायेंगे और

इसी प्रकार उपधारा (2) के अधीन किसी विज्ञप्ति को विखंडित कर सकती है और तदुपरान्त उपधारा (1) के उपबन्ध सम्बद्ध म्युनिसिपैलिटी पर लागू न रह जायेंगे ।

(4) प्रत्येक नगर महापालिका या म्युनिसिपल बोर्ड, जिस पर तत्समय उपधारा (1) के उपबन्ध लागू हों, जब नियत प्राधिकारी या नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा एसा अनुरोध किया जाय, उसे ऐसे कर्मचारिवर्ग उपबन्ध करेगा, जो यथास्थिति, नगर या म्युनिसिपैलिटी की सीमाओं के भीतर उस प्राधिकारी के कृत्यों का सम्पादन करने के लिए आवश्यक हों ।"

धारा 17 का संशोधन

53—मूल अधिनियम की धारा 17 में, शब्द "किसी अन्य विधि" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि" रख दिये जायें और सदैव से रखे गये समझे जायं ।

धारा 19 का संशोधन

54—मूल अधिनियम की धारा 19 में—

(1) उपधारा (1) में, शब्द "विनियम" के स्थान पर शब्द "नियम" रख दिया जाय;

(2) उपधारा (2) में, प्रारम्भिक पैरा में, शब्द "विनियम" के स्थान पर शब्द "नियम" रख दिया जाय ।

नई धारा 20 का बढ़ाना जाना

55—मूल अधिनियम की धारा 19 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

विधान मंडल के समक्ष नियमों तथा विनियमों का रखा जाना

"20—इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम तथा विनियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए जो उसके एक सत्र या दो अथवा उससे अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकती है, रखे जायेंगे और, जब तक कि कोई बाद का दिनांक निश्चित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों या विनियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।"

संक्रमणालीन उपबन्ध

56—मूल अधिनियम की धारा 19 के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये सभी विनियम और मूल अधिनियम की धारा 14 के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये सभी आदेश जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व प्रवृत्त हों, जहां तक वे एतद्द्वारा संशोधित उक्त अधिनियम के उपबंधों से संगत हों, प्रवृत्त बने रहेंगे और इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम की धारा 19 या धारा 5 के अधीन बनाये गये क्रमशः नियमों तथा विनियमों के रूप में प्रभावी होंगे जब तक कि वे राज्य सरकार द्वारा परिवर्द्धित, संशोधित या विखंडित न कर दिये जायं ।

अध्याय 7

[प्रकीर्ण]

[निरसन]

[57—(1) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1974 और उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) अध्यादेश, 1974 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेशों के अधीन किया गया कोई कार्य की गई या कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायेगी मानो (अध्याय 6 को छोड़कर) यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था]

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उद्देश्य और कारण

महापालिकाओं के कार्य-कलापों की अपेक्षाकृत अधिक दक्षतापूर्वक संचालित करने के उद्देश्य से यह वांछनीय समझा गया कि नगर प्रमुख का कार्यकाल महापालिका की अवधि के साथ-साथ समाप्त हो और उसे वयस्क मताधिकार के आधार पर नगर के निर्वाचकों द्वारा निर्वाचित किया जाय। नगर प्रमुख तथा उपनगर प्रमुख को अधिक दक्षता-पूर्वक कार्य करने के लिए समर्थ बनाने की दृष्टि से इस बात की भी व्यवस्था करना वांछनीय समझा गया था कि उनके द्वारा पद ग्रहण किये जाने के दो वर्ष के भीतर उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का कोई नोटिस प्राप्त नहीं किया जायगा और ऐसा कोई प्रस्ताव पारित होने के लिए महापालिका की कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई से अधिक का बहुमत अपेक्षित होगा।

2 · उपर्युक्त प्रस्तावों के फलस्वरूप नगर प्रमुख में, महापालिका के अथवा उसकी समिति के किसी ऐसे निर्णय को जिसे वह महापालिका के हितों के विरुद्ध समझे, स्थानीय निकाय निदेशक को अभिदिष्ट करने की शक्ति निहित करना तथा निदेशक को राज्य सरकार की पूर्वानुमति से उस पर ऐसा निर्णय लेने के लिये, जैसा वह उचित समझें, सशक्त करना आवश्यक था।

3 · यह भी उचित समझा गया था कि किसी महापालिका का विघटन अथवा अतिक्रमण किये जाने के पूर्व राज्य सरकार उच्च न्यायालय के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश से परामर्श करे।

4 · यू0 पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 में म्युनिसिपिल बोर्ड के प्रेसीडेंट का प्रत्यक्ष निर्वाचन करने, उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने, स्थानीय निकाय निदेशकों को अभिदेश करने तथा नगर पालिका बोर्ड का अतिक्रमण करने अथवा विघटन करने के पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श करने के सम्बन्ध में भी इस प्रकार के संशोधन करना आवश्यक समझा गया था।

5——यह भी वांछनीय समझा गया था कि म्युनिसिपल बोर्डों तथा महा पालिका की भांति टाउन एरिया कमेटियों का कार्यकाल भी चार वर्ष के बजाय पांच वर्ष हो।

6 · उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा आरम्भ की गयी सुधार स्कीमों को उक्त परिषद् द्वारा जारी रखने के लिए उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 में उपबन्ध बनाना भी उचित समझा गया था। यह भी उचित समझा गया था कि सुधार स्कीमों से सम्बन्धित महापालिका के स्थापन के समस्त पद विकास प्राधिकरण को अन्तरित कर दिये जायें।

7 · इलाहाबाद की महापालिका का कार्यकाल 13 सितम्बर, 1975 को समाप्त होने वाला था और यह उचित तथा इष्टकर समझा गया कि समस्त पांच महापालिकाओं के निर्वाचन के साथ-साथ कराये जायें। इलाहाबाद के नगर प्रमुख का कार्यकाल 17 सितम्बर, 1974 को समाप्त होने वाला था और चूंकि महापालिकाओं के नवीन निर्वाचन निकट भविष्य में होने को थे इसलिए वर्तमान महापालिका के सभासदों द्वारा नये नगर प्रमुख का निर्वाचन उचित नहीं समझा गया था। इन परिस्थितियों में इलाहाबाद महापालिका का विघटन तथा उसका प्रशासन राज्य सरकार द्वारा नियक्त किसी प्रशासक में निहित करना वांछनीय समझा गया था।

8 · चूंकि, राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था, अतएव, उक्त प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) अध्यादेश, 1974 तथा उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1974 प्रख्यापित किये गये थे।

9 · नागर एवं ग्राम्य क्षेत्रों के अनियोजित विकास को रोकने के लिए उद्देश्य से निर्माण कार्यों के विनियमन करने की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम में महायोजना के लिए उपलब्ध नहीं है। इस अधिनियम में विनियमों को विधान मण्डल के समक्ष रखने के लिए भी कोई उपबन्ध नहीं है। इनके लिए अधिनियम में आवश्यक उपबन्ध करना वांछनीय समझा गया है।

10 · उपर्युक्त अधिनियमों में कुछ अन्य छोटे-मोटे संशोधन करने के लिये भी इस अवसर का लाभ उठाया गया है।

11—तदनुसार, यह विधेयक, पुरःस्थापित किया जाता है।

हेमवती नन्दन बहुगुणा,
मुख्य मन्त्री।

नत्थी "ञ"

(देखिये पीछे पृष्ठ 512 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र (1975) के 7वें मंगलवार के लिये निर्धारित सर्वश्री बाबा राम नाथ, भगवती सिंह एवं जनार्दन प्रसाद ओझा के तारांकित प्रश्न संख्या 11 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
11. क्या सहकारिता मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी लि0, लखनऊ के वर्तमान अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर त्रिवेदी के जनवरी, 1974 में पदासीन होने के बाद समिति की मोटर गाड़ियों आदि के पेट्रोल पर होने वाला व्यय अवानक 1 जनवरी, 1974 से 31 दिसम्बर, 1974 तक रु0 82,032.80 हो गया जबकि 1 जनवरी, 1973 से 31 दिसम्बर 1973 तक कुल व्यय 57,150.71 पैसा था ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?	11. जी हां, समिति के वाहनों पर कलेंडर वर्ष 1973 मुकाबले में वर्ष 1974 में अधिक व्यय हुआ इसका कारण वाहनों के उपयोग में आने वाले ईन्धन के मूल्य में वर्ष 1974 में हुई वृद्धि है।

नारायण सिंह,
सहकारिता मन्त्री।

पी०एस०यू पी०—ए०पी०—५९ वि० सभा—(२७६०)—१९७६—८४० (मैग०)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा